



The Jharkhand State University Act, 2026

Act No. 5 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 200 राँची, मंगलवार, 8 बैशाख, 1948 (श०)
28 अप्रैल, 2026 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
21 अप्रैल, 2026

संख्या-एल0जी0-04/2025-16/लेज०, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-17/04/2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026
(झारखण्ड अधिनियम-05, 2026)

विषय वस्तु

प्रस्तावना

अध्याय I: प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

2 परिभाषाएँ

अध्याय II: राजकीय विश्वविद्यालय

3 विश्वविद्यालयों का निगमन

4 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5 विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

6 विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार एवं विशेषाधिकारों में प्रवेश

7 'सभी के लिए खुला' विश्वविद्यालय

8 राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय III: विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

9 विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

10 कुलाधिपति

11 प्रति कुलाधिपति

12 कुलपति

13 प्रति-कुलपति

14 वित्त परामर्शी

15 कुलसचिव

16 परीक्षा नियंत्रक

17 वित्त पदाधिकारी

18 अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य)

19 संकाय के अधिष्ठाता

20 विभागाध्यक्ष

21 कुलानुशासक

22 निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र

23 निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र

24 निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता

25 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग

26 निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र

- 27 निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा
 - 28 निदेशक, छात्र मामले एवं निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना
 - 29 निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा
 - 30 निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
 - 31 निदेशक, समावेशी शिक्षा
 - 32 निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन
 - 33 निदेशक, इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट
 - 34 निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन
 - 35 निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार
 - 36 निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृति
 - 37 निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय
 - 38 निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय
 - 39 विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे
- अध्याय IV: विश्वविद्यालय के प्राधिकरण
- 40 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण
 - 41 सीनेट
 - 42 सिंडिकेट
 - 43 शैक्षणिक परिषद्
 - 44 संकाय
 - 45 अध्ययन बोर्ड
 - 46 परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड
 - 47 आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड
 - 48 सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड
 - 49 अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड
 - 50 छात्र मामलों का बोर्ड
 - 51 खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड
 - 52 मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड
 - 53 इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड

- 54 समावेशी शिक्षा बोर्ड
- 55 सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड
- 56 अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड
- 57 संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड
- 58 अध्ययन केंद्र बोर्ड
- 59 क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड
- 60 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड
- 61 छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड
- 62 प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल
- 63 सदस्यता की समाप्ति
- 64 प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता
- 65 द्वितीय अनुक्रमिक कार्यकाल हेतु अनर्हता
- 66 प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता
- 67 सदस्यता से त्यागपत्र
- 68 प्राधिकरण की बैठक
- 69 आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति
- 70 विश्वविद्यालय की प्राधिकृत संस्थाओं एवं निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी

अध्याय V: परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

- 71 परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ
- 72 परामर्शदात्री समिति
- 73 वित्त एवं लेखा समिति
- 74 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- 75 पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति
- 76 क्रय समिति
- 77 छात्रसंघ एवं छात्र परिषद्
- 78 भवन एवं कार्य समिति
- 79 शुल्क निर्धारण समिति

80 जनसंपर्क समिति

81 आंतरिक शिकायत समिति

अध्याय VI: विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति एवं प्रोन्नति

82 विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त परामर्शी, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति

83 विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और कुलानुशासक की नियुक्ति

84 शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति

85 विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

86 विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

87 अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस

88 पदों का सृजन

89 पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति

90 सेवा की शर्तें

91 सेवानिवृत्ति

92 पदच्युति

93 अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई

अध्याय VII: प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन तथा छात्रों से संबंधित अन्य मामले

94 प्रवेश

95 प्रवेश से संबंधित विवाद

96 परीक्षा और मूल्यांकन

97 परीक्षाफल की घोषणा

98 परीक्षा और मूल्यांकन अनुसूची के साथ गैर अनुपालन के लिए अमान्य नहीं होंगे

99 खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ

अध्याय-VIII: छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतें

100 छात्र शिकायत निवारण समिति

101 कर्मचारी शिकायत निवारण समिति

102 कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण

103 कर्मचारी को अपील का अधिकार

104 कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तियाँ और प्रक्रिया

105 न्यायाधिकरण की उचित राहत और निर्देश देने की शक्तियाँ

106 न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा

107 न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालय पर जुर्माना

अध्याय-IX: संबद्धता एवं मान्यता के लिए अनुमति

108 संबद्धता और मान्यता के लिए शर्तें

109 स्वायत्त महाविद्यालय

110 सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय

111 सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थान

अध्याय-X: नामांकन, उपाधियाँ एवं दीक्षांत

112 स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान

113 स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम

114 छात्रों का नामांकन

115 अनुशासनात्मक शक्तियाँ और अनुशासन

116 उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र

117 मानद उपाधियाँ

118 दीक्षांत

119 पंजीकृत स्नातक

120 स्नातकों की पंजी से नाम हटाना

अध्याय XI: परिनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश और विश्वविद्यालय नियमावली

121 परिनियम

122 विश्वविद्यालय अध्यादेश

123 विश्वविद्यालय नियमावली

अध्याय XII: विश्वविद्यालय निधि, लेखा और अंकेक्षण

124 वार्षिक वित्तीय विवरणी

125 विश्वविद्यालय निधि

126 वित्तीय संधारणीयता

127 वार्षिक लेखा और अंकेक्षण

128 वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय XIII: विविध

129 क्षति के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण एवं कर्मचारी

130 राज्य विधानमंडल एवं संसद की सदस्यता

131 पेंशन, उपादान, बीमा तथा भविष्य निधि

132 विवेचन, विवाद इत्यादि

133 अधिनियमों तथा आदेशों का संरक्षण

134 शक्तियों का प्रत्यायोजन

135 कार्य तथा कार्यवाहियाँ अमान्य नहीं हैं

अध्याय-XIV: नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

136 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

137 परियोजना प्रतिवेदन

138 उच्चाधिकार समिति

139 राज्य सरकार के अनुमोदन का अनुपालन

140 नए विश्वविद्यालय का अधिनियमन

141 नए विश्वविद्यालय का गठन होने पर मामलों के लिए आदेश जारी करना

अध्याय XV: झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग

142 आयोग की स्थापना

143 आयोग की संरचना

144 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का चयन

145 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा की शर्तें

146 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र एवं पदच्युतीकरण

147 संलग्नता की शक्ति

148 आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

149 आयोग की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

150 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों का चयन

151 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों की प्रोन्नति

152 अभिलेखों को मंगवाने का अधिकार

- 153 झारखण्ड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व
 - 154 आयोग की निधियाँ एवं खाता
 - 155 आयोग का लेखा परीक्षण एवं प्रतिवेदन
 - 156 अनुपालन में विफल रहने पर दण्ड
 - 157 सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण
 - 158 अभियोजन पर निषेध
 - 159 आयोग की कार्यवाहियों की वैधता
 - 160 आयोग के निर्णयों का प्रमाणीकरण
 - 161 आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन
 - 162 लंबित चयन तथा प्रोन्नति का हस्तांतरण
 - 163 आयोग के लिए नियमावली बनाने की शक्ति
- अध्याय XVI: सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर
- 164 सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर
- अध्याय XVII: संक्रमणकालीन प्रावधान
- 165 विद्यमान पदाधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतरता
 - 166 निरंतरता से संबंधित प्रावधान
 - 167 निरसन एवं व्यावृत्ति
 - 168 समस्याओं का निवारण
 - 169 आधिकारिक पाठ की भाषा

अनुसूची-I

अनुसूची-II

अनुसूची-III

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (जिसे सम्पूर्ण संशोधनों सहित अंगीकृत किया गया है) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय विश्वविद्यालयों तथा झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2016, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2015, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को एकीकृत विधिक रूप देने एवं राज्य के नए शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान प्रधान एकल राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक अधिनियम।

जबकि झारखण्ड राज्य में स्थित गैर-कृषि एवं गैर-चिकित्सा विश्वविद्यालयों के गठन, शैक्षिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वतंत्रता एवं दक्ष प्रशासन हेतु एक समान विधिक प्रावधान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

और जबकि झारखण्ड सरकार यह आवश्यक और उपयुक्त समझती है कि एक ऐसा विधिक प्रावधान किया जाए जिससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुशासन, शैक्षिक मानकों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षिक स्वायत्तता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ किया जा सके।

और जबकि झारखण्ड सरकार यह अनुभव करती है कि राज्य में गैर-कृषि एवं गैर-चिकित्सा विश्वविद्यालयों का प्रभावी रूप से विनियमन करना, विश्वविद्यालयों की सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भागीदारी का प्रभावी प्रावधान करना, विभिन्न बोर्डों और समितियों का गठन करना और झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को निरस्त करना आवश्यक है;

यह निम्नलिखित रूप में, भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में विधिवत् अधिनियमित किया गया है :-

अध्याय I: प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

- (1) इस अधिनियम को "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026" के नाम से जाना जाएगा।
- (2) यह झारखण्ड राज्य में वर्णित और स्थापित समस्त विश्वविद्यालयों पर प्रवर्तनीय होगा जैसा कि अधिनियम के अनुसूची-II एवं III में वर्णित है।
- (3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचित किया जाएगा।

2 परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे:-

- (क) "ए.बी.सी." का अर्थ अकादमिक क्रेडिट बैंक से है;
- (ख) "शैक्षणिक परिषद्" का अर्थ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् से है;
- (ग) "संबद्ध महाविद्यालय" का अर्थ वह महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की गई हो;
- (घ) "ए.आई.सी.टी.ई." का अर्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अंतर्गत स्थापित किया गया हो;
- (ङ) "प्राधिकरण" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरण से है;
- (च) "स्वायत्त महाविद्यालय" अथवा "स्वायत्त संस्थान" का अर्थ वह महाविद्यालय अथवा संस्थान है जिसे स्वायत्तता प्रदान की गई हो और जिसे परिनियमों द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट किया गया हो;

- (छ) "स्वायत्तता" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त उस विशेषाधिकार से है जिसके द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्था को शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन, परीक्षा आयोजन तथा संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण का अधिकार दिया जाता है। यह स्वायत्त महाविद्यालय या संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन पूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त करेगा;
- (ज) "अर्द्धवार्षिक अधिवेशन" का अर्थ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सीनेट के अधिवेशनों में से एक अधिवेशन से है;
- (झ) "बोर्ड" का अर्थ विश्वविद्यालय के बोर्डों से है;
- (ञ) "निकाय" का अर्थ विश्वविद्यालय के उन निकायों से है जो सम्बंधित पदाधिकारियों द्वारा गठित किए गए हों;
- (ट) "कुलाधिपति" और "प्रति कुलाधिपति" का अर्थ इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रति कुलाधिपति से है;
- (ठ) "मुख्यमंत्री" का अर्थ है झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री;
- (ड) "महाविद्यालय" का अर्थ वह महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संबद्ध किया गया हो;
- (ढ) "अंगीभूत महाविद्यालय" का अर्थ वह महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता हो;
- (ण) "समिति" का अर्थ विश्वविद्यालय एवं/अथवा महाविद्यालय की समिति है जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है;
- (त) "आयोग" का अर्थ इस अधिनियम के धारा-142 के अंतर्गत स्थापित "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग" से है;
- (थ) "सामुदायिक महाविद्यालय" से आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय की एक उप-इकाई से है जो राज्य के दूरस्थ या शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां सकल नामांकन अनुपात (GER) कम है, स्थापित की जाती है। इस प्रकार के महाविद्यालयों का उद्देश्य व्यावसायिक, कौशल आधारित अथवा उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को स्नातक डिप्लोमा स्तर तक प्रदान करना होता है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा परिषद् (NHEQF) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अनुरूप होंगे। सामुदायिक महाविद्यालय किसी भी अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के पोषक संस्थान के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि प्रासंगिक परिनियम में निर्दिष्ट किया गया हो;
- (द) "अधिष्ठाता" का अर्थ है संबंधित संकाय एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों के अधिष्ठाता;
- (ध) "डिग्री", "डिप्लोमा", "प्रमाण पत्र" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक योग्यता से है;
- (न) "विभाग" का अर्थ वह विभाग है जो निर्दिष्ट परिनियमों के अनुसार किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में विशेष विषय या विषयों के समूह में अनुसंधान, परामर्श, विस्तार सेवाएँ तथा शिक्षण कार्य करता हो;
- (प) "उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" का अर्थ झारखण्ड सरकार का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है;
- (फ) "निदेशक" का अर्थ विश्वविद्यालय के किसी संस्थान, बोर्ड या केंद्र का प्रमुख है, जिसे सीनेट या सिंडिकेट द्वारा नामित किया गया हो;

- (ब) "उच्च शिक्षा निदेशक" तथा "तकनीकी शिक्षा निदेशक" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन उच्च शिक्षा निदेशक एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक;
- (भ) "कर्मचारी" का अर्थ विश्वविद्यालय के स्वीकृत पदों पर नियुक्त स्थायी नियमित शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी या अधिकारियों से है;
- (म) "सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय" का अर्थ वह स्वायत्त महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा उत्कृष्टता हेतु संभावित महाविद्यालय या उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तथा जिसे सरकार द्वारा *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचित उच्च ग्रेड प्रदान किया गया हो और जिसे प्राधिकरण द्वारा परिनियमों के अंतर्गत सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा दिया गया हो, जिसमें उसे शिक्षण प्रधान विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो;
- (य) "सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थान" का अर्थ समान प्रबंधन अथवा शैक्षणिक समाज के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थानों के समूह से है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा उत्कृष्टता हेतु संभावित महाविद्यालय या उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जिन्हें सरकार द्वारा *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचित उच्च ग्रेड प्रदान किया गया हो और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा परिनियमों के अंतर्गत सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थान का दर्जा दिया गया हो, और जिन्हें शिक्षण प्रधान विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो;
- (र) "शुल्क" का अर्थ शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा प्रभार, जिसमें विकासात्मक शुल्क सम्मिलित हैं, जो शिक्षण प्रदान करने के लिए देय हैं;
- (ल) इस अधिनियम में "वह" और "उसे" शब्दों का प्रयोग लिंग-निरपेक्ष सर्वनाम के रूप में किया गया है;
- (व) "विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष" तथा "महाविद्यालय विभागाध्यक्ष" का अर्थ क्रमशः विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय विभाग के अध्यक्ष को इंगित करता है, जैसा कि परिनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (श) "उच्च शिक्षा" से तात्पर्य है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या किसी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा;
- (ष) "मानद उपाधि" का अर्थ ऐसी डिग्री या शैक्षणिक योग्यता से है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट उपलब्धि या प्रतिष्ठा के कारण प्रदान की जाती है, जैसा कि सीनेट द्वारा निर्णीत हो तथा राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि की जाए;
- (स) "छात्रावास" का अर्थ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों के लिए एक निवास-स्थल से है, जिसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा स्थापित, संचालित तथा अनुरक्षित किया गया हो;
- (ह) "संस्थान" का अर्थ एक शैक्षिक संस्थान से है, जो किसी महाविद्यालय से भिन्न हो तथा जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हों;
- (क्ष) "जे०सी०एस०टी०आई०" (JCSTI) का अर्थ झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद् से है, जो झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है;
- (त्र) "जे०एस०एफ०डी०ए०" (JSFDA) का अर्थ झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी से है, जो झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है;
- (ज्ञ) "जे०एस०एच०ई०सी०" (JSHEC) का अर्थ झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है, जो झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है;

- (कक) "प्रबंधन" का अर्थ किसी भी ट्रस्ट, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत हो, या किसी सोसायटी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो, या किसी कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत हो, के ट्रस्टी, प्रबंधक अथवा संचालन मंडल (किसी भी अन्य नाम से संबोधित) से है, जिसके अधीन एक या अधिक महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं;
- (कख) "व्याख्याता" का अर्थ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शिक्षक से है जो परिणियमों द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं;
- (कग) "एन०ए०ए०सी०" का अर्थ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से है;
- (कघ) "एन०बी०ए०" का अर्थ राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल से है;
- (कड) "गैर-विश्रामावकाशी शैक्षणिक कर्मों" का अर्थ उन कर्मियों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गैर-विश्रामावकाशी शैक्षणिक कर्मियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कुलपति, प्रति-कुलपति वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, सभी अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष, निदेशक/ प्रधानाचार्य एवं अन्य ऐसे सभी कर्मों जो प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं;
- (कच) "पदाधिकारी" का अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त/ अथवा नामित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से है जिसके अंतर्गत वित्त परामर्शी, कुलानुशासक, कुल-सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य हैं ;
- (कछ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का अर्थ उन सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो तथा इसमें वह अन्य पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित होंगे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के संदर्भ में घोषित किया गया हो;
- (कज) "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)" का अर्थ उन जनजातियों से है जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो ;
- (कझ) "सार्वजनिक विश्वविद्यालय" का अर्थ ऐसा विश्वविद्यालय है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो और जिसे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित और अनुरक्षित किया जाता हो;
- (कञ) "स्नातकोत्तर विभाग" का अर्थ किसी महाविद्यालय या उच्च शिक्षा, अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययन संस्था के उस विभाग से है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो तथा जो स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन एवं शोध के लिए निर्देश अथवा मार्गदर्शन प्रदान करता हो;
- (कट) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अधीन परिणियमों, विश्वविद्यालय अधिनियमों, अथवा नियमों द्वारा निर्धारित होने से है;
- (कठ) "प्रधानाचार्य" का अर्थ विश्वविद्यालय के अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के प्रमुख से है;
- (कड) "प्राध्यापक, "सह-प्राध्यापक" तथा "सहायक प्राध्यापक" का अर्थ परिणियमों में विनिर्दिष्ट या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संकाय अथवा शिक्षक के रूप में होता है;
- (कढ) "उपाचार्य" का अर्थ किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में उस शिक्षक से है, जो परिणियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखता हो;
- (कण) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्राय विश्वविद्यालय की ऐसी समग्र अन्तर्निहित एवं स्वतंत्र इकाइयों से है, जिन्हें इस अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित किया गया है तथा जिन्हें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन केंद्रों की स्थापना उक्त क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक तथा विस्तार गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की जाती है, जिससे कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके;

- (कत) "पंजीकृत स्नातक" का अर्थ किसी विश्वविद्यालय का वह स्नातक है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत या अधिनियम द्वारा पंजीकृत अथवा पंजीकृत माना गया हो;
- (कथ) "नियामक निकाय" का अर्थ तथा इसमें UGC, AICTE, NCTE, NMC, PCI, ICAR, BCI जैसे निकाय शामिल हैं जो उच्च शिक्षा के मानकों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं;
- (कद) "अनुसंधान प्रधान एकल विश्वविद्यालय" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उस विश्वविद्यालय से है, जो एकल प्रकृति का हो तथा जिसे किसी महाविद्यालय को संबद्ध करने का अधिकार न हो;
- (कध) "स्वीकृत पद" का अर्थ वह पद हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो;
- (कन) "अनुसूची" का अर्थ इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
- (कप) "अनुसूचित जाति" का अर्थ उन जातियों, जनजातियों या उनके भागों अथवा समूहों से है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो;
- (कफ) "अनुसूचित जनजातियों" का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या उनके भीतर के भाग या समूह, जिन्हें इस अधिनियम के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है;
- (कब) "सीनेट" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के सीनेट से है;
- (कभ) "स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम" से तात्पर्य ऐसे शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित या कौशल आधारित अध्ययन कार्यक्रमों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय या उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों द्वारा प्रारम्भ या संचालित किया जाता है, तथा जिन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या बजटीय समर्थन, चाहे वह आवर्ती या अनावर्ती हो, प्राप्त नहीं होता। ऐसे पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण व्यय जिसमें संकाय अथवा कर्मचारी का वेतन, उपकरण, प्रशासनिक व्यय तथा संचालन संबंधी लागत सम्मिलित है (पर सीमित नहीं है) – छात्रों द्वारा एकत्रित शुल्क या किसी अन्य गैर-सरकारी स्रोत से पूरा किया जाता है, बशर्ते कि वह राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित नियामक स्वीकृतियों या पर्यवेक्षण के अधीन हो;
- (कम) "राज्य सरकार" से अभिप्राय झारखण्ड सरकार से है तथा इसमें वह अन्य सक्षम प्राधिकारी या पदाधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें संबंधित परिणियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार शक्तियाँ प्रदान की गई हों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया हो;
- (कय) "राज्य आरक्षण नीति" का अर्थ झारखण्ड की आरक्षण नीति से है जिसे समय-समय पर अधिसूचित एवं संशोधित किया गया है;
- (कर) "परिनियम", " विश्वविद्यालय अधिनियम", तथा "नियमावली" का क्रमशः अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अधीन निर्मित परिणियमों, विश्वविद्यालय अधिनियमों, तथा नियमों से है;
- (कल) "विद्यार्थी" का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसे विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय के किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश एवं पंजीकरण प्राप्त हो;
- (कव) "अध्ययन केंद्र" का अर्थ विश्वविद्यालय की एक व्यापक, अंतर्निहित, स्वायत्त इकाई से है, जिसे किसी पूर्व-निर्धारित भौगोलिक क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा जिसका उद्देश्य उस क्षेत्राधिकार में अकादमिक तथा अनुसंधान गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना हो;
- (कश) "सिंडिकेट" का अर्थ विश्वविद्यालय का सिंडिकेट है;

- (कष) "शिक्षक" का अर्थ किसी भी विश्वविद्यालय विभाग, अथवा विश्वविद्यालय के अंगीभूत, संबद्ध अथवा स्वायत्त महाविद्यालय में पूर्णकालिक नियमित प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, उपाचार्य, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, किसी संस्थान के निदेशक, शारीरिक शिक्षा के निदेशक या प्रशिक्षक से है;
- (कस) "शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालय" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उस विश्वविद्यालय से है, जिसे किसी महाविद्यालय को संबद्ध करने की शक्ति प्राप्त हो;
- (कह) "विश्वविद्यालय" का अर्थ इस अधिनियम की अनुसूची-1, II एवं III में उल्लिखित राज्य विश्वविद्यालयों से है;
- (कक्ष) "विश्वविद्यालय विभाग" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित उस विभाग से है, जो परिणियमों के अनुसार अनुसंधान, परामर्श एवं प्रसार सेवाएँ प्रदान करता हो तथा किसी विशिष्ट विषय या विषय समूह की शिक्षा प्रदान करता हो;
- (कत्र) "विश्वविद्यालय निधि" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय की निधि से है;
- (कज्ञ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है; तथा
- (खक) "कुलपति" एवं "प्रति-कुलपति" का अभिप्राय क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रति-कुलपति से है।

अध्याय II: राजकीय विश्वविद्यालय

3 विश्वविद्यालयों का निगमन

- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रभावी होते हुए, अनुसूची-1 के कॉलम III में उल्लिखित प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्राधिकार के लिए गठित माना जाएगा।
- (2) राज्य सरकार समय-समय पर *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत, किसी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है, जिसे किसी विशिष्ट नाम, क्षेत्र/प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रभावी तिथि के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा, तथा इसके लिए, अनुसूची-II में शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालय हेतु तथा अनुसूची-III में अनुसंधान-प्रधान एकल विश्वविद्यालय हेतु, आवश्यक प्रविष्टियाँ सम्मिलित की जाएंगी। राज्य सरकार, इस प्रयोजन अथवा अन्य किसी निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु, किसी विद्यमान या नवीन विश्वविद्यालय के क्षेत्र को परिवर्तित, विस्तारित अथवा न्यून कर सकती है, तथा उक्त अधिसूचना द्वारा संबद्ध अनुसूची में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार, अनुसूची-II या अनुसूची-III की प्रविष्टियाँ यथासमय संशोधित मानी जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप, नए विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित सभी शैक्षिक संस्थान, चाहे वह महाविद्यालय, संस्थान, स्वायत्त अथवा सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थान, स्नातकोत्तर विभाग, विद्या केंद्र या अध्ययन केंद्र (किसी भी नाम से जाने जाएं), यदि वह किसी विद्यमान विश्वविद्यालय से संबद्ध, अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त हों, तो वह उक्त तिथि से नवीन विश्वविद्यालय से संबद्ध, अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त माने जाएंगे।
- (3) प्रत्येक विश्वविद्यालय को चल और अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, पट्टे पर देने, विक्रय करने, अथवा किसी भी चल या अचल संपत्ति को, जो विश्वविद्यालय के अधीन हो अथवा उसके उद्देश्यों हेतु अर्जित की गई हो, अन्य प्रकार से हस्तांतरित या निष्पादित करने की शक्ति होगी, तथा

इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अनुबंध करने एवं आवश्यक अन्य समस्त कार्य करने की भी शक्ति प्राप्त होगी;

परंतु यह उपबंधित रहेगा कि, ऐसी किसी भी संपत्ति के पट्टे, विक्रय अथवा हस्तांतरण से पूर्व, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त स्वीकृत मूल्यांकक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

4 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- (1) विश्वविद्यालय के उद्देश्य सामान्यतः शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, प्रसार एवं सेवा के माध्यम से ज्ञान एवं समझ का प्रसार, सृजन एवं संरक्षण करना होगा तथा अपने संगठित जीवन के प्रभावी प्रदर्शन एवं सामाजिक प्रभाव द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान देना होगा। विशेष रूप से, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-
- (क) ज्ञान के सृजन, संरक्षण एवं प्रसार का अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करना;
- (ख) अनुशासन तथा बौद्धिक जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करना एवं स्वयं को एक निडर अकादमिक समुदाय के रूप में उत्कृष्टता की सतत खोज हेतु समर्पित करना;
- (ग) सहिष्णुता एवं परस्पर समझ की भावना को बनाए रखते हुए व्यक्तित्व एवं विविधता को प्रोत्साहित करना;
- (घ) भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय विकास की मूलभूत प्रवृत्तियों एवं मूल्यों को प्रेरित कर देशभक्तिपरक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रेरक बनना;
- (ङ) सामाजिक समरसता, सह-अस्तित्व, समग्र मानवतावाद तथा समाज के अत्यंत वंचित वर्ग के उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना;
- (च) विश्वविद्यालय को स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास की समस्याओं से घनिष्ठ रूप से जोड़कर, व्यक्तियों एवं समाज के विकास हेतु ज्ञान, जीवन एवं रोजगारपरक कौशलों का विस्तार करना;
- (छ) एक जागरूक एवं निष्पक्ष समीक्षक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, प्रतिभा की पहचान एवं संवर्धन करना, सभी जीवन-क्षेत्रों में उपयुक्त नेतृत्व के प्रशिक्षण हेतु प्रयासरत रहना, तथा युवाओं को उचित दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं मूल्यों के विकास में सहायता प्रदान करना;
- (ज) उच्च शिक्षा की शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता सेवाओं की सुविधाओं के समान वितरण को प्रोत्साहित करना;
- (झ) अत्याधुनिक संचार, मीडिया एवं प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं नवाचार में प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन को प्रोत्साहित करना;
- (ञ) ऐसी प्रेरक प्रणालियों का निर्माण करना, जिससे किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता सीमित न हो, बल्कि नवाचार की भावना, सार्थक योगदान की अभिलाषा एवं आत्म-सिद्धि के मार्ग को पोषित किया जा सके;
- (ट) तीव्र गति से विकसित हो रहे एवं परिवर्तित होते समाज में ज्ञान के अर्जन को बढ़ावा देना तथा नवीन एवं भावी प्रौद्योगिकियों में सतत ज्ञान-वृद्धि, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराना ताकि एक अधिगमशील समाज की अवधारणा को साकार किया जा सके;

- (ठ) राष्ट्रीय एकता, बंधुता की भावना को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना एवं विभिन्न धर्मों, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के अध्ययन के माध्यम से भारत के विविध धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना;
- (ड) राज्य अथवा निजी उद्योगों, सरकारी संगठनों के स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर शिक्षण, प्रशिक्षण एवं संबंधित कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा संसाधन उत्पादक सेवाओं के लागत कुशल ढंग से क्रियान्वयन द्वारा वित्तीय आत्मनिर्भरता को स्थापित करना;
- (ढ) रोजगारोन्मुख आत्मनिर्भर पाठ्यक्रमों की शुरुआत, परामर्श सेवाओं, राज्य सरकार के साथ सहयोग, अनुसंधान-केंद्रित औद्योगिक संपर्कों एवं अन्य सक्रिय उपायों के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करना;
- (ण) विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संबंधित विश्वविद्यालय के अधीन आनेवाले महाविद्यालयों, राज्य, क्षेत्र, देश, अथवा विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर संवाद एवं समन्वय को सामान्यतः समग्र रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन देना;
- (त) समाज के कमजोर वर्गों में आत्म-सम्मान एवं गरिमा की भावना उत्पन्न करना एवं उसे बढ़ावा देना;
- (थ) समाज में लैंगिक समानता एवं संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना;
- (द) सभी शैक्षणिक एवं अन्य छात्रों से संबंधित मामलों में प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता एवं उत्कृष्टता को एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित करना;
- (ध) अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC) में पंजीकरण करना, जो अकादमिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक सुविधा होगी, जहाँ विद्यार्थी अकादमिक खाताधारक के रूप में पंजीकृत होंगे;
- (न) विभिन्न रणनीतियों एवं पहलों को विकसित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की पहचान एवं प्रभाव को विस्तृत करने हेतु पाठ्यक्रमों का वैश्विक महत्व, राज्य विश्वविद्यालयों का प्रचार-प्रसार, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग, संयुक्त पाठ्यक्रमों के तहत क्रेडिट मान्यता, वैश्विक नागरिकता दृष्टिकोण एवं विदेशी पूर्व छात्रों के साथ सहभागिता जैसी गतिविधियों के माध्यम से उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण का अवसर प्रदान करना;
- (प) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए समस्त निर्देशों तथा मानदंडों का पालन करना एवं उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (फ) विश्वविद्यालय को पूर्ण पारदर्शिता की भावना को आत्मसात करना होगा तथा निम्नलिखित जानकारी को सार्वजनिक सूचना एवं प्रकटन हेतु अपनी वेबसाइट पर सहज रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा:-
- (i) संस्थान, अधिनियम एवं परिनियम तथा उसके संस्थागत विकास योजना के बारे में जानकारी;
- (ii) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के वेबसाइट के संपर्क विवरण और लिंक, यदि लागू हो;

- (iii) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् एन०ए० ए०एसी०, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा एन०आई०आर०एफ़० तथा झारखण्ड राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा में प्रत्यायन/ रैंकिंग स्थिति;
- (iv) यूजीसी के 2(f), 12(b) आदि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत स्वायत्तता की मान्यता एवं स्वीकृति की स्थिति;
- (v) प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्यों के विस्तृत प्रोफाइल एवं उनके छायाचित्र;
- (vi) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमानुसार अनुसंधान एवं विकास हेतु उपलब्ध आधारभूत संरचना और सुविधाओं की जानकारी;
- (vii) प्रवेश नीति, शुल्क एवं शुल्क वापसी नीति संबंधी नीतियाँ;
- (viii) अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ संवर्धन /नवाचार एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ, एंटी-रैकिंग प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ इत्यादि विभिन्न सुविधाओं से संबंधित जानकारी;
- (ix) दिव्यांगजन एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु उपलब्ध सुविधाएँ;
- (x) संसद् एवं झारखण्ड राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तर;
- (xi) विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन, यदि लागू हो;
- (xii) विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन एवं खातों की अंकेक्षण का वित्तीय विवरण;
- (xiii) विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके अंगीभूत महाविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदन;
- (xiv) समय-समय पर जारी परिपत्र एवं कार्यालय आदेश;
- (xv) अन्य विभागों / बोर्डों/ एजेंसियों / व्यक्तियों के साथ किया गया पत्राचार;
- (xvi) समय-समय पर गठित समितियों से संबंधित आदेश एवं उन समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन; तथा
- (xvii) उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु सार्वजनिक आत्म-प्रकटीकरण दिशा-निर्देश, 2024 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कोई भी अन्य आवश्यक जानकारी।

5 विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे, जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे:—

- (1) शिक्षण एवं अधिगम, अर्थात् :-
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझी गई विविध शिक्षाशाखाओं, जिनमें व्यावसायिक अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी सम्मिलित हों, में शिक्षण प्रदान करना;
 - (ख) सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं अद्यतन पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं उनका संचालन करना;
 - (ग) विविध शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना;
 - (घ) शिक्षण पद्धतियों में नवीनतम अनुसंधान निष्कर्षों को समाहित करना;
 - (ङ) विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान तथा व्यावसायिक कौशलों से सुसज्जित करना;

- (च) यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण प्रणाली प्रत्यायन एवं संस्थागत मानकों के अनुरूप हो;
- (छ) अंतर्विषयक शिक्षण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना;
- (ज) अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार मूल्यांकन करना;
- (झ) समावेशी एवं समान गुणवत्तायुक्त शिक्षण वातावरण को प्रोत्साहित करना; तथा
- (ञ) बाह्य संगठनों के साथ भागीदारी कर व्यावहारिक अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना।
- (2) अनुसंधान एवं सहयोग, अर्थात् :-
- (क) अनुसंधान, ज्ञान संवर्धन एवं प्रसार की व्यवस्था करना तथा सामान्य रूप से कला (ललित कला एवं प्रदर्शन कला सहित), मानविकी, सामाजिक विज्ञान, लेखा एवं वाणिज्य, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, वर्तमान एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, प्रबंधन, चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियाँ, अभियांत्रिकी, विधि, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य शिक्षाशाखाओं तथा इनके बहुविषयक एवं अंतर्विषयक क्षेत्रों को विकसित एवं प्रोत्साहित करना;
- (ख) अनुसंधान संस्थानों एवं विशिष्ट अध्ययन संस्थानों की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन करना;
- (ग) अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना तथा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उन अध्ययन केंद्रों में संसाधन केंद्रों की व्यवस्था करना, जिनमें स्नातकोत्तर विभाग, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर केंद्र एवं अन्य शिक्षण एवं कौशल विकास केंद्र सम्मिलित हों;
- (घ) विद्यार्थियों की मांग एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर एवं/अथवा अध्ययन केंद्रों एवं/अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था करना;
- (ङ) अनुसंधान एवं परामर्श सेवाओं के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान, प्राधिकरण अथवा संगठन के साथ सहयोग करना या सहभागिता करना तथा आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उपयुक्त समायोजन करना;
- (च) विश्वविद्यालय की संसाधन वृद्धि की संभावनाओं का अन्वेषण करना तथा अनुसंधान एवं विकास, परामर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए सेवाएँ प्रदान करने जैसी नवीन गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना;
- (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य प्रासंगिक वैधानिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अनुरूप आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहभागिता कार्यक्रम, अनुसंधान एवं परामर्श सेवाओं का संचालन करना;
- (ज) उच्च शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श-आधारित परियोजनाओं एवं बाह्य एजेंसियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुल्क लेकर संचालित करना ताकि आन्तरिक कोष और अन्य संसाधन उत्पन्न किए जा सकें;
- (झ) उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को विकसित करना, जिसका स्वरूप आधुनिक, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक हो;
- (ञ) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाना, प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना एवं उद्यमशीलता हेतु रुचि उत्पन्न करना; तथा

- (ट) अनुसंधान पार्क, तकनीक संवर्धक एवं अन्य संलग्न संस्थाओं की स्थापना करना ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान को व्यावसायिक क्षेत्र में रूपांतरित किया जा सके तथा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा राज्य के समक्ष उपस्थित महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- (3) कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, निदेशकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और अन्य पदों पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्तियाँ करना;
- (ख) परिनियमों में निर्दिष्ट अर्हताओं एवं अनुभव के अनुसार विश्वविद्यालय कर्मियों की प्रोन्नति करना;
- (ग) प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं अन्य स्वीकृत पदों की रिक्तियों का विश्लेषण करना तथा समयबद्ध नियुक्ति हेतु रोस्टर तैयार करना;
- (घ) परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों को अंतर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना करना, जिससे कर्मचारियों के सर्वांगीण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके;
- (च) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के सहयोग से प्रवेश प्रशिक्षण, कैरियर विकास कार्यक्रम, कौशल संवर्धन कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना;
- (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं परिनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शिक्षकों के प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन करना;
- (ज) परिनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन करना;
- (झ) शिक्षकों के विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त सहयोग एवं अनुसंधान हेतु शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ सहभागिता स्थापित करना;
- (ञ) शिक्षण अथवा कार्य अवधि में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर में कर्मचारियों की उपस्थिति को निर्दिष्ट मानकों के अनुसार विनियमित एवं निगरानी करना; तथा
- (ट) परिनियमों अथवा नियमों के अंतर्गत निर्मित आचरण एवं अनुशासन नियमों को कर्मचारियों के लिए लागू करना।
- (4) विद्यार्थियों की इंटरशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट, अर्थात् :-
- (क) प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उपाधि अथवा अन्य किसी भी शैक्षणिक अर्हता में इंटरशिप को अनिवार्य घटक के रूप में समाहित करना;
- (ख) उद्योग निकायों के साथ भागीदारी, समझौते तथा समझौता ज्ञापन/एम.ओ.यू. के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त इंटरशिप एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना;
- (ग) विद्यार्थियों की इंटरशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट पर केंद्रित एक समर्पित बोर्ड, कार्यालय अथवा प्रकोष्ठ की स्थापना करना;
- (घ) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्रशिक्षुओं एवं उन्नत प्रशिक्षुओं की पहचान, विज्ञापन एवं योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनकी संलग्नता सुनिश्चित करना;

- (ड) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य किसी नियामक निकाय द्वारा लागू मानकों के अनुसार उपयुक्त औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से अप्रेंटिसशिप-समाविष्ट उपाधि कार्यक्रमों की शुरुआत करना;
- (च) विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने हेतु विशेषीकृत पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना;
- (छ) विद्यार्थियों के पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित प्लेसमेंट हेतु नीति का निर्माण करना;
- (ज) स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, उभरती आवश्यकताओं एवं नवीन रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने योग्य कौशलों की पहचान करना; तथा
- (झ) विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करना।
- (5) विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्थाएँ, अर्थात् :-
- (क) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखकर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निधियों का उधार लेना;
- (ख) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में लागू नियमों के अधीन रहकर विदेशी संस्थाओं से सहयोगी कार्यक्रमों हेतु निधियों की प्राप्ति करना;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान, उभरते तकनीकों, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, परामर्श एवं अन्य शैक्षणिक एवं सहायक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अधिशेष से विकास निधि कोष का निर्माण करना, उसे व्यावसायिक रूप से निवेशित करना तथा उससे उत्पन्न ब्याज को शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास, शैक्षणिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना के विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक गतिविधियों के संवर्धन हेतु प्रयोग करना;
- (घ) विश्वविद्यालय के आन्तरिक कोष सृजन के लिए एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करना, जिसमें उद्योग-अकादमिक सहयोग, अनुसन्धान एवं परामर्श परियोजनायें, पूर्व छात्रों का योगदान और दान, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय करण, बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप प्रोत्साहन एवं इंक्यूबेशन आदि गतिविधियाँ शामिल हों;
- (ड) विश्वविद्यालय की आन्तरिक निधियों से स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना, संचालित करना या उन्हें बंद करना तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट तरीके से नियुक्ति एवं भर्ती करना;
- (च) राज्य सरकार की किसी प्रकार की भागीदारी या अंशदान के बिना, देश के भीतर विभिन्न वित्तपोषक एजेंसियों से अनुदान प्राप्त कर व्यय करना तथा व्यक्तियों, उद्योगों, संस्थानों, संगठनों या किसी अन्य व्यक्ति से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त अंशदान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक अथवा अन्य सेवाओं के एवज में प्राप्त शुल्क को सहायता प्राप्त अथवा स्वयंवित्तपोषित शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए व्यय करना; तथा
- (छ) विकास कोष या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष से इन प्रयोजनों के लिए व्यय किया जा सकेगा कि विभिन्न श्रेणियों में पदों का सृजन किया जा सके, उन पदों के लिए वेतन भत्ते एवं अन्य लाभ प्रदान किए जा सके, बशर्ते कि ऐसे पद उन व्यक्तियों द्वारा नहीं धारित हों जो ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जिनके लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है; स्व-वित्तपोषित आधार पर किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रारम्भ किया जा सके; कर्मचारियों को उनके नियमित कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक या प्रोत्साहन दिया जा सके; तथा छात्रों

और कर्मचारियों के कल्याण हेतु विकास कार्यों एवं अन्य गतिविधियों पर व्यय किया जा सके।

- (6) समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात् :-
- (क) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं समुदायों, छात्राओं, दिव्यांगजन विद्यार्थियों तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लाभ उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- (ख) वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु ब्रिज पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना, जिससे वह उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर सकें;
- (ग) शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए सहायक उपचारात्मक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना; तथा
- (घ) महिला शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत संरचनात्मक, तकनीक-आधारित एवं सामाजिक उपाय अपनाना।
- (7) विश्वविद्यालय का संचालन, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय विभागों, अध्ययन केन्द्रों, संस्थानों, प्रयोगशालाओं, अध्ययन संसाधन केंद्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रसार से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना;
- (ख) छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों, प्रेक्षागृहों, विद्यार्थी संसाधन केंद्रों, व्यायामशालाओं एवं अन्य विद्यार्थी संबंधी गतिविधियों का स्थापन, अनुरक्षण एवं संचालन करना;
- (ग) छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना और सम्बंधित कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक और प्रसार गतिविधियों के विकेंद्रीकरण हेतु चयनित अंगीभूत महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में उन्नत किया जाना;
- (ङ) विशिष्ट उपाधियों, डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्रों के लिए विविध परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना;
- (च) जहाँ संभव हो, विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित संख्या, आँकड़ों एवं अन्य विवरणों के सर्वेक्षण एवं संकलन की व्यवस्था करना, जिससे विद्यार्थी पाठ्यक्रमीय गतिविधियों के रूप में इन विकासात्मक योजनाओं के मूल्यांकन में भाग ले सकें;
- (छ) विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना;
- (ज) शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना एवं उसके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करना;
- (झ) परिनियमों में निर्दिष्ट मानद उपाधियाँ अथवा अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखना;
- (ट) राज्य सरकार अथवा/ एवं भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार निर्देशित सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों, सेवाओं एवं गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी की व्यवस्था करना;

- (ठ) स्वयं अथवा अन्य विश्वविद्यालयों एवं संगठनों के सहयोग से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं विदेशी भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना;
- (ड) अपने कर्मचारियों के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु संचालन योजना विकसित करना;
- (ढ) विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना एवं ज्ञान सृजन की भूमिका का निर्वहन करना;
- (ण) ई-शिक्षण एवं ई-प्रशासनिक सेवाओं हेतु एक व्यापक डिजिटल विश्वविद्यालयीय रूपरेखा तैयार करना;
- (त) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से 'सहभागिता द्वारा शिक्षण' एवं 'भागीदारी' की अवधारणा को सशक्त बनाना;
- (थ) राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने एवं खेलकूद में कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान कर युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना;
- (द) विश्वविद्यालय की शक्तियों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन;
- (ध) नियमित अंतराल पर विश्वविद्यालय के विभागों एवं संबंधित इकाइयों का अकादमिक मूल्यांकन करना;
- (न) बाह्य विद्यार्थियों तथा पत्राचार एवं दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा एवं सतत शिक्षा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों लिए उपाधियाँ, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र प्रदान करना, एवं व्याख्यान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (प) विश्वविद्यालय एवं उसकी अंगीभूत इकाइयों में 'हरित अंकेक्षण' को वार्षिक रूप से सुनिश्चित करना, जिससे ऊर्जा दक्षता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सके;
- (फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक, आनुषांगिक अथवा अन्य समस्त अनुकूल कार्यों एवं उपायों को अपनाना; तथा
- (ब) उप-धारा (1) से उप-धारा (7) के अंतर्गत उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार जे.एस.एफ़.डी.ए./जे.एस.एच.ई.सी./जे.सी.एस.टी.आई. से परामर्श कर सकता है।
- (8) इस अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित विश्वविद्यालय
- इस अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, अर्थात् :-
- (क) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना को सक्षम बनाने हेतु विशेषीकृत अध्ययन हेतु प्रावधान करना;
- (ख) स्वायत्त, सशक्त स्वायत्त एवं सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थानों के निर्माण हेतु प्रावधान करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र स्थापित करना, जिनका स्पष्ट भौगोलिक अधिकार क्षेत्र और निर्धारित उत्तरदायित्व हो;
- (घ) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में अनुमोदित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले एवं निर्धारित परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर आवश्यक क्रेडिट, अंक अथवा ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना एवं प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उपाधियाँ, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;

- (ड) महाविद्यालयों की संबद्धता की शर्तें एवं संस्थानों की मान्यता की शर्तें निर्धारित करना, जिसमें प्रबंधन की विश्वसनीयता, महाविद्यालयों, संकायों एवं विषयों की शैक्षणिक गुणवत्ता के मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि समय-समय पर परिणियमों तथा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए;
- (च) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत संबद्ध अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सम्मिलित करना एवं उनके किसी भी विशेषाधिकार को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वापस लेना;
- (छ) अंगीभूत महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, संस्थान को स्वायत्त अंगीभूत महाविद्यालय, स्वायत्त संबद्ध महाविद्यालय अथवा स्वायत्त संस्थान के रूप में एकल अथवा संकुल रूप में नामित करना, जैसा कि परिणियमों में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए;
- (ज) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना;
- (झ) विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थानों, संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों, स्वायत्त अथवा सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी एवं मूल्यांकन करना, जो कि संबद्धता अथवा मान्यता के लिए आवश्यक होगा, तथा इन संस्थानों को राज्य, राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रत्यायन/रैंकिंग के लिए मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति, अनुदान, यात्रा अनुदान, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने हेतु न्यास एवं बंदोबस्ती निधियों की स्थापना एवं प्रबंधन करना;
- (ट) सभी प्रकार के महाविद्यालयों एवं संस्थानों का निरीक्षण करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना एवं यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना कि ये संस्थान शिक्षण, अध्यापन, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार के उचित मानकों का पालन करें तथा इनके पास पर्याप्त पुस्तकालय, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, कार्यशालाएँ एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध हों;
- (ठ) महाविद्यालयों, संस्थानों अथवा संकुल संस्थानों को दी गई संबद्धता, मान्यता अथवा सशक्त स्वायत्त स्थिति को निरस्त या निलंबित करना;
- (ड) यदि किसी संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालय, संस्थान, स्वायत्त अथवा सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय या संकुल संस्थान में प्रबंधन द्वारा किसी भी आपराधिक कृत्य अथवा अनियमितता के प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध हों, तो उस महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रबंधन को उचित विधिक प्रक्रिया के अनुसार एवं राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य प्रबंधन को हस्तांतरित करना; तथा
- (ढ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शिक्षकों, गैर-विश्रामावकाशी शैक्षणिक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी संचालन योजना विकसित करना।

6 विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार एवं विशेषाधिकारों में प्रवेश

- (1) इस अधिनियम की अनुसूची-II और अनुसूची-III में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, अनुसूची में ऐसे विश्वविद्यालय के नाम के समक्ष विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण विश्वविद्यालय क्षेत्र को सम्मिलित करेगी:

परंतु यह कि, खुली एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लाभों का विस्तार, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर किया जा सकेगा।

- (2) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नया जिला गठित किया जाता है, तो उस जिले का क्षेत्र उसी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा, जो नए जिले के सृजन से पूर्व उस क्षेत्राधिकार में स्थित था, ताकि उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश को सुनिश्चित किया जा सके।

7 'सभी के लिए खुला' विश्वविद्यालय

- (1) भारत के किसी भी नागरिक को, केवल लिंग, नस्ल, पंथ, वर्ग, जाति, जन्म स्थान, धार्मिक विश्वास, व्यवसाय अथवा राजनीतिक या अन्य विचार के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद से, विश्वविद्यालय की किसी भी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की सदस्यता से, किसी भी पद पर नियुक्ति से एवं किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अथवा अन्य अकादमिक विशिष्टता या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह उपबंधित रहेगा कि, विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को बनाए रख सकता है, प्रत्यायन कर सकता है अथवा मान्यता प्रदान कर सकता है अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकता है।

- (2) विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति तथा अंगीभूत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों अथवा विश्वविद्यालय संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश के प्रयोजन से, विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अपनाएगा:

परंतु यह उपबंधित रहेगा कि, इस अधिनियम की अनुसूची-III में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए यह प्रावधान केवल विश्वविद्यालय विभागों पर लागू होगा।

8 राज्य सरकार की शक्ति

- (1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकेगा:-
- स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन को छोड़कर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के लिए नए पदों का सृजन करना;
 - विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्त लाभ एवं अन्य लाभों की स्वीकृति एवं पुनरीक्षण करना;
 - किसी विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त निधियों को अन्य किसी प्रयोजन में परिवर्तित करना;
 - विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति को विक्रय अथवा पट्टे द्वारा स्थानांतरित करना; तथा
 - राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त निधियों का उपयोग किसी विकास कार्य हेतु करना, जब तक कि वह निधि उसी प्रयोजन के लिए प्राप्त न हुई हो।
- (2) राज्य सरकार, इस अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुरूप सभी विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने हेतु, *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित परिणियम के प्रावधान निम्नलिखित कार्य हेतु होंगे:-
- विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण, चयन की विधि एवं प्रक्रिया, पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव, नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रारंभिक, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय अनुभव, प्रतिनियोजन, राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार पदों का आरक्षण, कर्तव्य, कार्यभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्त लाभ एवं अन्य लाभ, आचरण, अनुशासनात्मक विषयों एवं अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों हेतु;

- (ख) महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्रदान करने, संबद्धता की निरंतरता बनाए रखने तथा संबद्धता की वापसी अथवा असंबद्धता से सम्बन्धित प्रक्रिया, मानदंड, मानक एवं प्रक्रिया को विनियमित करने वाले उपबंध; जिनमें शैक्षणिक प्रदर्शन, भौतिक आधारभूत संरचना के मानक, वित्तीय व्यावहारिकता, शासन प्रणाली, प्रबंधन पद्धतियाँ तथा अन्य ऐसे विषय जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सम्मिलित होंगे;
- (ग) यह प्रावधान विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों, तथा पदाधिकारियों की स्थापना, संरचना, गठन अथवा नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हताएँ, कार्यकाल, कर्तव्यों, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, प्रतिवेदन दायित्वों, आचारसंहिता, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय भूमिकाओं की परिभाषा तथा कुलपति, प्रति-कुलपति कुल सचिव, वित्त परामर्शी, अधिष्ठाता, निदेशक एवं अन्य वैधानिक पदाधिकारियों के परस्पर संबंधों से सम्बंधित होगा;
- (घ) शैक्षणिक मामलों का संचालन और प्रशासन, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की रूपरेखा, छात्र कल्याण, कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा, कर्मचारियों और छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ, गुणवत्ता मानक, संस्थागत मूल्यांकन, प्रत्यायन और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय रैंकिंग प्रणाली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास, समीक्षा एवं समय-समय पर पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा;
- (ङ) विश्वविद्यालय और उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारियों के पदों का सृजन, वेतन निर्धारण, स्थानांतरण, पदस्थापना और प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में परिनियमों का निर्माण और निर्धारण;
- (च) बुनियादी ढाँचे के विकास, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना और संचालन तथा पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) पहलों के कार्यान्वयन हेतु परिनियमों का निर्माण और निर्धारण;
- (छ) विश्वविद्यालय, उसके अंगीभूत और संबद्ध संस्थानों के कर्मचारियों और छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, संचालन, मानकीकरण तथा प्रभावी क्रियान्वयन;
- (ज) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना, संरचना, शक्तियाँ, कार्य और प्रक्रियाएँ; तथा
- (झ) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय।
- (3) राज्य सरकार को निम्नलिखित से सम्बंधित शक्तियाँ होंगी :-
- (क) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, अर्थात् :-
- केवल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग और अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद सृजन की शक्ति;
 - स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रोस्टर की स्वीकृति;
 - कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, विश्वविद्यालय के भीतर स्थानांतरण तथा कर्मचारियों के अन्तर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण को स्वीकृति देने हेतु तंत्र को अनिवार्य बनाना;
 - विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्रति-कुलपति का चयन;
 - स्व-वित्तपोषित, बाह्य वित्तपोषित या परियोजना आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पदों के सृजन हेतु शर्तें निर्धारित करना, जिसमें

ऐसे पदों के अनुमोदन, कार्यकाल, नवीकरण और समाप्ति हेतु दिशानिर्देश शामिल हैं;

- (vi) स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों के निर्धारण और संशोधन हेतु मानक और प्रक्रियाएँ;
 - (vii) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु राज्य सरकार के लिए नियामक ढाँचा, जिसमें कार्यान्वयन प्रक्रियाएँ, लेखा परीक्षण और विसंगतियों के सुधार शामिल हैं;
 - (viii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की अन्य शैक्षणिक संस्थानों, राज्य निकायों, अनुसंधान संगठनों अथवा सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति के लिए शर्तें, कार्यकाल तथा अनुमोदन की प्रक्रिया; तथा
 - (ix) विश्वविद्यालयों में एक निष्पक्ष, योग्यता-आधारित एवं दक्ष मानव संसाधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक कोई भी विषय।
- (ख) निधियाँ, लेखा और वित्तीय लेखा परीक्षण, अर्थात् :-
- (i) विश्वविद्यालय तथा उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करना, तथा विश्वविद्यालय और उसकी अंगीभूत इकाइयों के खातों का नमूना लेखा परीक्षण या पूर्ण लेखा परीक्षण नियमित रूप से या ऐसी अवधि में करना जैसा उपयुक्त प्रतीत हो ;
 - (ii) विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष कोष या खाते स्थापित करना। विश्वविद्यालय को अनुदान और ऋण स्वीकृत करना तथा ऐसी वित्तीय सहायता के लिए शर्तों और नियमों को विनियमित करना ;
 - (iii) विश्वविद्यालय के कोषों से किए गए लेन-देन के लिए लेखांकन, अभिलेखों का संधारण, पुस्तकों और अन्य दस्तावेजी या डिजिटल अभिलेखों के मानक निर्धारित करना;
 - (iv) किसी भी संबद्ध, अंगीभूत, या स्वायत्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय, जब उचित प्रतीत हो ; तथा
 - (v) विश्वविद्यालयों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य आवश्यक या प्रासंगिक कार्य करना।
- (ग) निर्देश, आदेश तथा उनका अनुपालन, अर्थात् :-
- (i) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य किसी विनियामक निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार या जैसा उपयुक्त समझा जाए, कोई भी निर्देश, आदेश, या अधिसूचना जारी करना जिसका अनुपालन सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा;
 - (ii) यदि विश्वविद्यालय धारा 5 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है, या विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता अथवा कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया जाता, या विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश या आदेश या अधिसूचना के अनुपालन में विफल रहता है, या राज्य सरकार किसी अन्य परिस्थिति में उचित समझे तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को उक्त शक्तियों के समुचित प्रयोग, कर्तव्यों के निष्पादन अथवा आदेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर

सकती है। विश्वविद्यालय के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करे।

(घ) आयोग का संचालन, अर्थात् :-

- (i) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन), तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान;
- (ii) सचिव, उप-सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी तथा अन्य किसी भी कर्मचारी सहित आयोग के कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान;
- (iii) किसी भी उपयुक्त विषय पर निर्देश जारी करना तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए योग्यता मापदंड, अर्हता मापदंड, आरक्षण नीति, उम्र सीमाएँ और समतुल्यता शर्तों पर परामर्श प्राप्त करना; तथा
- (iv) आयोग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य आवश्यक या प्रासंगिक विषय।

(ङ) आधारभूत संरचना का निर्माण और रख-रखाव, अर्थात् :-

- (i) विश्वविद्यालय मुख्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध परिसरों के लिए भौतिक, अकादमिक, डिजिटल, एवं आवासीय आधारभूत संरचना का विकास, उन्नयन, और अनुरक्षण जिसमें वित्त पोषण की व्यवस्थाएं, तकनीकी मानक, अनुमोदन प्रक्रियाएँ और अनुपालन की समय सीमाएँ शामिल हैं;
- (ii) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक संरचना और परिचालन शासन के लिए मानदंडों और प्रक्रियाओं का निर्धारण, जिसमें विश्वविद्यालय की भूमिकाएं भी शामिल हैं;
- (iii) विश्वविद्यालय की आवश्यकता आकलन और अनुशंसाओं के आधार पर सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना;
- (iv) विश्वविद्यालय परिसरों, अंगीभूत महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों, में ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट और संबंधित मानकों का आकलन करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों या एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवधिक हरित अंकेक्षण का अनिवार्य संचालन; तथा
- (v) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्यावरण के लिए जिम्मेदार, सामाजिक रूप से उत्तरदायी तथा संस्थागत रूप से जवाबदेह वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे।

(च) अनुदान सहायता और प्रोत्साहन, अर्थात् :-

- (i) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय को दिए जानेवाले अनुदान या निधियों के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- (ii) विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहनों हेतु योजनाएँ तैयार करना;
- (iii) अनुदानों के उपयोग की निगरानी करना और विश्वविद्यालयों के घाटा वित्तपोषण आधारित लेखांकन को अनिवार्य बनाना; तथा
- (iv) वित्तीय सावधानी को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन प्रदान करने से सम्बंधित अन्य कोई विषय।

- (छ) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायत का निवारण, अर्थात्:-
- (i) छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी), कर्मचारी शिकायत निवारण समिति (ईजीआरसी) तथा कर्मचारी शिकायत निवारण प्राधिकरण (ईजीआरटी) का अधिदेश, उनकी संस्थागत संरचना, क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार उनके उद्देश्य, संरचना, कार्यकाल, कोरम शक्तियाँ तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं, विनिर्दिष्ट किए जाते हैं;
 - (ii) ई.जी.आर.सी. और ई.जी.आर.टी. के सदस्यों की नियुक्ति एवं प्रतिनियोजन की प्रक्रिया के साथ-साथ उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करना;
 - (iii) प्रवेश, परीक्षा परिणाम, भेदभाव, उत्पीडन, सेवा-शर्तों, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, वेतन विसंगतियों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों से सम्बंधित शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध कार्यवाही और समाधान का अनुक्रमिक प्रोटोकॉल निर्धारित करना;
 - (iv) विश्वविद्यालय द्वारा शिकायतों से सम्बंधित आंकड़ों, उनके निस्तारण की स्थिति, प्रणालीगत समस्याओं तथा नीति सम्बन्धी अनुशंसाओं के त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था; तथा
 - (v) न्याय, गरिमा तथा शिकायतों के प्रबंधन में संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा गया कोई भी अन्य विषय।
- (ज) विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों का नामकरण, अर्थात्:-
- (i) अनुसूची-II और अनुसूची-III में संशोधन केवल नामकरण अर्थात् विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन तक सीमित होगा, जो *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना जारी करके किया जा सकेगा; तथा
 - (ii) *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना जारी कर, स्थापित या स्थापित होनेवाले अंगीभूत महाविद्यालयों का नामकरण या पुनर्नामकरण करना।
- (झ) विश्वविद्यालय एवं राज्य के हित में उपयुक्त और आवश्यक समझे गए अन्य विषय।

अध्याय III: विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

9 विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

- (1) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
- (क) कुलाधिपति;
 - (ख) प्रति कुलाधिपति;
 - (ग) कुलपति;
 - (घ) प्रति-कुलपति;
 - (ङ) वित्त परामर्शी;
 - (च) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (छ) संकाय के अधिष्ठाता;

- (ज) कुलानुशासक;
 (झ) कुलसचिव;
 (ञ) परीक्षा नियंत्रक;
 (ट) वित्त पदाधिकारी;
 (ठ) विभागाध्यक्ष;
 (ड) निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र;
 (ढ) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता;
 (ण) निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र;
 (त) निदेशक, छात्र मामले;
 (थ) निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना;
 (द) निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा;
 (ध) निदेशक, छात्र कला और संस्कृति;
 (न) निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ;
 (प) निदेशक, समावेशी शिक्षा;
 (फ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग;
 (ब) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा;
 (भ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;
 (म) निदेशक, इंटरशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट;
 (य) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन; तथा
 (र) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार;

अनुसूची-II में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त पदाधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (ल) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय;
 (व) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय;
 (श) निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र; तथा

विश्वविद्यालय की सेवा में अन्य ऐसे पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।

10 कुलाधिपति

- (1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
 (2) कुलाधिपति पदेन विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे, कुलाधिपति (यदि उपस्थित हों) उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

11 प्रति कुलाधिपति

- (1) राज्य सरकार द्वारा कुलाधिपति के परामर्शोपरांत, आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति को प्रति कुलाधिपति के रूप में नामित किया जा सकता है।

- (2) कुलाधिपति सीनेट की बैठक की अध्यक्षता के लिए आवश्यकतानुसार प्रति कुलाधिपति को अधिकृत कर सकते हैं।

12 कुलपति

- (1) विश्वविद्यालय में एक कुलपति होगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान अधिशासी अधिकारी होगा तथा वह सिंडिकेट एवं शैक्षणिक परिषद् पदेन अध्यक्ष होगा।
- (2) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कुलपति का वेतन एवं भत्ते, सेवा की शर्तें और नियम वह होंगे जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- (3) कुलपति का चयन कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) कुलपति के चयन के लिए उपयुक्त नामों की अनुशंसा करने हेतु एक खोज समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (i) कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविद् – अध्यक्ष;
- (ii) राज्य सरकार द्वारा नामित, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय का निदेशक या प्रमुख – सदस्य;
- (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि – सदस्य; तथा
- (iv) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार – सदस्य।
- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय का कुलसचिव खोज समिति का सचिव होगा, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- (ग) समिति में नामित किए गए सदस्य वैसे व्यक्ति होंगे जो कभी भी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित नहीं होंगे।
- (घ) मताधिकार प्राप्त न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति के बिना समिति की बैठक आयोजित नहीं हो सकेगी।
- (ङ) समिति, कुलपति के रूप में चयन हेतु विचार के लिए 3-5 (तीन से पाँच) सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों के नाम के पैनल की अनुशंसा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेगी। अनुशंसित व्यक्तियों के नाम वर्णमाला क्रम से होंगे तथा उनमें किसी प्रकार की वरीयता नहीं दर्शायी जाएगी। इस पैनल में अनुशंसित प्रत्येक व्यक्ति की उपयुक्तता पर एक विस्तृत विवरण भी संलग्न किया जाएगा।
- (च) इस पद के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करते समय यदि समिति के सदस्यों के बीच मतों की समानता होती है तो समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।
- (छ) कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तों और नामों की अनुशंसा प्रक्रिया को व्यापक प्रचार-प्रसार दिया जाएगा, ताकि योग्यतम उम्मीदवार की अनुशंसा सुनिश्चित की जा सके।
- (4) कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री, संयुक्त रूप से पैनल में अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी एक को कुलपति के रूप में चयनित करेंगे, तत्पश्चात् कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।

परन्तु यह कि यदि वह अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को भी चयनित नहीं करते हैं, तो वह या तो उसी समिति से अथवा इस उद्देश्य से गठित नई समिति से एक नया पैनल मांग सकते हैं।

- (5) कुलपति की चयन प्रक्रिया निश्चित रूप से कुलपति पद की रिक्ति से न्यूनतम छह माह पूर्व आरम्भ हो जानी चाहिए तथा कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया कुलपति पद की रिक्ति से न्यूनतम एक माह पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण हो जानी चाहिए। समिति के सचिव के तौर पर यह कुलसचिव का उत्तरदायित्व होगा।
- (6) कुलपति पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (7) कोई भी व्यक्ति जिसे कुलपति नियुक्त किया जाएगा, वह सेवा अनुबंध की शर्तों के अधीन, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। यह कार्यकाल कुलाधिपति द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श से, संतोषजनक कार्यप्रदर्शन तथा 70 वर्ष की आयु पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति उसी विश्वविद्यालय में एक कार्यकाल (विस्तारसहित) पूर्ण होने के पश्चात् पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि, किए गए कार्य के आधार पर यदि वह सबसे सक्षम और दक्ष पाया जाता है, तो पात्रता की शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी अन्य विश्वविद्यालय में नियुक्ति का पात्र होगा।

- (8) कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित मूल पद, यदि कोई हो, ग्रहणाधिकार प्राप्त होगा।
- (9) निम्नलिखित में किसी भी परिस्थिति में, जिसकी अनिवार्यता का निर्णय कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) जहाँ उप-धारा (3)(क) के अधीन नियुक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किसी नाम की अनुशंसा करने में असमर्थ हो; अथवा
 - (ख) जहाँ कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हो और उसे उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अनुसार सुविधाजनक रूप से तथा शीघ्रता से भरा न जा सके; अथवा
 - (ग) जहाँ कुलपति का पद अवकाश, बीमारी, या अन्य किसी कारण से अस्थायी रूप से रिक्त होता है; अथवा
 - (घ) जहाँ कोई अन्य आपात स्थिति हो।

कुलाधिपति द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन प्रभारी कुलपति के रूप में किया जा सकता है। तदुपरांत कुलाधिपति द्वारा प्रभारी कुलपति की नियुक्ति अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि उनके आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) एवं (4) के अंतर्गत नियुक्त कुलपति द्वारा पद ग्रहण किए जाने की तिथि अथवा वर्तमान कुलपति द्वारा पुनः पद ग्रहण किए जाने की तिथि को स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।

- (10) यदि कोई व्यक्ति जो राज्य की समेकित निधि से मानदेय प्राप्त कर रहा है, या कोई संबद्ध अथवा अंगीभूत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य या विश्वविद्यालय शिक्षक कुलपति के रूप में नियुक्त होता है, तो उसकी सेवा शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- (11) पूर्व की उप-धाराओं में निहित किसी भी बात के बावजूद उप-धारा (7) में उल्लिखित व्यक्ति अपने मूल पद की सेवा शर्तों और नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।
- (12) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में, एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे एवं कुलाधिपति द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या उक्त नोटिस अवधि पूर्ण होने की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नहीं करेंगे।
- (13) कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से, राज्य सरकार द्वारा की गयी उचित जाँच के पश्चात्, कुलपति को पद से हटाने का निर्णय ले सकते हैं, यदि वह आश्वस्त होते हैं कि, कुलपति-
- (क) मानसिक विकृतचित्त हो गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा
- (ख) किसी नैतिक पतन से संबंधित अपराध में दोषी पाया गया है; अथवा
- (ग) दिवालिया घोषित किया गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा
- (घ) दीर्घकालिक बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो गया है; अथवा
- (ङ) जानबूझकर इस अधिनियम के प्रावधानों या सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उप-धारा (2) की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया है, या अधिकारों का दुरुपयोग किया है, या उसके पद पर बने रहने से विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुँच रही है, या उसके विरुद्ध पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, या समुचित जाँच के उपरांत वह कार्यावधि में लगे आरोपों का दोषी पाया जाता है; अथवा
- (च) कुलपति किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध है जो राजनीति में संलिप्त है, या किसी राजनैतिक आंदोलन में भाग ले रहा है अथवा राज्य सरकार अथवा शिक्षा प्रणाली के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है;

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई दल राजनैतिक दल है, या कोई संगठन राजनीति में संलिप्त है, या कोई आंदोलन एवं गतिविधि इस उप-धारा के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा:

परन्तु यह कि कुलपति को उनके पद से उप-धाराओं (घ), (ङ) और (च) के तहत पदच्युत करने की प्रक्रिया अपनाने से पहले राज्य सरकार द्वारा कारण बताने का समुचित अवसर और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

- (14) कुलपति,-
- (क) विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा;
- (ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट और प्रत्येक विभाग, अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र और अंगीभूत महाविद्यालय द्वारा उत्पन्न आन्तरिक कोषों की समीक्षा करेगा, जैसा लागू हो;
- (ग) परीक्षाओं तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के समयानुसार संचालन सुनिश्चित करेगा, जैसा कि अकादमिक कैलेंडर में निर्धारित हो;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय (यदि कोई हो), को एनएएसी और/अथवा एनबीए से मान्यता प्राप्त हो तथा वह राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय रैंकिंग प्रक्रिया में भाग लें;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों और अधीनस्थ महाविद्यालयों में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों, निदेशों तथा पहलों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा; तथा

(च) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

13 प्रति-कुलपति

- (1) प्रति-कुलपति, कुलपति के बाद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी होगा, जिसे सम्पूर्ण विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र प्राप्त होगा।
- (2) प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र बोर्ड तथा क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- (3) प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। वह कुलपति के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, प्रति-कुलपति के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।
- (4) प्रति-कुलपति का चयन धारा 12(3)(क) के तहत गठित खोज समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति 03 वर्षों की अवधि के लिए कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।
- (5) प्रति-कुलपति के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में धारा 12(3)(ख) से धारा 12(3)(छ) तक तथा धारा 12(4) से धारा 12(8) तक के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित यथावत् लागू होंगे।
- (6) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों एवं समितियों के अध्यक्ष अथवा अंतरिम कुलपति के रूप में कार्य करेगा।
- (7) यदि प्रति-कुलपति का पद रिक्त हो जाता है, या वह बीमारी, अनुपस्थिति, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तो कुलाधिपति द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श से, प्रति-कुलपति पद के लिए योग्य किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से प्रति-कुलपति के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, यह नियुक्ति तब तक मान्य होगी जब तक प्रति-कुलपति पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, या नए प्रति-कुलपति की विधिवत् नियुक्ति नहीं हो जाती।
- (8) प्रति-कुलपति, कुलपति के माध्यम से, कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में, एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे एवं कुलाधिपति द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या उक्त नोटिस अवधि पूर्ण होने की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नहीं करेंगे।
- (9) कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से, राज्य सरकार द्वारा की गयी उचित जाँच के पश्चात्, प्रति-कुलपति को पद से हटाने का निर्णय ले सकते हैं, यदि वह आश्वस्त होते हैं कि, प्रति-कुलपति-
 - (क) मानसिक विकृतचित्त हो गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा
 - (ख) किसी नैतिक पतन से संबंधित अपराध में दोषी पाया गया है; अथवा
 - (ग) दिवालिया घोषित किया गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा
 - (घ) दीर्घकालिक बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो गया है; अथवा
 - (ङ) जानबूझकर इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, या सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उप-धारा (5) के किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया है, या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, या उसके पद पर बने रहने से विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुँच रही है; अथवा
 - (च) किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध है जो राजनीति में संलिप्त है, या किसी राजनैतिक आंदोलन में भाग ले रहा है।

स्पष्टीकरण:- इस कंडिका के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई दल राजनैतिक दल है, या कोई संगठन राजनीति में संलिप्त है, या कोई आंदोलन एवं गतिविधि इस उप-धारा के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा:

परंतु यह कि, प्रति-कुलपति को उनके पद से उप-धाराओं (घ), (ङ) और (च) के तहत पदच्युत करने की प्रक्रिया अपनाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा कारण बताने का समुचित अवसर और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(10) प्रति-कुलपति,-

- (क) स्नातक पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक गतिविधियाँ अनुमोदित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार संचालित करना सुनिश्चित करेंगे;
- (ख) कुलपति की अनुपस्थिति में आधिकारिक कार्यक्रमों और बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (ग) विश्वविद्यालय के आन्तरिक कोषों के सृजन और वृद्धि में सहयोग करेंगे;
- (घ) पूर्व-छात्रों की भागीदारी और उद्योगों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करेंगे;
- (ङ) डिजिटल परिवर्तन अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के विकास जैसे महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व करेंगे; तथा
- (च) ऐसे अन्य सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित हैं।

14 वित्त परामर्शी

- (1) वित्त परामर्शी, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसका चयन एवं नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। वित्त परामर्शी का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि का होगा। वित्त परामर्शी उक्त विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) वित्त परामर्शी, वित्त एवं लेखा समिति का पदेन सदस्य होगा। कोई भी प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय प्रभाव हो, वित्त परामर्शी की सलाह प्राप्त किए बिना अनुमोदित नहीं किया जाएगा। यह कुलसचिव यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वित्तीय मामलों में वित्त परामर्शी की सलाह प्राप्त करे एवं सीनेट के समक्ष उपस्थापित किसी वित्तीय प्रभाव वाले प्रस्ताव में वित्त परामर्शी की स्पष्ट सलाह को सम्मिलित करें।
- (3) यदि कुलपति या सिंडिकेट किसी वित्तीय प्रभाव वाले प्रस्ताव पर वित्त परामर्शी की सलाह के विपरीत कोई निर्णय लेते हैं, तो ऐसा निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जाएगा एवं कुलपति द्वारा यह निर्णय कुलाधिपति को अग्रसारित किया जाएगा जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (4) वित्त परामर्शी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय की सभी वित्तीय प्रक्रियाएं अधिनियम, परिनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेश और नियमों के अनुसार संचालित की जाएं।
- (5) वित्त परामर्शी, विश्वविद्यालय के बजट का निर्माण, खातों का रखरखाव, समय-समय पर लेखा अंकेक्षण, अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन करना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा विश्वविद्यालय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) वित्त परामर्शी कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा तथा वित्त पदकधिकारी सीधे वित्त परामर्शी के नियंत्रण में कार्य करेगा।

15 कुलसचिव

- (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों के संरक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारी होंगे तथा कुलपति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। उन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा 04 वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वह परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे।
- (2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के अनुशासन की देखरेख करेगा। वह संबंधित सभी मामलों की लिखित सूचना कुलपति को देगा।
- (3) कुलसचिव की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ एवं अनुभवों के मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार या इस संबंध में बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार होंगे।
- (4) कुलसचिव की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार होंगे।
- (5) यदि कुलसचिव का पद रिक्त हो जाता है, या वह बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, और यह अवधि छह (06) महीने से अधिक नहीं होती, तो कुलपति किसी उपयुक्त उप कुलसचिव को कार्यवाहक कुलसचिव के रूप में तब तक के लिए नियुक्त करेगा जब तक नए कुलसचिव का विधिवत् कार्यभार ग्रहण नहीं हो जाता, या विद्यमान कुलसचिव पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। कुलपति की यह जिम्मेदारी होगी कि कुलसचिव का पद शीघ्र भरा जाए:

परन्तु यह कि यदि उप कुलसचिव श्रेणी का अधिकारी उपलब्ध न हो तो कुलपति सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

- (6) कुलसचिव की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ऐसी रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व आरंभ होगी और अनिवार्य रूप से रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण की जाएगी। कुलसचिव की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करना कुलपति का दायित्व होगा।
- (7) कुलसचिव को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

16 परीक्षा नियंत्रक

- (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे एवं कुलपति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। उन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा 04 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वह परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे।
- (2) परीक्षा नियंत्रक, की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ एवं अनुभव परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होंगे।
- (3) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो जाता है या परीक्षा नियंत्रक किसी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो, और यह अवधि छह माह से अधिक न हो, तो कुलपति उप परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करेंगे तथा जब तक नया परीक्षा नियंत्रक कार्यभार नहीं सँभाल लेता, जैसा भी मामला हो, तब तक कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि परीक्षा नियंत्रक के पद को स्थायी रूप से भरे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें:

परन्तु यह कि यदि उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो कुलपति सहायक परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

- (4) परीक्षा नियंत्रक,-
- (क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, परीक्षणों एवं मूल्यांकन के संचालन एवं उनके परिणामों की समयबद्ध घोषणा के लिए उत्तरदायी अधिकारी होगा;
- (ख) परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड तथा इसके द्वारा गठित समितियों का सदस्य सचिव होगा, सिवाय उन समितियों के जो प्रश्नपत्र निर्माताओं, परीक्षकों एवं संयोजकों की नियुक्ति हेतु गठित की गई हों;
- (ग) परीक्षाओं, परीक्षणों एवं मूल्यांकन के आयोजन हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाएँ करेगा एवं परिणामों की समयबद्ध घोषणा सुनिश्चित करेगा; तथा
- (घ) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिणियमों में विनिर्दिष्ट है।
- (5) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ऐसी रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व आरंभ होगी और अनिवार्य रूप से रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करना कुलपति का दायित्व होगा।
- (6) परीक्षा नियंत्रक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

17 वित्त पदाधिकारी

- (1) वित्त पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा अधिकारी होंगे एवं वित्त परामर्शी के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे। उन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा 04 वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वह परिणियमों द्वारा निर्धारित तरीके से पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे।
- (2) जब वित्त पदाधिकारी का पद रिक्त हो जाए या वित्त पदाधिकारी किसी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ हो, और यह अवधि छह माह से अधिक न हो तो कुलपति उप वित्त पदाधिकारी को कार्यवाहक वित्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। यह नियुक्ति तब तक प्रभावी होगी जब तक नए वित्त पदाधिकारी द्वारा पदग्रहण न कर लिया जाए या वर्तमान वित्त पदाधिकारी पुनः अपना कर्तव्य निर्वहन करने लगे, जो भी पहले हो। कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह वित्त पदाधिकारी के पद पर यथासमय स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित करें:

परन्तु यह कि यदि उप वित्त पदाधिकारी स्तर का अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो कुलपति वित्त पदाधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहायक वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

- (3) वित्त पदाधिकारी,-
- (क) विश्वविद्यालय के कोषों की सामान्य निगरानी करेगा एवं विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर कुलपति को परामर्श देगा;
- (ख) सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमाएँ पार न हों। निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए वह स्वीकृत या आवंटित किए गए हैं;
- (ग) वित्त अधिकारी, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली द्वारा उपाार्जन आधार पर लेखा संधारण के लिए उत्तरदायी होगा, वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट), लेखा विवरण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को वित्त एवं लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

- (घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों, निकायों, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वांछित आवश्यक वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करेगा; तथा
- (ङ) परिनियम में विनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (4) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ऐसी रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व आरंभ होगी और अनिवार्य रूप से रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण की जाएगी। वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करना कुलपति का दायित्व होगा।
- (5) वित्त पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

18 अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य)

- (1) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे, जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से नियुक्त किया जाएगा, जो प्राध्यापक के पद से अन्यून होगा:
- परंतु यह कि, प्राध्यापक के पद पर शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में, सह प्राध्यापक के पद पर 03 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले शिक्षक को अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- (2) उनकी नियुक्ति 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा वह उसी विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (3) वह विश्वविद्यालय के आंतरिक और बाह्य सभी शैक्षणिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे तथा कुलपति के प्रत्यक्ष अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
- (4) जब अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) का पद रिक्त हो या जब वह बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो तो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
- (5) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे:-
- (क) विश्वविद्यालय की दृष्टि एवं उद्देश्य को विकसित करने एवं उसे क्रियान्वित करने का समन्वय करना;
- (ख) विभिन्न संकायों में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्य संकायों के अधिष्ठाताओं के समन्वय से रणनीतिक योजना एवं पाठ्यक्रम विकास का नेतृत्व करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति एवं कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सांविधिक एवं विनियामक निकायों के अनुसार विकसित करना;
- (घ) विभागों एवं अध्ययन केन्द्रों का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं सहयोग प्रदान करना, जिससे विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को उत्कृष्ट बनाया जा सके;
- (ङ) अन्य संकायों के अधिष्ठाताओं के समन्वय से विभिन्न विभागों में शिक्षण, अनुसंधान एवं सेवा उत्तरदायित्वों की समग्र उत्पादकता का मूल्यांकन करना;
- (च) विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के सभी अधिष्ठाताओं के साथ समन्वय करके शैक्षणिक अवधि, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश, परीक्षाओं का कार्यक्रम, परिणामों की घोषणा, शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तिथियाँ आदि से संबंधित निर्णयों सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल करते हुए एक वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना;

- (छ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अखंडता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं को लागू करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षणिक दायित्वों का संरक्षण एवं संवर्धन करना; तथा
- (ज) जेएसएफ़डीए के साथ परामर्श कर शिक्षकों के विकास हेतु एक संगठित योजना तैयार करना एवं उसे क्रियान्वित करना। इस योजना में कक्षा शिक्षण की दक्षता में सुधार के लिए योजनाएँ होंगी। विविधता वाले विद्यार्थियों के साथ शिक्षण विधियों को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (6) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

19 संकाय के अधिष्ठाता

- (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में एक अधिष्ठाता होगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित संकाय के योग्य शिक्षकों में से की जाएगी। अधिष्ठाता का पद प्राध्यापक से अन्यून होगा:
- परन्तु यह कि यदि प्राध्यापक स्तर का शिक्षक न उपलब्ध होने पर सह या सहायक प्राध्यापक को अधिष्ठाता नियुक्त किया जा सकेगा।
- (2) अधिष्ठाता की नियुक्ति 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।
- (3) अधिष्ठाता के चयन के प्रयोजन के लिए शिक्षक की योग्यता तथा अनुभव, प्राध्यापक या प्रधानाचार्य की योग्यता एवं अनुभव के समतुल्य होगा, जिनके पास न्यूनतम शिक्षण या अनुसंधान का कुल अनुभव, जो भी लागू हो, कम से कम पंद्रह वर्ष का हो।
- (4) संकाय के अधिष्ठाता,-
- (क) अपने संकाय के अंतर्गत शैक्षणिक विकास, शिक्षण और अनुसंधान के मानकों सहित शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक नीतियों के कार्यान्वयन और कार्यक्रमों की शैक्षणिक योजना और शैक्षणिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगा;
- (ख) उच्च शिक्षा की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों हेतु गुणवत्ता मानदंड के विकास एवं अनुप्रयोग के लिए जिम्मेवार होगा;
- (ग) निर्धारित प्रारूप में गुणवत्ता आश्वासन निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर अपने संकाय के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन तैयार करेगा;
- (घ) छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, पदक एवं पुरस्कार स्थापित करने हेतु सिंडिकेट को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा;
- (ङ) संकाय में विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा;
- (च) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों या निकायों द्वारा वांछित आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करेगा; तथा
- (छ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

20 विभागाध्यक्ष

- (1) संकाय के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित स्थायी शिक्षक होंगे तथा संबंधित संकाय के प्रमुख के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेंगे।
- (2) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित विभाग के प्रोफेसर्सों में से चक्रानुक्रम पद्धति के अनुसार 03 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग में कोई प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है, तो सह प्राध्यापक को चक्रानुक्रम पद्धति के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि यदि किसी विभाग में प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है, तो पी0एच0डी0 धारक सहायक प्राध्यापक जो कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण अनुभव वाला हो, उसे चक्रानुक्रम पद्धति के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

- (3) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता उन विभागों के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जहां उप-धारा (2) के अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है तथा नियुक्त विभागाध्यक्ष की अल्पकालिक अनुपस्थिति या अवकाश के दौरान भी कार्य करेंगे।
- (4) यदि कोई विभागाध्यक्ष दीर्घकालिक अनुपस्थिति या दीर्घकालिक अवकाश पर जाता है, जिसकी अवधि लगातार 03 माह से अधिक हो, तो कुलपति उप-धारा (2) के अनुसार नए विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे।
- (5) विभागाध्यक्ष,-
 - (क) विभाग में शैक्षणिक योजना एवं कार्यक्रमों के अकादमिक मूल्यांकन का उत्तरदायित्व निर्वहन करेगा। शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षण, अनुसंधान एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक सुनिश्चित करेगा। वह संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा;
 - (ख) उच्च शिक्षा की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों हेतु गुणवत्तापूर्ण मानकों को विकसित एवं लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा
 - (ग) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु छात्र-केंद्रित वातावरण का निर्माण करेगा।
- (6) विभागाध्यक्ष परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

21 कुलानुशासक

- (1) कुलानुशासक विश्वविद्यालय के मुख्य विधिक एवं अनुपालन अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों में से 03 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी, जो सह प्राध्यापक के पद से अन्यून होगा।
- (2) यदि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक की संख्या छह से कम हो, या कोई प्राध्यापक अथवा सह प्राध्यापक इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक न हो, तो पीएच.डी. उपाधिधारी सहायक प्राध्यापक जिनके पास पंद्रह वर्षों से अधिक का अनुभव हो, उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है।
- (3) कुलानुशासक को उनके कार्यों में उप कुलानुशासक एवं सहायक कुलानुशासक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उप कुलानुशासक एवं सहायक कुलानुशासक की सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा निर्धारित होंगी।

- (4) कुलानुशासक की भूमिका एवं कर्तव्य :-
- (क) छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होगा एवं विश्वविद्यालय परिसर में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करेगा;
- (ख) छात्र आचरण से संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों एवं विनियमों का उचित एवं सुसंगत अनुपालन एवं प्रवर्तन करेगा;
- (ग) अनुशासनहीनता की शिकायतों एवं घटनाओं की जाँच करेगा एवं विश्वविद्यालयीय नीति के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा; तथा
- (घ) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

22 निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र

- (1) अध्ययन केन्द्रों के निदेशक, अध्ययन केन्द्रों के मुख्य शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारी होंगे तथा प्रति-कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
- (2) अध्ययन केंद्रों का निदेशक वह व्यक्ति होगा, जो शिक्षण, अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न हो। जिसके पास न्यूनतम पंद्रह वर्षों का शिक्षण, अनुसंधान अथवा प्रशासनिक अनुभव हो।
- (3) अध्ययन केंद्रों के निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति उन योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जो सह प्राध्यापक के पद से निम्नतर पद के नहीं होंगे और जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया होगा।
- (4) अध्ययन केंद्रों के निदेशक की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी। वह परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (5) निदेशक, अध्ययन केंद्र,-
- (क) अध्ययन केंद्रों के शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रशासन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे;
- (ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों के सामान्य प्रशासन का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा अध्ययन केन्द्रों पर स्थित विश्वविद्यालय विभागों या संस्थानों की कार्यकुशलता एवं सुव्यवस्था सुनिश्चित करेंगे; तथा
- (ग) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

23 निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र

- (1) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशक कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय केंद्र के रूप में नामित अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उक्त क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे।
- (3) क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक का कार्यकाल अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के कार्यकाल के समकालिक होगा।
- (4) क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक,-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (ख) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों और छात्र-केन्द्रित सेवाओं की प्रभावी रूप से देखरेख करेंगे;

- (ग) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले किसी भी अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय से सम्बंधित शिकायत का यथोचित निपटारा और समाधान सुनिश्चित करेंगे; तथा
- (घ) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

24 निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता

- (1) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता; विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे, जो नवाचार की अवधारणा को प्रसारित करने के लिए एक सक्षम वातावरण के सृजन और संवर्धन के लिए जिम्मेदार होगा, नवोन्मेषी विचारों को संवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यशील मॉडलों में परिवर्तित करेंगे, जिससे अंततः एक उद्यम का सृजन होगा एवं विश्वविद्यालय का प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और/या संस्थानों के साथ संपर्क विकसित, स्थापित, अनुरक्षित और सुदृढ़ होग, तथा वह कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
- (2) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति उन योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जो सह प्राध्यापक से निम्नतर पद के नहीं होंगे और जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया होगा।
- (3) उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता,-
 - (क) बोर्ड का प्रधान अधिकारी होगा, जो अपनी सक्रियता और उद्यमिता से अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता केंद्र को कार्य करने की दृष्टि, दिशा एवं नेतृत्व प्रदान करेगा;
 - (ख) अनुसन्धान और नवाचार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों विशेषज्ञ व्याख्यान शृंखला तथा मार्गदर्शन के लिए जेएसएफ़डीए से सहयोग करेगा;
 - (ग) बौद्धिक सम्पदा अधिकार तथा उससे संबद्ध पहलुओं की शिक्षा के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करेगा;
 - (घ) विश्वविद्यालय में स्थापित अनुसंधान, विकास एवं संवर्धन प्रकोष्ठ की गतिविधियों की निगरानी करेगा;
 - (ङ) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त निकायों अथवा अन्य एजेंसियों से निधि एवं अनुदान प्राप्त करेगा;
 - (च) जेएसएफ़डीए के सहयोग से उद्यमिता के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा;
 - (छ) ऐसी योजनाएँ बनाएगा एवं सहायता प्रणाली विकसित करेगा जिससे नवाचार योग्य विचार व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बन सकें एवं अंततः लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो सकें;
 - (ज) छात्रों में उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों से समन्वय और संपर्क स्थापित करेगा;
 - (झ) महाविद्यालयों को ज्ञान आधारित एवं अन्य प्रकार के उद्योगों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा;
 - (ञ) युवा उद्यमियों को संचालनात्मक पहलुओं, कानूनी पहलुओं, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पेटेंट सम्बन्धी मुद्दों, व्यवसाय मॉडल निर्माण एवं वित्तीय पहलुओं के मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगा;

- (ट) शीर्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नीतियाँ एवं रणनीतियाँ लागू करेगा। ये नीतियाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोर्ड तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा परिकल्पित की जाएंगी;
- (ठ) विश्वविद्यालय विभागों, संस्थानों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों से शिक्षकों एवं छात्रों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों में दौरे के लिए आवेदन की प्रक्रिया का संचालन करेगा। ऐसी यात्राओं के लिए आवश्यक लॉजीस्टिक सहायता प्रदान करेगा;
- (ड) अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा; तथा
- (ढ) परिणियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

25 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग

- (1) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो सभी विभागों, परिसरों तथा संबद्ध संस्थानों में प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना एवं डिजिटल पहलों की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से की जाएगी, जो सह प्राध्यापक से अन्यून पद पर हों तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदर्शनीय अनुभव रखते हों।
- (3) उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग, -
- (क) विश्वविद्यालय में एक मजबूत और मापनीय सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना के सृजन की योजना बनाने एवं प्रबंधन करने में सहायता करेगा;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली, अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) तथा अन्य डिजिटल के कार्यान्वयन और अनुरक्षण की निगरानी करेगा;
- (ग) परिसर-व्यापी नेटवर्किंग, डेटा सुरक्षा एवं डिजिटल शासन से सम्बंधित नीतियों का निर्माण करेगा;
- (घ) दूरस्थ एवं मिश्रित शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्चुअल कक्षाओं और डिजिटल प्रयोगशालाओं के विकास का पर्यवेक्षण करेगा;
- (ङ) विश्वविद्यालय का डेटा भण्डार प्रकोष्ठ स्थापित करना एवं उसका प्रबंधन करना, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए विशिष्ट पहचान नम्बर जारी करना तथा उसका रख-रखाव करेगा;
- (च) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड द्वारा अनुशंसित डिजिटल पहलों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;
- (छ) अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों के साथ सहयोग कर प्रौद्योगिकी को संस्थागत लक्ष्यों के अनुरूप संरक्षित करेगा;
- (ज) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड के परामर्श से उनके अंगीकरण की अनुशंसा करेगा; तथा
- (झ) परिणियमों द्वारा निर्धारित अथवा कुलपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा।

26 निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र

- (1) निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे जिन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वह विश्वविद्यालय में ज्ञान संसाधन केंद्र के प्रभारी होंगे। वह कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- (2) ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक की अर्हताएँ, अनुभव, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु अनुशंसित मानकों तथा विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार होंगी।
- (3) निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र, -
 - (क) वह पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति का सदस्य सचिव होगा एवं इस समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा;
 - (ख) ज्ञान संसाधन केंद्र में उपलब्ध सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं, पांडुलिपियों, मुद्रित जर्नल, श्रव्य एवं डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध जर्नल एवं उपकरणों का संरक्षक होगा;
 - (ग) ऐसी प्रक्रियाओं एवं विधियों को विकसित एवं लागू करेगा जिससे, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पांडुलिपियाँ एवं उपकरण सुरक्षित रहें। वहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा हानि या क्षति न हो;
 - (घ) नियत अवधि पर ज्ञान संसाधन केंद्र की परिसंपत्तियों की जाँच कराएगा एवं हानि या गुम होने की उपयुक्त रिपोर्ट तैयार कर उसे पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा;
 - (ङ) संबद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्षों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित करेगा;
 - (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों के बीच सूचना साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से सूचना संसाधनों, सूचना खोज तकनीकों एवं डेटाबेस की उपलब्धता को लेकर जागरूकता उत्पन्न करेगा;
 - (छ) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा जिससे ज्ञान संसाधन केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो; तथा
 - (ज) परिनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (4) निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र को उसके अधिदेशित कार्यकलापों में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो क्रमशः विश्वविद्यालय के उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के समकक्ष होंगे। उप निदेशक एवं सहायक निदेशक की अर्हताएँ, अनुभव, वेतन एवं सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- (5) अनुसूची-II में उल्लिखित विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में ज्ञान संसाधन केंद्र के क्रिया-कलाप का कार्यान्वयन महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

27 निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा

- (1) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा, विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति सह प्राध्यापक से अन्यून पद का होगा। निदेशक का उत्तरदायित्व आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड की गतिविधियों को संचालित करना होगा। वह कुलपति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

- (2) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति उन योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिन्हें न्यूनतम 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो।
- (3) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा, पदेन आजीवन अधिगम एवं शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष होगा।
- (5) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा, -
 - (क) आजीवन अधिगम एवं विस्तार बोर्ड की नीतियों एवं अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा;
 - (ख) आजीवन अधिगम, मूल्य आधारित शिक्षा, वयस्कों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन कौशल एवं दीर्घायु सम्बन्धी अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 - (ग) स्नातक छात्रों के लिए प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च डिप्लोमा कार्यक्रम तथा मूल्य आधारित शिक्षा एवं दीर्घायु सम्बन्धी अध्ययन के शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा;
 - (घ) आजीवन अधिगम और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्याख्यान, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जेएसएफ़डीए से समन्वय स्थापित करेगा;
 - (ङ) मूल्य आधारित शिक्षा एवं जीवन कौशल के क्षेत्र में विशेष स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम विशेष रूप से वयस्कों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए होंगे;
 - (च) वृद्धावस्था से निपटने के लिए जीवन कौशल पर वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए छात्रों के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करेगा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक संगठन और सरकारी योजनाओं और वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी देगा; तथा
 - (छ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

28 निदेशक, छात्र मामले एवं निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना

- (1) निदेशक, छात्र मामले की नियुक्ति कुलपति द्वारा उन शिक्षकों में से की जाएगी, जिन्हें न्यूनतम 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, जिन्हें सह-पाठ्यक्रमीय एवं विस्तार गतिविधियों के क्षेत्र में वांछित अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जो कुलपति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (2) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (3) निदेशक, छात्र मामले, -
 - (क) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में छात्रों की सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा;
 - (ख) छात्र नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा;
 - (ग) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में युवा छात्रों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना सुनिश्चित करेगा;
 - (घ) रैगिंग विरोधी समितियों एवं दलों का गठन करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में रैगिंग को रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाए जाएं;

- (ड) छात्रों की शिकायतों एवं उनके सामान्य कल्याण पर ध्यान देगा;
- (च) छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हेतु कार्य करेगा एवं उन्हें भावी नेतृत्वकर्ता एवं आत्मनिर्भर नागरिक बनने हेतु संवारेगा;
- (छ) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के निर्वाचन के संचालन हेतु समन्वय करेगा;
- (ज) छात्र मामलों के बोर्ड की रिपोर्ट सीनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेगा;
- (झ) विदेशी छात्र सहायता प्रकोष्ठ के प्रशासन की निगरानी करेगा, जो विदेशी छात्रों के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है;
- (ञ) भारत के अन्य भागों में जाने हेतु विदेशी छात्रों द्वारा प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया को संपन्न करेगा; तथा
- (ट) प्रवासी भारतीय छात्र प्रकोष्ठ के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा, जो देश के विभिन्न भागों से आए छात्रों को एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है।
- (4) **निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)** को कुलपति द्वारा ऐसे शिक्षकों में से नामित किया जाएगा जिन्हें न्यूनतम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव एवं कम से कम तीन वर्षों तक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव हो तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के संचालन में वांछित अनुभव प्राप्त हो।
- (5) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना,-
- (क) राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिए विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, शिविर एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगा;
- (ख) छात्रों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करेगा;
- (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुलपति एवं/अथवा राज्य एनएसएस समन्वयक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा;
- (घ) स्थानीय समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों एवं शिक्षा को समावेशी बनाने के पक्षधर समूहों से संवाद करेगा ताकि शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके;
- (ङ) सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों एवं अन्य आयोजनों का संचालन करेगा जिससे जागरूकता एवं समावेशी अभ्यास को बढ़ावा मिल सके; तथा
- (च) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रचार, समन्वय, एवं संचालन हेतु कार्य करेगा।
- (7) निदेशक, छात्र मामले एवं निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

29 निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा

- (1) निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा, विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में खेल-संस्कृति को बढ़ावा देने एवं खेल संबंधी गतिविधियों की देखरेख हेतु उत्तरदायी होगा। यह कुलपति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

- (2) निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से की जाएगी, जिनका न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। उनमें से कम से कम तीन वर्षों का अनुभव शारीरिक शिक्षा या खेल अधिकारी के रूप में होना अनिवार्य होगा। उन्हें शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव प्राप्त होना चाहिए।
- (3) निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो। वह कुलपति की अनुशंसा पर केवल एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगी।
- (4) निदेशक, खेल एवं शारीरिक शिक्षा,-
 - (क) विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करेगा;
 - (ख) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में खेल एवं खेल-संस्कृति को बढ़ावा देगा एवं अन्य खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करेगा;
 - (ग) क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय निकायों के सहयोग से विभिन्न खेलों से संबंधित गतिविधियों के समन्वय एवं आयोजन का कार्य करेगा;
 - (घ) विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएँ एवं विभिन्न खेलों के लिए खेलकूद कौशल विकास शिविर आयोजित करेगा;
 - (ङ) छात्रों को विभिन्न खेलों में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु प्रशिक्षित करेगा;
 - (च) खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट सिंडिकेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेगा;
 - (छ) खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का दायित्व लेगा; तथा
 - (ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा परिनियमों द्वारा निर्धारित की गई हों।

30 निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

- (1) निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ संस्थागत कार्यप्रणाली में गुणवत्ता वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा, जो गुणवत्ता संस्कृति के समावेशन एवं श्रेष्ठ पद्धतियों के संस्थानीकरण हेतु आवश्यक उपायों को बढ़ावा देगा तथा विश्वविद्यालय आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति का अध्यक्ष होगा।
- (2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निदेशक का चयन कुलपति द्वारा किया जाएगा। यह चयन विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से किया जाएगा, जिनका पद सह प्राध्यापक से अन्यून होगा या जिनके पास समकक्ष अनुसंधान एवं औद्योगिक अनुभव होगा।
- (3) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) कुलपति यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निदेशक का पद कभी रिक्त न रहे। यदि निदेशक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तो कुलपति द्वारा अस्थायी रूप से उपयुक्त अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

- (5) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निदेशक के नियंत्री पदाधिकारी कुलपति होंगे तथा निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप प्राधिकार का प्रयोग करेगा :-
- (क) विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानक/मापदंडों का विकास एवं अनुप्रयोग;
- (ख) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल शिक्षार्थी-केंद्रित वातावरण के निर्माण और सहभागी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए संकाय परिपक्वता को सुविधाजनक बनाना;
- (ग) विश्वविद्यालय की गुणवत्ता संबंधी गतिविधियों के समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना एवं श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने एवं उसके प्रसार को सुनिश्चित करेगा;
- (घ) प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से संस्थागत गुणवत्ता बनाए रखने एवं संवर्धित करने हेतु डेटाबेस का विकास/रखरखाव करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय का वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन तैयार करना यह रिपोर्ट विकसित गुणवत्ता एवं मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता आश्वासन निकायों द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाएगी। इसे मान्यता निकायों को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुवर्ती प्रतिवेदन भेजे जाएंगे;
- (च) पूर्व एवं पश्चात् प्रत्यायन गुणवत्ता मूल्यांकन, स्थायित्व एवं संवर्धन के प्रयासों में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के साथ संवाद करेगा;
- (छ) विश्वविद्यालय एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद्, राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रक्रियाएँ में भागीदारी सुनिश्चित करेगा; तथा
- (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार या राज्य सरकार या मामले के अनुरूप अन्य किसी भी नाम द्वारा अधिदेशित ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे या अन्य समान राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय से संबंधित डेटा का समयबद्ध एवं सटीक अद्यतनीकरण सुनिश्चित करेगा।
- (6) निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

31 निदेशक, समावेशी शिक्षा

- (1) निदेशक, समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विश्वविद्यालय की प्रकृति समावेशी एवं गैर-भेदभावकारी हो तथा किसी भी छात्र, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारी के प्रति भेदभाव न हो।
- (2) निदेशक, समावेशी शिक्षा का चयन कुलपति द्वारा किया जाएगा। यह चयन विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से किया जाएगा, जिनका पद सह प्राध्यापक से अन्यून होगा।
- (3) निदेशक, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा बोर्ड के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगा। यह समावेशी शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए नीतियों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) निदेशक, समावेशी शिक्षा के नियंत्री अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-

- (क) विश्वविद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु एक रणनीतिक योजना का विकास एवं कार्यान्वयन करना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों एवं सेवाओं में पहुँच एवं समावेशिता बढ़ाने के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य तैयार करना;
 - (ग) समावेशिता एवं दिव्यांगता से संबंधित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना;
 - (घ) समावेशी शिक्षा हेतु उभरती आवश्यकताओं अथवा चुनौतियों की पहचान करेगा तथा समावेशी पद्धतियों के समर्थन के लिए नीतियों को विकसित एवं अद्यतन करना;
 - (ङ) विविधतापूर्ण आवश्यकताओं वाले छात्रों, जैसे दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि वाले छात्र या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए सहायता कार्यक्रम का सृजन एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना;
 - (च) छात्रों के लिए संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री एवं सहायता सेवाओं के विकास की देखरेख करना; तथा
 - (छ) जेएसएफ़डीए अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगठन के माध्यम से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं प्रशासकों के लिए समावेशी शिक्षण पद्धतियों, समायोजन एवं विविधता पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।
- (6) समावेशी शिक्षा निदेशक अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसा परिनियमों द्वारा निर्धारित होगा।

32 निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन

- (1) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेत्तर एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (2) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कुलपति द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध किए गए 03 योग्य विश्वविद्यालय शिक्षकों में से, जिनका पद प्राध्यापक से के स्तर का होगा या जिनके पास न्यूनतम 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव होगा, उनका चयन किया जाएगा।
- (3) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा। यह मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्यकाल 03 वर्षों का होगा। आवश्यक परिस्थितियों में कुलपति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार की स्वीकृति से एक वर्ष का एक अतिरिक्त कार्यकाल प्रदान किया जा सकता है। कोई भी शिक्षक निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन के पद पर उसी विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- (5) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन के नियंत्री अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-
 - (क) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ईआरपी सुइट में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का डाटाबेस बनाए रखना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु रिक्तियों की सूची तैयार करना;
 - (ग) विभिन्न संकायों में उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्तियों को संकलित कर समेकित सूची तैयार करना;

- (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा/या राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक एवं शिक्षकेत्तर पदों की प्रोन्नति के लिए परिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करना;
- (ङ) स्क्रीनिंग समिति, चयन समिति, मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निकाय/समिति की बैठकें आयोजित करना जो शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति या प्रशिक्षण से संबंधित हों;
- (च) शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित शिकायतों, संघर्ष एवं चिंताओं का निवारण करना;
- (छ) कार्यस्थल पर सकारात्मक एवं उत्पादक वातावरण बनाए रखना एवं सुनिश्चित करना कि नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ उचित रूप से लागू हैं;
- (ज) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया के समग्र प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी एवं ऑनलाइन तंत्र विकसित करना;
- (झ) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की प्रोन्नति की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को उच्चतम गोपनीयता के साथ संपन्न कराना ताकि केवल मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिकारी ही इसमें सम्मिलित हों;
- (ञ) शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए जेएसएफ़डीए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (ट) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए अकादमिक प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप एक डिजिटल प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को कृत्रिम मूल्यांकन साधन के रूप में विकसित एवं कार्यान्वित करना;
- (ठ) विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं/अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ समन्वय कर संभावित रिक्तियों की पहचान करना;
- (ड) रोज़गार अभिलेख, सेवा पुस्तिका, वेतन प्रक्रिया आदि से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना जिससे प्रशासन को लाभ हो; तथा
- (ढ) कार्यस्थल के सुरक्षा कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित पहलों की निगरानी करना।
- (6) मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक उन अन्य सभी शक्तियाँ का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित होंगे।

33 निदेशक, इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट

- (1) निदेशक, इंटरनिशिप अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के छात्रों की इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा एवं छात्रों के कौशल संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों का भी प्रबंधन करेगा।
- (2) निदेशक, इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनके पास न्यूनतम बारह वर्षों का अनुभव हो।
- (3) निदेशक, इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट, इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा। यह बोर्ड द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।

- (5) निदेशक, इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट के नियंत्रि अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-
- (क) इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट कार्यक्रमों को विकसित करना एवं उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पाठ्यचर्या एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना;
- (ख) शैक्षणिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना;
- (ग) विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों, गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों एवं अन्य संगठनों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर इंटरनशिप एवं प्लेसमेंट के अवसरों का सृजन और विस्तार करना;
- (घ) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों, संकाय सदस्यों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड (बीओएटी), (बीओपीटी) एवं उद्योग विशेषज्ञों के साथ संपर्क स्थापित कर नए अवसरों का लाभ उठाना;
- (ङ) छात्रों की इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट के लिए संभावित नियोक्ताओं की पहचान कर उनसे संपर्क करना;
- (च) सुनिश्चित करना कि सभी इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट कार्यक्रम विश्वविद्यालय की नीतियों एवं उद्योग मानकों के अनुरूप हों;
- (छ) छात्रों की प्लेसमेंट, इंटरनशिप एवं अप्रेंटिसशिप का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना;
- (ज) करियर मेले, नेटवर्किंग कार्यक्रम, कार्यशालाएँ का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना तथा करियर की बेहतर तत्परता के लिए एवं संभावित उद्योग-नियोक्ताओं से छात्रों का संपर्क स्थापित करना;
- (झ) कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना एवं विश्वविद्यालय प्रशासन हेतु रिपोर्ट तैयार करना;
- (ञ) उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित करना ताकि वह छात्रों को करियर के अवसरों एवं उद्योग प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकें;
- (ट) छात्रों एवं नियोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त करना, कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना;
- (ठ) इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट कार्यक्रमों की सतत समीक्षा करना एवं छात्रों की आवश्यकताओं एवं उद्योग प्रवृत्तियों के अनुसार उन्हें उन्नत करना;
- (ड) सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्लेसमेंट प्रकोष्ठों की स्थापना सुनिश्चित करना एवं उनकी अनिवार्य गतिविधियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना; तथा
- (ढ) इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड को समय-समय पर वांछित आवश्यक जानकारी एवं रिपोर्ट प्रदान करना।
- (6) निदेशक, इंटरनशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट ऐसी अन्य सभी शक्तियाँ का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

34 निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन

- (1) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन, विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो यह विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना, के अनुरक्षण एवं संधारण से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन तथा विश्वविद्यालय एवं इसकी सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होगा।

- (2) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जो विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक से निम्नतर पद पर न हो या जिनके पास न्यूनतम 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो।
- (3) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन, कुलपति के निर्देश एवं मार्गदर्शन में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा भवन एवं कार्य समिति द्वारा दी गई नीतियों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे।
- (4) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो। एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए कुलपति की अनुशंसा पर पुनर्नियुक्ति की जा सकती है जिसकी अवधि तीन वर्षों की होगी।
- (5) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन के नियंत्री अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा :-
 - (क) विश्वविद्यालय एवं उसकी इकाइयों की आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षण सुनिश्चित करना, जिसमें कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, छात्र संसाधन केंद्र, छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य केंद्र, बहुउद्देशीय सभागार, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि सम्मिलित हैं;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय एवं उसकी इकाइयों की समस्त आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या झारखण्ड भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित भवन संहिता, जैसा लागू हो, के अनुरूप हों;
 - (ग) विश्वविद्यालय एवं उसकी इकाइयों के भवनों का सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध एवं नियमित सुरक्षा मूल्यांकन सुनिश्चित करना;
 - (घ) परिसर भवनों एवं उनके अधिवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा प्रणाली एवं प्रोटोकॉल की देखरेख करना;
 - (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग की जा रही सभी सुविधाओं का प्रबंधन और रख-रखाव करना तथा उनका समयानुसार भुगतान सुनिश्चित करना; तथा
 - (च) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों, छात्रावासों, छात्र-संसाधन केन्द्रों आदि में आवश्यकतानुसार चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा को प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध कराना।
- (6) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधाएँ प्रबंधन अन्य सभी शक्तियाँ का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

35 निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार

- (1) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के समस्त आंतरिक एवं बाह्य संचार के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (2) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनके पास न्यूनतम 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो।
- (3) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार, जनसंपर्क एवं सामुदायिक विस्तार बोर्ड के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा। तथा बोर्ड द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।

- (5) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार के नियंत्री अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-
- (क) विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण, ध्येय, मूल्यां, उपलब्धियों एवं समाचार को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने हेतु प्रमुख संदेशों एवं कथानकों का मसौदा तैयार करना;
- (ख) मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देना एवं साक्षात्कार का प्रबंधन करना, जिससे विश्वविद्यालय का सटीक एवं सकारात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो;
- (ग) सामुदायिक नेताओं, संगठनों एवं स्थानीय उद्योगों के साथ संबंध स्थापित एवं सुदृढ़ करना, जिससे सहयोग एवं समर्थन को बढ़ावा मिले;
- (घ) जनसामान्य की धारणा की निगरानी करना एवं विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का प्रबंधन करना तथा किसी भी संकट या समस्या को जनसंपर्क एवं सामुदायिक विस्तार बोर्ड के संज्ञान में लाना;
- (ङ) विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए सामग्री के सृजन एवं रखरखाव की देखरेख करना;
- (च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय समाचार एवं नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के लिए आंतरिक समाचारपत्र अथवा बुलेटिन का निर्माण एवं वितरण सुनिश्चित करना; तथा
- (छ) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, पुस्तिकाएँ, प्रचार सामग्री जैसी प्रकाशन सामग्री के निर्माण की देखरेख करना।
- (6) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार अन्य सभी शक्तियाँ का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिणियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

36 निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृति

- (1) छात्र कला एवं संस्कृति का निदेशक विश्वविद्यालय के वरीय शिक्षकों में से होगा, जो सह प्राध्यापक से निम्नतर पद के नहीं होंगे तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में पूर्व अनुभव रखनेवाला होगा और वह विश्वविद्यालय की सभी कला एवं संस्कृति केन्द्रित गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) छात्र कला एवं संस्कृति का निदेशक छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड के निर्देश एवं मार्गदर्शन में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तथा बोर्ड की नीतियों और निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृति, निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-
- (क) झारखण्ड की शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना;
- (ख) राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक, लोक एवं समकालीन कलाओं में छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करना;
- (ग) अंतर-विश्वविद्यालयीय सांस्कृतिक महोत्सवों, कला प्रदर्शनों, संगीत कार्यक्रमों एवं नाट्य गतिविधियों का आयोजन करना;

- (घ) विभिन्न विविध कलाओं के सांस्कृतिक क्लबों, संस्थाओं एवं समितियों की स्थापना तथा राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र सहभागिता को प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ प्रदान करना;
 - (ङ) झारखण्ड सरकार के पर्यटन, कला एवं संस्कृति, युवा कार्य एवं खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को राज्यस्तरीय सांस्कृतिक नीतियों के अनुरूप बनाना;
 - (च) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन करना;
 - (छ) क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना;
 - (ज) युवाओं की रुचियों को प्रोत्साहित करना, उनमें ललित कला, प्रदर्शन कला, शुद्ध कला एवं साहित्यिक क्षमताओं की सराहना हेतु कौशल का विकास करना;
 - (झ) विश्वविद्यालयस्तरीय, राज्यस्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, कौशल विकास कार्यशालाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए संवादात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना; तथा
 - (ञ) छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु प्रशिक्षित करना।
- (5) निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया होगा।

37 निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय

- (1) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रशासन एवं समन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि अंगीभूत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के समग्र उद्देश्य एवं रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें।
- (2) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनका पद सह प्राध्यापक से निम्नतर न हो।
- (3) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय के नियंत्री अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-
 - (क) विश्वविद्यालय प्रशासन एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिससे सुचारु संचालन एवं सुसंगत कार्यप्रणाली सुनिश्चित हो;
 - (ख) अंगीभूत महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रदर्शन की निगरानी और सहायता करना, जिसमें कार्यक्रम मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया सम्मिलित हों;
 - (ग) विश्वविद्यालय की नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यान्वित करना, विशेष रूप से शैक्षणिक मानक, छात्र मामलों एवं संकाय शासन से संबंधित नीतियों को लागू करना;

- (घ) अंगीभूत महाविद्यालयों की प्रगति एवं प्रभाव का आकलन करने हेतु प्रदर्शन मापदंड स्थापित करना एवं उनकी निगरानी करना;
- (ङ) अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं तैनाती की निगरानी करना तथा मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (च) अंगीभूत महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं का निरीक्षण करना एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (छ) अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र केंद्रित सेवाओं एवं समर्थन प्रणालियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जिसमें परामर्श, करियर सेवाएँ एवं सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ सम्मिलित हों;
- (ज) अंगीभूत महाविद्यालयों एवं बाह्य संगठनों या संस्थानों के बीच भागीदारी एवं सहयोग को सुगम बनाना; तथा
- (झ) अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रदर्शन, चुनौतियों एवं उपलब्धियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (6) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय अन्य सभी शक्तियाँ का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिणियमों द्वारा निर्धारित होंगे।

38 निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय

- (1) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के प्रशासन एवं समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय के समग्र उद्देश्य एवं रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें।
- (2) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनका पद सह प्राध्यापक से निम्नतर न हो।
- (3) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा तथा यह बोर्ड द्वारा दी गई नीतियों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय के नियंत्री अधिकारी कुलपति होंगे तथा वह निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-
- (क) संबद्धता से संबंधित शर्तों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;
- (ख) संबद्ध महाविद्यालयों की प्रगति को संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करना;
- (ग) परिणियमों के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों में नियमित निरीक्षण, दौरे एवं गुणवत्ता जाँच करना;
- (घ) संबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्त एवं सशक्त स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना, जैसा कि परिणियमों में निर्दिष्ट हो;
- (ङ) संबद्ध महाविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा संबद्धता के नियमों अथवा परिणियमों में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना; तथा

- (च) यह सुनिश्चित करना कि संबद्ध महाविद्यालय राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद्, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एवं झारखण्ड राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा फ्रेमवर्क में निर्धारित मानकों के अनुसार भाग लें।
- (6) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय अन्य सभी शक्तियाँ का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित होंगे।

39 विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

अध्याय IV: विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

40 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

इस अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित को विश्वविद्यालय के प्राधिकरण माना जाएगा, अर्थात्:-

- (क) सीनेट;
- (ख) सिंडिकेट;
- (ग) शैक्षणिक परिषद्;
- (घ) संकाय;
- (ङ) अध्ययन बोर्ड;
- (च) परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड;
- (छ) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड;
- (ज) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड;
- (झ) अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड;
- (ञ) छात्र मामलों का बोर्ड;
- (ट) खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड;
- (ठ) मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड;
- (ड) इंटरशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड;
- (ढ) समावेशी शिक्षा बोर्ड;
- (ण) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड;
- (त) अध्ययन केंद्र बोर्ड;
- (थ) राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्क बोर्ड;
- (द) छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड;
- अनुसूची -II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त अधिकारी होंगे ;
- (ध) अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड;
- (न) संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड;
- (प) क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड; तथा

ऐसे अन्य निकाय, जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो।

41 सीनेट

- (1) सीनेट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी, अंतिम निर्णय लेने वाला एवं नीति निर्धारण प्राधिकरण होगा, जो विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी होगा तथा उन समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो किसी अन्य प्राधिकरण, बोर्ड या समिति को विशेष रूप से सौंपे नहीं गए हैं।
- (2) सीनेट की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बार (एक सम सेमेस्टर में और एक विषम सेमेस्टर) में बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा।
- (3) सीनेट के कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाए।
- (4) कुलाधिपति सीनेट के अध्यक्ष होंगे, तथा उपस्थित होने पर बैठकों की अध्यक्षता करेंगे:

परन्तु यह कि, कुलाधिपति अपनी अनुपस्थिति में प्रति कुलाधिपति को सीनेट के बैठकों की अध्यक्षता करने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे।

- (5) विश्वविद्यालय की सीनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

सदस्यगण

- (क) कुलाधिपति – अध्यक्ष;
- (ख) कुलपति – उपाध्यक्ष;
- (ग) प्रति-कुलपति;
- (घ) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार का प्रतिनिधि जो राज्य सरकार के सचिव पद से अन्यून होगा;
- (ङ) वित्त परामर्शी;
- (च) कुलानुशासक;
- (छ) निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार;
- (ज) निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार;
- (झ) अधिष्ठाता, (अकादमिक कार्य);
- (ञ) निदेशक, छात्र मामले;
- (ट) विश्वविद्यालय के शेष निदेशकों में से आधे निदेशक, कुलाधिपति द्वारा चक्रानुक्रम पद्धति से नामित किए जाएँगे;
- (ठ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्;
- (ड) शिक्षा, उद्योग, कृषि, वाणिज्य, बैंकिंग, वित्त, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य संबद्ध क्षेत्रों से दस प्रतिष्ठित शिक्षाविद् /शिक्षाशास्त्री/उद्योगपतियों/शोधकर्ताओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएँगे;
- (ढ) विश्वविद्यालय के तीन से छह विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम द्वारा नामित किए जायेंगे;

- (ण) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या संगठन, जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं, से दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हो, राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे;
- (त) पाँच शिक्षक, जो विश्वविद्यालय के स्वीकृत पदों पर नियुक्त हों एवं जो न तो प्रधानाचार्य हों, न ही महाविद्यालय शिक्षक या निदेशक हों, कम से कम बारह वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। इन्हें कुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर नामित किया जाएगा; इन पाँच शिक्षकों में से कम से कम एक शिक्षक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुर्बल जनजातीय समूह अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होगा एवं यह चक्रानुक्रम पद्धति से सुनिश्चित किया जाएगा;
- (थ) कुलपति द्वारा चयनित विश्वविद्यालय के पाँच पंजीकृत स्नातक, जिनका शैक्षणिक क्षेत्र, खेलकूद एवं ललित कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो। इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुर्बल जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वर्ग से चक्रानुक्रम पद्धति से नामांकित किया जाएगा;
- (द) विश्वविद्यालय जहाँ स्थापित है, उस क्षेत्र के सांसद;
- (ध) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जिलों के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के झारखण्ड विधानसभा के सदस्य;
- (न) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों में से पाँच सदस्य;
- (प) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् का अध्यक्ष;
- (फ) शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों में से वरिष्ठता के आधार पर चयनित दो सदस्य; तथा
- (ब) विश्वविद्यालय का कुलसचिव सीनेट का सदस्य सचिव होगा।

इस अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के सीनेट लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे -

- (भ) कुलपति द्वारा नामित अंगीभूत महाविद्यालयों के पाँच प्रधानाचार्य या समकक्ष अनुभव वाले शिक्षक, इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुर्बल जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वर्ग से चक्रानुक्रम पद्धति से नामित किया जाएगा;
- (म) कुलपति द्वारा नामित संबद्ध महाविद्यालयों के पाँच प्रधानाचार्य या समकक्ष अनुभव वाले शिक्षक, इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुर्बल जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वर्ग से चक्रानुक्रम पद्धति से नामित किया जाएगा।
- (6) सीनेट के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाएंगे। बराबर मत होने की स्थिति में, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा:
- परन्तु यह कि, यदि सीनेट की बैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है, तो मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत उपाध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा।
- (7) उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सीनेट के बैठकों में लिए गए निर्णय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाएँगे।
- (8) सीनेट के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- (9) सीनेट की अर्द्धवार्षिक बैठक (एक सम सेमेस्टर में तथा एक विषम सेमेस्टर में) के लिए कोरम कुल सदस्यों के एक तिहाई से निर्धारित किया जाएगा।
- (10) विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में सीनेट को निम्नलिखित शक्तियों एवं कर्तव्यों होंगे, अर्थात्:-

- (क) राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक, अनुसन्धान और विकासोन्मुख गतिविधियों, वित्त, प्रबन्धन और शासन में हो रहे अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधारों की समीक्षा एवं विमर्श करना ताकि उन्हें विश्वविद्यालय में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके;
- (ख) विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों में सुधारों के लिए संचालन तंत्र का अध्ययन करना और निर्णय लेना;
- (ग) महाविद्यालयों एवं संस्थानों को विशेषीकृत अध्ययन एवं पाठ्यक्रम संचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रावधान करना। आवश्यकतानुसार अथवा जहाँ वांछनीय हो वहाँ विभिन्न संगठनों एवं विश्वविद्यालयों के बीच अध्यापन और अनुसन्धान के लिए सामान्य प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, संग्रहालय एवं उपकरणों की व्यवस्था और प्रावधान करना;
- (घ) शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार विभाग, महाविद्यालय, अध्ययन केंद्र, उच्च शिक्षा अनुसन्धान एवं विशेषीकृत अध्ययन संस्थान की स्थापना करना;
- (ङ) परिणियमों के प्रारूप, या उसके किसी भाग के संशोधन या निरसन को राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजना;
- (च) किसी विश्वविद्यालय अध्यादेश या उसके किसी भाग का निर्माण, संशोधन एवं निरसन करना;
- (छ) विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन करना;
- (ज) वार्षिक वित्तीय अनुमान या बजट, अर्थात् राज्य सरकार, विश्वविद्यालय निधियों एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों से अलग-अलग प्राप्त निधियों, यदि कोई हो, पर चर्चा करना और संशोधनों के साथ अनुमोदन करना;
- (झ) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने, उनमें संशोधन करने, उनका संचालन एवं निरसन करने के प्रस्तावों पर विचार करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का स्वरूप निर्धारण एवं उसके उपयोग का निर्धारण करना;
- (ट) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय के पक्ष में ट्रस्ट, वसीयत, दान, किसी चल-अचल संपत्तियों एवं बौद्धिक सम्पदाओं का विश्वविद्यालय को हस्तान्तरण स्वीकार करना;
- (ठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी चल संपत्ति या बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की बिक्री, अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण;
- (ड) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी भी अचल संपत्ति का विक्रय, पट्टे अथवा अनुबंध द्वारा किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित करना:
- परन्तु यह कि, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक भौतिक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, यथा बैंक, कैटीन, डाकघर, मोबाईल टावर इत्यादि हेतु बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के विशिष्ट समयावधि तक अचल संपत्ति के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है;
- (ढ) अपने परिसर, अध्ययन केंद्र तथा क्षेत्रीय केंद्र के लिए, जैसा भी लागू हो, आरक्षित निधि से भूमि, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं के रूप में अचल संपत्ति का निर्माण करना;
- (ण) विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, उधार देना या निवेश करना;
- (त) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधीन उपलब्ध निधियों के प्रबन्धन की नीति निर्धारित करना;

- (थ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराना;
- (द) मानद उपाधियाँ एवं शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने हेतु अनुशंसा करना;
- (ध) शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उपर्युक्त उपाधि-प्रदान हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन;
- (न) फेलोशिप, यात्रा फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, प्रदर्शनी, सम्मान, मेडल, एवं पुरस्कार स्थापित करना एवं उन्हें प्रदान करने के नियम निर्धारित करना;
- (प) पारस्परिक रूप से लाभकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं संगठनों के साथ सहयोग हेतु नियमों का निर्माण करना;
- (फ) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
- (ब) विश्वविद्यालय निधियों एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों से प्राप्त निधियों से आवश्यकतानुसार अधिकारियों, शिक्षकेत्तर कुशल, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अन्य पदों का सृजन करना तथा उनकी योग्यताएँ, अनुभव, सेवा अवधि एवं वेतनमान निर्धारित करना;
- (भ) प्रश्न-पत्र निर्माताओं, परीक्षा कर्मचारियों, अतिथि प्राध्यापकों के लिए मानदेय, पारिश्रमिक, शुल्क यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना तथा विश्वविद्यालय को प्रदान की जानेवाली अन्य सेवाओं हेतु शुल्क या प्रभार का निर्धारण करना;
- (म) महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थान-निर्धारण हेतु समग्र परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना प्रस्तुत करने हेतु शैक्षणिक परिषद् को निर्देश देना;
- (य) प्रबंधन के परिवर्तन या हस्तांतरण एवं महाविद्यालयों एवं संस्थानों के स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों पर परिणियमों के अनुसार विचार एवं अनुमोदन करना;
- (र) प्रत्येक छह माह में कुलसचिव से प्राप्त विश्वविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों की रिपोर्ट पर विचार करना;
- (ल) शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं परिणियमों के निर्देशानुसार अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना;
- (व) शैक्षणिक परिषद् द्वारा प्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना;
- (श) राज्य सरकार के कोष, विश्वविद्यालय निधियों एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों से प्राप्त निधियों के संबंध में अलग-अलग वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे अपनाना;
- (ष) महाविद्यालयों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय के विभागों के सुचारू संचालन, उनकी कार्यप्रणाली तथा वित्तीय मामलों से संबंधित किसी भी मामले की जाँच करना;
- (स) परिणियमों एवं विश्वविद्यालय अध्यादेशों के निर्माण, संशोधन अथवा निरसन को छोड़कर, अन्य शक्तियों को कुलपति, विश्वविद्यालय अधिकारियों, अथवा अन्य समितियों को सौंपना, जिसे वह उचित समझे;
- (ह) विश्वविद्यालय निधियों अथवा अन्य वित्तीय एजेंसियों से सृजित पदों हेतु शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना;

- (क्ष) पूर्व छात्रों, समाजसेवियों, उद्योगों एवं अन्य हितधारकों से दान, उपहार एवं अन्य प्रकार के आर्थिक सहयोग को स्वीकार करना एवं ऐसे दान एवं उपहार आदि को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया निर्धारित करना;
- (त्र) अनुचित कार्य करने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों पर परिणियमों में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार दंड लगाना;
- (स) संबद्ध महाविद्यालयों के प्रबंधन के संबंध में विवाद की स्थिति में विवाद के कानूनी समाधान होने तक उक्त महाविद्यालयों के प्रबंधन को चलाने हेतु कुलपति के माध्यम से राज्य सरकार को प्रशासनिक बोर्ड नियुक्त करने की अनुशंसा करना। इस बोर्ड का गठन एवं नियुक्ति प्रक्रिया परिणियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा; ताकि छात्र चार्टर विकसित किया और अपनाया जा सके; तथा
- (कक) निर्देश, अनुदेश जारी कर सकता है तथा सिंडिकेट एवं शैक्षणिक परिषद् के निर्णयों में कारणों का उल्लेख करते हुए, परिवर्तन कर सकता है;

42 सिंडिकेट

- (1) विश्वविद्यालय का सिंडिकेट एक कार्यात्मक प्राधिकरण होगा, जो सीनेट के अधीनस्थ होगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
- (क) कुलपति – अध्यक्ष;
- (ख) प्रति-कुलपति – उपाध्यक्ष;
- (ग) झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;
- (घ) वित्त परामर्शी;
- (ङ) कुलानुशासक;
- (च) अधिष्ठाता, (अकादमिक कार्य);
- (छ) निदेशक, छात्र मामले;
- (ज) विश्वविद्यालय के शेष निदेशकों का एक तिहाई भाग, जिन्हें कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा;
- (झ) परीक्षा नियंत्रक;
- (ञ) वित्त पदाधिकारी;
- (ट) संकायों के दो अधिष्ठाता, जिन्हें कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा;
- (ठ) विश्वविद्यालय विभागों के तीन से छह विभागाध्यक्ष, जिन्हें कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा;
- (ड) विश्वविद्यालय शिक्षकों में से चार शिक्षक, जो विभागाध्यक्ष नहीं होंगे, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किए जाएँगे;
- (ढ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्;
- (ण) शिक्षाविदों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/लोक प्रशासकों, पिछड़े समुदाय के प्रतिनिधियों, महिलाओं एवं उच्च प्रतिष्ठा वाले अन्य वर्गों में से दस प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने अपने-अपने

क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, को राज्य सरकार द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, के माध्यम से नामित किया जाएगा; तथा

(त) कुलसचिव – सदस्य सचिव।

इस अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे:

(थ) विश्वविद्यालय के चार अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, जिन्हें कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा;

(द) विश्वविद्यालय के चार संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, जिन्हें कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा।

(2) कुलपति द्वारा नामित सदस्यों में कम से कम एक-तिहाई संख्या महिलाओं की होगी:

परन्तु यह कि, यदि विश्वविद्यालय किसी विशिष्ट अध्ययन, किसी विशेष लिंग या समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया हो, तो कुलपति द्वारा नामित कुल सदस्यों में तीन-चौथाई सदस्य क्रमशः विशिष्ट प्रकृति के विशेषज्ञ, या विशेष लिंग या समाज के विशेष वंचित वर्ग से होंगे।

(3) सिंडिकेट के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाएंगे। मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(4) सिंडिकेट के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। सिंडिकेट की बैठक कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार अनिवार्य रूप से तथा कुलपति के आवश्यकतानुसार होगी।

(5) सिंडिकेट की बैठक का कोरम कुल सदस्यों के एक तिहाई पर निर्धारित होगा।

(6) इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन, सिंडिकेट निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन सीनेट के मार्गदर्शन और निर्देशन में करेगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं निधियों पर अधिकार, नियंत्रण एवं उनका प्रबन्धन करना;

(ख) इस अधिनियम तथा परिणियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग या निष्पादन में विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करना, उसमें परिवर्तन करना, उसे कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(ग) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के स्वरूप का निर्धारण करना, उसकी अभिरक्षा सुनिश्चित करना तथा उसके प्रयोग को विनियमित करना;

(घ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधीन रखी गई निधियों का प्रबंधन करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान तैयार करना एवं सीनेट के समक्ष प्रस्तुत करना;

(च) बजट में स्वीकृत अनुदान के अंतर्गत एक गौण शीर्ष से दूसरे गौण शीर्ष में अथवा एक गौण शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य गौण शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष में किसी भी राशि के अंतरण को स्वीकृति प्रदान करना;

(छ) किसी गौण शीर्ष के अंतर्गत किसी राशि को एक अधीनस्थ शीर्ष से दूसरे अधीनस्थ शीर्ष अथवा एक प्राथमिक इकाई से किसी अन्य प्राथमिक इकाई में अंतरण को स्वीकृति प्रदान करना;

(ज) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपकरणों तथा अन्य साधनों का प्रावधान करना;

- (झ) विश्वविद्यालय को प्रदत्त, वसीयत, दान एवं किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तांतरण को, विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तांतरित करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों एवं निवेशों का प्रबंधन एवं विनियमन करना;
- (ठ) निम्नलिखित संस्थानों एवं निकायों की स्थापना एवं प्रबंधन करना-
- (i) विश्वविद्यालय बोर्ड; तथा
- (ii) परिषदें, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ
- (ड) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए प्रावधान करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों अथवा विशेषीकृत अध्ययन केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एवं छात्रावासों का प्रबंधन करना;
- (ण) विश्वविद्यालय विभागों, संबद्ध अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों, जहाँ लागू हो, एवं छात्रावासों का निरीक्षण करना तथा उनकी कार्यकुशलता को बनाए हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना। उनके कर्मचारियों के नियोजन हेतु उचित परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना। यदि ऐसे निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उनकी संबद्धता अथवा मान्यता की शर्तों में संशोधन करना अथवा अन्य उपयुक्त कदम उठाना;
- (त) महाविद्यालयों एवं छात्रावासों से प्रतिवेदन, विवरणी एवं अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना;
- (थ) विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों, जहाँ लागू हो, के छात्रों के निवास, आचरण एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। छात्रों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करना;
- (द) परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से मानद उपाधियाँ और शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने के लिए सीनेट को अनुशंसा करना;
- (ध) फेलोशिप, यात्रा फेलोशिप, अध्येतावृत्ति, अकादमिक पुरस्कार, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करना;
- (प) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करना एवं उनकी परिलब्धियों को निर्धारित करना एवं उनके कर्तव्यों तथा सेवा शर्तों को पारिभाषित करना, जिसमें अनुशासनात्मक मामले भी शामिल हों। इस संदर्भ में सीनेट से परामर्श प्राप्त कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजना;
- (फ) परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना, विश्वविद्यालय परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के संचालन एवं उनके परिणामों के प्रकाशन हेतु आवश्यक प्रबंध करना;
- (ब) विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्दिष्ट शुल्क एवं अन्य प्रभारों का निर्धारण, माँग एवं प्राप्त करना;
- (भ) विश्वविद्यालय अध्यादेशों का निर्माण, संशोधन एवं निरसन करना; तथा
- (म) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम या सीनेट द्वारा सिंडिकेट को प्रदत्त किए जा सकते हैं।
- (7) सिंडिकेट उप-धारा (6)(झ) और 6(ञ) में निर्दिष्ट संपत्ति और मामलों की सभी स्वीकृतियों के बारे में सीनेट को एक प्रतिवेदन देगा।
- (8) सीनेट एवं राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सिंडिकेट किसी भी अचल संपत्ति का हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा।

- (9) धारा (6) की कंडिका (फ) के अंतर्गत सिंडिकेट द्वारा शक्तियों के प्रयोग, जो कि विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के अधिकारियों (कुलपति के अतिरिक्त), शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनमान एवं भत्तों का निर्धारण करने एवं उसे विनियमित करने से संबंधित हैं, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहेगा।
- (10) सिंडिकेट अपने प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने हेतु, अपने गठन, कार्यों और कार्यकाल को परिभाषित करने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा समितियों की नियुक्ति कर सकती है।
- (11) सिंडिकेट उन सभी कार्यों का निष्पादन करेगा, जो सीनेट द्वारा परिभाषित किए गए हैं।

43 शैक्षणिक परिषद्

- (1) शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकरण होगा तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन के मानकों को विनियमित एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। यह सीनेट और सिंडिकेट के नीतिगत मार्गदर्शन के तहत शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, शैक्षणिक मामलों में सहयोगी कार्यक्रम, शिक्षकों के कार्यभार के मूल्यांकन के मानकों के अनुरक्षण एवं उन्हें उन्नत बनाने से संबंधित शैक्षणिक नीतियों को निर्धारित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (2) शैक्षणिक परिषद् आवश्यकतानुसार बैठक करेगी, किन्तु वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें अनिवार्य होंगी।
- (3) शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- (4) शैक्षणिक परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) वित्त परामर्शी;
 - (घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ङ) संकाय के अधिष्ठाता,;
 - (च) परीक्षा नियंत्रक;
 - (छ) वित्त पदाधिकारी;
 - (ज) वरिष्ठता एवं परिणियमों में निर्धारित अतिरिक्त मानदंडों के आधार पर कुलपति द्वारा निम्नलिखित सदस्य नामित किए जाएँगे:
 - (i) तीन अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, जिन महाविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायन हुआ हो। इनमें अनिवार्य रूप से एक सदस्य महिला होगी। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूह से संबंधित होगा:

परन्तु यह कि, इस अधिनियम की अनुसूची-III में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर तीन विभागाध्यक्षों को नामित किया जाएगा;
 - (ii) दो विश्वविद्यालय प्राध्यापक, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति या विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह से होगा।

(झ) प्रत्येक संकाय से दो शिक्षक, जिनका शिक्षण अनुभव कम से कम 15 वर्षों का हो, कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे। इनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा;

परन्तु यह कि, इस खण्ड के तहत प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करनेवाले शिक्षकों में से एक महिला होगी;

- (ञ) सिंडिकेट द्वारा एक नामित प्रतिनिधि;
- (ट) निदेशक, उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से अन्यून हो;
- (ठ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक के पद से अन्यून हो;
- (ड) कुलपति द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों से नामित आठ प्रख्यात विशेषज्ञ, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद्, औद्योगिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और संबद्ध क्षेत्रों एवं सभी संकायों से यथासम्भव प्रतिनिधित्व होगा;
- (ढ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;
- (ण) निदेशक, छात्र मामले;
- (त) निदेशक, समावेशी शिक्षा;
- (थ) व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से प्रतिष्ठित एक सदस्य को कुलपति द्वारा नामित किया जा सकता है;
- (द) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ध) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य;
- (न) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा
- (प) कुलसचिव – सदस्य सचिव।

कुलपति द्वारा नामित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होंगी। यदि विश्वविद्यालय को महिला विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है, तो कुलपति द्वारा नामित सदस्यों में तीन चौथाई महिलाएँ होंगी।

(5) शैक्षणिक परिषद् के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान एवं विकास, उद्योगों के साथ संवाद एवं संपर्क, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सृजन, उद्यमिता तथा ज्ञान आधारित उद्योगों के संवर्धन का एक सशक्त केंद्र बने;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि बाज़ार में माँग बनाए रखने के लिए, उद्योगों के सहयोग से प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए जिसमें व्यावहारिक या प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल हो;
- (ग) अध्ययन बोर्ड द्वारा संकाय के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करना एवं आवश्यक संशोधन सहित उन्हें अनुमोदित करना;
- (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना;

- (ड) पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण विधियों एवं पाठ्यप्रदर्शन प्रणाली के नियमित अद्यतनीकरण हेतु जेएसएफडीए से सुझाव और अनुशंसा प्राप्त करना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान एवं उद्यमिता की भावना विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों तक पहुँचे;
- (छ) शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क, अन्य शुल्कों एवं प्रभारों को अनुमोदित करना;
- (ज) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की स्थापना की अनुशंसा करना;
- (झ) शैक्षणिक मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रारूप को सिंडिकेट के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (ञ) संकायों को विभाग आवंटित करना;
- (ट) प्रश्न-पत्र निर्माताओं, परीक्षकों, मर्यादकों एवं परीक्षा संचालन तथा मूल्यांकन से जुड़े अन्य पदों के लिए योग्यताओं एवं मानकों को निर्धारित करना;
- (ठ) वित्त एवं लेखा समिति की सहमति से यूजीसी या संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार, केवल स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन के लिए विचार करना तथा सिंडिकेट को अनुशंसा करना;
- (ड) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप मान्यता प्रदान करना;
- (ढ) सिंडिकेट की सहमति से दीर्घकालिक शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य योजना को सीनेट को अनुमोदन हेतु भेजना;
- (ण) परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा करना;
- (त) संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा संदर्भित नए पाठ्यक्रमों, अंतःविषय पाठ्यक्रमों और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित करना;
- (थ) संबंधित संकाय द्वारा अनुशंसित विभिन्न पाठ्यक्रम या पाठ्य विवरणों, प्रश्न-पत्र निर्माताओं, परीक्षकों, मर्यादकों एवं मूल्यांकन पद्धति को अनुमोदित करना;
- (द) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक मामलों पर कुलपति को सलाह देना एवं सिंडिकेट द्वारा पिछली वार्षिक बैठक में अनुशंसित शैक्षणिक कार्यक्रमों पर सीनेट को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ध) शिक्षा के प्रति अधिक लचीले दृष्टिकोण को अपनाने एवं डिग्री व अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को न्यूनतम और अधिकतम अवधि में पूरा करने के लिए 'अनुकूल अधिगम गति' की अवधारणा को लागू करने के लिए प्रक्रियाएँ, नीतियाँ एवं प्रथाएँ बनाना;
- (न) यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान परियोजनाएँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं;
- (प) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने से तीन महीने पहले आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना;

- (फ) विभागों, महाविद्यालयों, केंद्रों, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान एवं विशिष्ट अध्ययन के संस्थानों की स्थापना हेतु सिंडिकेट को अनुशंसा करना; तथा
- (ब) इस अधिनियम, परिनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों एवं नियमों द्वारा सौंपे गए अन्य अधिकारों का उपयोग करना एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना।
- (6) शैक्षणिक परिषद् वित्तीय निहितार्थ से संबंधित सभी मामलों या निर्णयों को वित्त एवं लेखा समिति की सहमति से सिंडिकेट को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

44 संकाय

- (1) संकाय विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक समन्वयकारी प्राधिकरण होगा, जो संबंधित संकाय में सम्मिलित विषयों के अध्ययन एवं अनुसंधान तथा बहु-संकायीय अध्ययन एवं अनुसंधान से संबंधित कार्यों हेतु उत्तरदायी होगा।
- (2) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :-
- (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय;
- (ख) वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय;
- (ग) सामाजिक विज्ञान संकाय;
- (घ) मानविकी संकाय;
- (ङ) अन्तर्विषयक अध्ययन-सह-व्यावसायिक अध्ययन संकाय;
- (च) विधि अध्ययन संकाय;
- (छ) शिक्षा, खेलकूद एवं प्रदर्शन कला संकाय; तथा
- विश्वविद्यालय परिनियमों के निर्देश के आलोक में आवश्यकतानुसार अन्य संकायों की स्थापना कर सकता है।
- (3) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग शामिल होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (4) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) संकाय के अधिष्ठाता – अध्यक्ष;
- (ख) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष;
- (ग) संकाय के प्रत्येक अध्ययन बोर्ड द्वारा नामित एक शिक्षक; तथा
- (घ) पाँच विशेष आमंत्रित सदस्य, जो प्रतिष्ठित विद्वान हों तथा जिनकी शैक्षणिक उपलब्धियां सिद्ध हों तथा संकाय के विषयों में औद्योगिक या व्यावसायिक अनुभव हो, उन्हें संबंधित संकाय के प्रमुख के परामर्श से प्रति-कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा; तथा
- उप-धारा 4(ख) में यथा प्रावधानित, संकाय के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के अध्यक्षों में से वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- (5) संकाय के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) संकाय के अधिष्ठाता एवं शैक्षणिक परिषद् द्वारा संदर्भित किसी भी विषय के प्रतिवेदन पर विचार करना;
- (ख) शैक्षणिक नीति निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध क्रियान्वयन तंत्र का निर्माण करना;
- (ग) विभागों द्वारा संदर्भित विषयों पर विचार करना तथा उन्हें आवश्यक संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, शैक्षणिक परिषद् को अनुशंसा करना;

- (घ) शैक्षणिक परिषद् को विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम-सारणी, पाठ्यक्रम संरचना एवं मूल्यांकन प्रणाली की अनुशंसा करना;
- (ङ) स्वायत्त महाविद्यालयों, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के समूह द्वारा निर्मित पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं उन्हें प्रमाणित करना;
- (च) विश्वविद्यालय विभागों अथवा संस्थानों, सशक्त स्वायत्त एवं स्वायत्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर पर शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अनुदेशन के संचालन हेतु आवश्यकताओं की शैक्षणिक परिषद् को अनुशंसा करना, जिसमें जनशक्ति आवश्यकताएँ भी सम्मिलित हों;
- (छ) अध्ययन बोर्ड द्वारा संदर्भित नवीन पाठ्यक्रमों, अन्तरविषयक पाठ्यक्रमों एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार कर उन्हें शैक्षणिक परिषद् को अनुशंसित करना;
- (ज) शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अनुदेशन के संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (झ) अध्ययन बोर्ड के परामर्श से अंतरविभागीय एवं अंतर-संकायीय कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका आयोजन करना;
- (ञ) संशोधित अथवा नवीन रूप से प्रारंभ किए गए अथवा अंतरविषयक पाठ्यक्रमों के लिए जेएसएफ़डीए के सहयोग से विश्वविद्यालय कर्मियों हेतु पुनश्चर्या एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण एवं उन्नत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अनुभव एवं प्रतिनियुक्ति के संचालन हेतु मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड तथा शैक्षणिक परिषद् को अनुशंसा करना;
- (ट) संकाय के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर उसे कुलपति को प्रस्तुत करना; तथा
- (ठ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गए, शिक्षण और अनुसंधान के सन्दर्भ में संकाय में शामिल विषयों एवं बहु-संकायीय अध्ययन से संबंधित किसी भी कार्य का निष्पादन करना।

45 अध्ययन बोर्ड

- (1) प्रत्येक विषय या विषय समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगी, जिसे परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अध्ययन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा।
- (2) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता – अध्यक्ष;
- (ख) संबंधित विषय के विश्वविद्यालय विभाग या संस्थान के प्रमुख;
- (ग) न्यूनतम दस वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले छह शिक्षक, जिन्हें कुलपति द्वारा संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के परामर्श से निम्नलिखित श्रेणियों से नामित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय विभागों के पूर्णकालिक शिक्षकों में से एक शिक्षक,
- (ii) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों या संस्थानों से दो शिक्षक, तथा
- (iii) संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों से तीन शिक्षक, जैसा लागू हो;
- (घ) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ङ) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा

- (च) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य; उप-धारा 2 (ख) में यथा प्रावधानित विभागाध्यक्षों में वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- (3) अध्ययन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) संबंधित संकाय या संकायों तथा शैक्षणिक परिषद् के माध्यम से औद्योगिक आवश्यकताओं के नए प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री प्रारंभ करने की अनुशंसा करना;
- (ख) संबंधित संकाय या संकायों तथा शैक्षणिक परिषद् के माध्यम से उन प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा एवं डिग्री को समाप्त करने की संस्तुति करना, जो अप्रासंगिक हो चुके हैं;
- (ग) संबंधित संकाय को पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम संरचना एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन योजनाओं की अनुशंसा करना;
- (घ) विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि के अनुरूप वांछनीय पाठ्यक्रमों की पहचान एवं शुरुआत के लिए कौशल अन्तर विश्लेषण, बाज़ार अनुसंधान, उत्कृष्ट प्रथाओं का अध्ययन आदि करना;
- (ङ) शुरु किए गए पाठ्यक्रमों से जुड़े विस्तार कार्यक्रमों का सुझाव देना;
- (च) उद्योग, कॉर्पोरेट अथवा समाज की व्यापक आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके;
- (छ) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके सहयोग और भागीदारी के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करना;
- (ज) पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रत्येक विषय में व्यावसायिक सामग्री जोड़ना और कौशल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम अवधि और अपेक्षित दक्षता स्तर निर्धारित करना;
- (झ) स्वायत्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, संस्थानों, स्वायत्त मान्यता प्राप्त संस्थानों, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के समूह द्वारा विकसित पाठ्यचर्या, समस्त प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों को अनुमोदित करना तथा शिक्षकों एवं विशेषज्ञों की मान्यता से संबंधित संस्तुतियाँ देना;
- (ञ) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारण से सम्बंधित मामलों में जेएसएफ़डीए से परामर्श या अनुशंसा प्राप्त करना;
- (ट) सम्बंधित विश्वविद्यालय विभाग अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों, जैसा लागू हो, द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना;
- (ठ) सम्बंधित स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति से पूर्व शैक्षणिक परिषद् तथा वित्त एवं लेखा समिति के साथ समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक एवं वित्तीय सहमति प्राप्त करना, तत्पश्चात् सिंडिकेट से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना; तथा
- (ड) स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन की निगरानी करना तथा आवश्यकतानुसार ऐसे किसी पाठ्यक्रम में संशोधन, विस्तार या बंद करने का प्रस्ताव देना।
- (4) अध्ययन बोर्ड प्रत्येक संकाय हेतु एक अनुसंधान एवं मान्यता समिति गठित करेगा,-
- (क) अनुसंधान एवं मान्यता समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (i) विश्वविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष- अध्यक्ष;
 - (ii) विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग के सभी शिक्षक; तथा
 - (iii) कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ, जो प्राध्यापक से अन्यून हों, जिन्होंने न्यूनतम तीन शोधार्थियों का सफल मार्गदर्शन किया हो तथा जिनके शोध कार्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं अथवा संकलनों में प्रकाशित हुए हों, इनमें से एक विशेषज्ञ विश्वविद्यालय से बाहर का होना चाहिए।
- (ख) अनुसंधान एवं मान्यता समिति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
- (i) शोध-प्रबंध अथवा विनिबंध के विषय को अनुमोदित करना;
 - (ii) शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट एवं उच्च डिग्री प्रदान करने हेतु शोध-प्रबंधों अथवा विनिबंधों के निर्णायकों की सूची तैयार कर कुलपति को अनुशंसा करना;
 - (iii) उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए संकाय को स्नातकोत्तर शिक्षकों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं अन्य संस्थानों के शोध वैज्ञानिकों, सक्रिय अनुसंधान और विकास विशेषज्ञों के नाम सुझाना, जिनके पास विभिन्न उद्योगों की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं या केन्द्रों में न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो, ताकि उन्हें अनुमोदित अनुसंधान मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जा सके; तथा
 - (iv) अध्ययन बोर्ड को परिनियमों द्वारा निर्धारित एवं शैक्षणिक परिषद् द्वारा सौंपे गए अन्य सभी अकादमिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों को करने का दायित्व होगा।
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 की उपाधि के लिए परिनियमों में यथाविहित रीति का पालन किया जायेगा।

46 परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड

- (1) परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं मूल्यांकन से संबंधित समस्त विषयों का निपटारा करने वाला प्राधिकरण होगा। यह स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय विभागों में परीक्षा संचालन का पर्यवेक्षण भी करेगा, जैसा कि लागू हो।
- (2) परीक्षाएँ एवं मूल्यांकन बोर्ड प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा।
- (3) परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (घ) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;
 - (ङ) निदेशक, छात्र मामले;
 - (च) सिंडिकेट द्वारा नामित दो अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
 - (छ) सिंडिकेट द्वारा नामित विश्वविद्यालय विभागों का एक प्राध्यापक;

- (ज) सिंडिकेट द्वारा स्वायत्त, अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालयों का एक शिक्षक, जो विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य न हो एवं जिसे कम से कम पंद्रह वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो, जिसे अधिनियम की अनुसूची-11 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए नामित किया जाएगा;
- (झ) कम्प्यूटरीकृत वातावरण में मूल्यांकन के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
- (ञ) राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित दो विशेषज्ञ, जिनका पद सहायक कुलसचिव से निम्नतर न हो एवं जिनके पास कम्प्यूटरीकृत वातावरण में परीक्षा कार्य का अनुभव हो; उन्हें कुलपति द्वारा आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा; तथा
- (ट) परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव।
- (4) परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
- (क) विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु नीति, तंत्र एवं परिचालन रणनीतियाँ निर्मित करना, जिससे कार्य कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से निष्पादित हो;
- (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं परीक्षणों का उचित आयोजन सुनिश्चित करना, जिसमें मर्यादन, सारणीकरण, मूल्यांकन एवं परिणामों की समय पर घोषणा सम्मिलित हो:
- परन्तु यह कि, परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड इस धारा के प्रयोजनों के लिए छात्र मामलों के बोर्ड तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुशंसित वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लागू करे।
- (ग) विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट) में सम्मिलित करने हेतु परीक्षाओं एवं मूल्यांकन से संबंधित वित्तीय अनुमानों को तैयार करना एवं उन्हें वित्त एवं लेखा समिति को प्रस्तुत करना;
- (घ) परीक्षाओं के संचालन के दौरान कठोर सतर्कता की व्यवस्था करना, जिससे परीक्षार्थियों, शिक्षकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, आदि द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग को रोका जा सके;
- (ङ) शिक्षकों द्वारा मोड्यूलर संरचना में क्रेडिट मूल्यांकन हेतु प्रक्रियाएँ स्थापित करना एवं परिचालन तंत्र विकसित करना, तथा मूल्यांकन एवं आकलन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करना, जिसमें प्रश्न बैंक का निर्माण एवं उसका प्रभावी उपयोग सम्मिलित हो;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्रीय मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया जाए, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के गोपनीयता की सुरक्षा हेतु मास्किंग एवं डी-मास्किंग प्रणाली या अन्य वैकल्पिक प्रणाली अपनाई जाए;
- (छ) परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाना, जिससे इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके;
- (ज) सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचियों में से प्रश्नपत्र-निर्माताओं, परीक्षकों एवं मर्यादकों की नियुक्ति करना तथा आवश्यकतानुसार उप-धारा (8) के खण्ड (ख) के अधीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए उन्हें हटाना या प्रतिबंधित करना;
- (झ) परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यक्रम का अनुमोदन करना;
- (ञ) परीक्षा नियंत्रक द्वारा अप्रेषित विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की समीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;
- (ट) परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निर्णय लेना; तथा

- (ठ) परीक्षाओं एवं मूल्यांकन से संबंधित अन्य अधिकारों का प्रयोग करना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत इसे सौंपे जा सकते हों।
- (5) यदि किसी आपातकालीन स्थिति में, जिसमें तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, तो परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यवाही करने का अधिकार होगा। उक्त कार्यवाही का विवरण वह बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा।
- (6) (क) प्रश्न-पत्र निर्माताओं, परीक्षकों एवं मर्यादकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड प्रत्येक विषय के लिए एक समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,-
- (i) प्रति-कुलपति – अध्यक्ष;
- (ii) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;
- (iii) अध्ययन बोर्ड के दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक स्नातकोत्तर शिक्षक होगा; तथा
- (iv) परीक्षा नियंत्रक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (ख) संबंधित विभागों के अध्यक्ष विभिन्न परीक्षाओं एवं परीक्षणों के लिए व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे तथा उन्हें अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) को प्रस्तुत करेंगे, जो अपनी अनुशंसाओं के साथ, यदि कोई हो, उन्हें परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे, जो फिर प्रश्नपत्र निर्माता, परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो, रेफरी भी नियुक्त करेगा; तथा
- (ग) परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड का कोई भी सदस्य, प्रश्न-पत्र निर्माता, परीक्षक, मर्यादक या निर्णायक नियुक्त नहीं किया जाएगा:
- परंतु, यदि किसी विषय में ऐसे शिक्षकों की अनुपलब्धता हो जो परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड या समिति के सदस्य न हों, तो प्रति-कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड के किसी सदस्य को प्रश्न-पत्र निर्माता, परीक्षक, मर्यादक या निर्णायक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- (7) (क) विश्वविद्यालय के संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित कार्यों में परिणियमों के अनुसार आवश्यक सहायता एवं सेवा प्रदान करें;
- (ख) यदि कोई शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे कदाचरण माना जाएगा, और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी; तथा
- (ग) यदि कोई संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय का शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो कुलपति को उस कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति होगी, जिसमें उसे दंडित करना या निलंबित करना भी शामिल होगा, जैसा कि परिणियमों में निर्दिष्ट होगा।
- (8) (क) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से यदि परीक्षाओं में सहायता या सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन न करने या छात्रों के मूल्यांकन, औपचारिक प्रक्रियाओं और परीक्षा से जुड़े कोई उम्मीदवार, प्रश्न-पत्र निर्माता, परीक्षक, मर्यादक, निर्णायक, शिक्षक या परीक्षा संचालन से संबद्ध अन्य कोई व्यक्ति परीक्षाओं के संचालन से पूर्व अथवा परीक्षा के बाद की प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता करता है, तो परीक्षा

एवं मूल्यांकन बोर्ड अधिकतम पाँच सदस्यों की एक जाँच समिति गठित करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा; तथा

- (ख) उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एवं अनुशंसाएँ कुलपति को प्रस्तुत करेगी। कुलपति परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दे सकते हैं कि अनियमितताओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। परीक्षा नियंत्रक कुलपति के निर्णय को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

47 आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड

- (1) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न डिग्री स्तरीय कार्यक्रमों तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल एवं शिक्षित मानव संसाधन का निर्माण करना होगा।
- (2) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड की बैठक वर्ष में न्यूनतम तीन बार होगी।
- (3) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा परिषद् के सदस्यों निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) अधिष्ठाता, (अकादमिक कार्य);
 - (घ) सभी संकायों के अधिष्ठाता;
 - (ङ) तीन प्रख्यात विशेषज्ञ, जिन्हें कुलपति नामित करेगा, जो आजीवन शिक्षण कौशल, मूल्य-शिक्षा एवं दीर्घायु अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत होंगे;
 - (च) विश्वविद्यालय विभागों के दो शिक्षक, जिन्हें कुलपति नामित करेगा, जो नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में सक्रिय रूप से संलग्न होंगे;
 - (छ) महाविद्यालयों के दो शिक्षक, जिन्हें कुलपति नामित करेगा, जो अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रसार कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से संलग्न होंगे; तथा
 - (ज) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा केंद्र – सदस्य सचिव।
- (4) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीवन अधिगम, मूल्य शिक्षा और जीवन-कौशल के क्षेत्र में नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय स्थापित करना, जिससे विभिन्न शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय निकायों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच सह-अस्तित्व और सहयोग सुनिश्चित हो;
 - (ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्वतंत्र आजीवन अधिगम एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना, जिससे बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो;
 - (ग) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की आर्थिक आवश्यकताओं एवं वार्षिक बजट पर विचार-विमर्श करना;
 - (घ) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की वार्षिक गतिविधियों का कार्यक्रम तैयार करना एवं समय-समय पर उसकी समीक्षा करना;
 - (ङ) सिंडिकेट के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; तथा
 - (च) परिणियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

48 सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड

- (1) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी के चयन, तैनाती एवं उपयोग के पेशेवर प्रबन्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड विश्वविद्यालय के क्रिया-कलाप के सभी क्षेत्रों एवं संबद्ध कार्यों में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कनेक्टिविटी तथा तकनीकी आवश्यकताओं का सुनियोजित संचालन सुनिश्चित करेगी एवं इसके लिए अपेक्षित निधियों का अनुमान करेगा।
- (2) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी।
- (3) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (घ) अधिष्ठाता (संकाय);
 - (ङ) परीक्षा नियंत्रक;
 - (च) वित्त पदाधिकारी ;
 - (छ) विश्वविद्यालय विभागों के एक प्राध्यापक, जो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, उन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (ज) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जिनमें एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ तथा एक एक हार्डवेयर विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (झ) कुलसचिव; तथा
 - (ञ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग-सदस्य सचिव।
- (4) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की योजना बनाना;
 - (ख) विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संबंधी आधारभूत संरचना के वार्षिक बजट का प्रस्ताव तैयार करना;
 - (ग) आभासी कक्षा एवं प्रयोगशाला आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु रणनीति तैयार करना;
 - (घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के बीच नेटवर्किंग के लिए नीति निर्धारित करना;
 - (ङ) संस्था के छात्रों, शिक्षकों, एवं अन्य कर्मचारियों के डेटा निर्माण, उनके उन्नयन, रख-रखाव के लिए डेटा-भण्डार प्रकोष्ठ के निर्माण हेतु उपयुक्त नीति और प्रक्रिया कार्यान्वित करना तथा उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना;
 - (च) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक संगठनों द्वारा अनिवार्य की गई उद्यमिता संसाधन योजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य समान उपकरणों को कार्यान्वित करना; तथा
 - (छ) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य किसी भी दायित्व का निर्वहन करना।

49 अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड

- (1) एक अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड होगा, जो एक अनुकूल वातावरण के निर्माण और संवर्धन के लिए कार्य करेगा ताकि अनुसंधान और नवाचार की अवधारणा को प्रचारित किया जा सके। यह बोर्ड नवाचारपूर्ण विचारों को संवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से क्रियाशील मॉडलों में परिवर्तित करने में सहायता करेगा और अंततः उद्यम की स्थापना की ओर अग्रसर होगा।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता के लिए एक स्वतंत्र केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड के उद्देश्यों को क्रियान्वित करेगा। यह केंद्र, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रयोग एवं सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (3) अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन एवं उद्यमिता बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (घ) सभी संकायों के अधिष्ठाता;
 - (ङ) निर्माण, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, कृषि उद्योग एवं सेवा उद्योग से कुलपति द्वारा नामित पाँच प्रमुख उद्योगपति;
 - (च) विश्वविद्यालय विभागों के दो शिक्षक, जो नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में सक्रिय हों, उन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (छ) संबद्ध एवं स्वायत्त महाविद्यालयों से दो शिक्षक, जो अनुसूची-II में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान एवं नवाचार में सक्रिय हों, उन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (ज) विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, बैंकिंग, वित्त, उद्योग, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आठ प्रख्यात व्यक्ति जो वैश्विक रुझानों एवं क्षेत्रीय मुद्दों से परिचित होंगे, उन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (झ) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा नामित एक सदस्य;
 - (ञ) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य;
 - (ट) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा
 - (ठ) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता – सदस्य सचिव।
- (4) बोर्ड की प्रतिवर्ष न्यूनतम तीन बैठकें आयोजित की जाएँगी।
- (5) अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन एवं उद्यमिता बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों तथा राज्य एवं अन्य राज्यों में स्थित विभिन्न उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के सह-अस्तित्व एवं सहयोग हेतु नीति एवं परिचालन क्रियाविधि के माध्यम से समन्वय स्थापित करना;
 - (ख) उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा एवं नवाचार जैसे विचारों को व्यापक स्वरूप में विकसित करने के लिए सहयोग प्रणाली विकसित करना, जिससे लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके;

- (ग) विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों की प्राप्ति के उद्देश्य से उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित कर अनुसंधान एवं परामर्श परियोजनाओं को क्रियान्वित करना;
- (घ) राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रणाली की स्थापना करना;
- (ङ) युवा उद्यमियों को संचालनात्मक, विधिक, व्यावसायिक मॉडल निर्माण एवं वित्तीय सहायता में मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करना;
- (च) अनुसन्धान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता केंद्र द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का आकलन एवं योजना बनाना;
- (छ) अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता केंद्र की वार्षिक गतिविधियों के कार्यक्रम एवं वार्षिक बजट तैयार करना, गतिविधियों की निगरानी करना, समय-समय पर इनकी समीक्षा करना एवं अनुसन्धान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता केंद्र के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट सिंडिकेट को प्रस्तुत करना; तथा
- (ज) परिणियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

50 छात्र मामलों का बोर्ड

- (1) महाविद्यालयों, संस्थानों तथा विश्वविद्यालय विभागों में छात्रों की विभिन्न सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों की योजना बनाने एवं उसके पर्यवेक्षण के लिए छात्र मामलों के बोर्ड का गठन किया जाएगा। छात्र मामलों के बोर्ड की समस्त गतिविधियाँ निदेशक, छात्र मामले द्वारा संचालित की जाएंगी।
- (2) छात्र मामलों के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) कुलपति द्वारा नामित प्रदर्शन कला क्षेत्र एक विशेषज्ञ;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित ललित कला क्षेत्र के एक विशेषज्ञ;
 - (ङ) कुलपति द्वारा नामित, दो शिक्षक जो सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल हों, जिनमें से एक महिला होगी;
 - (च) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के पदाधिकारीगण;
 - (छ) दो एनएसएस समन्वयक जिनमें विश्वविद्यालय विभाग, स्वायत्त महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रत्येक से एक-एक समन्वयक, जैसा लागू हो;
 - (ज) निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा;
 - (झ) निदेशक, छात्र मामले - सदस्य सचिव।
- (3) छात्र मामलों का बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-
 - (क) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों में संस्कृति एवं छात्र विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना;
 - (ख) विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय निकायों से संपर्क स्थापित करना एवं उनके साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना;

- (ग) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों में ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करना जो प्रदर्शनकला, शुद्ध कला एवं चित्रकला कौशल में रुचि एवं क्षमता को प्रोत्साहित करें;
- (घ) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएँ, कौशल विकास कार्यशालाएँ एवं संवादात्मक गतिविधियाँ आयोजित कर, समाज को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के निकट लाना;
- (ङ) समूहों (राजनीतिक दलों को छोड़कर), समाजों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ तालमेल स्थापित करना ताकि उन्हें छात्र मामलों के बोर्ड की गतिविधियों में शामिल किया जा सके;
- (च) छात्र विकास की नवीन योजनाएँ जैसे-अर्जन एवं अध्ययन योजना, शिक्षा ऋण, कुलपति सहायता निधि, एंडोमेंट योजना, छात्र विनिमय योजना इत्यादि का निर्माण, विकास एवं कार्यान्वयन करना;
- (छ) छात्रों के शिकायत निवारण तथा यौन उत्पीड़न एवं रेगिंग की रोकथाम प्रणाली विकसित करना, एवं उसका वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सीनेट को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;
- (ज) करियर परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के उत्थान हेतु योजनाओं का निर्माण, विकास एवं कार्यान्वयन करना;
- (झ) विश्वविद्यालय, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों का समन्वय करना; तथा
- (ञ) परिणियमों के द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

51 खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड

- (1) विश्वविद्यालय में खेलकूद, संस्कृति के संवर्धन एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु एक खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा। बोर्ड की समस्त गतिविधियाँ खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित की जाएँगी।
- (2) खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) निदेशक, छात्र मामले;
 - (घ) खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वसनीय तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (ङ) जिस जिले में विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित हो, उसके जिला खेल पदाधिकारी;
 - (च) विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग से एक शिक्षक, जिसे सिंडिकेट द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (छ) दो खेलकूद शिक्षक, जो संबद्ध महाविद्यालयों, अंगीभूत अथवा स्वायत्त महाविद्यालयों से, जैसा लागू हो, सिंडिकेट द्वारा नामित किए जाएँगे;
 - (ज) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के अध्यक्ष एवं सचिव; तथा
 - (झ) खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक – सदस्य सचिव।
- (3) खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) विश्वविद्यालय विभागों एवं महाविद्यालयों में खेलकूद के क्षेत्र में खेलकूद-संस्कृति एवं गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक कदम उठाना;

- (ख) विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं उनके साथ मिलकर विविध खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;
- (ग) विभिन्न खेलकूद संगठनों, समूहों, समाजों एवं अन्य पेशेवर निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना, जिससे वह खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड की गतिविधियों में शामिल हो सकें;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति तथा राष्ट्रीय खेलकूद नीति के अनुसार महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालय विभागों में खेल संबंधी गतिविधियों एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करना (केवल अनुसूची-II में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के मामले में);
- (ङ) विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं, खेलकूद कौशल विकास शिविरों, संवादात्मक गतिविधियों एवं विभिन्न खेलकूद में भी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना, जिससे विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों से समाज की निकटता स्थापित हो;
- (च) विभिन्न खेलों में सुव्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित टीमों के माध्यम से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ावा देना;
- (छ) परीक्षा कार्यक्रम के दौरान अंतर-विश्वविद्यालयीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा तिथियों के संबंध में समुचित वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा प्रस्तुत करना, जैसा कि विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा संगत परीक्षा कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया है; तथा
- (ज) परिणियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

52 मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड

- (1) मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की समयबद्ध नियुक्ति, प्रोन्नति एवं प्रशिक्षण की प्राथमिक उत्तरदायी संस्था होगी।
- (2) मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (क) कुलपति – अध्यक्ष;
- (ख) प्रति-कुलपति;
- (ग) कुलानुशासक;
- (घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
- (ङ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग;
- (च) निदेशक, छात्र मामले;
- (छ) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा नामित एक सदस्य; तथा
- (ज) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन – सदस्य सचिव।
- (3) मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उपलब्ध रिक्तियों की रोस्टर सूची तैयार करना;
- (ख) विश्वविद्यालय विभागों, संकायों एवं महाविद्यालयों में अधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का संकलन कर एक समेकित सूची तैयार करना;

- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा संशोधनों के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पदों की प्रोन्नति हेतु परिणियमों में संशोधन का प्रस्ताव करना;
- (घ) शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रशासनिक कार्यों से सम्बंधित शिकायतों, समस्याओं एवं विवादों का समाधान करना, कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाए रखना तथा नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना;
- (ङ) शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, मानव संसाधन विकास केंद्र या मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य समान विशिष्ट एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (च) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बंधित कार्यस्थल-सुरक्षा कार्यक्रमों एवं पहलों के यथोचित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित अभिलेख तैयार करना;
- (ज) सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वरिष्ठता के अभिलेख/डाटाबेस का रख-रखाव सटीक रूप से तथा समयानुसार बनाए रखा जा रहा है, इसकी निगरानी और पर्यवेक्षण करना;
- (झ) विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवं सेवा अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य का पर्यवेक्षण करना; तथा
- (ञ) परिणियमों के निर्देशानुसार सौंपे गए अन्य कार्यों या गतिविधियों का निष्पादन करना।

53 इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड

- (1) उद्योग संपर्कों के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन और संवर्धन हेतु इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड होगा, ताकि छात्रों का इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट सुनिश्चित हो सके।
- (2) इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
- (क) कुलपति – अध्यक्ष;
- (ख) प्रति-कुलपति;
- (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
- (घ) सभी संकाय के अधिष्ठाता;
- (ङ) निर्माण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, कृषि उद्योग एवं सेवा उद्योग के क्षेत्र से पाँच प्रतिष्ठित उद्योगपति कुलपति द्वारा नामित किए जाएँगे;
- (च) विश्वविद्यालय विभागों से दो शिक्षक, जो उद्योग-अकादमिक सम्पर्क में सक्रिय हों, उन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
- (छ) संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों से दो शिक्षक, जो उद्योग-अकादमिक सम्पर्क में सक्रिय हों, उन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
- (ज) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा नामित एक सदस्य;
- (झ) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ञ) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा
- (ट) निदेशक, इंटरनिशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड- सदस्य सचिव।

- (3) प्रत्येक वर्ष में बोर्ड की न्यूनतम तीन बैठकें होंगी।
- (4) इंटरनेशिप, अप्रेंटिशशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
 - (क) छात्रों और प्रतिभागियों के लिए अवसरों को सुगम बनाने के उद्देश्य से व्यवसायों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित करना और बनाए रखना;
 - (ख) इंटरनेशिप और अप्रेंटिशशिप कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी करना, जिसमें प्रतिभागियों के कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन शामिल है;
 - (ग) प्रतिभागियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना जिसमें करियर परामर्श और व्यावसायिक विकास सम्बन्धी सलाह शामिल है;
 - (घ) कार्यक्रम की गतिविधियों, प्रतिभागियों की नियुक्ति और परिणामों से सम्बन्धित रिकॉर्ड और रिपोर्ट का संधारण करना; तथा
 - (ङ) परिणियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

54 समावेशी शिक्षा बोर्ड

- (1) समावेशी शिक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा कि शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। यह यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और छात्रों के अधिकारों का, जिनके लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी तत्कालीन कानून के माध्यम से विशेष प्रावधान किए गए हैं, विश्वविद्यालय में कड़ाई से पालन किया जाए।
- (2) समावेशी शिक्षा बोर्ड का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) कुलानुशासक;
 - (घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ङ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग;
 - (च) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;
 - (छ) निदेशक, छात्र मामले;
 - (ज) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय; तथा
 - (झ) निदेशक, समावेशी शिक्षा - सदस्य सचिव।
- (3) समावेशी शिक्षा परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियाँ एवं रणनीतियाँ विकसित एवं प्रस्तावित करना और उन्हें विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करना;
 - (ख) समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों की प्रभावशीलता की निगरानी एवं मूल्यांकन करना तथा नीतिगत पहलों में सुधार की अनुशंसा करना;
 - (ग) समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों के लिए संसाधनों एवं बजट आवंटन के संबंध में सिंडिकेट एवं/ अथवा सीनेट को परामर्श देना तथा यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

- (घ) समावेशी शिक्षा परियोजनाओं के समर्थन के लिए अनुदान एवं वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा एवं समर्थन करना;
- (ङ) 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा दिव्यांग एवं विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समर्थन प्रदान करना;
- (च) विश्वविद्यालय एवं व्यापक समुदाय में दिव्यांग छात्रों एवं विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करना;
- (छ) विश्वविद्यालय समुदाय में समावेशिता एवं सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता अभियानों एवं शैक्षिक पहलों का विकास एवं समर्थन करना; तथा
- (ज) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

55 सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड

- (1) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय की प्राथमिक निकाय होगा, जिसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय परिसर में आधारभूत संरचना का विकास, छात्रों के सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न उपक्रमों की संरचना, अंगीकरण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करना होगा।
- (2) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) कुलानुशासक;
 - (घ) कुलसचिव;
 - (ङ) निदेशक, समावेशी शिक्षा;
 - (च) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग;
 - (छ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;
 - (ज) निदेशक, छात्र मामले;
 - (झ) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय; तथा
 - (ञ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन - सदस्य सचिव।
- (3) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य विधिक अथवा नियामक निकाय द्वारा जारी विनियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना;
 - (ख) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं हेतु भविष्य में स्थान एवं सुविधा की आवश्यकताओं का आकलन करना;
 - (ग) परिसर के संधारणीय विकास एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु रणनीतियों की अनुशंसा करना;
 - (घ) विद्यमान भवनों, सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना के संचालन एवं रखरखाव की निगरानी करना;
 - (ङ) निर्माण एवं विकास परियोजनाओं में नियामक मानकों, संहिताओं एवं विश्वविद्यालय नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना;

- (च) परिसर के आधारभूत संरचना एवं रखरखाव से संबंधित निधियों के आवंटन एवं व्यय की निगरानी करना;
- (छ) परिसर के लिए अग्नि-सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना;
- (ज) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सटीक रख-रखाव को सुनिश्चित करना तथा उनकी निगरानी करना;
- (झ) परिणियमों द्वारा निर्धारित निर्देशों के आलोक में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पैनल में सूचीबद्ध करना;
- (ञ) परिसर की सुरक्षा एवं कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से सम्बंधित सर्वोत्तम व्यवहारों का अध्ययन करना, तथा उन व्यवहारों से प्राप्त शिक्षाओं को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित करना;
- (ट) विश्वविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन जारी करना, जिसमें यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों, निवारण प्रक्रिया एवं लम्बित मामलों का विवरण प्रस्तुत किया जाए, किंतु शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी; तथा
- (ठ) परिणियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

56 अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड

- (1) अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के विनियमन, समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु प्राथमिक निकाय होगा।
- (2) अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) कुलानुशासक;
 - (घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ङ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;
 - (च) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग;
 - (छ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;
 - (ज) निदेशक, समावेशी शिक्षा;
 - (झ) निदेशक, छात्र मामले; तथा
 - (ञ) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय - सदस्य सचिव।
- (3) अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) सुनिश्चित करना कि अंगीभूत महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की शैक्षणिक मानकों एवं रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप हों;
 - (ख) अंगीभूत महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रदर्शन की निगरानी एवं समर्थन करना, जिसमें कार्यक्रम मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रियाएँ शामिल हों;
 - (ग) सुनिश्चित करना कि अंगीभूत महाविद्यालय, परिणियमों में निर्दिष्ट विनियमों, प्रत्यायन आवश्यकताओं एवं अन्य प्रासंगिक मानकों का अनुपालन करें;

- (घ) अंगीभूत महाविद्यालयों के संवर्द्धन एवं विकास हेतु रणनीतिक योजनाएँ विकसित करना तथा उन्हें विश्वविद्यालय के समग्र लक्ष्यों एवं दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना;
- (ङ) अंगीभूत महाविद्यालयों की पहलों की प्रगति एवं प्रभाव का आकलन करने हेतु निष्पादन मानक स्थापित करना एवं उनकी निगरानी करना;
- (च) संकाय एवं कर्मचारियों के विकास कार्यक्रमों का सहायता करना, जिसमें प्रशिक्षण एवं कैरियर उन्नति के अवसर शामिल हों;
- (छ) विश्वविद्यालय या राज्य-सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बंधित जारी निर्देशों का समुचित रूप से पालन सुनिश्चित करना; तथा
- (ज) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

57 संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड

- (1) संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के विनियमन, समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु प्राथमिक निकाय होगी।
- (2) संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) कुलानुशासक;
 - (घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ङ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;
 - (च) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग;
 - (छ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;
 - (ज) निदेशक, समावेशी शिक्षा;
 - (झ) निदेशक, छात्र मामले; तथा
 - (ञ) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय - सदस्य सचिव।
- (3) संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) संबद्धता प्रदान करने, नवीकरण करने अथवा रद्द करने से संबंधित नीतियों का निर्माण करना;
 - (ख) शैक्षणिक मानकों, आधारभूत संरचना एवं शासन व्यवस्था सहित संबद्धता प्रदान करने एवं नवीकरण हेतु मानदंडों एवं दिशानिर्देशों को स्थापित करना एवं समय-समय पर उनकी समीक्षा करना;
 - (ग) सुनिश्चित करना कि संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन एवं अनुसंधान मानकों का अनुपालन करें;
 - (घ) यदि लागू हो, तो संबद्ध महाविद्यालयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता या अनुदानों का विनियमन करना एवं धनराशि का उचित उद्देश्य के लिए उपयोग सुनिश्चित करना;

- (ड) अस्थायी एवं स्थायी संबद्धता, स्वायत्तता एवं सशक्त स्वायत्तता प्रदान करने हेतु मानकों की अनुशंसा करना;
- (च) संबद्ध महाविद्यालयों के प्रदर्शन, विश्वविद्यालय मानकों के अनुपालन और समग्र प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उनका नियमित मूल्यांकन और निरीक्षण करना;
- (छ) विश्वविद्यालय या राज्य-सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बंधित जारी निर्देशों का समुचित रूप से पालन सुनिश्चित करना; तथा
- (ज) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

58 अध्ययन केंद्र बोर्ड

- (1) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों की गतिविधियों एवं कार्यों के प्रबन्धन हेतु एक अध्ययन केंद्र बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :-
 - (क) प्रति-कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ग) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;
 - (घ) वित्त पदाधिकारी;
 - (ड) सभी अध्ययन केन्द्रों के निदेशकगण;
 - (च) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता;
 - (छ) विश्वविद्यालय विभागों या अंगीभूत महाविद्यालयों से दो सदस्य, जैसा लागू हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से एक प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष होगा एवं दूसरा कम से कम 12 वर्षों का अनुभव रखनेवाला शिक्षक होगा;
 - (ज) परीक्षा नियंत्रक;
 - (झ) निदेशक, छात्र मामले;
 - (ञ) निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा;
 - (ट) प्रत्येक अध्ययन केंद्र के क्षेत्राधिकार में स्थित संबद्ध महाविद्यालयों से एक प्रधानाचार्य, एक शिक्षक, एवं एक प्रबंधन प्रतिनिधि, जैसा लागू हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (ठ) झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा नामित सदस्य;
 - (ड) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित सदस्य;
 - (ढ) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा नामित सदस्य; तथा
 - (ण) कुलसचिव - सदस्य सचिव।
- (2) विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार आयोजित की जाएँगी।
- (3) विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय करना;
 - (ख) मूल विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं शासन तंत्रों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अन्तःसंस्थागत एवं अन्तरसंस्थागत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सम्पर्कों का समन्वय करना;
- (घ) महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय विभागों के सहयोग से शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लाभार्थ कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार में परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना;
- (च) जिले के महाविद्यालयों एवं संस्थानों के लिए अनुसंधान योजनाओं, विकास योजनाओं एवं अन्य वित्त पोषण गतिविधियों के सृजन का समन्वय करना तथा मूल विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय के साथ सम्पर्क स्थापित करना (जहाँ लागू हो);
- (छ) महाविद्यालयों एवं संस्थानों के बीच, जैसा लागू हो, स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण एवं अधिगम गतिविधियों का समन्वय करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- (ज) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यों के लिए छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों, सहायक कर्मचारियों एवं समाज के अन्य सदस्यों हेतु विश्वविद्यालय के जिला स्तरीय प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना;
- (झ) वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना तथा वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट) तैयार कर मूल विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना; तथा
- (ञ) परिणयों द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी भी कार्य का दायित्व लेना।

59 क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड

- (1) विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड होगा जो क्षेत्रीय केन्द्रों की गतिविधियों की देखरेख करेगा। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) प्रति-कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ग) वित्त पदाधिकारी;
 - (घ) सभी क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशक;
 - (ङ) कुलपति द्वारा अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से एक-एक नामित प्रधानाचार्य;
 - (च) परीक्षा नियंत्रक;
 - (छ) निदेशक, छात्र मामले; तथा
 - (ज) कुलसचिव – सदस्य सचिव।
- (2) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम तीन बार होगी।
- (3) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक गतिविधियों का समन्वयन करना;
 - (ख) मूल विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक एवं शासकीय नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
 - (ग) विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित क्षेत्राधिकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्तः संस्थागत तथा अन्तर-संस्थागत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संपर्क का समन्वयन करना;

- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित क्षेत्राधिकार में अंकपत्र, ट्रांसक्रिप्ट एवं उपाधि निर्गमन आदि छात्र-केन्द्रित सेवाओं के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना;
- (ङ) छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों, सहयोगी कर्मचारियों एवं समाज के अन्य सदस्यों से सम्बंधित सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के जिला स्तरीय प्रवेशद्वार के रूप में कार्य करना;
- (च) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों की गुणवत्ता की निगरानी करना; तथा
- (छ) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना।

60 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड

- (1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड जो शीर्ष राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय का संपर्क स्थापित करने, उसे बनाए रखने, सुदृढ़ करने एवं संवर्धित करने के लिए होगा।
- (2) इस बोर्ड की बैठक वर्ष में न्यूनतम तीन बार आयोजित की जाएगी।
- (3) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) सभी संकायों के अधिष्ठातागण;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ प्राध्यापक;
 - (ङ) दो प्रधानाचार्य, जिनमें से एक अंगीभूत महाविद्यालय एवं एक संबद्ध महाविद्यालय से कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा;
 - (च) उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ, जिसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों में प्रमाणित विशेषज्ञता प्राप्त हो, कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा; तथा
 - (छ) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता- सदस्य सचिव।
- (4) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) श्रेष्ठ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ अन्तरसंपर्क को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालिक नीतियों एवं रणनीतियों पर कार्य करना;
 - (ख) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ शैक्षणिक संसाधनों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों एवं शिक्षण कार्यक्रमों, तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम चलाने हेतु एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया विकसित करना;
 - (ग) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में उद्योग जगत, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र विकसित करना, साथ ही उनके लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना;
 - (घ) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में पारस्परिक भ्रमणों के लिए एक तंत्र विकसित करना एवं ऐसे दौरे से संबंधित बजटीय प्रावधान एवं लॉजिस्टिक सहायता सुनिश्चित करना;

- (ड) विदेशी विद्यार्थियों एवं प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश एवं अन्य विधिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने हेतु एक तंत्र विकसित करना;
- (च) भारत के विभिन्न भागों में विदेशी विद्यार्थियों एवं प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों की यात्राओं जैसी सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करना;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी विद्यार्थियों एवं प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए सृजित अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं, यदि कोई हो, की समुचित व्यवस्था करना;
- (ज) बोर्ड की गतिविधियों एवं विदेशी एवं प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधानों को तैयार करना; तथा
- (झ) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी भी कार्य का दायित्व लेना।

61 छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड

- (1) विश्वविद्यालय में छात्र कला संस्कृति बोर्ड का गठन समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाएगा।
- (2) छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (घ) कुलसचिव;
 - (ङ) वित्त पदाधिकारी;
 - (च) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;
 - (छ) निदेशक, छात्र मामले;
 - (ज) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार; तथा
 - (झ) निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृति - सदस्य सचिव।
- (3) छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड एक वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें करेगा।
- (4) छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बजट की अनुशंसा करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा बाह्य सांस्कृतिक संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना;
 - (ख) समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु विविध समुदायों, विशेष रूप से वंचित एवं जनजातीय विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना;
 - (ग) सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रस्तुतियों एवं विद्यार्थियों की कलाकृतियों का अभिलेखन एवं प्रलेखन करना;
 - (घ) अकादमिक विभागों, अध्ययन बोर्ड के साथ सहयोग करते हुए पाठ्यक्रम में कला एवं संस्कृति का समावेश करना;
 - (ङ) राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण एवं प्रायोजन हेतु समन्वय स्थापित करना;

- (च) विश्वविद्यालय स्तरीय सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रेक्षागृहों और कला दीर्घाओं का विकास और रख-रखाव करना;
- (छ) विश्वविद्यालय स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों और पहलों पर वार्षिक रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद् और सिंडिकेट को प्रस्तुत करना;
- (ज) छात्रों के विकास एवं संस्कृति से सम्बंधित कुलपति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक तंत्र तैयार करना;
- (झ) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक एवं अन्य गतिविधियों में सुव्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय के निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के दौरान अन्तर-विश्वविद्यालयीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं अथवा एन०सी०सी०, एन०एस०एस० की गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए परीक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु सक्षम पदाधिकारी को परिनियमों/विश्वविद्यालय अध्यादेशों के निर्देशानुसार अनुशंसा करना; तथा
- (ट) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करना।

62 प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल

- (1) इस अधिनियम के तहत गठित किसी भी प्राधिकरण में नामित सदस्य का कार्यकाल उक्त तिथि से तीन वर्ष का होगा।
- (2) सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया नामित सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से कम-से कम तीन माह पूर्व प्रारंभ कर ली जाएगी एवं उक्त नामित सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी:

परन्तु यह कि, विश्वविद्यालयों के पुनर्गठित प्राधिकरणों के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रवर्तित होने की तिथि से छह माह के भीतर पूर्ण की जाएगी।

63 सदस्यता की समाप्ति

इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए परिनियमों में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, जहाँ किसी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में नामित या नियुक्त किया जाता है, जो इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत या उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट पदाधिकारियों या सदस्यों की किसी भी श्रेणी के तहत ऐसे पदाधिकारी या सदस्य के रूप में नामित या नियुक्त होने के लिए पात्र होने के कारण प्राप्त हुई है, तो ऐसे पदाधिकारी या ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं रह जायेगा, जब वह उक्त श्रेणी का सदस्य नहीं रहेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे पदाधिकारी या सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है।

64 प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता

- (1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह-
- (क) विकृत मस्तिष्क का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो; अथवा
- (ख) निर्विवाद दिवालिया हो; अथवा
- (ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हो, जो नैतिक अधःपतन से संबंधित हो; अथवा

- (घ) किसी भी परीक्षा या मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनुचित साधनों को किसी भी रूप में अपनाने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो; अथवा
- (ङ) जानबूझकर इस अधिनियम,परिनियमों या विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों को अस्वीकृत अथवा निष्पादित करने से इंकार किया हो, या किसी ऐसे कार्य में संलग्न हो, जो विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल हो; अथवा
- (च) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार के लिए किसी भी प्रकार से दंडित किया गया हो; अथवा
- (छ) अपने आधिकारिक पद के कारण प्राप्त हुई परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी किसी गोपनीय जानकारी को किसी भी माध्यम से सार्वजनिक किया हो या करवाया हो।

65 द्वितीय अनुक्रमिक कार्यकाल हेतु अनर्हता

कोई भी नामित व्यक्ति सीनेट या सिंडिकेट का लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सदस्य नहीं हो सकता:

परन्तु यह कि, यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रवर्तन की प्रारंभिक तिथि पर प्रथम बार सीनेट या सिंडिकेट का नामित सदस्य था, तो उसे अनुक्रमिक कार्यकाल प्राप्त करने वाला नहीं माना जाएगा, यदि वह प्रथम बार इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् नामित किया जाता है।

66 प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता

इस अधिनियम या इसके अंतर्गत अन्यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण, अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उसे सौंपे गए हैं, अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, एवं वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने अधीन सौंपे गए मामलों का निर्वहन एवं निर्णय करने के लिए अंतिम निर्णयकर्ता होगा।

67 सदस्यता से त्यागपत्र

- (1) कुलाधिपति, राज्य सरकार अथवा कुलपति द्वारा नामित सदस्य क्रमशः कुलाधिपति, राज्य सरकार, कुलपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र की स्वीकृति प्राप्त होते ही, या त्यागपत्र की तिथि से तीस दिनों के बीत जाने पर, जो भी पहले हो, उस सदस्य की सदस्यता निरस्त हो जाएगी।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी प्राधिकरण या निकाय का नामित अथवा नियुक्त सदस्य हो, प्राधिकरण या निकाय की बिना पूर्व अनुमति के लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः रिक्त मानी जाएगी तथा वह तीसरी बैठक की तिथि से जिसमें वह अनुपस्थित था, सदस्यता से मुक्त माना जाएगा।

68 प्राधिकरण की बैठक

- (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्राधिकरणों, निकायों या समितियों की बैठकों के संचालन से संबंधित सभी विषय, इस अधिनियम में उल्लिखित या परिनिर्णयों द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे।
- (2) किसी भी प्राधिकरण या निकाय की बैठक, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर, उसके सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से आहूत की जाएगी।
- (3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न होने पर, किसी बैठक की कोरम प्रायः उपस्थित सदस्यों की एक-तिहाई संख्या होगी। यदि कोरम पूर्ण न हो, तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देगा और बैठक उसी दिन निर्धारित समय पर या किसी पुनर्निर्धारित तिथि पर पुनः आयोजित होगी तथा स्थगित की गई बैठक के लिए कोरम आवश्यक होगा। जारी बैठक के अगले दिन कोरम आवश्यक होगा।

- (4) यदि परिणियमों में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक की अध्यक्षता के लिए कोई प्रावधान न हो, या निर्धारित अध्यक्ष अनुपस्थित हो तथा किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का कोई प्रावधान न हो, तो उपस्थित सदस्यगण बैठक की अध्यक्षता हेतु आपस में ही किसी एक सदस्य का चुनाव करेंगे।
- (5) अन्यथा उपबंधित के अलावा, कार्यसूची के सभी मदों, प्रश्नों, मामलों या प्रस्तावों पर उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा।

69 आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति

- (1) यदि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी, पदेन सदस्य को छोड़कर, के पद पर कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उसे सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर नामांकन के माध्यम से भरा जाएगा।
- (2) जब उप-धारा (1) में उल्लिखित ऐसी रिक्ति तीन माह की अवधि में नहीं भरी जाती है तो उक्त रिक्ति को उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित स्थायी समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति के नामांकन से भरा जाएगा जो उक्त प्राधिकरण या निकाय में उसी वर्ग से चुने जाने के लिए अन्यथा पात्र हो।
- (3) ऐसी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी समिति का गठन निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात्:-
 - (क) प्रति-कुलपति- अध्यक्ष;
 - (ख) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (ग) सीनेट द्वारा नामित संकाय के एक अधिष्ठाता;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित अंगीभूत महाविद्यालय का एक प्रधानाचार्य (जैसा लागू हो);
 - (ङ) सिंडिकेट द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक शिक्षक;
 - (च) सीनेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक स्नातक अथवा स्नातकोत्तर छात्र; तथा
 - (छ) कुलसचिव – सदस्य सचिव।
- (4) स्थायी समिति के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- (5) स्थायी समिति की बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों के आधे के बराबर निर्धारित किया जाएगा।

70 विश्वविद्यालय की प्राधिकृत संस्थाओं एवं निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी

विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या अनेक रिक्तियाँ विद्यमान हैं।

अध्याय V: परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

71 परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित परिषद् एवं समितियाँ गठित की जाएंगी, अर्थात् :-
 - (क) परामर्शदात्री समिति;
 - (ख) वित्त एवं लेखा समिति;
 - (ग) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ;

- (घ) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति;
- (ङ) क्रय समिति;
- (च) छात्रसंघ एवं छात्र परिषद्;
- (छ) भवन एवं कार्य समिति;
- (ज) शुल्क निर्धारण समिति;
- (झ) जनसंपर्क समिति; तथा
- (ञ) आंतरिक शिकायत समिति।

72 परामर्शदात्री समिति

(1) परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (क) राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य-
 - (i) एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, जिसे युवाओं के लिए अवसरों के बदलते परिदृश्य एवं अकादमिक-उद्योग समन्वय के वैश्विक प्रवृत्तियों का व्यापक अनुभव हो – अध्यक्ष;
 - (ii) एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जिसे ऐसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य करने का अनुभव हो, जो अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी नीतियों एवं दृष्टिकोणों पर काम करताहो - उपाध्यक्ष;
 - (iii) एक प्रतिष्ठित सामाजिक नेता, जिसे जनसामान्य के साथ कार्य करने का अनुभव हो एवं शिक्षा और सामाजिक रूपांतरण के बीच अनुबंधन की समझ हो- सदस्य;
 - (iv) एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों से भली-भांति परिचित हो- सदस्य; तथा
 - (v) एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में व्यापक अनुभव हो- सदस्य।

(ख) पदेन सदस्य:

- (i) प्रति-कुलपति- सदस्य; तथा
- (ii) कुलसचिव- सदस्य सचिव

(2) परिषद् के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय को अकादमिक रूप से सशक्त, प्रशासनिक रूप से कुशल एवं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुलपति को शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास, प्रशासन, वित्तीय संसाधन सृजन करने एवं शासन प्रणाली के संबंध में प्रतिवेदन एवं कार्य योजनाओं के माध्यम से परामर्श देना;
- (ख) विश्वविद्यालय प्रणाली की संपूर्ण कामकाज की निगरानी हेतु क्रियाविधि एवं दृष्टिकोण विकसित करना, विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर नज़र रखना एवं समाज में पहचान बनाए रखने एवं विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली के प्रगति तथा प्रभाव का विश्लेषण एवं समालोचनात्मक टिप्पणी प्रदान करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की रणनीतिक परिप्रेक्ष्य योजना के संबंध में सीनेट को परामर्श देना;

- (घ) कोई अन्य कार्य का क्रियान्वयन जिसे समिति के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझे;
 - (ङ) विश्वविद्यालय की विकास, प्रगति एवं कार्यप्रणाली पर नियमित रूप से राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
 - (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बंधित वैधानिक निकायों द्वारा विकसित नीतियों एवं सुधारों पर निगरानी रखना; तथा
 - (छ) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।
- (3) परामर्शदात्री समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें करेगी।
- (4) परामर्शदात्री समिति की बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों का आधा होगा।

73 वित्त एवं लेखा समिति

- (1) विश्वविद्यालय के वित्तीय कार्यों की योजना बनाने, समन्वय रखने और उनकी देखरेख के लिए एक वित्त एवं लेखा समिति होगी। यह उपलब्ध प्रावधानों के आलोक में लेखाओं, व्यय की प्रगति और नए व्यय से संबंधित सभी नए प्रस्तावों की जाँच करेगी।
- (2) वित्त एवं लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) वित्त परामर्शी;
 - (ग) शैक्षणिक परिषद् का एक व्यक्ति, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाए;
 - (घ) दो विशेषज्ञ, जिन्हें सीनेट द्वारा नामित किया जाए, जिनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसे लेखांकन एवं अंकेक्षण का विशेष ज्ञान हो, तथा दूसरा वित्तीय क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा;
 - (ङ) कुलसचिव; तथा
 - (च) वित्त पदाधिकारी – सदस्य सचिव।
- (3) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कुल सदस्यों का आधा होगा।
- (4) समिति के सभी नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा निरंतर दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (5) समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार तथा कुलपति की अपेक्षानुसार होगी।
- (6) वित्त एवं लेखा समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी:-
- (क) वार्षिक लेखा विवरण, अंकेक्षित लेखा अंतिम विवरण, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन तथा वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले वार्षिक वित्तीय अनुमान की समीक्षा एवं विचार-विमर्श करना। उन्हें कार्यकारिणी एवं तत्पश्चात् सीनेट को अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना;
 - (ख) उपलब्ध प्रावधानों के आलोक में व्यय की प्रगति एवं नए व्यय से सम्बंधित प्रस्तावों का परीक्षण करना;
 - (ग) वार्षिक कुल आवर्ती एवं गैर आवर्ती व्यय की सीमाओं की अनुशंसा करना, जो विश्वविद्यालय की आय एवं उत्पादक कार्यों हेतु लिए गए ऋणों सहित संसाधनों के आधार पर तय किया जाएगा;

- (घ) विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों एवं संसाधनों के उत्पादक निवेश एवं प्रबंधन के संबंध में अनुशंसा करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के विकास हेतु संसाधनों में वृद्धि करने की संभावनाओं का अन्वेषण करना।
- (च) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहारिकता का मूल्यांकन करना;
- (छ) विश्वविद्यालय एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के खातों का अंकेक्षण सुनिश्चित करना;
- (ज) विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं कोषों के प्रशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देना;
- (झ) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों, परिसंपत्तियों एवं अन्य संसाधनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (ञ) सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद् या किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय, समिति अथवा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्तीय मामलों पर परामर्श देना;
- (ट) संज्ञान में आई किसी भी वित्तीय अनियमितता की जानकारी कुलपति को देना, जिससे वह मामले की गंभीरता का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर सकें या उसे राज्य सरकार को विचारार्थ भेज सकें;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के वार्षिक खाते महालेखाकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षण हेतु उपलब्ध हों;
- (ड) वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, खातों के अनुरक्षण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खातों के अनुरक्षण एवं लेखा-परीक्षा की दक्षता में वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित विभिन्न वित्तीय सुधारों का अध्ययन करना; तथा
- (ढ) परिणियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

74 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

- (1) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता के संवर्धन, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
- (2) विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन एवं संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (3) वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिससे आवश्यक गुणवत्ता संवर्धन के उपायों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् या अन्य प्रत्यायन निकायों को नियमित रूप से वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (4) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणीकरण ढाँचा, राज्य संस्थागत श्रेणीकरण ढाँचा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य प्रत्यायन निकायों के अंतर्गत प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रणालियों में भाग लेने हेतु आवश्यक तैयारियों एवं प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) प्रत्येक महाविद्यालय एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जिसका गठन एवं कार्यप्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

- (6) महाविद्यालयों एवं मान्यताप्राप्त संस्थानों को नियमित रूप से वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय गुणवत्ता निकायों एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों को, जैसा लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।
- (7) विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा।
- (8) निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के प्रमुख होंगे।
- (9) विश्वविद्यालय, जैसा उचित समझे, महाविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सदस्यों के लिए प्रदर्शन आधारित मानदेय निर्धारित कर सकता है।
- (10) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

75 पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति

- (1) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन केंद्र, मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित, संगठित एवं अनुरक्षित करने हेतु एक पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) एक अधिष्ठाता (संकाय), जिसे कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा;
 - (ग) एक विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष या विश्वविद्यालय संस्थान प्रमुख, जिसे कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा;
 - (घ) दो सदस्य, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से एक उद्योग क्षेत्र से तथा दूसरा किसी राष्ट्रीय स्तर के संगठन से संबद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष होगा;
 - (ङ) कुलसचिव;
 - (च) वित्त पदाधिकारी; तथा
 - (छ) निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र – सदस्य सचिव।
- (3) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति के सभी नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- (4) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति वर्ष में कम से कम तीन बार बैठकें करेगी।
- (5) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कुल सदस्यों का आधा होगा।
- (6) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगी:-
 - (क) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन केंद्र के कार्यों, प्रलेखन सेवाओं तथा भौतिक एवं डिजिटल स्वरूप में अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु सुव्यवस्थित संगठन एवं संवर्धन की व्यवस्था करना;
 - (ख) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन केंद्र तथा प्रलेखन सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए रूपरेखा एवं परिचालन योजना भौतिक एवं डिजिटल प्रारूप में तैयार करना;
 - (ग) शैक्षणिक परिषद् को ज्ञान संसाधन केंद्र की सेवाओं तथा उसके उपयोग के लिए विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों से लिए जाने वाले फीस एवं अन्य शुल्कों हेतु अनुशंसा करना;

- (घ) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन केंद्र के विकास हेतु वार्षिक बजट एवं प्रस्ताव तैयार करना;
- (ङ) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन केंद्र के कामकाज पर वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति को प्रस्तुत करना;
- (च) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों के साथ नेटवर्क स्थापित करना; तथा
- (छ) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

76 क्रय समिति

- (1) राज्य / केंद्र सरकार के नवीनतम क्रय नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय की समस्त क्रय-संबंधी विषयों के निष्पादन हेतु एक क्रय समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) वित्त परामर्शी;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो विभागाध्यक्ष;
 - (ङ) सिंडिकेट द्वारा नामित सिंडिकेट का एक सदस्य;
 - (च) कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ;
 - (छ) कुलसचिव; तथा
 - (ज) वित्त पदाधिकारी – सदस्य सचिव।
- (3) वित्त पदाधिकारी की अनुपस्थिति में, कुलसचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- (4) जिस विश्वविद्यालय विभाग या संस्थान हेतु क्रय किया जाना है, उस विभाग के अध्यक्ष या संस्थान प्रमुख को क्रय समिति आमंत्रित करेगी।
- (5) समिति के सभी पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा वह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (6) विश्वविद्यालय की समस्त क्रय-संबंधी प्रक्रियाएँ राज्य/केंद्र सरकार के नवीनतम नियमों अथवा परिनियमों के निर्देशानुसार संपादित की जाएँगी।
- (7) क्रय समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा निर्धारित होंगे।
- (8) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कुल सदस्यों का आधा होगा।
- (9) क्रय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा कुलपति की अपेक्षानुसार होगी।

77 छात्रसंघ एवं छात्र परिषद्

- (1) विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय छात्रसंघ तथा प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय एवं प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय में एक महाविद्यालय छात्रसंघ होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों के कल्याण की देखरेख करना तथा विभिन्न छात्र संघों की पाठ्येतर गतिविधियों को सामूहिक जीवन को बेहतर करने हेतु समन्वित एवं संवर्धित कर करना होगा। यह संघ किसी भी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय अथवा केंद्रीय राजनीतिक दलों से संबद्ध किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा।
- (2) विश्वविद्यालय छात्रसंघ में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) अध्यक्ष, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (ख) सचिव, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (ग) एक महिला प्रतिनिधि, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (घ) एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रतिनिधि, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (ङ) प्रत्येक विभाग से एक छात्र प्रतिनिधि, जिसे उस विभाग के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्रों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा;
- (च) निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक छात्र, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, जो क्रमशः राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तथा निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयनित किए जाएँगे; तथा
- (छ) निदेशक, छात्र मामले *पदेन* सदस्य होंगे।
- (3) अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संबद्ध महाविद्यालय हेतु महाविद्यालय छात्रसंघ में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- (क) अध्यक्ष, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (ख) सचिव, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (ग) एक महिला प्रतिनिधि, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे;
- (घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रतिनिधि, जिसे चक्रानुक्रम पद्धति से, एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे:
- परंतु यह कि इस उपखंड के उद्देश्य से प्रत्येक महाविद्यालय के लिए आरक्षण की श्रेणी का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा पचीं निकालकर किया जाएगा;
- (ङ) प्रत्येक कक्षा से एक छात्र प्रतिनिधि, जिसे उस कक्षा के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्रों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा;
- (च) निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक छात्र, जिन्हें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नामित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तथा निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयनित किए जाएँगे; तथा
- (छ) छात्र परिषद् के समन्वयक के रूप में एक वरिष्ठ शिक्षक, जिसे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी एवं एनसीसी अधिकारी - स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।
- (4) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलपति - संरक्षक;
- (ख) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं/अथवा प्रत्येक महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष, जैसा लागू हो;
- (ग) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं/अथवा प्रत्येक महाविद्यालय छात्रसंघ के सचिव/सचिवगण, जैसा लागू हो;
- (घ) विश्वविद्यालय छात्रसंघ की एक महिला प्रतिनिधि;
- (ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक प्रतिनिधि, जिसे विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा अपने बीच से चक्रानुक्रम पद्धति के आधार पर नामित किया जायेगा;
- (च) निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा छात्र मामलों के निदेशक के परामर्श से नामांकित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तथा निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयनित होंगे; तथा
- (छ) निदेशक, छात्र मामले; निदेशक, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा; निदेशक, आजीवन अधिगम एवं विस्तार छात्र परिषद् के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।
- (5) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् की प्रथम बैठक कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न होगी, जिसमें कुलपति द्वारा अनुशासित अन्य अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
- (6) कोई भी छात्र किसी भी छात्रसंघ का सदस्य बनने अथवा सदस्यता बनाए रखने हेतु तभी पात्र होगा, जब वह पूर्णकालिक छात्र के रूप में नामांकित हो।
- (7) चुनाव की अवधि के दौरान, किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के नामांकन सूची में सम्मिलित छात्र के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। साथ ही, किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान का कोई भी छात्र किसी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल से संबद्ध किसी भी संगठन से संबंध नहीं रखेगा। यदि कोई छात्र अथवा उम्मीदवार इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी।
- (8) विश्वविद्यालय छात्रसंघ, प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय के छात्रसंघ तथा विश्वविद्यालय छात्र परिषद्, की बैठकें कितनी बार आयोजित की जाएँगी तथा उनके लिए कितना बजट निर्धारित होगा यह परिणियमों के निर्देशानुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (9) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के छात्र सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र निर्धारित तिथि को संपन्न किया जाएगा। निर्वाचित छात्र सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से प्रभावी होगा और शैक्षणिक वर्ष की अंतिम तिथि तक रहेगा, जब तक कि वह अधिनियम या परिणियमों में निर्दिष्ट कोई अपात्रता प्राप्त नहीं कर लेते।
- (10) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग कोरम होगा। बैठकों के संचालन की प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित विषय परिणियमों के निर्देशानुसार निर्धारित किए जाएँगे।
- (11) चुनाव की प्रक्रिया, शक्तियाँ एवं कर्तव्य, निर्वाचन संचालन प्राधिकरण, चुनाव संचालन प्रणाली, उम्मीदवारों एवं निर्वाचन प्रशासकों के लिए आचार संहिता परिणियमों के निर्देशानुसार निर्धारित की जाएगी।
- (12) यदि कोई गंभीर अराजकता अथवा कोई आपराधिक कृत्य घटित होता है, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त अपराध की सूचना यथाशीघ्र, परंतु अपराध के घटित होने के 12 घंटों के भीतर, पुलिस को दी जाएगी।

78 भवन एवं कार्य समिति

- (1) विश्वविद्यालय में विभिन्न लघु एवं बृहत् आधारभूत संरचना के विकास कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से संपन्न करने हेतु एक भवन एवं कार्य समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) भवन एवं कार्य समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) वित्त परामर्शी;
 - (घ) भवन निर्माण विभाग के उस जिले के अभियंता, जिसमें विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित है, अथवा उनके द्वारा नामित एक अधिकारी, जो उस जिले में कार्यरत हो तथा सहायक अभियंता से अन्यून हो;
 - (ङ) एक प्रतिष्ठित अभियंता, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (च) एक प्रख्यात वास्तुकार, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (छ) कुलसचिव;
 - (ज) वित्त पदाधिकारी; तथा
 - (झ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन - सदस्य सचिव।
- (3) समिति के सभी पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य पाँच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा वह लगातार दूसरी बार उसी पद हेतु पुनः नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे।
- (4) यदि किसी सदस्य के पद पर कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उक्त रिक्ति कुलपति द्वारा एक माह के भीतर भरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस अवधि के शेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा, जिसके लिए पूर्व सदस्य पदासीन रहता यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती।
- (5) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कुल सदस्यों का आधा होगा।
- (6) भवन एवं कार्य समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:-
 - (क) कुलपति के निर्देशन एवं समग्र पर्यवेक्षण में भवन निर्माण विभाग की एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित एजेंसी के माध्यम से कराए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य कार्यान्वित कर सकेगी;
 - (ख) बजटीय निधियों की उपलब्धता की सीमा में रख-रखाव के कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी;
 - (ग) सभी लघु एवं बृहत् निर्माण कार्यों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की अनुशंसा सिंडिकेट से प्राप्त करेगी; तथा
 - (घ) आगामी वर्ष में निष्पादित किए जाने वाले 'कार्यों के कार्यक्रम' तैयार कर वित्त एवं लेखा समिति के माध्यम से सिंडिकेट को अनुशंसा करेगी, जिसमें रख-रखाव के कार्य, बृहत् कार्य एवं लघु कार्य पृथक रूप से निर्दिष्ट होंगे।
- (7) भवन एवं कार्य समिति परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

79 शुल्क निर्धारण समिति

- (1) स्वायत्त महाविद्यालयों एवं स्वायत्त संकुल संस्थानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित प्रत्येक स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की वास्तविक शिक्षण लागत का निर्धारण करने हेतु एक शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) शुल्क निर्धारण समिति, अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुशंसित एवं शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित सभी पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों (नियमित या स्व-वित्तपोषित) के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य फीस एवं शुल्कों का निर्धारण करेगी।
- (3) शुल्क निर्धारण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 - (ख) सम्बंधित संकाय के अधिष्ठाता;
 - (ग) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव का प्रतिनिधि, जो सरकार में संयुक्त सचिव अन्यून होगा;
 - (घ) कुलपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ, जो अधिमानतः चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किंतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा इसके अधीनस्थ किसी भी संस्थान से संबद्ध न हो;
 - (ङ) कुलपति द्वारा नामित एक विधि विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा इसके अधीनस्थ किसी भी संस्थान से संबद्ध न हो; तथा
 - (च) कुलसचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप-कुलसचिव से निम्नतर पद का नहीं होगा - सदस्य सचिव।
- (4) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कुल सदस्यों का आधा होगा।
- (5) समिति के सभी सदस्य पाँच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा वह लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे।
- (6) उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार शुल्क निर्धारण एवं विनियमन हेतु एक वैधानिक तंत्र विकसित कर सकती है, जो विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों पर बाध्यकारी होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (7) शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित तथा अंततः शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित विभिन्न पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य फीस एवं शुल्क सामान्य रूप से लागू होंगे।
- (8) समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी, जिसमें वह अधिनियम/नियम/विनियम/ विश्वविद्यालय अध्यादेश द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर शुल्क निर्धारण प्रस्तावों की जाँच एवं विचार-विमर्श करेगी तथा आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें आयोजित कर सकेगी। समिति अगले शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से कम से कम छह माह पूर्व विभिन्न पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं प्रभारों का निर्धारण करेगी।

80 जनसंपर्क समिति

- (1) विश्वविद्यालय की छवि को सुदृढ़ करने, विभिन्न हितधारकों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने तथा आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर प्रभावी संचार सुनिश्चित करने हेतु एक जनसंपर्क समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) जनसंपर्क समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 - (क) कुलपति - अध्यक्ष;

- (ख) प्रति-कुलपति;
 - (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य);
 - (घ) निदेशक, छात्र मामले;
 - (ङ) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय;
 - (च) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय; तथा
 - (छ) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार - सदस्य सचिव।
- (3) समिति की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों का आधा होगा, जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी प्रकार का वक्तव्य, प्रेस विज्ञप्ति अथवा कोई अन्य सामग्री किसी भी मीडिया संगठन अथवा मंच पर जनसंपर्क प्रकोष्ठ की स्पष्ट अनुमति के बिना जारी नहीं की जाएगी।
- (5) समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से अथवा अध्यक्ष की अपेक्षानुसार बुलाई जाएगी।

81 आंतरिक शिकायत समिति

- (1) विश्वविद्यालय अथवा उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में किसी भी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी अथवा छात्र के विरुद्ध यौन उत्पीड़न या अनुचित आचरण की घटनाओं की रोकथाम, निषेध तथा निराकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक निकाय के रूप में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) आंतरिक शिकायत समिति में कुल तेरह सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम सात सदस्य महिलाएँ होंगी। सदस्यों का गठन निम्नानुसार होगा :-
- (क) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की महिला शिक्षक जो प्राध्यापक से निम्नतर पद की न हो - पीठासीन सदस्य;
 - (ख) कुलानुशासक;
 - (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;
 - (घ) विश्वविद्यालय छात्र परिषद् द्वारा नामित दो छात्र, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;
 - (ङ) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम पद्धति से नामित दो विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;
 - (च) विश्वविद्यालय के दो शिक्षकेत्तर कर्मचारी;
 - (छ) बाह्य सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय के बाहर से दो प्रतिष्ठित महिला शिक्षाविद् ; तथा
 - (ज) कुलपति द्वारा नामित एक महिला अधिवक्ता;
- किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय में किसी घटना या हादसे की स्थिति में, इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्य समिति के अंग होंगे:-
- (झ) संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नामित दो शिक्षक, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी; तथा
 - (ञ) संबंधित महाविद्यालय के छात्रसंघ द्वारा नामित दो छात्र, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी।

- (3) इस समिति में सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (4) समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का आधा होगा।
- (5) कुलपति, परिनियम अथवा नियम के निर्देशानुसार बाह्य सदस्यों के लिए भत्ते या बैठक शुल्क का प्रावधान कर सकते हैं।
- (6) आंतरिक शिकायत समिति के दायित्व निम्नलिखित होंगे :-
 - (क) यदि कोई कर्मचारी या छात्र पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्णय लेता है, तो समिति आवश्यक सहायता प्रदान करेगी;
 - (ख) शिकायत लंबित रहने की अवधि में आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, उसकी पहचान गोपनीय रखेगी तथा अनिवार्य राहत जैसे - स्वीकृत अवकाश, उपस्थिति संबंधी नियमों में छूट, किसी अन्य विभाग अथवा पर्यवेक्षक के तहत स्थानांतरण, अथवा आरोपी का स्थानांतरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगी;
 - (ग) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित अथवा गवाहों को प्रताड़ित अथवा भेदभाव का शिकार न बनाया जाए;
 - (घ) किसी कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा संरक्षित गतिविधि में भाग लेने के कारण उनके विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई अथवा प्रतिकूल प्रभाव का निषेध सुनिश्चित करेगी;
 - (ङ) विवाद निवारण और संवाद के तंत्र को विकसित करेगी, ताकि शिकायतकर्ता के अधिकारों से समझौता किए बिना न्यायसंगत और निष्पक्ष सुलह द्वारा घटनाओं को रोका जा सके तथा दंडात्मक उपायों के आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके, जिससे असंतोष, अलगाव अथवा हिंसा जैसी समस्याएँ उत्पन्न न हों;
 - (च) छात्रों एवं कर्मचारियों को उन घटनाओं अथवा गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनाएगी, जिन्हें यौन उत्पीड़न के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है;
 - (छ) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर में उन संवेदनशील समूहों की पहचान करेगी, जो उत्पीड़न के प्रति अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं, एवं उनके लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करेगी;
 - (ज) यौन उत्पीड़न निषेध नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन करेगी तथा इसका प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु नियमित समीक्षाएँ करेगी;
 - (झ) प्रशासकों के लिए उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों का विकास एवं कार्यान्वयन, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित एक अनिवार्य इकाई सम्मिलित होगा;
 - (ञ) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर में उचित रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के साथ परामर्श सेवाओं को संस्थापित करेगी;
 - (ट) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर में महिला कर्मचारियों हेतु विश्वसनीय एवं पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, छात्रावास, प्रयोगशालाएँ तथा मुख्य भवन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी;
 - (ठ) महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं हेतु पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, परिसर सुरक्षा नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करेगी तथा विश्वविद्यालय में महिला विकास प्रकोष्ठ एवं लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम संचालित करेगी;
 - (ड) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य वैधानिक निकायों के प्रासंगिक दिशानिर्देशों एवं नीतियों के अनुरूप नियम एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश तैयार करेगी;

- (ढ) आंतरिक शिकायत समिति के लिए शिकायत दर्ज करने, उसकी सुनवाई एवं निस्तारण की प्रक्रिया हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगी;
- (ण) किसी भी घटना अथवा प्रकरण के अंतरिम एवं अंतिम निवारण हेतु परिणियम अथवा विश्वविद्यालय अध्यादेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार तंत्र विकसित करेगी; तथा
- (त) उत्पीड़कों एवं अगंभीर शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अथवा दंड निर्धारित करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के अलावा, विश्वविद्यालय किसी विशेष कार्य हेतु उपयुक्त शर्तों और सन्दर्भों के साथ समिति/समितियाँ गठित कर सकता है।

अध्याय VI: विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शैक्षणिक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति एवं प्रोन्नति

82 विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त परामर्शी, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति

- (1) वित्त परामर्शी विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे, जिसे कुलाधिपति द्वारा, भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से या भारत सरकार की किसी अन्य लेखा सेवा या झारखण्ड वित्तीय सेवा या किसी अन्य राज्य वित्तीय सेवा के अधिकारियों में से या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल में सम्मिलित किसी फर्म का भागीदार हों, प्रतिनियुक्त या नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह कि, जब तक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वर्तमान पदधारी वित्त परामर्शी के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं।

- (2) वित्त परामर्शी की सेवा के नियम एवं शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी किए जाएंगे तथा वह सामान्यतः पाँच (05) वर्षों तक पद पर बने रहेंगे एवं लगातार कार्यकाल के लिए एक ही विश्वविद्यालय के पात्र नहीं होंगे।
- (3) कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आयोग के माध्यम से पुनर्नियोजन द्वारा, परिणियमों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। उनका कार्यकाल चार (04) वर्ष या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा:

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा-140 के तहत स्थापित एक नए विश्वविद्यालय के मामले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव, प्रथम परीक्षा नियंत्रक और प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को 03 नामों का पैनल उपलब्ध कराएगा।

- (4) उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उप वित्त पदाधिकारी तथा सहायक वित्त अधिकारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा आयोग के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि इस संबंध में परिणियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (5) वित्त पदाधिकारी, उप वित्त पदाधिकारी एवं सहायक वित्त पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति होंगे जो परिणियमों द्वारा निर्धारित अपेक्षित पात्रता मापदंड धारक हों।
- (6) यदि उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, तो वित्त पदाधिकारी, उप वित्त पदाधिकारी एवं सहायक वित्त पदाधिकारी को राज्य

सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से अंतरिम आधार पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

- (7) जब किसी पद पर, इस धारा की उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन नियुक्ति की गई हो, उस स्थिति में यदि राज्य सरकार, किसी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से, उचित जाँच-पड़ताल कर अथवा ऐसी जाँच करवाकर, तथा आवश्यकतानुसार, जिसमें ऐसे व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करना भी सम्मिलित है जिसकी नियुक्ति प्रभावित होने की संभावना हो, संतुष्ट होती है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई उक्त नियुक्ति उस समय प्रचलित विधि के अनुसार नहीं की गई थी, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, तथा सेवा की शर्तों से संबंधित अनुबंध में विपरीत प्रावधानों के होते हुए भी, कुलपति को निर्देश दे सकती है कि वह उस व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर दे। कुलपति ऐसे निर्देश का तात्कालिक पालन करेगा। ऐसी पदच्युति संबंधित व्यक्ति को एक माह की पूर्व सूचना देकर की जाएगी अथवा ऐसी सूचना के स्थान पर एक माह का वेतन देकर की जाएगी। ऐसी पदच्युति के पश्चात, कुलपति उक्त पद के लिए नवीन चयन प्रक्रिया आरंभ करेगा। जिस व्यक्ति की नियुक्ति को इस उप-धारा के अधीन समाप्त किया गया है, वह पुनः उसी पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते कि वह व्यक्ति नए आवेदन करने के समय विनिर्दिष्ट निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करता हो।
- (8) उप-धारा (7) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा और आदेश की एक प्रति कुलपति द्वारा उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी।
- (9) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात किसी भी अवधि के लिए विश्वविद्यालय की निधि से वेतन या भत्ते के रूप में कोई भी भुगतान नहीं किया जाए तथा ऐसा भुगतान करने या उसे प्राधिकृत करने वाला कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी विश्वविद्यालय को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (10) उपर्युक्त सभी पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पद रिक्त होने की संभावित तिथि से कम से कम छह माह पूर्व प्रारंभ होगी और रिक्ति होने की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

83 विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और कुलानुशासक की नियुक्ति

- (1) विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं/ संकायाध्यक्षों, निदेशक, विभागाध्यक्ष और कुलानुशासक का चयन कुलपति द्वारा परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। उनकी वरिष्ठता एवं पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु यह कि निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-32 में विनिर्दिष्ट रीति से की जायेगी तथा निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र की नियुक्ति, धारा-26 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

- (2) विश्वविद्यालय अपने सभी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का संधारण करेगा, जिसमें उनके पदों का वर्गीकरण प्राध्यापक, सह प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के रूप में किया जायेगा।
- (3) मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक का कार्यालय, अधिष्ठाताओं, निदेशक, विभागाध्यक्ष और कुलानुशासक के प्रत्येक पद के लिए, परिनियमों में निर्धारित पात्रता मापदंडों और प्रावधानों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, दस्तावेजों की प्रारंभिक जाँच भी करेगा।

- (4) इसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक का कार्यालय प्रत्येक पद के लिए आवेदकों की वरियता के अनुसार उनकी सूची तैयार करेगा।
- (5) कुलपति आवेदकों में से सक्षम व्यक्ति का चयन करेंगे तथा संबंधित पदों के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- (6) उपर्युक्त सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया पद रिक्त होने की संभावित तिथि से कम से कम तीन महीने पहले शुरू होगी और रिक्ति होने की संभावित तिथि से कम से कम एक महीने पहले पूर्ण हो जाएगी। उपर्युक्त पदों के चयन की प्रक्रिया शुरू करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व होगा।
- (7) विश्वविद्यालय अपने स्वयं के स्रोतों से कुलानुशासक और/या निदेशक के पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त परिलब्धियां या भत्ते प्रदान कर सकता है।

84 शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति

- (1) विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी नियुक्तियां और प्रोन्नतियां आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों में निर्धारित तरीके से की जाएंगी।
- (2) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रारम्भ में झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के 12 माह के अनिवार्य प्रशिक्षण सहित दो (02) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि परिनियमों में निर्धारित है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर, निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, संबंधित शिक्षक का प्रदर्शन प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उसे मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि उनकी सेवा संपुष्टि हेतु सिंडिकेट को अनुशंसा की जा सके।
- (3) शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जनवरी से प्रारंभ होकर 30 जून तक पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समयबद्ध चयन एवं नियुक्ति हेतु आयोग के साथ समन्वय करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व होगा।
- (4) आगामी वर्ष के लिए रोस्टर तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकों की कुल रिक्तियों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए रोस्टर को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ताकि परिनियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जा सके।
- (5) मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड द्वारा गठित चयन/स्क्रीनिंग समिति, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आयोग को, परिनियमों में निर्धारित पद्धति से, अनुशंसाएँ करेगी। चयन समिति और स्क्रीनिंग समिति की संरचना वैसी ही होगी, जैसा कि परिनियमों में निर्धारित हो।
- (6) प्रत्येक चयन समिति की बैठक की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक के कम से कम तीस दिन पहले सूचित किया जा सके।
- (7) प्रोन्नति की प्रक्रिया इस अधिनियम और निर्धारित परिनियमों/विश्वविद्यालय अध्यादेशों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित की जानी चाहिए।
- (8) जब किसी पद पर उप-धारा (2) के अधीन नियुक्ति की गई हो, उस स्थिति में यदि राज्य सरकार, किसी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से, उचित जाँच-पड़ताल कर अथवा ऐसी जाँच करवाकर, तथा आवश्यकतानुसार, जिसमें ऐसे व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करना भी सम्मिलित है जिसकी नियुक्ति प्रभावित होने की संभावना हो, संतुष्ट होती है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई उक्त नियुक्ति उस समय प्रचलित विधि के अनुसार नहीं की गई थी, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, तथा सेवा की शर्तों से संबंधित अनुबंध में विपरीत प्रावधानों के होते हुए भी, कुलपति को निर्देश दे सकती है कि वह उस व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर दे। कुलपति ऐसे निर्देश का तात्कालिक पालन करेगा। ऐसी पदच्युति

संबंधित व्यक्ति को एक माह की पूर्व सूचना देकर की जाएगी अथवा ऐसी सूचना के स्थान पर एक माह का वेतन देकर की जाएगी। ऐसी पदच्युति के पश्चात, कुलपति उक्त पद के लिए नवीन चयन प्रक्रिया आरंभ करेगा। जिस व्यक्ति की नियुक्ति को इस उप-धारा के अधीन समाप्त किया गया है, वह उसी पद के लिए पुनः आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते कि वह व्यक्ति नए आवेदन करने के समय विनिर्दिष्ट निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

- (9) उप-धारा (8) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा और आदेश की एक प्रति-कुलपति द्वारा उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर संबंधित शिक्षक को प्रेषित की जाएगी।
- (10) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात किसी भी अवधि के लिए विश्वविद्यालय की निधि से वेतन या भत्ते के रूप में कोई भी भुगतान नहीं किया जाए तथा ऐसा भुगतान करने या उसे प्राधिकृत करने वाला कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी विश्वविद्यालय को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

85 विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

- (1) अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।
- (2) अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पद की रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम छह माह पूर्व आरम्भ होगी तथा रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण की जाएगी।

86 विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

- (1) विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ और प्रोन्नतियाँ, विश्वविद्यालय द्वारा आयोग की अनुशंसा पर की जाएंगी, जैसा कि इस संबंध में बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (2) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को प्रारंभ में झारखण्ड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के 12 माह के अनिवार्य प्रशिक्षण सहित दो (02) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि परिनियमों में निर्धारित है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर, निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन संबंधित कर्मचारी का प्रदर्शन प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उसे मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि उनकी सेवा संपुष्टि हेतु सिंडिकेट को अनुशंसा की जा सके।
- (3) आगामी वर्ष के लिए रोस्टर तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कुल रिक्तियों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए रोस्टर को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ताकि परिनियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।
- (4) विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होगी और 31 दिसंबर तक पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए आयोग के साथ समन्वय करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व होगा।
- (5) संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों उन लाभों का दावा नहीं कर सकेंगे जो नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी को प्राप्त होते हैं।
- (6) मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड प्रोन्नति हेतु पात्र शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा तथा उक्त सूची को सिंडिकेट का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर आयोग को प्रेषित करेगा।

87 अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस

- (1) जहाँ त्यागपत्र, अवकाश अथवा रिक्ति या अन्य कारण से उत्पन्न विश्वविद्यालय के शिक्षण या शिक्षकेत्तर कर्मचारी की अस्थायी रिक्त पद के लिए नियुक्ति की जानी है, वहाँ विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या राज्य सरकार के आदेश द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय, परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस सहित सहायक शिक्षक की नियुक्ति कर सकता है।
- (3) विश्वविद्यालय का कोई भी संविदा कर्मचारी या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किसी भी मामले में सेवा के नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा।

88 पदों का सृजन

- (1) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात राज्य सरकार केवल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए शिक्षण तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगी।
- (2) संबद्ध महाविद्यालयों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से पदों का सृजन करने की स्वायत्तता होगी तथा ऐसे पदों के लिए राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

89 पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति

- (1) विश्वविद्यालय के सभी मौजूदा या नवनियुक्त अधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को झारखण्ड राज्य के भीतर किसी भी विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय में स्थानांतरित या प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:

परन्तु यह कि किसी भी परिवीक्षाधीन शिक्षक को अंतः या अन्तर्विश्वविद्यालय स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के लिए विचारित नहीं किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी।

- (2) उन्हें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार या उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संलग्न राज्य सरकार के किसी संगठन/निकाय में भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
- (3) इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किसी भी सार्वजनिक विश्वविद्यालय/संगठन/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय में प्रतिनियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन से परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से अनुमति दी जा सकती है।
- (4) विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में की जाएगी।
- (5) स्थानांतरण और पदस्थापन को स्वीकृति देते समय विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि:-
 - (क) ग्रामीण और दूरस्थ के क्षेत्रों में अवस्थित अंगीभूत महाविद्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी है;
 - (ख) स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए तंत्र या प्रावधान, जैसा कि परिनियमों या विश्वविद्यालय अध्यादेशों में उल्लिखित है; तथा
 - (ग) स्थानांतरण के स्थान से शैक्षणिक गतिविधि अप्रभावित रहेगी या न्यूनतम रूप से प्रभावित होगी।
- (6) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन, परिनियमों के यथाविहित रीति के अनुसार की जाएगी।

- (7) राज्य सरकार को कर्मचारियों के अन्तर्विश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करने, उन्हें स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का विशेष अधिकार होगा।

90 सेवा की शर्तें

- (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक वेतनभोगी अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के किसी विभाग में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक, उन अधिकारियों और शिक्षकों को छोड़कर जो भारत में लोक सेवाओं के सदस्य हैं और जिनकी सेवाएँ विश्वविद्यालय को प्रदान की गई हैं, एक लिखित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाएँगे, जो विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास दर्ज की जायेंगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या शिक्षक को दी जाएगी। विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक, किसी प्रतिकूल समझौते के अभाव में, परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होगा।
- (2) विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह धारा 89(2) और धारा 89(3) में उल्लिखित अधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे।
- (3) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को परिनियमों द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों का पालन करना होगा।

91 सेवानिवृत्ति

- (1) अधिनियम के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु, जैसा की परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (2) विश्वविद्यालय किसी भी कर्मचारी को, जिसने अपनी नियुक्ति की तारीख से कुल 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के बाद विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता कर सकता है, यदि विश्वविद्यालय का मानना है कि उसका आचरण या दक्षता ऐसी है, जो उसे सेवा में बने रहने का औचित्य नहीं देती है।
- (3) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के पश्चात, ऐसी तारीख से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकेगा, जिस तारीख को ऐसे कर्मचारी ने 32 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या 52 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो, जैसा की परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया हो:

परन्तु यह कि निलंबन आदेश के अधीन विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नहीं होगा।

92 पदच्युति

- (1) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, परिनियमों में निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के लिए निषिद्ध होगा:-
- (क) किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या शरारत या आपराधिक अतिक्रमण या आपराधिक बल के प्रदर्शन में शामिल होना या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है; या संस्थान परिसर के अंदर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना;
- (ख) सौंपे गए शैक्षणिक या प्रशासनिक या वित्तीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय असंतोषजनक प्रदर्शन करना; या
- (ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या भारत सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी रूप में कार्य या गतिविधियाँ करना; या
- (घ) राज्य या केंद्र सरकार के किसी कानून के तहत दोषसिद्धि प्राप्त करना; या

- (ड) वित्तीय हेराफेरी में सम्मिलित होना; या
- (च) किसी ऐसे संगठन का सदस्य होना या उससे संबद्ध होना जो राजनीति में भाग लेता हो, या विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग ले रहा हो या उसकी सहायता कर रहा हो;
- स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई दल राजनीतिक दल हो, या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता हो, या कोई आंदोलन या गतिविधि इस उप-खंड के दायरे में आती हो, उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा;
- (छ) ट्यूशन, कोचिंग या परामर्श गतिविधियों जैसी व्यावसायिक शिक्षा सेवाएं प्रदान करने में लगे किसी संगठन या संस्था या कानूनी इकाई का संचालन करना, उसका स्वामित्व रखना, उसमें सम्मिलित होना या उसमें भाग लेना; तथा
- (ज) परिनियमों में उल्लिखित सेवा शर्तों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना।
- (2) यदि कोई कर्मचारी उपर्युक्त गतिविधियाँ करता हुआ पाया जाता है, तो उसे, परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा नियमों के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन, सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है:
- परन्तु यह कि, किसी भी कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी और कोई भी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगी।
- (3) ऐसे कर्मचारी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों जैसा लागू हो, के तहत उचित कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

93 अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई

- (1) विश्वविद्यालय या उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के सभी कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके बाद बनाए गए नियमों या जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने का तात्पर्य रखते हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 28 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो जनता या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह ऐसा करने की संभावना रखता है, किसी संपत्ति को नष्ट करता है, या किसी संपत्ति या उसकी स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, या उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, शरारत करता है या किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा।

अध्याय VII: प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन तथा छात्रों से संबंधित अन्य मामले

94 प्रवेश

- (1) राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों में मेधा के आधार पर नामांकन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तथा *अधिकारिक राजपत्र* में प्रकाशित नियमों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेशों, यदि कोई हो, के अनुसार लिया जाएगा:

परन्तु यह कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में विद्यार्थियों के हित में आदर्श नियम बनाए गए हैं, वहाँ विश्वविद्यालय उसे अंगीकृत करेगा तथा ऐसे नियम विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व प्रकाशित किए जाएंगे।

- (2) इसके अतिरिक्त, अनुशासन बनाए रखने हेतु संबंधित प्राधिकारी को किसी भी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश बिंदु को छोड़कर, किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी।

95 प्रवेश से संबंधित विवाद

विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सभी विवादों का निपटारा, धारा 100 के अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा।

96 परीक्षा और मूल्यांकन

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व विश्वविद्यालय, जहाँ कहीं भी लागू हो, स्वयं द्वारा या अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक संचालित पाठ्यक्रम के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम तैयार करेगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में इसे प्रकाशित करेगा तथा उक्त कार्यक्रम का सख्ती से पालन करेगा। ऐसा न करने पर, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी को तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को एक तर्कपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश या निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे:

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय अपने नियंत्रण से परे कारणों और परिस्थितियों के कारण उक्त कार्यक्रम का पालन करने में असमर्थ है तो वह यथाशीघ्र राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रकाशित कार्यक्रम से विचलित होने के विस्तृत कारण उल्लेखित होंगे।

97 परीक्षाफल की घोषणा

विश्वविद्यालय अपने द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के परिणाम उस विशेष पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की अंतिम तिथि से तीस दिन के भीतर घोषित करने का प्रयास करेगा और किसी भी स्थिति में पैंतालीस दिन के भीतर परिणाम घोषित करेगा:

परन्तु यह कि, यदि किसी भी कारण से, विश्वविद्यालय उपरोक्त पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के परिणामों को अंतिम रूप से घोषित करने में असमर्थ रहता है, तो परीक्षा नियंत्रक ऐसी विलंब के कारणों को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगा और इसे कुलपति के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इस संबंध में राज्य सरकार का निर्देश अंतिम और बाध्यकारी होगा।

98 परीक्षा और मूल्यांकन अनुसूची के साथ गैर अनुपालन के लिए अमान्य नहीं होंगे

किसी भी परीक्षा या मूल्यांकन या परीक्षा के परीक्षाफल या मूल्यांकन को केवल इस कारण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 96 और 97 में निर्धारित कार्यक्रम का पालन नहीं किया है।

99 खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ

विश्वविद्यालय उचित अध्यादेश और नियम बनाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल, संस्कृति और अन्य सभी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अपने विभाग, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए छात्रों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर, केवल खुली योग्यता प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाए, किसी अन्य आधार पर नहीं।

अध्याय-VIII: छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतें

100 छात्र शिकायत निवारण समिति

- (1) छात्रों की शिकायतों के समाधान और ऐसी शिकायतों को कम करने व रोकने के विभिन्न तरीकों व उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर छात्र शिकायत निवारण समिति होगी। छात्र शिकायत निवारण समिति की कार्यप्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत

निवारण) विनियम, 2023, या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- (2) छात्र शिकायत निवारण समिति को चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण का भी दायित्व सौंपा जाएगा, जिसमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव संबंधी व्यय से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-
 - (क) निदेशक, छात्र मामले – अध्यक्ष;
 - (ख) कुलसचिव – सदस्य;
 - (ग) कुलपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित विश्वविद्यालय के पाँच प्राध्यापक;
 - (घ) विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के दो विद्यार्थी-एक छात्र और एक छात्रा, जिन्हें प्रति-कुलपति द्वारा नामित किया गया हो;
 - (ङ) कुलानुशासक - सदस्य सचिव;
 - (च) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई विशेष आमंत्रित व्यक्ति;
- (3) महाविद्यालय स्तर पर छात्र शिकायत निवारण समिति की संरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023, या वर्तमान में लागू किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (4) विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
- (5) बैठक के लिए अध्यक्ष सहित, परंतु विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़कर, कोरम छह सदस्यों पर निर्धारित की जाएगी।
- (6) अपने समक्ष आई शिकायतों पर विचार करते समय, छात्र शिकायत निवारण समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
- (7) छात्र शिकायत निवारण समिति अपनी अनुशंसा, यदि कोई हो, के साथ प्रतिवेदन संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर भेजेगी।
- (8) अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, छात्र शिकायत निवारण समिति आचार संहिता या समिति के निर्णयों के किसी भी पहलू या समिति के निर्णयों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चला सकती है। छात्र शिकायत निवारण समिति मूल अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के रूप में कार्य करेगी।
- (9) कुलपति को उन सभी मामलों या विवादों में, जो चुनावों के संचालन से उत्पन्न होते हैं और जिनमें छात्र शिकायत निवारण समिति ने अंतिम निर्णय दिया है, कानून और तथ्य के मुद्दों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। समीक्षा के बाद, कुलपति छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
- (10) प्रत्येक विश्वविद्यालय समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के शिकायत निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगा।
- (11) शिकायतों से निपटने के लिए कर्तव्य और प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत निवारण) विनियम, 2023 में निर्धारित अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

101 कर्मचारी शिकायत निवारण समिति

- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के समूह में एक कर्मचारी शिकायत निवारण समिति होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सभी प्रकार की शिकायतों से निपटेगी:

परन्तु यह कि, यदि विश्वविद्यालयों के एक समूह में एक सामान्य कर्मचारी शिकायत निवारण समिति है, तो अनुसूची-II या अनुसूची-III में उल्लिखित अपनी स्थापना के आधार पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय, समिति का मुख्यालय होगा।

- (2) प्रत्येक विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव से अन्यून अधिकारी की अध्यक्षता में एक कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी:

परन्तु यह कि, यदि विश्वविद्यालयों के एक समूह में एक सामान्य कर्मचारी शिकायत निवारण समिति है तो अनुसूची-II या अनुसूची-III में उल्लिखित अपनी स्थापना के आधार पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण समिति को प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा।

- (3) कर्मचारी शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) जिला न्यायाधीश के पद से अन्यून सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवक्ता, जिसके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो - अध्यक्ष;

(ख) राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवक्ता जिसे राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने का पूर्व अनुभव हो - सदस्य;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त झारखण्ड वित्तीय सेवा के उप सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त अधिकारी - सदस्य;

(घ) राज्य सरकार के उप सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त अधिकारी जो जिन्हें प्रशासनिक एवं कार्मिक संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण अनुभव हो - सदस्य; तथा

(ङ) किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 07 वर्षों का शिक्षण अनुभव रखने वाले सहायक प्राध्यापक को समिति के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा; तथा

(च) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी आमंत्रित व्यक्ति;

- (4) समिति में उप-धारा 3 (क) से (घ) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्यों की नियुक्ति तथा 3 (ङ) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्यों की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए परिनियमों में यथाविहित रीति से की जाएगी।

- (5) समिति के नियुक्त एवं प्रतिनियुक्त सदस्य ऐसे वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे, जिसे राज्य सरकार के द्वारा परिनियमों में निर्धारित किए जाए।

- (6) कर्मचारी शिकायत निवारण समिति महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी तथा समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों से निर्धारित की जाएगी जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा आमंत्रित सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

- (7) कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, शिकायत दर्ज होने की तिथि से तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार जहाँ तक व्यवहारिक हो शिकायतों की सुनवाई, निष्पादन और निर्णय करेगी।

- (8) कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शिकायतों पर विचार करे और दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उन पर निर्णय ले।

- (9) कोई भी नियुक्त सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या त्यागपत्र की तिथि या तीस दिन की समाप्ति की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नहीं कर सकेगा।
- (10) राज्य सरकार समिति के किसी भी पद की रिक्ति को 30 (तीस) दिनों की अवधि के अंदर भरेगी। रिक्ति के अभाव में समिति का कोरम और बैठकें प्रभावित नहीं होंगी।

102 कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण

- (1) इस अधिनियम द्वारा शासित राज्य स्तर पर कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण होगा जो कर्मचारी शिकायत निवारण समिति द्वारा न्यायनिर्णित किसी मामले की समीक्षा और निष्पादन के लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा।
- (2) न्यायाधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-
 - (क) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति - अध्यक्ष;
 - (ख) राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवक्ता जिसके पास राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने में कम से कम 10 वर्षों का पूर्व अनुभव हो - सदस्य;
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त झारखण्ड वित्तीय सेवा के संयुक्त सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त अधिकारी - सदस्य;
 - (घ) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें, प्रशासनिक और कार्मिक संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण अनुभव हो - सदस्य;
 - (ङ) किसी भी विश्वविद्यालय से एक प्राध्यापक या सह प्राध्यापक को समिति के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा; तथा
 - (च) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी आमंत्रित व्यक्ति;
- (3) न्यायाधिकरण में, इस धारा की उप-धारा 2 (क) से (घ) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्यों की नियुक्ति तथा उप-धारा 2 (ङ) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्यों की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, परिनियमों में यथाविहित रीति से की जाएगी।
- (4) न्यायाधिकरण की बैठक का कोरम दो सदस्यों का होगा, जिसमें आमंत्रित सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष की अनिवार्य उपस्थिति होगी।
- (5) न्यायाधिकरण के नियुक्त एवं प्रतिनियुक्त सदस्य ऐसे वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे, जिसे राज्य सरकार के द्वारा परिनियमों में निर्धारित किए जाएं।
- (6) राज्य सरकार न्यायाधिकरण को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।
- (7) कोई भी नियुक्त सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या त्यागपत्र की तिथि या तीस दिन की समाप्ति की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नहीं कर सकेगा।
- (8) राज्य सरकार न्यायाधिकरण के किसी भी पद की रिक्ति को 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर भरेगी। रिक्ति के अभाव में न्यायाधिकरण का कोरम एवं बैठकें प्रभावित नहीं होंगी।

103 कर्मचारी को अपील का अधिकार

- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या अनुबंध में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा शासित विश्वविद्यालय या इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन महाविद्यालयों का कोई कर्मचारी, जिसे पदच्युत

किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवाएं अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं या जिसे अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या जिसकी रैंक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घटा दी जाती है और जो व्यथित है, उसे अपील का अधिकार होगा और ऐसे किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील न्यायाधिकरण में की जा सकेगी:

परंतु यह कि, ऐसी कोई अपील न्यायाधिकरण में किसी ऐसे मामले नहीं होगी जहाँ मामला इस अधिनियम के प्रवृत्त होनी की तिथि से पहले ही निर्धारित हो चुका है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है या जहाँ बर्खास्तगी, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रैंक में कमी का आदेश इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले किसी भी समय पारित किया गया था।

- (2) कर्मचारी द्वारा, बर्खास्तगी, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रैंक में कमी के आदेश या कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के निर्णय, जैसा भी मामला हो, की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर न्यायाधिकरण में अपील की जाएगी।

104 कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तियाँ और प्रक्रिया

- (1) कर्मचारी शिकायत निवारण समिति इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों हेतु शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नांकित मामलों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-
- (क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जाँच करना;
- (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज़ या अन्य भौतिक वस्तु की खोज एवं प्रस्तुति की आवश्यकता;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) सार्वजनिक अभिलेखों की माँग;
- (ङ) गवाहों की जाँच के लिए कमीशन जारी करना;
- (च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; तथा
- (छ) कोई अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (2) अपीलों की सुनवाई एवं निष्पादन के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अपीलीय न्यायालय में निहित हैं तथा उसे किसी ऐसे आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी शर्तों पर, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, तथा ऐसी अन्य शक्तियों पर, जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जाएं, रोकने की शक्ति होगी।
- (3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपने समक्ष की गई अपील पर विचार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
- (4) प्रत्येक अपील के साथ परिनियमों द्वारा निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।

105 न्यायाधिकरण की उचित राहत और निर्देश देने की शक्तियाँ

- (1) अपील प्राप्त होने पर, जहाँ न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि अपील धारा 101 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित नहीं

है या वह आगे बनाए रखने योग्य नहीं है, या विश्वविद्यालय या प्रबंधन के आदेश या कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह अपील को निरस्त कर सकता है।

- (2) जहां न्यायाधिकरण, दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, किसी अपील में यह निर्णय लेता है कि पदच्युत करने, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रैंक में कमी का आदेश, या कर्मचारी शिकायत निवारण समिति का निर्णय, किसी कानून, अनुबंध या तत्समय प्रवृत्त सेवा की शर्तों के उल्लंघन में था या अन्यथा अवैध या अनुचित था, वहाँ न्यायाधिकरण, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के आदेश या कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के निर्णय को, जैसा भी मामला हो, आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर सकता है और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को निर्देश दे सकता है कि:-
- (क) कर्मचारी को उसी पद पर या निम्न पद पर बहाल करना, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है;
- (ख) कर्मचारी को उस रैंक पर जो उसने पदावनति से पहले धारण किया था या किसी निम्न पद पर बहाल करना जैसा कि विनिर्दिष्ट हो;
- (ग) कर्मचारी को वेतन निर्धारण सहित परिलब्धियों, बकाया राशि और अन्य मौद्रिक लाभों की प्रदेय राशि उस अवधि के लिए देना जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है;
- (घ) बर्खास्तगी, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रैंक में कमी, जैसी भी स्थिति हो, के बदले में ऐसी कम सजा देने के लिए, जो वह निर्दिष्ट कर सकती है;
- (ङ) जहाँ यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी को पुनः बहाल नहीं किया जाएगा या किसी अन्य समुचित मामले में कर्मचारी को ऐसी राशि दी जाएगी, जो छह महीने के लिए उसके वेतन से अधिक न हो, मुआवजे के रूप में, रोजगार की हानि और उसके बाद उपयुक्त रोजगार मिलने या न मिलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है; तथा
- (च) कर्मचारी को ऐसी अन्य राहत देने तथा ऐसी अन्य शर्तों का पालन करने के लिए जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट कर सकता है।
- (3) न्यायाधिकरण के लिए यह वैध होगा कि वह विश्वविद्यालय को यह अनुशंसा करे कि उसके द्वारा निर्देशित कोई भी बकाया राशि का भुगतान कर्मचारी को किया जाए।
- (4) उप-धारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा जारी कोई भी निर्देश लिखित रूप में दोनों पक्षों को संसूचित किया जाएगा और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा निर्देश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसका अनुपालन किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से दो माह से कम नहीं होगी।

106 न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा

तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या अनुबंध में किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण द्वारा ग्रहण की गई और निपटाई गई अपील पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा एवं कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पर बाध्यकारी होगा, चाहे जैसा भी मामला हो, तथा न्यायाधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी न्यायालय में या किसी अन्य न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद, अपील या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

107 न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालय पर जुर्माना

- (1) यदि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जैसा भी मामला हो, किसी भी उचित कारण के बिना, धारा 106 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में निर्देश में निर्दिष्ट

अवधि के भीतर या न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर विफल रहता है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जैसा भी मामला हो, दोषसिद्धि पर दंडित किया जाएगा-

(क) प्रथम उल्लंघन के लिए जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है:

परन्तु जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष और पर्याप्त कारण न्यायाधिकरण के निर्णय में दर्ज न किए गए हों, जुर्माना दस हजार रुपये से कम नहीं होगा; तथा

(ख) दूसरे और उसके बाद के उल्लंघन के लिए, प्रत्येक उल्लंघन के लिए पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है:

परन्तु यदि, न्यायाधिकरण के निर्णय में इसके प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारण दर्ज न हों, जुर्माना पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि जब न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन निर्देश में निर्धारित अवधि के भीतर या न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तथा जब उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, तो दोषी व्यक्ति को दोषसिद्धि के पश्चात् उक्त उल्लंघन की निरंतर अवधि तक दो हजार रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(2) (क) इस धारा के अधीन उल्लंघन करने वाला विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जैसा भी मामला हो, एक सोसाइटी है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा उल्लंघन किए जाने के समय सोसाइटी के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी था एवं सोसाइटी कार्यों के लिए जिम्मेवार था, को और साथ में सोसाइटी को भी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का पात्र होगा:

परन्तु इस उप-धारा में निहित कोई बात किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सतर्कता बरती थी।

(ख) इस धारा की उप-धारा (2)(क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उल्लंघन किसी सोसायटी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि उल्लंघन विश्वविद्यालय या सोसायटी के किसी मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, प्रधानाचार्य या प्रबंधक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहमति या मिलीभगत से या उनकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसे मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, प्रधानाचार्य या प्रबंधक या अन्य संबंधित अधिकारी या कर्मचारी उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे एवं तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंडित किया जा सकेगा।

अध्याय-IX: संबद्धता एवं मान्यता के लिए अनुमति

108 संबद्धता और मान्यता के लिए शर्तें

(1) संबद्धता या मान्यता के लिए आवेदन करने वाला प्रबंधन, जिसके महाविद्यालय या संस्थान को संबद्धता या मान्यता प्रदान की गई है, के निम्नलिखित शपथ पत्र देंगे और शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात् :-

(क) अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों तथा विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के स्थायी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी;

- (ग) उपयुक्त और पर्याप्त भौतिक सुविधाएं जैसे भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पुस्तकें, शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास, व्यायामशाला, सीसीटीवी, सुरक्षा प्रणाली आदि, जैसा कि परिनियमों द्वारा उल्लिखित किया गया हो, उपलब्ध कराई जा सकेगी;
- (घ) महाविद्यालय या संस्था के वित्तीय संसाधन ऐसे होंगे कि उसके निरंतर रखरखाव और संचालन के लिए समुचित प्रावधान किया जाएगा;
- (ङ) संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या और योग्यताएँ तथा संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों की परिलब्धि एवं सेवा शर्तें विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेंगी और जो अध्ययन, शिक्षण या प्रशिक्षण या अनुसंधान के पाठ्यक्रमों के लिए कुशलतापूर्वक समुचित प्रावधान करने के लिए पर्याप्त होंगी;
- (च) संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवाएँ एवं महाविद्यालय की सुविधाएँ यथा परीक्षाएँ आयोजित करने, मूल्यांकन करने तथा विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी;
- (छ) इस अधिनियम, परिनियमों और विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा आदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाएगा;
- (ज) विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना महाविद्यालय या संस्थान के प्रबंधन में कोई परिवर्तन या स्थानांतरण या महाविद्यालय या संस्थान का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा-
- (i) विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना महाविद्यालय या संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा; तथा
- (ii) महाविद्यालय या संस्थान की संबद्धता या मान्यता रद्द होने या बंद होने की स्थिति में, प्रबंधन, महाविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् एवं सीनेट के द्वारा प्रबंधन से वसूली जाने वाली क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजे के संबंध में किए गए निर्णय का पालन करेगा और उसे क्रियान्वित करेगा;
- (झ) किसी भी महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, संबद्धता या मान्यता के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि मूल विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया गया हो।
- नये महाविद्यालय खोलने या नये पाठ्यक्रम, विषय, संकाय प्रभाग के लिए अनुमति की प्रक्रिया; संबद्धता की प्रक्रिया; संस्थाओं की मान्यता की प्रक्रिया; निजी शिक्षा प्रदाता की मान्यता की प्रक्रिया; संबद्धता या मान्यता की निरंतरता एवं विस्तार; स्थायी संबद्धता और मान्यता; महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन; महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन; प्रबंधन का हस्तांतरण; संबद्धता या मान्यता की वापसी; संबद्ध महाविद्यालय को बंद करने के संबंध में प्रावधानों का पालन, इस संबंध में परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति के अनुसार किया जाएगा;
- (ञ) प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी। ऐसी योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों एवं महाविद्यालयों के स्थानों का समग्र एवं समान वितरण सुनिश्चित हो विशेष रूप से उन क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जो अविकसित या सेवा से वंचित हैं; तथा
- (ट) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

109 स्वायत्त महाविद्यालय

- (1) कोई संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में अपने विनियमों के अनुसार महाविद्यालय या संस्थान को स्वायत्त दर्जा प्रदान कर सकता है।
- (2) स्वायत्त संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय, शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्य करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति और उत्कृष्टता की खोज के लिए अनुकूल बौद्धिक वातावरण के विकास एवं संवर्धन के लिए आवश्यक है।
- (3) स्वायत्त संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय अपने प्राधिकरणों या निकायों का गठन कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और अन्य कार्यकलापों को क्रियान्वित कर सकता है, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) स्वायत्त संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित कर सकता है, अपनी शिक्षण पद्धतियाँ विकसित कर सकता है, अपने यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए परीक्षाएँ और परीक्षण आयोजित कर सकता है, और विश्वविद्यालय को परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपाधियाँ, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा कर सकता है। स्वायत्त संबद्ध या घटक महाविद्यालय को इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अधीन पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होगी।

110 सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय

- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय या उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में चिन्हित अंगीभूत या संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालय, जिनकी उच्च स्तरीय श्रेणी राज्य सरकार द्वारा *अधिकारिक राजपत्र* के माध्यम से निर्धारित है, सशक्त स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय से आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर सीनेट या सिंडिकेट राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत, ऐसे महाविद्यालय को सशक्त स्वायत्त का दर्जा प्रदान कर सकता है।
- (2) सशक्त स्वायत्त दर्जा प्रदान करने और उसे जारी रखने के लिए मानदंड और प्रक्रिया, परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय अपने प्राधिकरणों या निकायों का गठन कर सकेगा एवं शक्तियों का प्रयोग कर कार्य कर सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और अन्य क्रियाकलापों को संचालित कर सकता है, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त ऐसे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियमों एवं आदेशों या अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (5) सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लागू विनियमों के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

111 सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थान

- (1) एक ही प्रबंधन या शैक्षणिक समाज के अधीन संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालयों का समूह, या अंगीभूत स्वायत्त महाविद्यालयों का समूह, जिसमें वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस" या "कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में चिह्नित किया गया है या जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित उच्च

स्तर की ग्रेड प्राप्त है, विश्वविद्यालय से 'सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थानों' का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

- (2) सिंडिकेट की अनुशंसा पर सीनेट, तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, महाविद्यालयों या संस्थाओं के ऐसे समूह को सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थाओं का दर्जा प्रदान कर सकेगी।
- (3) सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थाओं का दर्जा प्रदान करने तथा उसे जारी रखने के लिए मानदंड और प्रक्रियायें वैसी होंगी जो परिनियमों द्वारा निर्धारित हो।
- (4) सशक्त स्वायत्त संकुल संस्थान अपने प्राधिकरणों या निकायों का गठन कर सकता है एवं शक्तियों का प्रयोग कर कार्य कर सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और अन्य क्रियाकलापों को संचालित कर सकता है, जैसा कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित की जाए।

धारा 108, 109, 110 और 111 में उल्लिखित प्रावधान अनुसंधान केंद्रित एकल विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

अध्याय-X: नामांकन, उपाधियाँ एवं दीक्षांत

112 स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान

सभी स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अनुसंधान सहयोग और साझेदारी सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा या स्वायत्त और सशक्त स्वायत्त, संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालयों के माध्यम से संचालित की जाएंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।

113 स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम

- (1) कोई भी विश्वविद्यालय विभाग या अंगीभूत महाविद्यालय, यथाप्रवृत्त परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करके स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ या समाप्त कर सकता है।
- (2) स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रत्येक प्रस्ताव में पाठ्यक्रम, क्षेत्र, आवश्यकता, रोजगार के अवसर, शिक्षण-पद्धति और ऐसे पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की अवधि, या परिनियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य मामले का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।
- (3) अध्ययन बोर्ड, उचित विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्ताव को शैक्षणिक परिषद, शुल्क निर्धारण समिति तथा वित्त एवं लेखा समिति के समक्ष उनकी सहमति हेतु प्रस्तुत करेगा; और ऐसी सहमति प्राप्त होने पर, प्रस्ताव को आवश्यक अनुमोदनों हेतु सीनेट / सिंडिकेट के समक्ष रखा जा सकेगा।
- (4) सभी स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम यू०जी०सी० या, जैसा भी लागू हो, अन्य नियामक निकायों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे; और 'अध्ययन बोर्ड' अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभागों में सभी स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण या शिक्षकेत्तर पदों पर सभी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय अथवा स्वायत्त निकाय द्वारा की जाएंगी, जैसा की परिनियमों में विनिर्दिष्ट हो।

114 छात्रों का नामांकन

विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्ति के पास ऐसी अर्हताएँ होंगी तथा वह ऐसी शर्तों को पूरा करेगा जो निर्धारित की जाएं।

115 अनुशासनात्मक शक्तियाँ और अनुशासन

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्वविद्यालय विभागों, संस्थाओं और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी।
- (2) कुलपति, आदेश द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, जैसा वह उचित समझे, ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह उस निमित्त नामित करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (3) कुलपति, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निर्देश दे सकेंगे कि किसी छात्र या छात्रों को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित या निलंबित किया जाए, या विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय, संस्था या विभाग में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए, या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जुर्माने से दंडित किया जाए, या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या मूल्यांकन में बैठने से पाँच वर्ष से अनधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाए या संबंधित छात्र या छात्रों का उस परीक्षा या मूल्यांकन का परिणाम, जिसमें वह उपस्थित हुए हैं, रद्द कर दिया जाए:

परन्तु यह कि, यदि निष्कासन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो तो कुलपति संबंधित छात्र को सुनवाई का उचित अवसर देंगे।

- (4) कुलपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रमुखों और विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों को छात्रों पर ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जो उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।
- (5) पूर्व की उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, छात्रों के अनुशासन, आचार संहिता और कदाचार से संबंधित उपबंध तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी परिणियमों द्वारा विहित की जाए। ऐसे उपबंध विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के सभी छात्रों पर लागू होंगे।
- (6) छात्रों के अनुशासन और उचित आचरण से संबंधित परिणियमों, तथा अनुशासन भंग या कदाचार के लिए उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई, विश्वविद्यालय, संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालय के विवरणिका में भी प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक छात्र को उसकी एक प्रति प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय और संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य और संस्थानों के प्रमुख, आवश्यकतानुसार अनुशासन और उचित आचरण के अतिरिक्त मानदंड निर्धारित कर सकते हैं, जो परिणियमों से असंगत न हों, और प्रत्येक छात्र को ऐसे मानदंडों की एक प्रति प्रदान की जाएगी।
- (7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों और प्राधिकारियों या निकायों और अंगीभूत महाविद्यालयों, संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राधिकारियों या निकायों के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन है और इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करेगा तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विश्वविद्यालय संस्थानों तथा संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रमुखों द्वारा बनाए गए अतिरिक्त मानदंडों का भी पालन करेगा, जहाँ तक वह लागू हो सकते हैं।
- (8) विश्वविद्यालय द्वारा किसी संबद्ध महाविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियाँ संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य में निहित होंगी तथा उप-धारा (5) और (6) के उपबंध, जिनमें इसके अधीन बनाए गए परिणियम भी शामिल हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं और वहाँ के छात्रों पर लागू होंगे।

116 उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र

- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुशंसित डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ सीनेट द्वारा स्थापित और प्रदान की जा सकती है।
- (2) सीनेट, शोध के आधार पर डी0एस0सी0 और डी0लिट0 जैसी पोस्ट-डॉक्टरल डिग्रियाँ स्थापित और प्रदान कर सकती है, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है।
- (3) कुलपति, सीनेट एवं शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर, प्रत्येक ऐसे प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत जिसमें प्रत्येक प्राधिकरण के कम से कम आधे सदस्य शामिल हों, डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या किसी अन्य शैक्षणिक सम्मान को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए वापस ले सकते हैं, जैसा कि कुलपति ठीक समझे हैं, यदि किसी व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए कानूनी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने धोखाधड़ी से किसी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है या यह पाया जाता है कि उसने धोखाधड़ी से ऐसी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या कोई अन्य शैक्षणिक सम्मान प्राप्त किया है तो इस धारा के तहत ऐसी कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को अपना बचाव करने का अवसर न दिया जाए।
- (4) विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी विद्यार्थियों की डिग्रियों और शैक्षणिक योग्यताओं को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी पर अपलोड करे, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किया जाता है।

117 मानद उपाधियाँ

- (1) सीनेट किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने पर विचार कर सकती है एवं अनुशंसा, बिना उस व्यक्ति को किसी परीक्षण, परीक्षा या मूल्यांकन से गुजरने की आवश्यकता के राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकती है। यह अनुशंसा केवल इस आधार पर दी जाएगी कि वह अपनी प्रतिष्ठित स्थिति, उपलब्धियों और सार्वजनिक सेवा के कारण ऐसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है तथा और ऐसी अनुशंसा को विधिवत् पारित माना जाएगा यदि बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत, जो कुल सदस्यता के आधे से कम नहीं है, उसका समर्थन किया जाता है।
- (2) सीनेट शैक्षणिक परिषद् के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है, परन्तु, शैक्षणिक परिषद्, कुलपति द्वारा राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार या स्वीकार्य नहीं करेगी।

118 दीक्षांत

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम एक बार डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

119 पंजीकृत स्नातक

- (1) परिनियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए पंजीकृत स्नातकों या पंजीकृत समझे जाने वाले स्नातकों की पंजी में अपना नाम दर्ज कराने के हकदार होंगे, अर्थात: -

(क) जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं; तथा

(ख) जो उस मूल विश्वविद्यालय के स्नातक हैं जहां से संबंधित नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है:

परन्तु यह कि जो स्नातक मूल विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्नातक हैं, लेकिन नए विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहने आते हैं; उन्हें विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा एवं एक बार नए विश्वविद्यालय में पंजीकृत होने के बाद, वह स्वतः मूल विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक नहीं रहेंगे।

- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकृत स्नातक बनने को इच्छुक हैं, उसे कुलसचिव को ऐसे प्रारूप में आवेदन करना होगा तथा ऐसी शुल्क का भुगतान करना होगा, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाए।
- (3) कुलपति, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, यह निर्णय लेंगे कि क्या वह व्यक्ति पंजीकृत स्नातक होने का हकदार है। यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति स्नातकों की पंजी में अपना नाम दर्ज कराने या पंजीकृत स्नातक होने का हकदार है या पंजीकृत स्नातक होने के लिए अर्हक नहीं है, तो कुलपति द्वारा ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, यह निर्णय लिया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

120 स्नातकों की पंजी से नाम हटाना

- (1) एक व्यक्ति जो –
 - (क) वह विकृतचित्त है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
 - (ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
 - (ग) नैतिक अधमता, दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
 - (घ) धोखाधड़ी से डिग्री प्राप्त की है; या
 - (ङ) राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक है, तो वह स्नातकों की पंजी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अर्हक नहीं होगा, या पंजीकृत स्नातक नहीं होगा।
- (2) कुलपति, शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर, यदि उसकी बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित हो, जिसमें उसके सदस्यों का कम से कम आधा बहुमत शामिल हो, इस धारा की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी कारण से, किसी व्यक्ति का नाम स्नातकों की पंजी से ऐसी अवधि के लिए हटा सकेगा, जो कुलपति उचित समझे।
- (3) इस धारा के अंतर्गत कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, अपने बचाव में सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

अध्याय XI: परिनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश और विश्वविद्यालय नियमावली

121 परिनियम

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए प्रावधान कर सकेंगे, अर्थात्:-
 - (क) फैलोशिप, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पदनाम एवं शक्तियाँ;
 - (ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ, कार्य एवं कर्तव्य;
 - (घ) शैक्षणिक संस्थानों को महाविद्यालयों के रूप में प्रवेश देना तथा ऐसे प्रवेशित महाविद्यालयों से विशेषाधिकार को वापस लेना;

- (ड) महाविद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना, उनका अनुरक्षण एवं प्रबंधन;
- (च) विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वर्गीकरण, उनकी नियुक्ति एवं मान्यता की प्रक्रिया;
- (छ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के हित में पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन;
- (ज) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का संधारण;
- (झ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, योग्यता, ग्रेड, वेतन, राज्य आरक्षण नीति के अनुसार पदों का आरक्षण और सेवा की शर्तें;
- (ञ) विश्वविद्यालयों की आय और व्यय सहित महाविद्यालयों की आय और व्यय के खातों और ऐसे खाते रखने के लिए प्रपत्र एवं पंजियों का संधारण;
- (ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव;
- (ठ) मानद उपाधियाँ और सम्मान प्रदान करना; तथा
- (ड) कोई भी विषय जिसे परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या जो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।
- (2) राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले परिनियम बनाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया जाए।
- (3) किसी भी परिनियम या उसके अंतर्गत संशोधन की आवश्यकता होने पर, विश्वविद्यालय परिनियम या उसके अंतर्गत संशोधन के प्रस्ताव को सीनेट या सिंडिकेट से अनुमोदित कराएगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजेगा।
- (4) राज्य सरकार किसी प्रस्तावित परिनियम या उसके अंतर्गत संशोधन को अनुमोदित कर सकती है या अनुमोदन रोक सकती है।
- (5) पूर्व की उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को विषयों पर परिनियम या उसके अधीन संशोधन विहित करने की शक्ति होगी, जैसा वह उचित समझे और ऐसे परिनियम या उसके अधीन संशोधन विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

122 विश्वविद्यालय अध्यादेश

- (1) उन सभी विषयों पर, जिनके लिए परिनियम बनाए जा सकते हैं, विश्वविद्यालय को अत्यावश्यकता या आपातस्थिति में अधिकतम 6 (छह) माह की अवधि के लिए विश्वविद्यालय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा, जिसके भीतर विश्वविद्यालय को राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (2) राज्य सरकार इसका अनुमोदन कर सकती है अथवा अनुमोदन रोक सकती है।
- (3) राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विश्वविद्यालय अध्यादेश परिनियम बन जायेगा।
- (4) यदि राज्य सरकार का अनुमोदन नहीं दिया जाता है तो ऐसा विश्वविद्यालय अध्यादेश, उसके प्रख्यापन के 06 (छह) महीने बाद समाप्त माना जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया कोई भी अधिकार इसके समाप्त होने के पश्चात् अमान्य हो जाएगा।
- (6) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित तरीके से विश्वविद्यालय अध्यादेश बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति होगी, अर्थात्:-

- (क) सिंडिकेट उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय अध्यादेश का प्रारूप तैयार करेगा और प्रस्तावित करेगा:

परंतु यह कि, शैक्षणिक मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश, शैक्षणिक परिषद् के परामर्श से सिंडिकेट द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा।

- (ख) सीनेट, सिंडिकेट द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी देगा; तथा
(ग) सभी विश्वविद्यालय अध्यादेशों को सूचनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

123 विश्वविद्यालय नियमावली

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय, परिनियमों में उल्लिखित सभी मामलों के लिए नियम बना सकता है, ताकि परिनियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए स्पष्टता, स्पष्टीकरण या प्रक्रिया प्रदान की जा सके।
(2) सीनेट, सिंडिकेट द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय नियमों को अनुमोदित करेगी तथा सूचना के लिए राज्य सरकार को भेज सकती है:

परंतु यह कि शैक्षणिक मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय नियम सिंडिकेट द्वारा शैक्षणिक परिषद् के परामर्श उपरांत सिनेट के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किए जायेंगे।

अध्याय XII: विश्वविद्यालय निधि, लेखा और अंकेक्षण

124 वार्षिक वित्तीय विवरणी

- (1) वित्त एवं लेखा समिति द्वारा विश्वविद्यालय का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम चार माह पूर्व, परिनियमों में निर्धारित तरीके से तैयार किया जाएगा।
(2) तत्पश्चात विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव सीनेट या सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) की प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।
(3) विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष के समान होगा।

125 विश्वविद्यालय निधि

- (1) विश्वविद्यालय निम्नलिखित निधियां स्थापित करेगा, अर्थात्: -
(क) सामान्य निधि में संबद्धता शुल्क, संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालयों से प्राप्त निधियां, आदि शामिल हैं;
(ख) सरकारी निधि;
(ग) दान निधि;
(घ) कोर्पस निधि; तथा
(ङ) कोई अन्य निधि, जिसे विश्वविद्यालय की राय में स्थापित करना आवश्यक समझा जाए।
(2) निम्नलिखित सरकारी निधि का भाग होगा या उसमें जमा किया जाएगा, अर्थात्:-
(क) राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण या सरकारी विभाग से प्राप्त गैर-वेतन अंशदान या अनुदान;
(ख) राज्य सरकार की अनुमति से बैंकों या किसी अन्य एजेंसी से उधार ली गई कोई भी राशि;
(ग) किसी अन्य स्रोत या एजेंसी से प्राप्त राशि।

- (3) ट्रस्टों, वसीयतों, दान, बंदोबस्ती, आर्थिक सहायता और इसी प्रकार के अनुदानों से प्राप्त सभी आय या धनराशि विश्वविद्यालय निधि का हिस्सा होगी।
- (4) (क) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि में विश्वविद्यालय की किसी भी स्रोत से होने वाली सभी आय, जिसमें फीस, अन्य फीस और शुल्कों से होने वाली आय भी शामिल है;
- (ख) इस निधि को विश्वविद्यालय के किसी अन्य कोष में पुनः आवंटित किया जा सकता है, अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय किया जा सकता है; तथा
- (ग) दान निधि का उपयोग कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप तथा व्यय एवं लेखा-परीक्षा के संबंध में वित्त-पोषक एजेंसी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिसे वित्त एवं लेखा समिति के परामर्श से सीनेट द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय खातों के एक अलग शीर्ष के अंतर्गत एक कोर्पस निधि होगी और उसका रखरखाव किया जाएगा जिसका उपयोग केवल किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- (6) कोर्पस निधि में जमा अधिशेष धनराशि, जिसमें परिसंचय भी शामिल है, जिसे तत्काल या निकट भविष्य में पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, समय-समय पर राज्य वित्तीय प्रतिभूतियों में जमा किया जाएगा या राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी वाले निगमों द्वारा जारी किसी अन्य इक्विटी या प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

126 वित्तीय संधारणीयता

- (1) विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से संधारणीय बनने का प्रयास करेगा।
- (2) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों की वित्तीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।
- (3) विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य करेगा:-
 - (क) राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी घाटे का वित्तपोषण (घाटे के वित्तपोषण का अर्थ है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को केवल अनुमानित व्यय और अनुमानित राजस्व के बीच अंतर राशि के लिए अनुदान प्रदान करेगी) राज्य सरकार की वित्तीय नीतियों के अनुरूप हो;
 - (ख) आवर्ती घाटे को कम करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति विकसित करना;
 - (ग) वित्तीय संधारणीयता योजना तैयार करना और अंकेक्षण करने में विशेषज्ञता रखने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संधारणीयता अंकेक्षण आयोजित करना;
 - (घ) सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित वित्तीय संधारणीयता योजना सहित संधारणीयता अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
 - (ङ) आधारभूत संरचना के विकास और राजस्व सृजन के लिए निजी संस्थाओं के साथ सहभागिता करना;
 - (च) प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं, पेटेंट और परामर्श सेवाओं से आय के लिए प्रयास करना;
 - (छ) उद्योगों, कॉर्पोरेट घरानों, एमएसएमई और अन्य समान संगठनों से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि प्राप्त करना;

- (ज) आवधिक अंकेक्षण और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बनाए रखना;
- (झ) यह सुनिश्चित करना कि घाटे का वित्तपोषण विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट के पूर्वनिर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए;
- (ञ) वित्त एवं लेखा समिति और/या वित्त परामर्शी द्वारा प्रस्तावित लागत में कटौती के उपाय और राजस्व बढ़ाने वाली पहलों को अपनाना; तथा
- (ट) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया अपनाना।

127 वार्षिक लेखा और अंकेक्षण

- (1) विश्वविद्यालय के खातों को दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के आधार और सिद्धांतों पर बनाए रखा जाएगा, और लेखांकन की पद्धति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यापारिक प्रणाली होगी।
- (2) विश्वविद्यालय के लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार तथा किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों में से की जाएगी, जिनके भागीदारों का विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या मामलों में कोई हित नहीं है।
- (3) वित्त एवं लेखा समिति, अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर, किसी भी मामले में, अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई टिप्पणियों और विसंगतियों का अनुपालन करेगी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर, किसी भी मामले में, उसे सिंडिकेट के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।
- (4) विश्वविद्यालय द्वारा अंकेक्षित लेखाओं को प्रकाशित किया जायेगा तथा उनकी एक प्रति, अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
- (5) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के लेखाओं का जाँच अंकेक्षण या पूर्ण अंकेक्षण नियमित अंतराल पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक एवं झारखण्ड के वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय द्वारा नियुक्त अंकेक्षण पदाधिकारी या परिनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार कराने की व्यवस्था करेगी।
- (6) विश्वविद्यालय प्री-ऑडिट के उद्देश्य से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय, या अंकेक्षण निदेशालय, झारखण्ड से सेवानिवृत्त अंकेक्षण पदाधिकारी को नियुक्त करेगा, जो सरकारी नियमों और अंकेक्षण विनियमों के अनुसार नियमित आधार पर औपचारिक अंकेक्षण होने से पहले होने वाले वित्तीय लेनदेन और अभिलेखों की आंतरिक समीक्षा सुनिश्चित करेगा।

128 वार्षिक प्रतिवेदन

- (1) वित्त एवं लेखा समिति प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संस्थानों की प्रशासनिक, शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और सिंडिकेट के अनुमोदन के बाद उसे अंतिम विचारार्थ सीनेट को प्रस्तुत करेगी। सीनेट, वित्त एवं लेखा समिति से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा और अनुमोदन करेगी। सीनेट द्वारा अनुमोदित ऐसा प्रतिवेदन, शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर, राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अनुभाग शामिल होंगे:-
 - (क) विश्वविद्यालय का लक्षित राजस्व स्रोत और इसकी कार्यान्वयन योजना;
 - (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति; तथा

- (ग) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा की गई नई पहल अथवा पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के कारण और उपाय।
- (3) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय विश्वविद्यालय निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करेगा:-
- (क) शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस की उपयुक्तता और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक संशोधन;
- (ख) विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों द्वारा अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों से उठाए गए कदम और उत्पन्न आय;
- (ग) विश्वविद्यालय में अनुसंधान सुविधाओं के सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किया गया पूंजी निवेश और इसके अपेक्षित परिणाम;
- (घ) झारखण्ड के भीतर और बाहर औद्योगिक घरानों, कंपनियों के साथ सहयोग के लिए की गई कार्रवाई और भविष्य में सहयोग की योजनाएं;
- (ङ) उद्योग के साथ मांग विश्लेषण के बाद विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कार्यक्रम;
- (च) स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की शुरुआत और विश्वविद्यालय के लिए अनुमानित राजस्व; तथा
- (छ) विश्वविद्यालय के वित्तीय राजस्व पर प्रभाव डालने वाला कोई अन्य मामला।

अध्याय XIII: विविध

129 क्षति के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण एवं कर्मचारी

- (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी या कर्मचारी एवं पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय के हितों की विधिवत सुरक्षा की जाए।
- (2) यदि यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या कर्मचारी या पदाधिकारी की ओर से की गई किसी भी कार्रवाई से, जो इस अधिनियम, परिनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों या नियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, या उसके द्वारा जानबूझकर उपेक्षा या चूक के कारण, उसके अनुरूप कार्य करने में कोई विफलता हुई है, तो ऐसी क्षति या हानि की वसूली, यथास्थिति, प्राधिकारी या कर्मचारी या उससे संबंधित पदाधिकारी से संयुक्त रूप से या पृथक रूप से, या संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी से, परिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी।

130 राज्य विधानमंडल एवं संसद की सदस्यता

- (1) यदि विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी राज्य विधानमंडल या भारतीय संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है या नामांकन दाखिल करना चाहता है, तो उसे चुनाव लड़ने या नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालय, कोई भी अनुमोदन प्रदान करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कर्मचारी के चुनाव लड़ने या नामांकन दाखिल करने से विश्वविद्यालय की शिक्षण, अधिगम, प्रशासनिक या शोध गतिविधियाँ अप्रभावित रहें।
- (2) किसी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी को इस आधार पर शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसे राज्य की विधान सभा या संसद के सदस्य के रूप में चुना या नामित किया गया है।

- (3) राज्य की विधान सभा या संसद के सदस्य के रूप में चयनित या नामित कोई शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विधान सभा या संसद की अपनी सदस्यता की अवधि के लिए, ऐसी अवधि को वेतन और भत्ते के बिना अवकाश का हकदार होगा।
- (4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी पेंशन, वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि के प्रयोजनों के लिए विधान सभा या संसद की अपनी सदस्यता की अवधि की गणना करने का भी हकदार होगा।

131 पेंशन, उपादान, बीमा तथा भविष्य निधि

- (1) विश्वविद्यालय, ऐसे तरीके एवं शर्तों के अधीन, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, किसी भी पेंशन, उपादान, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा, जैसा कि वह अपने अधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लाभ के लिए उचित समझे।
- (2) जहां कोई ऐसी पेंशन, उपादान, बीमा या भविष्य निधि इस प्रकार गठित किया गया है, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम संख्या 19) के उपबंध उक्त निधि पर इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वह निधि राज्य भविष्य निधि हो।

132 विवेचन, विवाद इत्यादि

यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबंध, किसी परिनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश या विश्वविद्यालय नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो कुलपति द्वारा स्वप्रेरणा से मामले को राज्य सरकार को भेजा जा सकेगा, जो ऐसी व्याख्या पर स्पष्टीकरण देगी तथा राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा:

परन्तु, ऐसे संदर्भ कुलपति द्वारा सीनेट या सिंडिकेट के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पर किया जाएगा।

133 अधिनियमों तथा आदेशों का संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए परिनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों या नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशापित किसी भी बात के संबंध में विश्वविद्यालय या उसके किसी भी पदाधिकारी, प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय या उसके किसी भी पदाधिकारी, प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सद्भावपूर्वक किए गए सभी कार्य और पारित आदेश, अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

134 शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी, आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय अध्यादेश और नियम बनाने तथा परिनियमों में संशोधन की अनुशंसा करने की शक्ति को छोड़कर, अपनी शक्तियों को विश्वविद्यालय के किसी अव्यवहित अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा, और वह भी इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का अंतिम उत्तरदायित्व उन्हें प्रत्यायोजित करने वाले पदाधिकारी में ही निहित रहेगा।

135 कार्य तथा कार्यवाहियाँ अमान्य नहीं हैं

- (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अमान्य नहीं मानी जाएगी कि-
 - (क) ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति का कोई भी सदस्य जो नियुक्त, नामित नहीं है या किसी अन्य कारण से गठन के समय पद ग्रहण करने या उसकी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षमता में सदस्य है

या उसके गठन में कोई अन्य दोष है या उसके सदस्यों के पदों में एक या अधिक रिक्तियाँ हैं; तथा

- (ख) किसी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो विचाराधीन मामले के मर्मगत न्यायसंगतता पर प्रभाव नहीं डालती है, तो ऐसे कार्य या कार्यवाही की वैधता पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या पदाधिकारी के समक्ष केवल ऐसे किसी आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

अध्याय-XIV: नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

136 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

इस अधिनियम के तहत एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को भूमि और आधारभूत संरचना से संबंधित सांकेतिक आवश्यकताओं के रूप में माना जा सकता है, अर्थात्:-

- (1) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि का स्वामित्व होना;
- (2) धारा 136(1) में निर्दिष्ट भूमि पर प्रशासनिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, सभागार, छात्र संसाधन केंद्र, खेल सुविधाएँ और प्रयोगशालाएँ का निर्माण करना, जैसा कि यूजीसी या अन्य वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित है, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम 25% छात्र संख्या के लिए तीन वर्षों के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय का निर्माण हरित परिसर के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए, जिसमें ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और जल संचयन सुविधाएँ स्थापित की जानी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम संचालित कर रहा है, तो यूजीसी और संबंधित नियामक निकाय के प्रचलित मानदंड और मानक लागू होंगे;
- (3) धारा 136(2) में उल्लिखित भवन के अलावा उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर, परिसंपत्तियाँ, आधारभूत संरचना सुविधाएँ और यूजीसी और संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अन्य उपभोग्य और गैर-उपभोग्य वस्तुएं अधिष्ठापित करना; तथा
- (4) यूजीसी और संबंधित विनियामक निकायों के मानदंडों के अनुसार पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और ऑनलाइन संसाधनों की खरीद और समकालीन शिक्षण और अनुसंधान के लिए पुस्तकालय सुविधाओं को पर्याप्त बनाने के लिए कंप्यूटर, पुस्तकालय नेटवर्किंग और अन्य सुविधाओं का प्रावधान।

137 परियोजना प्रतिवेदन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग निम्नलिखित विवरणों के साथ एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा, अर्थात् :-

- (1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में औचित्य;
- (2) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, स्थान एवं मुख्यालय;
- (3) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
- (4) शिक्षण और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों सहित शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता;
- (5) शिक्षण एवं शिक्षकेत्तर स्टाफ सहित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, यदि कोई हो;
- (6) विश्वविद्यालय आरम्भ करने हेतु परिसर विकास के लिए योजनाओं का ब्यौरा जैसे भवनों का निर्माण, संरचनात्मक सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं उपकरणों का क्रय;
- (7) पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध रूपरेखा;

- (8) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अध्ययन, अनुसंधान एवं नवाचार के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की प्रकृति और प्रकार;
- (9) आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं की प्रकृति;
- (10) विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान गतिविधियों की प्रकृति, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके;
- (11) खेलकूद एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उपलब्ध या प्रस्तावित खेल के मैदानों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा;
- (12) शैक्षणिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण और प्रारंभिक योजनाएं, जिनमें प्रत्यायन और शैक्षणिक अंकेक्षण शामिल हैं; तथा
- (13) अन्य विवरण जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग देना चाहे।

138 उच्चाधिकार समिति

- (1) राज्य सरकार एक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगी, जो एक स्थायी निकाय होगी एवं राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कार्य के विभिन्न चरणों तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगी। यह उच्चाधिकार समिति विश्वविद्यालय के समग्र समन्वय, अनुश्रवण एवं स्थापना के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार समय-समय पर उच्चाधिकार समिति के गठन एवं दायित्वों पर पुनर्विचार कर सकती है और आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकती है।
- (2) उच्चाधिकार समिति की संरचना निम्नवत होगी:-
 - (क) निदेशक, उच्च शिक्षा- अध्यक्ष;
 - (ख) निदेशक, तकनीकी शिक्षा- उपाध्यक्ष;
 - (ग) कुलपति या उनके प्रतिनिधि जो संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद से अन्यून हों -सदस्य;
 - (घ) वित्त विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;
 - (ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि- सदस्य;
 - (च) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि- सदस्य;
 - (छ) पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि- सदस्य;
 - (ज) भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;
 - (झ) ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;
 - (ञ) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;
 - (ट) अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग-सदस्य सचिव; तथा
 - (ठ) विशेष आमंत्रित सदस्य - अध्यक्ष द्वारा अधिकृत
- (3) किसी भी परिस्थिति में देरी या किसी भी आपात स्थिति के परिणामस्वरूप, उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष को समय पर समाधान के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस तरह के विलम्ब या आपात स्थिति के कारणों के साथ सूचित करना होगा।

139 राज्य सरकार के अनुमोदन का अनुपालन

- (1) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है अथवा उसमें संशोधन या अतिरिक्त जानकारी की पृच्छा कर सकती है।
- (2) राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग:
 - (क) राज्य सरकार के अनुमोदन से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 136(1) में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करेगा;
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन से 03 वर्ष की अवधि के भीतर अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार भवन का निर्माण और आवश्यक फर्नीचर, सामग्री एवं उपकरणों का क्रय पूर्ण करना; तथा
 - (ग) रोस्टर तैयार करेगा एवं उस पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

140 नए विश्वविद्यालय का अधिनियमन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, धारा 136 एवं धारा 139 में उल्लिखित प्रावधानों को पूरा करते हुए, धारा 3 के अनुसार नए विश्वविद्यालय की स्थापना तथा राज्य विधानमंडल द्वारा यथा लागू अधिनियम की अनुसूची-II अथवा अनुसूची-III में उसका नाम जोड़ने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा। स्थापित किए जाने वाले नए विश्वविद्यालय के नाम को राज्य सरकार के अनुमोदन पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

141 नए विश्वविद्यालय का गठन होने पर मामलों के लिए आदेश जारी करना

- (1) जब धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना द्वारा कोई नया विश्वविद्यालय गठित किया जाता है, तब राज्य सरकार, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, *अधिकारिक राजपत्र* में प्रकाशित एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:-
 - (क) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा वह कार्यकाल को तय करना जिसके लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी;
 - (ख) नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिए संरक्षक विश्वविद्यालय;
 - (ग) प्रथम सीनेट एवं शैक्षणिक परिषद् का गठन ऐसी रीति से करना जैसा वह उचित समझे तथा वह अवधि तय करना जिसके लिए यह कार्य करेगी;
 - (घ) ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे परिणियमों तथा विश्वविद्यालय अध्यादेशों को जारी रखना या लागू करना:

परन्तु यह कि, नए विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी अपनी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे परिणियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों को, या तो ऐसे संशोधनों के साथ या उनमें संशोधन करके, जैसा उचित समझे, अपनाएगा;

- (ङ) किसी भी तत्कालीन विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने या नए विश्वविद्यालय में पंजीकृत होने के विकल्प का उपयोग;
- (च) इस अधिनियम के तहत गठित मौजूदा विश्वविद्यालयों की सीनेट, शैक्षणिक परिषद् एवं अन्य प्राधिकरणों, निकायों और समितियों की सदस्यता का जारी रखना या समाप्त करना;
- (छ) वर्तमान विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों या समितियों के सदस्यों की नियुक्ति समाप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरना;

- (ज) अनुमोदित रोस्टर के अनुसार शिक्षण एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति;
- (झ) नये विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता या संस्थाओं की मान्यता जारी रखना, जिसमें क्षेत्र को जोड़ा गया है और विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे क्षेत्र को अलग किया गया है, इसे समाप्त करना;
- (ञ) विद्यमान विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी का नए विश्वविद्यालय में स्थानांतरण तथा ऐसे कर्मचारियों पर लागू सेवा की शर्तें या राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले सेवांत लाभ देकर विद्यमान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना:
- परन्तु यह कि, इस प्रकार स्थानांतरित किसी कर्मचारी की सेवा की नियम एवं शर्तों में उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा;
- (ट) परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, अर्थात् चल या अचल संपत्ति, अधिकार, किसी भी प्रकार का अर्जित हित, तथा ऐसे किसी आदेश के जारी होने से पूर्व उपगत देनदारियां एवं दायित्व; तथा
- (ठ) ऐसे अन्य अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

अध्याय XV: झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग

142 आयोग की स्थापना

- (1) राज्य सरकार झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना करेगी।
- (2) यह आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका मुख्यालय राँची में होगा, जिसकी शाश्वत उत्तराधिकारिता और सामान्य मुहर होगी, और उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।
- (3) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इस आयोग का नोडल प्रशासनिक विभाग होगा तथा आयोग को आवश्यक सचिवालय सहयोग प्रदान करेगा।

143 आयोग की संरचना

- (1) आयोग में अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) तथा तीन सदस्य शामिल होंगे, जो पूर्णकालिक अधिकारी होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।
- (2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु के लिए पात्र होंगे यदि, वह:-
 - (क) राज्य सरकार में प्रधान सचिव या भारत सरकार में अपर सचिव अथवा अखिल भारतीय सेवाओं अथवा ग्रुप 'A' सेवा में समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी हो; या
 - (ख) किसी सार्वजनिक विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा भारत सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी संस्थान के निदेशक के रूप में कम-से-कम तीन वर्षों तक सेवा की हो।
- (3) कोई व्यक्ति सदस्य (प्रशासन) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे यदि, वह:-
 - (क) राज्य सरकार में सचिव अथवा भारत सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी हो; या
 - (ख) किसी सार्वजनिक विश्वविद्यालय में कम-से-कम 10 वर्षों तक प्राध्यापक के रूप में सेवा करने वाला सेवानिवृत्त प्राध्यापक हो।
- (4) तीन सदस्यों में से:-

- (क) एक सदस्य ऐसा सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगा, जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव या भारत सरकार के उप सचिव या अखिल भारतीय सेवाओं या किसी ग्रुप 'A' सेवा या झारखण्ड राज्य लोक सेवा के समकक्ष वेतनमान से न्यून नहीं होगा;
- (ख) एक सदस्य ऐसा होगा जो किसी सार्वजनिक विश्वविद्यालय अथवा भारत सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान से सेवानिवृत्त प्राध्यापक हो; तथा
- (ग) एक सदस्य ऐसा सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगा, जो जिला न्यायाधीश पद से न्यून न हो या राज्य बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवक्ता हो, जिसने कम-से-कम 10 वर्षों का न्यायालयीय अनुभव प्राप्त किया हो।
- (5) आयोग का एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव के पद से न्यून नहीं होंगे।
- (6) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

144 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का चयन

- (1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) तथा अन्य सदस्यों का चयन एवं नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना के माध्यम से, ऐसे विधान के अनुसार की जाएगी, जैसा कि नियमों द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (2) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों के पद पर संभावित रिक्ति की तिथि से न्यूनतम छह मास पूर्व चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी तथा उक्त पद पर संभावित रिक्ति की तिथि से न्यूनतम एक मास पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करे:

परन्तु यह कि, इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् प्रथम अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति 06 माह के भीतर कर ली जाएगी।

145 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा की शर्तें

- (1) आयोग के अध्यक्ष अपना कार्यभार नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारण करेंगे।
- (2) सदस्य (प्रशासन) का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से चार वर्षों तक अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।
- (3) अन्य सभी सदस्यगण अपना पद नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों तक अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारण करेंगे।
- (4) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) या सदस्य के पद पर अधिकतम एक कार्यकाल के लिए ही नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो सदस्य (प्रशासन) को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा वह अधिकतम बारह माह की निरन्तर अवधि के लिए अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
- (6) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें नियमों द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

146 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र एवं पदच्युतीकरण

- (1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा कोई अन्य सदस्य, राज्य सरकार को लिखित आवेदन पत्र के माध्यम से संबोधित कर पदत्याग कर सकता है। यह त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने पर प्रभावी होगा:
- परन्तु यह उपबन्धित है कि, यदि राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का संप्रेषण नहीं किया जाता, तो त्यागपत्र को स्वीकृत माना जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, निम्नलिखित दशाओं में, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा किसी अन्य सदस्य को पद से पदच्युत कर सकती है यदि, वह:-
- (क) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा
- (ख) अपने कार्यकाल के दौरान वेतनयुक्त सेवा में संलग्न हो; अथवा
- (ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक अयोग्यता अथवा ऐसे किसी प्रकार के कृत्य या त्रुटि में लिप्त होने पर जो राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल हो, के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो; अथवा
- (घ) राज्य सरकार की राय में, वह राज्यहित के प्रतिकूल कार्य कर रहा हो अथवा अधिनियम या नियमों के अधीन निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो; अथवा
- (ङ) राज्य सरकार की दृष्टि में वह प्रशासनिक कर्तव्यों का संतोषजनक निष्पादन नहीं कर रहा हो; अथवा
- (च) किसी अनुशासनहीनता या इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन हेतु पदच्युत किए जाने के पात्र हो।
- (3) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा अन्य सदस्य को उप-धारा (2) में वर्णित आधारों पर केवल तब ही पदच्युत किया जाएगा, जब उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया हो, जो कि नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

147 संलग्नता की शक्ति

आयोग, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के पालनार्थ जब आवश्यक समझे, तब किसी व्यक्ति को उसकी सहायता अथवा परामर्श हेतु, नियत विधि एवं प्रयोजन के लिए, अपने साथ संलग्न कर सकता है।

148 आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

- (1) सचिव, उप-सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त अधिकारी, आयोग के पदाधिकारी माने जाएंगे।
- (2) आयोग के समस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे एवं उनकी सेवा-शर्तें नियमों द्वारा निर्धारित होंगी।
- (3) आयोग के पदाधिकारी, नियमों के अनुसार निर्धारित सभी भत्तों के लिए अर्हक होंगे।
- (4) आयोग, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निदेशों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिनकी सेवा-शर्तें नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- (5) आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके, अधिकारों एवं दायित्वों की व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

- (6) आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर आयोग को सचिवालय सहायता प्रदान की जाएगी।

149 आयोग की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

- (1) आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की प्रत्यक्ष नियुक्ति की विधि से संबद्ध विषयों पर दिशा-निर्देश तैयार करना;
- (ख) आवश्यकता होने पर परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार लेना तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करना;
- (ग) परीक्षाओं के संचालन, नियुक्ति प्रक्रिया आदि हेतु अपनी प्रक्रिया अपनाना अथवा किसी एजेंसी का चयन करना;
- (घ) नियुक्ति प्रक्रिया का पूर्णतः संचालन करना, जिसमें प्रश्न पत्र निर्माताओं/ परीक्षकों को नियुक्त करना, प्रश्नपत्र प्राप्त करना, उन्हें सुरक्षित रखना, परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना, परीक्षा केन्द्रों को समय पर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराना, समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, उत्तर पुस्तिकाओं का सुरक्षित संरक्षण करना, ऐसी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सारणीकरण करना एवं परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना सम्मिलित है;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा करना;
- (च) विश्वविद्यालय के परिणयमों के अनुसार अधिकारियों, अध्यापकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रोन्नति हेतु अपनी सहमति प्रदान करना;
- (छ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विषयों एवं विधियों के अनुसार झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करना;
- (ज) उप-धारा (ख) के प्रयोजन हेतु विशेषज्ञों का चयन एवं आमंत्रित करना तथा परीक्षकों की नियुक्ति करना;
- (झ) अपने अनिवार्य गतिविधियों के निर्वहन हेतु एजेंसियों से तकनीकी एवं मानव संसाधन से सेवाएँ प्राप्त करना;
- (ञ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा करना;
- (ट) विश्वविद्यालय से शिक्षकों या अधिकारियों या शिक्षकेत्तर कर्मियों या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की स्थिति एवं रिक्तियों से सम्बन्धित समय-समय पर प्रतिवेदन एवं सूचना प्राप्त करना;
- (ठ) नियमों द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत विशेषज्ञों को पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों का निर्धारण करना;
- (ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करना जो अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा अपने कार्य के निर्वहन के लिए आकस्मिक अथवा अनुकूल हों;
- (ढ) किसी प्राधिकरण या न्यायालय, जिसमें झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित हैं, पर सीमित नहीं हो, में आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को देय पारिश्रमिक की स्वीकृति देना एवं सूचीबद्ध करना;

- (ण) उद्देश्यों की पूर्ति अथवा अनिवार्य कर्तव्यों हेतु चिह्नित निधियों को छोड़कर, आयोग की निधि से व्यय करना;
- (त) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के चयन के सम्बन्ध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित राज्य आरक्षण नीति एवं चयन प्रक्रिया का अनुपालन करना;
- (थ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति या प्रोन्नति नीति पर राज्य सरकार को सुझाव, परामर्श अथवा अभिप्राय प्रदान करना; तथा
- (द) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो नियमों द्वारा प्रदत्त हों।

150 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों का चयन

- (1) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों तथा अधीनस्थ महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के चयन हेतु आयोग को आवश्यकता-पत्र प्रेषित करेगा।
- (2) आयोग उक्त प्राप्त रिक्तियों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित करेगा तथा अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट अहर्ताओं के अनुसार अधिकारियों, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित करेगा।
- (3) आयोग आवश्यकतानुसार परीक्षा एवं/या साक्षात्कार का आयोजन करेगा तथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकाशित पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा:

परन्तु यह कि, चयन प्रक्रिया, जहाँ लागू हो, झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का पालन करेगी।

- (4) आवेदन पत्रों की प्रारंभिक छानबीन हेतु एक स्क्रीनिंग समिति होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:-
- (क) आयोग के सचिव – अध्यक्ष;
- (ख) उप-सचिव – सदस्य; तथा
- (ग) परीक्षा नियंत्रक – सदस्य।
- (5) स्क्रीनिंग समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को प्रेषित करेगी।
- (6) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पदों के चयन हेतु अभियार्थियों की अनुशंसा हेतु एक चयन समिति होगी, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी:-
- (क) आयोग के अध्यक्ष – अध्यक्ष;
- (ख) सदस्य (प्रशासन) – सदस्य;
- (ग) आयोग के अन्य तीन सदस्य – सदस्य;
- (घ) अध्यक्ष द्वारा नामित सम्बंधित विषय के तीन विशेषज्ञ – सदस्य;

- (ड) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य; तथा
- (च) आयोग के सचिव-सदस्य सचिव।
- (7) चयन समिति प्रत्येक विज्ञापित पद हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए आयोग के किसी सदस्य की अध्यक्षता में पृथक्-पृथक् पैनल गठित कर सकती है।
- (8) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आयोग, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित आवश्यकताओं के अनुसार, पदवार अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा।
- (9) विश्वविद्यालय में अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की प्रत्येक नियुक्ति केवल आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही की जाएगी, और आयोग की अनुशंसा के विपरीत की गई कोई भी नियुक्ति शून्य एवं अमान्य मानी जाएगी।
- (10) किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश की अर्हता या अनर्हता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

151 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति

- (1) विश्वविद्यालय अपने अधिनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नति की प्रक्रिया सम्पन्न करेगा तथा प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक आयोग को उसकी सहमति हेतु प्रेषित करेगा।
- (2) आयोग विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रोन्नति प्रस्तावों का यथोचित परीक्षण करेगा तथा नियत नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि के भीतर अपनी सहमति प्रदान करेगा:
- परन्तु यह कि, यदि आयोग को प्रस्ताव में कोई विसंगति प्रतीत हो, तो वह उक्त प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय को 30 दिवस की सीमा के भीतर प्रत्यावर्तित कर सकता है।
- (3) संबंधित विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर, संशोधित प्रस्ताव, प्राप्ति तिथि से 30 दिवस की अवधि में पुनः आयोग को प्रेषित कर सकता है।
- (4) आयोग, संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात्, 30 दिवस के भीतर प्रोन्नति प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत भी कर सकता है।
- (5) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं अंगीभूत महाविद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति से संबंधित आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

152 अभिलेखों को मंगवाने का अधिकार

आयोग, विश्वविद्यालय से कोई भी अभिलेख, प्रतिवेदन अथवा अन्य सूचना की मांग कर सकता है, जब उसकी सहमति में ऐसा करना अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो, और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समस्त अभिलेख, प्रतिवेदन अथवा सूचना आयोग को उपलब्ध कराये।

153 झारखण्ड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- (1) इस अधिनियम अथवा किसी भी प्रचलित विधि में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, आयोग का यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विषयों में झारखण्ड राज्य में झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करे।

- (2) झारखण्ड पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं तंत्र राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना अथवा जैसा नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (3) झारखण्ड पात्रता परीक्षा एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के समकक्ष मानी जाएगी, तथा जहाँ कहीं प्रवेश एवं नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को मान्य माना गया हो, वहाँ झारखण्ड पात्रता परीक्षा भी मान्य होगी।
- (4) झारखण्ड पात्रता परीक्षा की वैधता केवल झारखण्ड राज्य के अंतर्गत मान्य होगा।
- (5) झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करते समय आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के संचालन में झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (कदाचार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपाय) अधिनियम, 2023 में वर्णित प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया गया हो।

154 आयोग की निधियाँ एवं खाता

- (1) आयोग का वित्तीय प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों अथवा प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा:

परंतु यह कि आयोग, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, ऐसे विषयों में जिन्हें वह आवश्यक समझे, विशेष नियम अथवा प्रक्रियाएँ निर्मित कर सकता है।

- (2) आयोग, राज्य कोषागार में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को संधारित करने हेतु व्यक्तिगत जमा खाता संचालित करेगा। इसके अतिरिक्त, आयोग, राज्य सरकार द्वारा अनुमत किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक बैंक खाता स्थापित करेगा, जिसमें शुल्क, दण्ड तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त आय, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, जमा की जाएगी।
- (3) आयोग के व्यय, उसके पी.डी. खाता एवं बैंक खाता से, उप-धारा (1) में उल्लिखित नियमों अथवा प्रक्रिया तथा राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, किए जाएंगे।
- (4) आयोग, अपने निर्धारित कर्तव्यों एवं सौंपे गए उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु, अपने बैंक खाते में उपलब्ध कोष से कोई भी व्यय कर सकता है।
- (5) यदि आयोग का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नियमों अथवा राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर व्यय करता है, तो वह उस उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
- (6) आयोग के आय-व्यय का वार्षिक बजट, निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से कम से कम दो माह पूर्व विनिर्दिष्ट नियमानुसार वित्तीय अधिकारी द्वारा सचिव के पर्यवेक्षण और निर्देशन में तैयार कर, राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पंद्रह दिवस के भीतर, आयोग को उसके बजट के अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना प्रदान करेगी।
- (8) अध्यक्ष स्वयं के सम्बन्ध में, सदस्य (प्रशासन), अन्य सदस्यगण, सचिव, उपसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी तथा आयोग के समस्त कर्मचारियों के लिए नियंत्रक अधिकारी होंगे तथा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त, आयोग के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- (9) सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, परन्तु वह यदि आवश्यक समझें, तो लिखित आदेश द्वारा, अपनी समस्त अथवा कोई भी शक्ति आयोग के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
- (10) कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग सचिव करेंगे, इसके अतिरिक्त वह उन शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे, जो आयोग द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार प्रत्यायोजित की जाएँ।

155 आयोग का लेखा परीक्षण एवं प्रतिवेदन

- (1) आयोग को उचित रूप से संधारित लेखांकन अभिलेख रखना अनिवार्य होगा, जिसका आन्तरिक लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी अर्हताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 के अधीन परिभाषित है) द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार किया जाएगा एवं ऐसे लेखा- अभिलेख राज्य सरकार को समर्पित किए जाएंगे।
- (2) आयोग, वार्षिक लेखा का समापन होते ही यथाशीघ्र एक लेखा विवरण तैयार करेगा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखा परीक्षण हेतु, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक तक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित करेगा।
- (3) राज्य सरकार, झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के लेखा का परीक्षण लेखा परीक्षण अथवा सम्पूर्ण लेखा परीक्षण निर्धारित अंतराल पर कराने की व्यवस्था करेगी, जो कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड तथा वित्त विभाग, झारखण्ड के लेखा निदेशालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा अथवा जैसा नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (4) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक राज्य सरकार को आयोग द्वारा संपादित कार्यों पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, और राज्य सरकार को यह उत्तरदायित्व होगा कि उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाए।

156 अनुपालन में विफल रहने पर दण्ड

यदि कोई निकाय आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह नियमों में विनिर्दिष्ट विधिक तथा दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

157 सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण

इस अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई अथवा करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्य के लिए आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

158 अभियोजन पर निषेध

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन किसी अधिकारी या प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ नहीं किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

159 आयोग की कार्यवाहियों की वैधता

- (1) आयोग का कोई भी कृत्य अथवा कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं मानी जाएगी कि,-
 - (क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या दोष; अथवा
 - (ख) इसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति नियुक्ति में कोई दोष या अनियमितता; अथवा
 - (ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता, जिसका कोई भौतिक प्रभाव न हो।

160 आयोग के निर्णयों का प्रमाणीकरण

आयोग के समस्त आदेशों एवं निर्णयों का प्रमाणीकरण इस अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत नियुक्त सचिव अथवा आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

161 आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन

- (1) यदि इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन कोई प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिकार किसी अधिकारी में निहित न हो, तो वह समस्त अधिकार अध्यक्ष में निहित होंगे।
- (2) अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रत्येक चयन के लिए, जहाँ अपेक्षित हो, किसी विशिष्ट अनुशासन/व्यवसाय में राज्य शासन के अधिकारियों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, शिक्षाविदों, भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो उक्त अनुशासन/व्यवसाय में विशेषज्ञता रखते हों, का विशेषज्ञ के रूप में मनोनयन कर सकें।
- (3) आयोग, अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा, अपने अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन), अन्य सदस्य अथवा अधिकारी को, आयोग में संपादित कार्यों की सामान्य पर्यवेक्षण तथा दिशा-निर्देशन प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर सकता है, जिसमें कार्यालय व्यय तथा आयोग की आंतरिक प्रशासन व्यवस्था सम्मिलित है।

162 लंबित चयन तथा प्रोन्नति का हस्तांतरण

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के सभी लंबित चयन, चाहे विज्ञापित हों अथवा नहीं, तथा ऐसी प्रोन्नतियाँ, जिन पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोई अनुशंसा या सहमति प्रदान नहीं की गई हो, उन्हें *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना द्वारा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को हस्तांतरित किया जाएगा।

163 आयोग के लिए नियमावली बनाने की शक्ति

- (1) राज्य सरकार *अधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन), अन्य सदस्यगण, अधिकारीगण अथवा आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा सेवा-नियमों तथा इस अधिनियम के उद्देश्य एवं प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक अथवा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विषय हेतु नियम बना सकेगी।
- (2) आयोग, राज्य शासन की पूर्वानुमति के बिना भी, परीक्षा-आयोजन शुल्क, साक्षात्कार संचालन शुल्क तथा अधिनियम के अन्तर्गत आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं दायित्वों के पालन की प्रक्रिया से संबद्ध नियमों को निर्माण अथवा संशोधन कर सकेगा।
- (3) इस अधिनियम के उप-धारा (2) के अन्तर्गत निर्मित नियमों को छोड़कर, सभी नियमों के निर्मित होते ही राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा *अधिकारिक राजपत्र* में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

अध्याय XVI: सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर**164 सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर**

- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय, अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि उसका परिसर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग, बिक्री और प्रचार से मुक्त रहे। संस्थान, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, अधिसूचित "तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देशों" को अनिवार्य रूप से लागू करेंगे।
- (2) विश्वविद्यालयों के मामले में कुलपति, निदेशक, छात्र मामले और कुलानुशासक का, तथा अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालयों के मामले में प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन और निरंतर प्रवर्तन सुनिश्चित करें, तथा परिसर को सिगरेट और तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाए रखें।

- (3) प्रत्येक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की बाहरी सीमा से एक सौ (100) गज की परिधि को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम 34) की धारा 6 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित क्षेत्र माना जाएगा और तदनुसार, ऐसे क्षेत्र के भीतर सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के किसी व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति या वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक, छात्र मामले और कुलानुशासक, तथा प्रत्येक अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, अपने-अपने परिसरों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम 34) के अंतर्गत जारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के सभी लागू प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय XVII: संक्रमणकालीन प्रावधान

165 विद्यमान पदाधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतरता

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व की तारीख को किसी विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी, चाहे वह शिक्षण या शिक्षकेत्तर कर्मचारी हो, पद धारण करता है, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा जो उस तारीख से ठीक पूर्व तिथि तक उस पर लागू थीं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए गए हैं।

166 निरंतरता से संबंधित प्रावधान

- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ की तिथि को, उक्त पद धारण करता रहेगा और ऐसे सदस्यों वाला प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उस तारीख तक करेगा, जिस तिथि तक प्राधिकरण का पुनर्गठन समझा जाए या इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छह महीने की अवधि तक, जो भी बाद में हो।
- (2) जिस तारीख को किसी प्राधिकरण का पुनर्गठन समझा जाता है या जिस तारीख को छह महीने की अवधि समाप्त हो जाए, जो भी बाद में हो, किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, जो इस धारा के अधीन पद पर बना रहता है, अपना पद रिक्त कर चुका समझा जाएगा।
- (3) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई प्राधिकरण या निकाय गठित नहीं किया जा सकता है, तो कुलपति, राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, ऐसे प्राधिकरण के अंतरिम गठन हेतु आवश्यक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
- (4) उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित ऐसे प्राधिकरण का कार्यकाल, उसके गठन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक या ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय के विधिवत गठित होने तक, जो भी पहले हो।
- (5) संदेह निवारणार्थ, यह उद्घोषित किया जाता है कि ऐसे प्राधिकरण के अंतरिम गठन की अवधि से एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर, उक्त प्राधिकरण का कार्य समाप्त हो जाएगा तथा नवगठित प्राधिकरण अथवा निकाय, उक्त अंतरिम गठन की अवधि की समाप्ति की तिथि से लागू माना जायेगा।

167 निरसन एवं व्यावृत्ति

- (1) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित अधिनियम निरसित माने जाएंगे:-
 - (क) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) इसके सभी संशोधनों सहित;

- (ख) झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011;
- (ग) झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016; तथा
- (घ) पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022
- (2) इस धारा की उप-धारा (1) में उल्लिखित उक्त अधिनियमों के निरसन के होते हुए भी,-
- (क) वर्तमान अधिनियम के आने से पहले संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां या राज्य सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद उसे निरस्त या संशोधित नहीं कर दिया जाता;
- (ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ पर, उस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के समाप्त होने तक उक्त पद धारण करता रहेगा, यदि वह इस रूप में बना रहता, जब तक कि वह पूर्वोक्त रूप में अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से कुलपति नहीं रह जाता है और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रदत्त और अधिरोपित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;
- (ग) सभी महाविद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले विश्वविद्यालय से संबद्ध, इस अधिनियम के अंतर्गत उसी विश्वविद्यालय से तब तक संबद्ध समझे जाएंगे जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत अब उस विश्वविद्यालय द्वारा उनकी संबद्धता वापस नहीं ले ली जाती और उन्हें किसी नए विश्वविद्यालय से संबद्धता के साथ *अधिकारिक राजपत्र* में उक्त विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के साथ अधिसूचित नहीं कर दिया जाता;
- (घ) अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान जो विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का हक प्राप्त था, उन्हें उसी विश्वविद्यालय के समान विशेषाधिकार प्राप्त होते रहेंगे;
- (ङ) विश्वविद्यालय की सभी संपत्ति, चल या अचल, तथा सभी अधिकार, किसी भी प्रकार के हित, शक्तियां और विशेषाधिकार, बिना किसी अतिरिक्त आश्वासन के, उस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे तथा उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए लागू होंगे जिनके लिए उस विश्वविद्यालय का गठन किया गया है;
- (च) अनुसूची-1 में उल्लिखित निरस्त अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई या जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, आदेश, निर्देश, परिनियमों, अध्यादेश और नियम, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, तब तक लागू रहेंगे और इस अधिनियम के तहत उस प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या जारी किए गए माने जाएंगे जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं हो जाते;
- (छ) ऐसे निरसन के उपरांत भी, विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अंतर्गत झारखण्ड लोक सेवा आयोग या झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त हुआ था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी; तथा
- (ज) यह अधिनियम राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या झारखण्ड लोक सेवा आयोग या झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचित ऐसे सभी आदेशों, नियमों, विनियमों को प्रतिस्थापित करेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।

168 समस्याओं का निवारण

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अवसर आने पर, *आधिकारिक राजपत्र* में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली कोई भी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

169 आधिकारिक पाठ की भाषा

इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि अधिनियम के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी प्रकार का अंतर पाया जाए या विसंगति है, तो अधिनियम का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसूची-I

क्र० सं०	अधिनियम का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार
I	II	III	IV
1.	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 यथा संशोधित	राँची विश्वविद्यालय	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल
2.		विनोबा भावे विश्वविद्यालय	गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद एवं बोकारो जिलों को छोड़कर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल
3.		सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय	दुमका प्रमंडल
4.		बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय	बोकारो और धनबाद जिला
5.		कोल्हान विश्वविद्यालय	कोल्हान प्रमंडल
6.		नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय	पलामू प्रमंडल
7.		डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची	झारखण्ड राज्य
8.		जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय	झारखण्ड राज्य
9.		बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	झारखण्ड राज्य
10.		सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय	गिरिडीह और कोडरमा जिला
11.	झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011	झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	झारखण्ड राज्य
12.	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय	झारखण्ड राज्य
13.	पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022	पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय	झारखण्ड राज्य

अनुसूची-II

शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थान	क्षेत्राधिकार
I	II	III	IV	V
1.	राँची विश्वविद्यालय	1960	राँची	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल
2.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	1992	हजारीबाग	गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद एवं बोकारो जिलों को छोड़कर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल
3.	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय	2017	धनबाद	बोकारो और धनबाद जिला
4.	कोल्हान विश्वविद्यालय	2007	चाईबासा	कोल्हान प्रमंडल
5.	सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय	1992	दुमका	संथाल परगना प्रमंडल
6.	नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय	2007	मेदिनीनगर	पलामू प्रमंडल
7.	बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	2019	देवघर	झारखण्ड राज्य
8.	झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2011	राँची	झारखण्ड राज्य
9.	सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय	2024	गिरिडीह	गिरिडीह एवं कोडरमा जिला

अनुसूची-III

अनुसंधान प्रधान एकल विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थान	क्षेत्राधिकार
I	II	III	IV	V
1.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय	2017	राँची	झारखण्ड राज्य
2.	जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय	2019	जमशेदपुर	झारखण्ड राज्य
3.	पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय	2022	जमशेदपुर	झारखण्ड राज्य
4.	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय	2016	राँची	झारखण्ड राज्य

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची

**झारखण्ड सरकार
विधि (विधान) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय धूर्वा, राँची-834004**

- अधिसूचना -

राँची, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026

संख्या-एल0जी0-04/2025-17 लेज० झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-17/04/2026 को अनुमत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES ACT, 2026
(Jharkhand Act- 05, 2026)**

Contents

Preamble

CHAPTER I: PRELIMINARY

- 1 Short title, extent and commencement
- 2 Definitions

CHAPTER II: STATE UNIVERSITIES

- 3 Incorporation of Universities
- 4 Objects of the University
- 5 Powers and duties of the University
- 6 Jurisdiction and admission to the privileges of University
- 7 University open to all
- 8 Power of the State Government

CHAPTER III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

- 9 Officers of the University
- 10 Chancellor
- 11 Pro Chancellor
- 12 Vice Chancellor
- 13 Pro-Vice Chancellor
- 14 Financial Advisor
- 15 Registrar
- 16 Controller of Examinations
- 17 Finance Officer
- 18 Dean (Academic Affairs)
- 19 Dean of Faculty

-
- 20 Head of Department
 - 21 Proctor
 - 22 Director, Study Centre of University
 - 23 Director, Regional Centre of the University
 - 24 Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship
 - 25 Director, Information Technology and Digital Learning
 - 26 Director, Knowledge Resource Centre
 - 27 Director, Lifelong Learning and Education
 - 28 Director, Student Affairs and Director, NSS
 - 29 Director, Sports and Physical Education
 - 30 Director, Internal Quality Assurance Cell
 - 31 Director, Inclusive Education
 - 32 Director, Human Resource Management
 - 33 Director, Internship, Apprenticeship and Placement
 - 34 Director, Estate and Facility Management
 - 35 Director, Public Relations and Community Outreach
 - 36 Director, Student Art and Culture
 - 37 Director, Constituent Colleges
 - 38 Director, Affiliated Colleges
 - 39 Employees of the University to be public servants

CHAPTER IV: AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

- 40 Authorities of the University
- 41 Senate
- 42 Syndicate
- 43 Academic Council
- 44 Faculty
- 45 Board of Studies
- 46 Board of Examinations and Evaluation
- 47 Board of Lifelong Learning and Education
- 48 Board of Information Technology and Digital Learning
- 49 Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship
- 50 Board of Student Affairs
- 51 Board of Sports and Physical Education
- 52 Board of Human Resource Management
- 53 Board of Internship, Apprenticeship and Placement
- 54 Board of Inclusive Education
- 55 Board of Estate and Facility Management
- 56 Board of Constituent Colleges

- 57 Board of Affiliated Colleges
- 58 Board of Study Centres
- 59 Board of Regional Centres
- 60 Board of National and International Linkages
- 61 Board of Student Art and Culture
- 62 Term of Office of Members of Authorities
- 63 Cessation of membership
- 64 Disqualification for membership of authority
- 65 Ineligibility for second consecutive term
- 66 Conclusiveness of decision of authority
- 67 Resignation of membership
- 68 Meeting of the Authorities
- 69 Casual vacancy and Standing Committee to fill vacancies
- 70 Proceedings of University authorities and bodies not invalidated to vacancies

CHAPTER V: COUNCIL, COMMITTEES AND CELLS

- 71 Council, Committees and Cells
- 72 Advisory Committee
- 73 Finance and Accounts Committee
- 74 Internal Quality Assurance Cell
- 75 Library-cum-Knowledge Resources Committee
- 76 Purchase Committee
- 77 Students Union and Student Council
- 78 Building and Works Committee
- 79 Fee Fixation Committee
- 80 Public Relations Committee
- 81 Internal Complaints Committee

CHAPTER VI: SELECTION, APPOINTMENT AND PROMOTION OF OFFICERS, TEACHING AND NON-TEACHING EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

- 82 Appointment of Registrar, Financial Advisor, Controller of Examinations and Finance Officers of the University
- 83 Appointment of all Deans, Directors, Head of Departments and Proctor of the University
- 84 Appointment and Promotion of Teachers
- 85 Appointment for Principals of Constituent Colleges of the University
- 86 Appointment and Promotion of non-teaching staff of the University
- 87 Temporary Vacancies, Contractual appointments and Professor of Practice
- 88 Creation of Posts
- 89 Posting, Transfer and Deputation
- 90 Conditions of Service
- 91 Retirement from Service

- 92 Termination from Service
- 93 Action against Unlawful Activities

CHAPTER VII: ADMISSION, EXAMINATION, EVALUATION AND OTHER MATTERS RELATING TO STUDENTS

- 94 Admission
- 95 Disputes relating to admission
- 96 Examination and evaluation
- 97 Declaration of results
- 98 Examination and evaluation not invalid for non-compliance with Schedule
- 99 Sports and extra- curricular activities

CHAPTER VIII: GRIEVANCES OF STUDENTS AND EMPLOYEE

- 100 Student Grievance Redressal Committee
- 101 Employees Grievance Redressal Committee
- 102 Employees Grievance Redressal Tribunal
- 103 Employees Right of appeal
- 104 General Powers and Procedure of Employees Grievance Redressal Tribunal and Committee
- 105 Powers of Tribunal to give appropriate relief and directions
- 106 Decision of Tribunal to be final and binding
- 107 Penalty to University for failure to comply with directions of Tribunal

CHAPTER IX: PERMISSION FOR AFFILIATION AND RECOGNITION

- 108 Conditions for affiliation and recognition
- 109 Autonomous Colleges
- 110 Empowered Autonomous Colleges
- 111 Empowered Autonomous Cluster Institutions

CHAPTER X: ENROLMENT, DEGREES AND CONVOCATIONS

- 112 Post graduate teaching and research
- 113 Self-financed Courses
- 114 Enrolment of Students
- 115 Disciplinary powers and discipline
- 116 Degrees, diplomas and certificates
- 117 Honorary Degrees
- 118 Convocation
- 119 Registered Graduates
- 120 Removal of name from register of graduates

CHAPTER XI : STATUTES, UNIVERSITY ORDINANCES AND UNIVERSITY RULES

- 121 Statutes
- 122 University Ordinance
- 123 University Rules

CHAPTER XII: UNIVERSITY FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

- 124 Annual Financial Statements
- 125 University Fund
- 126 Financial Sustainability
- 127 Annual Accounts and Audit
- 128 Annual Reports

CHAPTER XIII: MISCELLENOUS

- 129 Authorities and Employees responsible for damages
- 130 Membership of State Legislature and Parliament
- 131 Pensions, Gratuity, Insurance and Provident Fund
- 132 Interpretation, disputes etc.
- 133 Protection of Acts and Orders
- 134 Delegation of Powers
- 135 Acts and proceedings not invalid

CHAPTER XIV: ESTABLISHMENT OF NEW UNIVERSITIES

- 136 Conditions for establishment of New University
- 137 Project Report
- 138 High Power Committee
- 139 Compliance to approval of State Government
- 140 Enactment of New University
- 141 Issue of order providing for matters when new University is constituted

CHAPTER XV: JHARKHAND STATE UNIVERSITY SERVICE COMMISSION

- 142 Establishment of Commission
- 143 Composition of the Commission
- 144 Selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members
- 145 Term of Office and Conditions of Service of Chairperson, Member (Administration) and other Members
- 146 Resignation and Removal of Chairperson, Member (Administration) and other Members
- 147 Power to Associate
- 148 Officers and Employees of the Commission
- 149 Powers and duties of the Commission
- 150 Selection of Officers, Principals, Teachers and non-Teaching Staff of the University
- 151 Promotion of Officers, teachers and non-teaching staff of the University
- 152 Power to call for records
- 153 Duty and Responsibility to conduct Jharkhand Eligibility Test
- 154 Funds and Accounts of the Commission
- 155 Audit and Report of Commission
- 156 Punishment for non-compliance
- 157 Protection for action taken in good faith

- 158 Prohibition of Prosecution
159 Validation of Proceedings of Commission
160 Authentication of Decisions of the Commission
161 Delegation of Powers of the Commission
162 Transfer of Pending Selection and Promotion
163 Power to make Rules for the Commission

CHAPTER XVI: CIGARETTE AND TOBACCO FREE CAMPUS

- 164 Cigarette and Tobacco Free Campus

CHAPTER XVII: TRANSITORY PROVISIONS

- 165 Continuation of existing officers and employees
166 Provisions relating to continuance
167 Repeal and Savings
168 Removal of difficulties
169 Language of Authoritative Text

Schedule- I

Schedule-II

Schedule-III

THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES ACT, 2026**Preamble**

An Act to unify law relating to the State Universities established under the Jharkhand State Universities Act, 2000, as adapted including all its amendment; Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016; Jharkhand University of Technology Act, 2015 and Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022; and to establish new Teaching Intensive Affiliating and Research Intensive Unitary State Universities in the State

WHEREAS it is expedient to provide for a uniform pattern for the constitution, academic autonomy, financial independence and efficient administration of non-agricultural and non-medical Universities in the State of Jharkhand and to make better provisions thereof.

AND WHEREAS the Government of Jharkhand feels it is expedient to make a law to provide for better governance, academic standards, quality education, academic autonomy and excellence, adequate representation through democratic process, and strengthen the higher education institutions

AND WHEREAS the Government of Jharkhand feels it is necessary to regulate the non-agricultural and non-medical Universities in the State of Jharkhand in an effective manner, to provide for participation of Universities in social and educational spheres, to constitute various Boards and Committees and to repeal the Acts of the Universities of the State of Jharkhand;

It is hereby enacted in the Seventy-Seventh Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER I: PRELIMINARY**1 Short title, extent and commencement**

- (1) This Act may be called the Jharkhand State Universities Act, 2026.
- (2) It shall extend to all Universities mentioned in the Schedule II and Schedule III of this Act and established in the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force from the date of its notification in the *Official Gazette*.

2 Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires: -

- (a) "ABC" means Academic Bank of Credit;
- (b) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (c) "affiliated college" means a college which has been granted affiliation by the University;
- (d) "AICTE" means the All India Council for Technical Education as established under All India Council for Technical Education Act, 1987;
- (e) "authorities" means the authorities of the University as specified by or under this Act;
- (f) "autonomous college" or "autonomous institution" means a college or institution to which autonomy in the manner as prescribed by the Statutes;
- (g) "autonomy" means a privilege of the University conferred by the Statutes to permit a college or an institution to conduct academic programme(s), examinations and develop syllabus for the respective subjects in line with the provisions of University Grants Commission (UGC);
- (h) "bi-annual meeting" means one of the two meetings of the Senate to be held every year;
- (i) "boards" means the boards of the University;
- (j) "bodies" means the bodies of the University formed by the respective authorities;
- (k) "Chancellor" and "Pro Chancellor" shall mean the Chancellor and Pro-Chancellor of the University as provided in this Act;
- (l) "Chief Minister" means the Chief Minister of the State of Jharkhand;
- (m) "college" means a college constituted by or affiliated to the University;
- (n) "constituent college" means a college maintained and managed by the University and/or State Government;

- (o) “committee” means the committee of the University and/or college under the jurisdiction of the University;
- (p) “Commission” means the Jharkhnad State University Service Commission established under Section 142 of this Act;
- (q) “Community College” means a sub-unit of any Constituent College established by the State Government, particularly in remote or educationally disadvantaged areas of the State with low Gross Enrolment Ratio (GER), to offer vocational, skill-based, or higher education programmes up to the undergraduate diploma level, aligned with the National Skills Qualifications Framework (NSQF) by National Council for Vocational Training and Education or the National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) by UGC, and functioning as a feeder institution to any Constituent or Affiliated College in the manner as may be prescribed by the Statutes;
- (r) “Dean” means Dean of concerned faculty and Dean of Academic Affairs of the University;
- (s) “degree”, “diploma”, “certificate” means academic qualifications granted by the University;
- (t) “department” means a department conducting research, providing consulting and extension services, and teaching a particular subject or a group of subjects in a college or University as prescribed by the Statutes;
- (u) “Department of Higher and Technical Education” means Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (v) “Director” means a head of an institution, or a board or a centre of the University as designated by the Senate or Syndicate;
- (w) “Director of Higher Education” and “Director of Technical Education” means the Director of Higher Education and Director of Technical Education under the Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (x) “Employee” means permanent regular teachers, non-teaching staff and Officers appointed against sanctioned posts of the University;
- (y) “Empowered Autonomous College” means an autonomous college that is approved by the University Grants Commission (UGC) as a College with potential for Excellence or College of Excellence, which has high level grade as specified by the Government by notification in the *Official Gazette* has been given the status of Empowered Autonomous College by the Authority in the manner as prescribed by the Statutes, with a power to grant degree of such College jointly with the teaching intensive University;
- (z) “Empowered Autonomous Cluster Institutions” means a group of autonomous colleges of the same management or educational society which includes the colleges identified by the University Grants Commission (UGC) as College with potential for excellence or College of Excellence, which have high level grade as specified by the Government by notification in the *Official Gazette* as has been given the status of Empowered Autonomous Cluster Institution by the Authority in the manner as prescribed by the Statutes, and is empowered to grant a joint degree with the teaching intensive University;
- (aa) “fee” means tuition fees, other fees and charges, including developmental charges, paid for imparting education;
- (aa) “He” and “Him” mean a gender neutral pronouns used in this Act;
- (ab) “Head of the University Department” and “Head of the College Department” means respectively, a Head of the University Department, and a Head of the College Department, as prescribed by the Statutes;
- (ac) “higher education” means education imparted by the University, University Department or

- any College;
- (ad) “honorary degree” means a degree or academic qualification conferred on any person, by reason of eminent attainment or distinction as may be decided by the Senate and confirmed by State Government;
- (ae) “Hostel” means a place of residence for the students of the University or a college or an institution, provided, established, maintained, by the University or college or institution, as the case may be;
- (af) “institution” means an academic institution of learning, other than a college, associated and admitted to the privileges of the University;
- (ag) “JCSTI” means Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation, an autonomous body of Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (ah) “JSFDA” means Jharkhand State Faculty Development Academy, an autonomous body of Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (ai) “JSHEC” means Jharkhand State Higher Education Council, an autonomous body of Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (aj) “management” means the trustees or the managing or governing body, by whatever name called, of any trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 or any society registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Company registered under section 8 of the Companies Act, 2013, under the management of which one or more colleges or other institutions of higher learning, are admitted to the privileges of the University;
- (ak) “Lecturer” means a teacher of a College or University possessing such qualification as may be prescribed by the Statutes;
- (al) “NAAC” means National Assessment and Accreditation Council;
- (am) “NBA” means National Board of Accreditation;
- (an) “non-vacational academic staff” means such staff as the State Government may classify to be non-vacational academic staff such as Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Finance Officer, Controller of Examination, all Deans, Heads of University Post Graduate Department, Director / Principal and includes all such staff which is engaged in discharging administrative functions;
- (ao) “Officers” means officers of the University appointed and/or nominated by the competent authority which includes Financial Advisor, Proctor, Registrar, Finance Officer, Controller of Examination and other;
- (aq) “Other Backward Classes” means any socially and educationally backward classes of citizens as declared by the State Government and includes Other Backward Classes declared by the Government of India in relation to the State of Jharkhand;
- (ar) “particularly vulnerable tribal group (PVTG)” means tribes declared as such by the State Government or Government of India, from time to time;
- (as) “public University” means an University established by the Act of Parliament or State Act and is managed and maintained by the Central or State Government;
- (at) “post-graduate department” means a department in a college or institution of higher learning, research or specialised studies, recognised to be so by the University and imparting post-graduate instruction or guidance for teaching and research;
- (au) “prescribed” means prescribed by Statutes or University Ordinances or Rules, as the case may be, made by or under this Act;
- (av) “principal” means the head of a Constituent or Affiliated College, of the University;
- (aw) “Professor”, “Associate Professor” or “Assistant Professor” means faculty or teacher in

- the respective capacity as prescribed by the Statutes or notified by the State Government from time to time;
- (ax) “Reader” means a teacher of a College or the University possessing such qualifications as may be prescribed by the Statutes;
- (ay) “Regional Centres” means a comprehensive inherent independent unit of the University enlisted in Schedule – II of this Act for a predetermined geographical jurisdiction approved by the Competent Authority for decentralization of administrative and extension activities of that jurisdiction, with the objective of improving efficiency and effectiveness;
- (az) “registered graduate” means a graduate of a University registered or deemed to be registered by or under this Act with one of the universities;
- (ba) “Regulatory Body” means and includes a body such as UGC, AICTE, NCTE, NMC, PCI, ICAR, BCI established for maintenance of standards of higher education;
- (bb) “Research Intensive Unitary University” means a University established under this Act which are of unitary in nature and does not have power to affiliate any college;
- (bc) “sanctioned post” means the posts sanctioned by the State Government;
- (bd) “Schedule” means the Schedule appended to this Act;
- (be) “Scheduled Castes” means such castes, races or tribes or parts of, or groups within, such castes, races or tribes as are deemed under article 341 of the Constitution of India to be the Scheduled Castes for the purpose of this Act;
- (bf) “Scheduled Tribes” means such tribes or tribal communities or parts of or groups within, such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 of the Constitution of India to be Schedule Tribes for the purpose of this Act;
- (bg) “Senate” means the Senate of the University;
- (bh) “Self-financed Courses” means such academic, professional, vocational, or skill-based programs of study introduced or conducted by the University or its Constituent Colleges, which do not receive any financial assistance or budgetary support, whether recurring or non-recurring, from the State Government; and for which the entire expenditure, including but not limited to faculty and staff salaries, equipment, administrative expenses, and operational costs, is met through the fees collected from students enrolled in such courses or through any other non-governmental sources, subject to such regulatory approvals or oversight as may be prescribed by the State Government or the University or regulatory body;
- (bi) “State Government” means the State Government of Jharkhand and other such Competent Authorities or Officers of the State Government with powers delegated and functions defined in the manner as prescribed by the Statutes;
- (bj) “State Reservation Policy” means the Reservation Policy of Jharkhand as notified and amended from time to time;
- (bk) “Statutes”, “University Ordinances”, and “Rules” mean, respectively, the Statutes, University Ordinances, and rules made by or under this Act;
- (bl) “Student” means an individual who is admitted and registered for an academic program of the University or affiliated college or constituent college of the University;
- (bm) “Study Centre” means a comprehensive inherent independent unit of the University for a predetermined geographical jurisdiction approved by the competent authority for decentralization of academic and research activities of that jurisdiction;
- (bn) “Syndicate” means the Syndicate of the University;
- (bo) “teacher” means full time regular professor, associate professor, assistant professor, reader, lecturer, principal, Director of an Institution, Director or Instructor of physical education

- in any University department, constituent, affiliated or autonomous college of the University;
- (bq) “Teaching Intensive Affiliating University” means a University established under this Act which have power to affiliate any college;
- (br) “University” means State Universities mentioned in the Schedule I, II, and III of this Act;
- (bs) “University department” means a department established and maintained by the University as prescribed by the Statutes, conducting research, providing consultancy and extension services, and teaching a particular subject or a group of subjects;
- (bt) “University Fund” means the fund of the University established under section 124 of this Act;
- (bu) “University Grants Commission” means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956; and
- (bv) “Vice Chancellor” and “Pro-Vice Chancellor” means the Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor of the University respectively.

CHAPTER II: STATE UNIVERSITIES

3 Incorporation of Universities

- (1) Each of the existing Universities, specified in column III of Schedule I, with effect from the date of commencement of this Act, shall be deemed to be constituted under this Act for the territorial jurisdiction as specified in the Schedule II and Schedule III.
- (2) The State Government may, from time to time, by notification in the *Official Gazette*, constitute any new University under this Act by such name, for such area/ territorial jurisdiction and with effect from such date, as may be specified by it, and insert necessary entries in Schedule II for Teaching Intensive Affiliating University and Schedule III for Research Intensive Unitary University, as the case may be; and may for that purpose or any other purpose specified in that behalf diminish, increase or alter the area of any existing or new University, by amending the respective Schedule, by the said notification, and thereupon the entries in Schedule II or Schedule III, as the case may be, shall stand amended accordingly, and all educational institutions, whether colleges, institutions, autonomous or empowered autonomous colleges, empowered autonomous cluster institutions, post-graduate departments, or the Study Centres, by whatever name called, within the area of the new University, which are affiliated or constituted to or recognised by the existing University shall, from the date aforesaid, stand affiliated or constituted to or recognised by the new University.
- (3) Each University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that, no such lease, sale or transfer of such property shall be made without the valuation, made thereof by the approved valuer appointed by the University, and with the prior consent of the State Government.

4 Objects of the University

- (1) The objects of the University, in general, shall be to disseminate, create and preserve knowledge and understanding by teaching, research and development, skill development, training and education, extension and service and by effective demonstration and influence of its corporate life on a society in general, and in particular, the objects shall be to-
 - (a) carry out its responsibility of creation, preservation and dissemination of knowledge;

- (b) promote discipline and the spirit of intellectual inquiry and to dedicate itself as a fearless academic community to the sustained pursuit of excellence;
- (c) encourage individuality and diversity within a climate of tolerance and mutual understanding;
- (d) promote freedom, secularism, equality, social justice as enshrined in the Constitution of India, and to be catalyst in patriotic socio-economic transformation by promoting basic attitudes and values of essence to national development;
- (e) promote the conducive environment for ensuring social harmony, co- existence, integral humanism and upliftment of the poorest of the poor;
- (f) extend the benefits of knowledge, life and employability skills for development of individuals and society by associating the University closely with local, regional and national problems of development;
- (g) carry out social responsibility as an informed and objective critic, to identify and cultivate talent, to train the right kind of leadership in all walks of life and to help younger generation to develop right attitudes, interests and values;
- (h) promote equitable distribution of teaching, learning, training and other support services facilities of higher education;
- (i) to promote training and skills in research and innovation for solving societal issues with the use of state-of-the art communication, media and technologies;
- (j) devise motivational systems to ensure that individual cognitive abilities are not constrained, but rather the innovative spirit and desire to make true contribution and realize self-achievement is nurtured;
- (k) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunities of upgrading knowledge, training and skills in emerging and future technologies appropriate for a learning society;
- (l) promote national integration, fraternity and preserve cultural heritage and inculcate respect towards different religions and diverse cultures of India through the study of different religions, literature, history, science, art, civilizations and cultures;
- (m) build up financial self-sufficiency by undertaking academic teaching, training and allied programme, research and development activities for State or Private industries, Government organisations at local, regional, national and global level and resource generative services in a cost-effective manner;
- (n) to strive for financial self-sustenance through introduction of employment centric self-financing courses, consulting opportunities, collaboration with State Government, research focused industry linkages and other similar proactive measures;
- (o) promote better interaction and co-ordination among different universities, institutions and colleges in the given University, other universities in the State, in the region, in the nation and at a global level by all such means generally to improve the governance of the University and facility it provides for higher education;
- (p) generate and promote a sense of self-respect and dignity amongst the weaker sections of the society;
- (q) promote gender equality and sensitivity in society;
- (r) strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion in all academic and other matters relating to students;
- (s) register with Academic Bank of Credits (ABC), a national-level facility which will

- be a bank for academic purposes with students as an academic account holder;
- (t) develop various strategies and initiatives and provide an excellent opportunity through a wide array of activities for internationalization such as internationally relevant curricula, popularisation of State Universities, academic and research collaboration with foreign Universities, credit recognition under twining arrangements, global citizenship approach and engaging with foreign alumni;
 - (u) carry out all instructions, norms, as and when issued by the University Grants Commission (UGC) from time to time;
 - (v) the University shall imbibe the spirit of full disclosure and ensure that the following information is readily accessible on its website for public information and disclosure:-
 - (i) about the Institute, Acts and Statutes and its Institutional Development Plan;
 - (ii) contact details and links to the website of Constituent and Affiliated Colleges, if applicable;
 - (iii) accreditation / ranking status in NAAC, NIRF and Jharkhand State Institutional Ranking Framework;
 - (iv) recognition regarding Autonomous Status and Approval from UGC under Sections such as 2(f), 12(b) etc.;
 - (v) detailed Profiles with Photographs of key administrative personnel, Head of the Departments, Senate and Syndicate members;
 - (vi) details of the Academic Programs wise infrastructure facilities available for research and development;
 - (vii) policies regarding admission, fees and fee refund policy;
 - (viii) details of various facilities Cells available such as Research and Development Cell, Incubation / Innovation and Entrepreneurship Cell, Anti-Ragging Cell, Equal Opportunity Cell;
 - (ix) facilities available for differently abled and Socio-economically Disadvantaged Groups;
 - (x) replies to Questions submitted to Parliament and State Legislature of Jharkhand;
 - (xi) annual report of the University and its Constituent College, if applicable;
 - (xii) annual reports and Audited Statements of Accounts of the University and its Constituent Colleges;
 - (xiii) audit reports of various Universities and its Constituent Colleges;
 - (xiv) circulars and office orders issued from time to time;
 - (xv) correspondence with other Departments/ Boards/ Agencies/ persons;
 - (xvi) Orders regarding constituting Committees from time to time and reports submitted by such Committees; and
 - (xvii) any other information required under the Guidelines for Public Self-Disclosure by Higher Education Institutions, 2024 as amended from time to time.

5 Powers and duties of the University

The University shall have the following powers and duties, related to: —

- (1) Teaching and Learning, namely as: -
 - (a) to impart instruction in such branches of learning as the University may think fit including professional studies and technology;

- (b) to create and deliver well-structured, engaging, and up-to-date curricula;
 - (c) use diverse teaching methodologies to meet the needs of all learners;
 - (d) to incorporate the latest research findings into teaching practices;
 - (e) to equip students with critical thinking, problem-solving, and professional skills;
 - (f) to ensure that teaching aligns with accreditation and institutional benchmarks;
 - (g) to collaborate across departments for Interdisciplinary Teaching;
 - (h) to carry out need assessment for establishment of Regional Center(s), Study Centre(s), and Community College(s), as applicable within its jurisdiction;
 - (i) to promote an inclusive and equitable quality learning environment; and
 - (j) to partner with external organizations to provide real-world learning opportunities.
- (2) Research and Collaboration, namely as: -
- (a) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge, and generally to cultivate and promote the arts (including fine arts and performing arts), humanities, social sciences, accounts and commerce, pure and applied sciences, present and emerging technologies, managements, different forms of medicine, engineering, law, physical education and other branches of learning and culture and their multi-disciplinary and inter-disciplinary areas;
 - (b) to establish, maintain and manage departments, institutions of research, institutions of specialised studies;
 - (c) to provide for establishment of study centres, and also to provide for and maintain common resource centres in such Study Centres in the form of post-graduate departments, libraries, laboratories, computer centres and the like centres of learning and skills training, as per the guidelines laid down by the State Government or by the University Grants Commission (UGC);
 - (d) to provide for the establishment of the University campus and / or study centres and / or Regional Centres depending on the administrative demand and requirement from students;
 - (e) to co-operate or collaborate with any other University, institution, authority or organisation for research and advisory services and for such purposes to enter into appropriate arrangement with other universities, institutions, authorities, or organisations to conduct certain courses as the situation may demand;
 - (f) to explore the possibilities of augmenting the resources of the University by exploring or innovating activities such as research and development, consultancy, training programme and providing services for different clients from industry, trade or any other non-government organisations;
 - (g) to undertake academic collaboration programmes, research and advisory services with Universities and institutions abroad, as per the regulations issued by UGC and related statutory bodies, from time to time with the vision of attaining self-sustenance;
 - (h) to undertake development programme in higher education, research, consultancy-based projects and training programme for outside agencies, by charging fees, so as to generate internal funds and other resources;
 - (i) to create knowledge, disseminate it, and foster high quality research, which is contemporary, globally competitive and locally as well as regionally and nationally relevant;
 - (j) to strengthen education at under-graduate and post-graduate level, promote research culture in relevant degree programme and cultivate desire for entrepreneurship; and
 - (k) to cultivate research parks, technology incubators and other engagement entities, to

translate University research to commercial domain and coordinated projects involving multiple faculty groups from several disciplines that address some important issues before the State.

(3) Appointment and Promotion of Employees, namely as: -

- (a) to make appointments to the posts of Officers, Directors, Principals, teachers, non-teaching staff and other posts of the University in the manner as prescribed by the Statutes;
- (b) promotion of University employees as per procedure prescribed by the Statutes;
- (c) to analyze the vacancies arising against the sanctioned posts for both teaching, non-teaching staffs and other posts of the University till 31st December of every year and preparation of the roster for timely appointment against such vacancies;
- (d) to facilitate inter University transfer of employees as per the procedure prescribed by the Statutes;
- (e) to establish Human Resource Development Centres (HRDCs) with the support of University Grants Commission (UGC) and other such arrangements for all-round training of its employees;
- (f) to carry out induction training, career development program, skill enhancement program and workshops for the employees of the University in collaboration with Jharkhand State Faculty Development Academy;
- (g) to periodically assess the performance of teachers in accordance with the norms prescribed by the University Grants Commission (UGC) and the Statutes;
- (h) to periodically assess the performance of non-teaching employees in accordance with the norms prescribed by the Statutes;
- (i) to collaborate with academic and research institutions for faculty exchange programs, joint collaborations, and research;
- (j) to regulate and monitor the attendance of the employees on the premises of the University or College during teaching or working hours as prescribed; and
- (k) to enforce conduct and discipline rules for employees prescribed by the Statutes or Rules framed in this regard.

(4) Internship, Apprenticeship and Placement of Students, namely as: -

- (a) to integrate internships as a mandatory component of certificate or diploma or degree or any other academic qualification;
- (b) to provide sufficient internship and apprenticeship opportunities for all students through partnerships, agreements, memorandum of understanding with industry bodies;
- (c) to establish dedicated board or office or cell focusing on internship, apprenticeship and placement of students;
- (d) to identify, advertise and engage apprentices and advanced apprentices as per the requirement of the University through merit-based selection process as per the norms of Government of India or the State Government, as applicable;
- (e) to introduce apprenticeship embedded degree programs with suitable industry partners as per the norms of University Grants Commission or any other regulating body as applicable;
- (f) to introduce specialised courses for improving employability of students;
- (g) to formulate policies for transparent merit-based placement of students;
- (h) to identify skills to which students need to be exposed to, by taking into account the local needs, training facilities available, emerging needs and new employment

- opportunities; and
- (i) to regularly update the curriculum, ensuring employability of students.
- (5) Finances of the University, namely as: -
- (a) to borrow funds for the purposes of the University on the security of the property of the University, with the prior permission of the State Government;
- (b) to receive funds for collaborative programme(s) from foreign agencies, subject to rules of the Central Government and the State Government in that behalf;
- (c) to create development corpus out of surplus that the University may generate through its teaching, learning, training, research, emerging technology, startup, innovations and development, consultancy and any other academic and support activities and to invest it in a professional manner and use the interest generated through it for the growth and development of academic, research and development, academic and physical infrastructure development and any other infrastructure;
- (d) to formulate strategic roadmap for generation of internal funds of the University by undertaking activities such as industry-academia collaboration, research and consultancy projects, alumni contribution and endowments, internationalization of education, intellectual property and technology transfer, start-up promotion and incubation, etc.;
- (e) to introduce or operate or wind-off self-financed courses out of the internal funds of the University and carry out recruitments and appointments of teaching and non-teaching employees, if any for such courses in the manner as prescribed;
- (f) to incur expenditure from various funding agencies within the Country without any share or contribution from the State Government, and contributions received from individuals, industries, institutions, organizations or any person whosoever, to further the objectives of the University, and contributions or fees for academic or other services offered by the University for aided and self-supporting academic programmes; and
- (g) to incur expenditure from the development fund, or any other fund established by the University for the purposes of creation of posts in various cadres, granting pay and allowances and other benefits to the posts created through its own funds provided those posts are not held by such persons, who are holding the posts for which government contribution is received, starting any academic programmes on self-financing basis, granting remunerations or incentives to its employees for performing any task assigned to them other than their regular duties and responsibilities and incurring expenditure on any development work and on welfare activities of its students and employees.
- (6) Promotion of Inclusive Education, namely as: -
- (a) to make special provisions for the benefit of University education to be made available to classes and communities which are socially and educationally backward or women students or divyangjan students or students from rural and tribal areas;
- (b) to introduce bridge courses for students belonging to underprivileged sections of the society;
- (c) to promote remedial courses for the academically weaker students; and
- (d) to take appropriate infrastructural or technological or social measures for complete safety of female teachers, non-teaching staff and students.
- (7) Operations of a University, namely as: -
- (a) to organize, maintain and manage University departments, institutions, laboratories, learning resource centres, libraries, museums and equipment for teaching, learning,

- training, research and development or extension;
- (b) to establish, maintain and manage hostels, health centres, auditoria, student resource centres, gymnasiums and other student related activities;
 - (c) to establish requisite infrastructure and engage personnel for campus security and safety of students and employees;
 - (d) to upgrade selected Constituent Colleges into Regional Centres of the University for decentralization of administrative and extension activities in the jurisdiction determined by the University;
 - (e) to prescribe the courses of instruction and studies for the various examinations leading to specific degrees and diplomas or certificates;
 - (f) to make provision, wherever feasible, in the University departments, colleges and institutions, for survey and collection of statistics, data and other particulars relevant to various developmental activities including State and National plans, evaluation of the developmental schemes with the participation of the students as a part of their curricular activities;
 - (g) to supervise, control and regulate admission of students for various courses of study in University departments, Constituent and affiliated Colleges;
 - (h) to prepare the academic calendar and ensure its strict adherence;
 - (i) to confer honorary degrees or other academic distinctions as prescribed by the Statutes;
 - (j) to maintain discipline and cordial environment within the University;
 - (k) to make provision for participation of students in any programme, services or activities directed towards cultural, economic and social betterment as may be necessary and possible, to fulfill the objects of the University by the State Government or / and the Government of India;
 - (l) to promote by itself, or in co-operation with other universities or organisations, the study of regional, national and foreign languages;
 - (m) to evolve an operational scheme for ensuring accountability of its employees;
 - (n) to have a learner-centric approach and perform the role of being a knowledge creator;
 - (o) to create a comprehensive digital University framework for both, e- learning and e-administrative services;
 - (p) to exploit the power of 'learning by collaboration' and 'participation' with use of information and communication technology;
 - (q) to provide an environment for the all-round development of youth by exposing them to the rich cultural heritage of the country and creating opportunities for development of skills in sports;
 - (r) to comply with and carry out any directives issued by the State Government, from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University;
 - (s) to conduct academic audit of University departments and related units at regular intervals;
 - (t) to confer and award such degrees, diplomas and certificates, and provide for such lectures, instruction and training for external students, and the students under correspondence and distance education, online and continuing education courses;
 - (u) to ensure that Green Audits of the University and its Constituent Units are conducted annually to achieve highest level of energy efficiency;
 - (v) to do all such other acts and things as may be necessary for, or incidental or conducive to, the attainment of all or any of its objects; and
 - (w) to carry out the duties as mentioned under sub-section(1) to sub-section(7) of this

section, the University may consult with JSFDA/ JSHEC/ JCSTI as required.

(8) The Universities enlisted in Schedule II of this Act

The Universities enlisted in Schedule II of this Act have been entrusted with additional responsibilities and powers, namely as: -

- (a) to make provisions to enable establishment of constituent and affiliated colleges to undertake specialised studies;
- (b) to make provisions for creation of autonomous, empowered autonomous and empowered autonomous cluster of institutions;
- (c) to establish Study Centres or Regional Centres of the University as per its requirements and with clear geographical jurisdiction and assigned responsibilities;
- (d) to hold examinations or evaluations and confer certificates, diploma, degrees and post-graduate diplomas other academic distinctions on persons who, have pursued approved courses of study in the University or in a college and have passed the examinations and earned the required credits or marks or grades prescribed by the University;
- (e) to lay down the conditions of affiliation of colleges and recognition of institutions taking into account the credibility of the management and the norms of academic performance of colleges, faculties and subjects, as may be laid down, from time to time, by the Statutes or Rules;
- (f) to admit to the privileges of the University, affiliated or constituent colleges and institutions not maintained by the University and withdraw all or any of those privileges, temporarily or permanently;
- (g) to designate constituent college, an affiliated college, institution as an autonomous constituent college, affiliated college or institution, in a stand-alone or cluster form as the case may be, in accordance with the guidelines, as prescribed by the Statutes;
- (h) to supervise, control and regulate admission of students for various courses of study in constituent and affiliated colleges;
- (i) to monitor and evaluate the academic performance of University departments, University institutions, constituent colleges and affiliated colleges, autonomous or empowered colleges in a stand-alone or cluster form for affiliation or recognition, as the case may be, for periodical State, National and World accreditations/ rankings;
- (j) to hold and to manage trusts and endowments and to institute and award fellowship, travelling fellowship, scholarship, studentship, medals and prizes for teachers and students of the University and colleges;
- (k) to inspect, where necessary, all types of colleges or institutions through suitable machinery established for the purpose, and take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching, learning, training and research, and extension are maintained by them and adequate library, classrooms, laboratory, hostel, workshop and other academic facilities are provided for;
- (l) to rescind or suspend affiliation or recognition or empowered status granted to colleges or institutions or cluster of institutions;
- (m) to transfer the management of an affiliated college, institution or autonomous college or empowered autonomous college or cluster of institutions in case where irregularities or commissions or omissions of criminal nature by the management of such college or institution or mismanagement of such college or institution are prima- facie evident, to any other management, following proper legal procedure and with prior approval of the State Government; and
- (n) to evolve an operational scheme for ensuring accountability of teachers, non-

vacational academic and non-teaching staff of the University, institutions and colleges.

6 Jurisdiction and admission to the privileges of University

- (1) The territorial jurisdictions, for Universities enlisted in Schedule-II and Schedule-III of this Act, within which the powers conferred upon the University by this Act shall be exercised, shall comprise the whole of the University area as specified against the name of such University in the Schedule:

Provided that, the benefit of Open and Distance Learning and Online Courses, of any University may, with the prior permission of the State Government, extend and cover area outside the University area.

- (2) If a new district is created by the State Government, the area of such district shall be under the jurisdiction of such University, which the University have been before the creation of the new district, for the purpose of admission to the privileges of such University.

7 University open to all

- (1) No citizen of India shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities, bodies or committees, or from appointment to any post, or from admission to any degree, diploma, certificate or other academic distinction or course of study on the ground only of sex, race, creed, class, caste, place of birth, religious belief or profession or political or other opinion:

Provided that, the University may maintain, accredit, or recognise any college or institution exclusively for women, or reserved for women.

- (2) The University shall adopt the reservation policy of the State Government for appointment to different posts of teachers and non-teaching staff, considering University as a Unit, and for the purpose of admission of students in the constituent colleges, University departments or University institutions:

Provided that, for Universities mentioned under Schedule-III, this provision shall be applicable, only for University Departments.

8 Power of the State Government

- (1) Without prior approval of the State Government, the University shall not:-
- create new posts of teachers, officers or other employees of the University except for operationalization of self-financed courses;
 - grant and revise the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits for the employees of the University;
 - divert any earmarked funds received for any purpose other than that for which it was received;
 - transfer by sale or lease of immovable property; and
 - incur expenditure for any development work from the funds received from the State Government or Central Government or any other source, other than the purpose for which the funds are received.
- (2) The State Government may, in accordance with the provisions contained in this Act, for the purpose of securing and maintaining uniform standards in all Universities in the State, by notification in the *Official Gazette*, prescribe Statutes for:-
- classification, manner and mode of selection; qualifications and experience for posts; process of appointment; induction, advance training and field exposure of employees; deputation; reservation of post as per State Reservation Policy; duties, workload, pay, allowances, post-retirement benefits, and other benefits; conduct, disciplinary matters and other conditions of service of the officers, teachers and other employees of the University;

- (b) governing the process, norms, criteria, and procedure for grant of affiliation, continuation of affiliation, and withdrawal or de-affiliation of colleges by the Universities; including provisions for related to academic performance, infrastructural standards, financial viability, governance, management practices, and other such matters as may be deemed necessary;
 - (c) relating to the establishment, composition, manner of constitution or appointment, qualifications, tenure, roles, powers, responsibilities, reporting obligations, code of conduct, and decision-making processes of the various Authorities, Committees, Councils, and Officers of the University; definition of administrative, academic, and financial roles and interrelationships between officers of the University including the Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Registrar, Financial Advisor, Deans, Directors, and other statutory officers;
 - (d) governance and administration of academic affairs, course and curriculum design, student welfare, safety and security of employees and students, healthcare facilities for employees and students, quality benchmarks, institutional assessment, accreditation, and national and state-level ranking systems; development, review, and periodic revision of curricula and academic programmes in line with the guidelines issued by the University Grants Commission (UGC);
 - (e) frame and prescribe Statutes regarding the creation of posts, pay fixation, transfer, posting, and deputation of employees of the University and its Constituent Colleges;
 - (f) frame and prescribe Statutes for infrastructure development, establishment and governance of Regional Centres and Study Centres, and for implementation of Environmental, Social and Governance (ESG) initiatives;
 - (g) establishment, governance, standardisation, and effective functioning of grievance redressal mechanisms for employees and students of the University, its Constituent Colleges, and affiliated institutions;
 - (h) establishment, composition, powers, functions, and procedures of the Jharkhand State University Service Commission; and
 - (i) any other matter as may be required by the State Government.
- (3) The State Government shall have the powers relating to :-
- (a) Conditions of Service for employees, namely as:-
 - (i) Creation of posts for teaching and non-teaching employees only in University, University Departments and Constituent Colleges;
 - (ii) Clearance of roster for appointment of Employees against the sanctioned posts;
 - (iii) Mandating mechanisms for deputation, intra-University transfer of employees and approving inter-University transfer of Employees;
 - (iv) Selection of Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor ;
 - (v) Prescribing conditions for creation of posts by the University for self-financed, externally funded, or project-based academic programmes, including guidelines for approval, tenure, renewal, and abolition of such posts;
 - (vi) Standards and procedures for fixation and revision of pay, allowances, and other benefits of employees appointed against sanctioned posts;
 - (vii) Regulatory framework for the State Government to carry out pay fixation of University employees, including modalities of implementation, audit,

- and rectification of anomalies;
- (viii) Conditions, tenure, and approval procedures for deputation of University employees to other educational institutions, State bodies, research organisations, or other departments of the Government; and
- (ix) Any other matter necessary or incidental to ensure a fair, merit-based, and efficient human resource management system within the Universities.
- (b) Funds, Accounts and Financial Audits, namely as:-
- (i) Oversee the financial management of the University and its Constituent Colleges as applicable and carry out test audit or full audit of the accounts of the University and its Constituent Units, regularly or at such intervals as it may deem fit;
- (ii) Establish special funds or accounts for specific purposes, sanction grants and loans to the University and regulate the terms and conditions for such financial assistance;
- (iii) Prescribe standards of accounting, maintenance of records, books and other documentary or digital records of transactions made from the funds of the University;
- (iv) To carry out inspection of any affiliated, constituent, or autonomous college or University at any time it deems fit, and
- (v) Any other matter necessary or incidental to ensure effective financial management of the Universities.
- (c) Issue directions, directives and its compliance, namely as:-
- (i) Issue any direction/s or order/s or notification/s from time to time, as may be required, or it deems fit for compliance of any provisions of this Act, or guidelines/ regulations issued by UGC or any regulatory bodies and it shall be mandatory for all Universities to comply with the same;
- (ii) In case of failure of the University to exercise powers or perform duties specified in section 5, or where the University has not exercised such powers or performed such duties adequately, or where there has been a failure to comply with any direction/s or order/s or notification/s issued by the State Government, or under any other circumstances as the State Government may deem fit, the State Government may issue a directive to the University for proper exercise of such powers or performance of such duties or comply with the order and it shall be mandatory for the University to comply with all such directives.
- (d) Operation of the Commission, namely as:-
- (i) Appointment and conditions of service of Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission;
- (ii) Create post and conditions of Service for employees of the Commission including but not limited to Secretary, Deputy Secretary, Controller of Examinations, Finance Officer and any other employee;
- (iii) Issue directions on any matter its fit and seek consultations on Qualification criteria, eligibility norms, reservation policy, age limits, and equivalency conditions for employees of the University; and
- (iv) Any other matter necessary or incidental to fulfillment of objectives of the Commission.
- (e) Creation and Maintenance of Infrastructure, namely as:-

- (i) Development, upgradation, and maintenance of physical, academic, digital, and residential infrastructure for the University headquarters, Constituent Colleges, and affiliated campuses, including funding mechanisms, technical standards, approval processes, and compliance timelines;
 - (ii) Prescribing Norms and procedures for establishment, territorial jurisdiction, administrative structure, and operational governance of Regional Centres and Study Centres of the University, including the roles of the University;
 - (iii) Establish Community Colleges based on the need assessment and recommendations of the University;
 - (iv) Mandatory conduct of periodic Green Audits across University campuses, Constituent Colleges, Regional Centres and Study Centres to assess energy efficiency, waste management, water conservation, biodiversity protection, carbon footprint, and related parameters in accordance with guidelines issued by competent authorities or agencies; and
 - (v) Any other matter that the State Government may consider necessary to promote environmentally responsible, socially responsive, and institutionally accountable growth and development in higher education institutions.
- (f) Grants, Aid and Incentives, namely as:-
- (i) Prescribe the norms for Grants or funds to be given to the University or Constituent College;
 - (ii) Formulate Schemes for performance based incentives to be provided for employees of the University, Constituent Colleges and affiliated Colleges;
 - (iii) Monitor the utilization of Grants and mandate deficit financing based accounting of the Universities; and
 - (iv) Any other matter incidental to promotion of financial prudence and granting of incentives to the University.
- (g) Grievance Redressal of Employees and Students , namely as:
- (i) Mandate Institutional structure, jurisdiction, and procedures of the Student Grievance Redressal Committee (SGRC), Employees Grievance Redressal Committee (EGRC), and Employees Grievance Redressal Tribunal (EGRT), as provided under this Act, including their composition, term of office, quorum, powers, and duties;
 - (ii) Prescribe the manner of appointment and deputation of Members to the EGRC and EGRT along with determination of their pay and allowances;
 - (iii) Prescribe timelines and escalation protocols for redressal of grievances related to admissions, examination results, discrimination, harassment, service conditions, promotions, transfers, pay anomalies, and disciplinary actions;
 - (iv) Mechanism for quarterly and annual reporting of grievance statistics, status of disposal, systemic issues, and policy recommendations by the University; and
 - (v) Any other matter deemed necessary by the State Government to secure justice, dignity, and institutional integrity in the management of grievances.

- (h) Nomenclature of the University and Constituent College, namely as :
- (i) amendment to Schedule-II and Schedule-III limited to nomenclature i.e., change in name of the University by issuance of notification in the *Official Gazette*; and
 - (ii) name or rename Constituent College(s) either established or to be established, by issuance of a notification in the *Official Gazette*.
- (i) Any other manner or subject as it may deem fit or necessary in the interest of the University and the State.

CHAPTER III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9 Officers of the University

- (1) The following shall be the officers of the University, namely
- (a) Chancellor;
 - (b) Pro Chancellor;
 - (c) Vice Chancellor;
 - (d) Pro-Vice Chancellor;
 - (e) Financial Advisor;
 - (f) Dean (Academic Affairs);
 - (g) Dean of Faculty;
 - (h) Proctor;
 - (i) Registrar;
 - (j) Controller of Examinations;
 - (k) Finance Officer;
 - (l) Head of Department;
 - (m) Director, Study Centres of the University;
 - (n) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;
 - (o) Director, Knowledge Resource Center;
 - (p) Director, Student Affairs;
 - (q) Director, NSS;
 - (r) Director, Sports and Physical Education;
 - (s) Director, Student Art and Culture;
 - (t) Director, Internal Quality Assurance Cell;
 - (u) Director, Inclusive Education;
 - (v) Director, Information Technology and Digital Learning;
 - (w) Director, Lifelong Learning and Education;
 - (x) Director, Human Resource Management;
 - (y) Director, Internship, Apprenticeship and Placement;
 - (z) Director, Estate and Facility Management; and
 - (aa) Director, Public Relations, and Community Outreach;

For the Universities enumerated in the Schedule-II, the following additional officers, namely:-

- (bb) Director, Constituent Colleges;
- (ab) Director, Affiliated Colleges;
- (ac) Director, Regional Centres of the University; and

such other officers in the service of the University as may be prescribed by Statutes.

10 Chancellor

- (1) The Governor of the State of Jharkhand shall be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall, by virtue of his/her office, be the Head of the University and shall, if present, preside at the Convocations of the University held for conferring degrees.

11 Pro Chancellor

- (1) The State Government, in consultation with the Chancellor, may nominate any person as the Pro-Chancellor.
- (2) The Chancellor may authorize the Pro-Chancellor to preside over the meeting of the Senate, as and when required.

12 Vice Chancellor

- (1) There shall be a Vice Chancellor who shall be the Chief Executive Officer of the University and ex-officio Chairperson of the Syndicate and Academic Council.
- (2) Save as otherwise provided, pay and allowances, terms and conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as may be determined by the State Government, from time to time.
- (3) The Vice Chancellor shall be selected jointly by the Chancellor and Chief Minister, as per the eligibility criteria prescribed by the University Grants Commission, in the following manner, namely:-
 - (a) There shall be a Search Committee consisting of the following members to recommend most suitable names for selection to the post of Vice Chancellor, namely:
 -
 - (i) Eminent Educationalist nominated by the Chancellor - Chairperson;
 - (ii) Director or Head of an Institute or Public University of high national repute established by an Act of Parliament, nominated by the State Government - Member;
 - (iii) Representative from University Grants Commission - Member; and
 - (iv) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand – Member.
 - (b) The Registrar of the concerned University shall be the Secretary to the Search Committee without any voting rights.
 - (c) The members nominated on the Committee shall be persons who are never connected with the University concerned or any College or any recognised institution of the University.
 - (d) No meeting of the Committee shall be held unless three members with voting rights are present.
 - (e) The Committee shall recommend a panel of 3 – 5 (three to five) most competent persons in a sealed envelope for selection to the post of Vice Chancellor. The names of the persons so recommended shall be in alphabetical order without any preference being indicated. It shall be accompanied by a detailed write- up on the suitability of each person included in the panel.
 - (f) In case of tie, amongst the members of the Committee while preparing the panel of suitable names for the post, the Chairperson of the Search Committee shall have the casting vote.
 - (g) The eligibility conditions and the process for recommendation of names for appointment as a Vice Chancellor shall be given wide publicity to ensure the recommendation of most competent candidates.
- (4) The Chancellor and Chief Minister shall jointly select one of the persons included in the panel as the Vice Chancellor, and thereafter, the Chancellor shall appoint the Vice

Chancellor:

Provided that, if they do not approve any of the persons so recommended, they may call for a fresh panel either from the same committee or after constitution of a new committee for the purpose, from such new committee.

- (5) The process of selection of the Vice Chancellor, shall invariably begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post of a Vice Chancellor and the process of appointment of the Vice Chancellor shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy of the post of Vice Chancellor. It shall be the responsibility of the Registrar as Member Secretary of the Committee.
- (6) A person applying to the post of Vice Chancellor should not have attained the age of Sixty-Five years as on the last date of application.
- (7) The person appointed as a Vice Chancellor shall, subject to the terms and conditions of contract of service, hold office for a period of three years from the date on which he takes charge of his office, and the term can be extended for another two years only by the Chancellor, in consultation with the Chief Minister, subject to satisfactory performance and non-attainment of the age of Seventy years. Further, he shall not be eligible for re-appointment in the same University after completing one term (including any extensions):

Provided that, on the basis of his work done and found most efficient and competent he/she shall be eligible for re-appointment to any other University subject to fulfillment of eligibility conditions.

- (8) The person appointed as a Vice Chancellor shall hold a lien, if any, on the substantive post held by him prior to the appointment.
- (9) In any of the following circumstances, the exigency whereof shall be jointly judged by the Chancellor and Chief Minister, namely: —
 - (a) where the committee appointed under sub-section (3)(a) is unable to recommend any name within the time limit specified by the State Government; or
 - (b) where the vacancy occurs in the office of the Vice Chancellor because of death, resignation or otherwise, and it cannot be conveniently and expeditiously filled in, in accordance with the provisions of sub-sections (3) and (4); or
 - (c) where the vacancy in the office of the Vice Chancellor occurs temporarily because of leave, illness or other causes; or
 - (d) where there is any other emergency.

The Chancellor, in consultation with the Chief Minister may select any suitable person, to act as the interim Vice Chancellor. The Interim Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a term not exceeding twelve months, in the aggregate as may be specified in his order:

Provided that, the person so appointed shall cease to hold such office on the date on which the person appointed as a Vice Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (3) and (4) assumes office or the Vice Chancellor resumes office.

- (10) If a person receiving an honorarium from the Consolidated Fund of the State, or if a principal of an affiliated or constituent college or a University teacher is appointed as a Vice Chancellor, his terms and conditions of service shall not be altered to his disadvantage during his tenure as a Vice Chancellor.
- (11) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the person referred to in sub-section (7) shall retire from his original post in accordance with the terms and conditions of service of that post.
- (12) The Vice Chancellor may, by writing under his signature addressed to the Chancellor, after

giving one month's notice to resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Chancellor or from the date of completion of the said notice period, whichever is earlier.

- (13) The Chancellor and the Chief Minister, jointly, after due inquiry conducted by the State Government, may decide to remove the Vice-Chancellor from office, if they are satisfied that the Vice-Chancellor:—
- (a) has become insane and stands so declared by a competent court; or
 - (b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude; or
 - (c) has become an undischarged insolvent and stands so declared by a competent court; or
 - (d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability; or
 - (e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service or any other conditions, prescribed by the State Government under sub-section (2), or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Vice Chancellor in the office is detrimental to the interests of the University or have sufficient criminal evidence against him; or found guilty on the charges levelled against him after due inquiry during existing tenure as a Vice Chancellor; or
 - (f) is a member of, or is otherwise associated with, any political party or organisation which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity or working against the Government or interest of education;

Explanation: - For the purposes of this sub-clause, whether any party is a political party, or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this sub-clause, the decision of the State Government shall be final:

Provided that, the Vice Chancellor shall be given a reasonable opportunity to show cause and personal hearing by the State Government before taking recourse for his removal under sub-clauses (d), (e) and (f).

- (14) The Vice chancellor shall,-
- (a) undertake all such activities necessary to make the University self-reliant and financially sustainable;
 - (b) review the annual budget of the University and internal funds generated by each Department, Study Centers, Regional Centers and Constituent Colleges as applicable;
 - (c) ensure timely conduction of examinations and other academic activities as per the academic calendar;
 - (d) ensure that the University and Constituent Colleges (if any), is/are accredited from NAAC and /or NBA and also, they participate in National and State Rankings process;
 - (e) ensure the implementation of policies, directives and initiatives for the promotion of eGovernance within University, Study Centers, Regional Centers and Constituent Colleges as applicable; and
 - (f) have other powers and duties as prescribed by the Statutes.

13 Pro-Vice Chancellor

- (1) The Pro-Vice Chancellor shall be the academic and administrative officer next to the Vice Chancellor having purview of the entire University.
- (2) The Pro-Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Study Centres and Board of Regional Centres of the University.
- (3) The Pro-Vice Chancellor shall be a full-time salaried officer of the University and shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor. Save as otherwise provided, pay and allowances admissible to him as well as the terms and conditions of his service shall be such as may be determined by the State Government, from time to time.
- (4) The Pro-Vice-Chancellor shall be selected jointly by the Chancellor and the Chief Minister from among the persons recommended by the Search Committee constituted under Section 12(3)(a). Thereafter, the Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a term of three years.
- (5) The provisions of Section 12(3)(b) to Section 12(3)(g) and Section 12(4) to Section 12(8) shall, in regard to the selection and appointment of Pro-Vice Chancellor, *mutadis-mutandis*, apply.
- (6) The Pro-Vice Chancellor shall act as the Chairperson of the authorities, bodies and committees, in the absence of the Vice Chancellor or Interim Vice Chancellor.
- (7) If the office of the Pro-Vice-Chancellor falls vacant, or if the Pro-Vice-Chancellor is unable to discharge the duties of the office by reason of illness, absence, or any other cause, the Chancellor, in consultation with the Chief Minister, may appoint a person qualified to hold the office of the Pro-Vice-Chancellor to act as Pro-Vice-Chancellor on a temporary basis. Such appointment shall remain in force until the Pro-Vice-Chancellor resumes the duties of the office or until a new Pro-Vice-Chancellor is duly appointed, whichever is earlier.
- (8) The Pro-Vice-Chancellor may resign from the office by submitting a written resignation under his/her signature, addressed to the Chancellor through the Vice-Chancellor, by giving one month's notice. The Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office from the date on which the resignation is accepted by the Chancellor or upon the expiry of the said notice period, whichever is earlier.
- (9) The Chancellor and the Chief Minister, jointly, after due inquiry conducted by the State Government, may decide to remove the Pro-Vice-Chancellor from office if they are satisfied that the Pro-Vice-Chancellor:—
 - (a) has become insane and stands so declared by a competent court; or
 - (b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude; or
 - (c) has become an undischarged insolvent and stands so declared by a competent court; or
 - (d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability; or
 - (e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of service or any other conditions, prescribed by the State Government under sub-section(5) or has abused the powers vested in him or if, the continuance of the Pro-Vice Chancellor in the office is detrimental to the interests of the University; or
 - (f) is a member of, or is otherwise associated with, any political party or organization which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity.

Explanation: - For the purposes of this clause, whether any party is a political party, or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this clause, the decision of the State Government thereon shall be final:

Provided that the Pro-Vice-Chancellor shall, before being removed from office under clauses (d), (e) and (f) of the sub-sections, be given a reasonable opportunity of showing cause and of being heard in person by the State Government.

- (10) The Pro-Vice Chancellor shall,-
- (a) ensure academic activities for undergraduate courses are conducted as per the approved academic calendar;
 - (b) represent the Vice Chancellor in his absence in official functions and meetings;
 - (c) assist in generating and augmenting internal fund of the University;
 - (d) promote alumni engagement and partnerships with industries;
 - (e) leads important projects, such as digital transformation or development of Regional Centres and Study Centres; and
 - (f) perform such other duties as prescribed by the Statutes.

14 Financial Advisor

- (1) The Finance Advisor shall be a full-time officer of the University. The Finance Advisor shall be selected and appointed by the Chancellor. The term for appointment of the financial advisor shall be 5 years. The Finance Advisor shall not be eligible for reappointment in the same University.
- (2) The Financial Advisor shall be the ex-officio member of the Finance and Accounts Committee. All proposals having any financial implication shall not be approved without seeking the advice of the Financial Advisor. It shall be the responsibility of the Registrar to obtain the advice of the Financial Advisor on all matters having financial implication. Further, the Registrar shall ensure that the advice of the Financial Advisor is explicitly mentioned in all proposal placed before the Senate or having any financial implication.
- (3) In case, the Vice Chancellor or Syndicate takes a decision contrary to the advice of the Financial Advisor, for any proposal having any financial implication, such a decision shall not be implemented and shall be forwarded by the Vice Chancellor to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final and binding.
- (4) It shall also be the responsibility of the Financial Advisor to ensure that all financial procedures of the University are carried in accordance with the Act, the Statutes, University Ordinance and Rules.
- (5) The Financial Advisor shall be responsible for preparation of the University budget, maintenance of accounts, audit of accounts, from time to time, compliance of the audit objections, timely receipt of grants from the State Government in accordance with the approved budget and University Grants Commission, and arrangements for timely submission of utilization certificate of the University grants in the prescribed manner.
- (6) The Financial Advisor shall work under the administrative control of the Vice Chancellor and the Finance Officer shall work directly under the control of the Financial Advisor.

15 Registrar

- (1) The Registrar shall be the custodian of records and administrative officer of the University and work under the direction and control of the Vice Chancellor. He shall be appointed by the University on recommendation of the Commission for a period of 04 years or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier. Further, he shall be eligible for reappointment in the manner as prescribed by the Statutes.

- (2) The Registrar shall supervise and maintain discipline of the staff of the entire University. He shall report all such matters in writing to the Vice Chancellor.
- (3) The qualifications and experience norms for the purpose of selection of the Registrar shall be as laid down by the University Grants Commission or prescribed by the Statutes.
- (4) The power and functions of the Registrar shall be as prescribed by the Statutes.
- (5) When the office of the Registrar falls vacant or the Registrar is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice Chancellor shall appoint a suitable Deputy Registrar to officiate as the Registrar until the new Registrar assumes duty or the incumbent Registrar resumes duty, as the case may be. It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the post of Registrar is filled at the earliest:

Provided that, in case an officer in the rank of Deputy Registrar is not available, the Vice Chancellor, may appoint an Assistant Registrar to officiate the duties of the Registrar.

- (6) The process of appointment or re-appointment of the Registrar shall invariably begin at least three months before the probable date of occurrence of such vacancy and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Vice Chancellor to initiate the process of appointment or re-appointment of the Registrar.
- (7) The Registrar shall be assisted by the Deputy Registrar(s) and Assistant Registrar(s) for discharging his duties.

16 Controller of Examinations

- (1) The Controller of Examinations shall be an Officer of the University and work under the direction and control of the Vice Chancellor. He shall be appointed by the University on recommendation of the Commission for a period of 04 years or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier. Further, he shall be eligible for reappointment in the manner as prescribed by the Statutes.
- (2) The qualifications and experience for the purpose of selection of the Controller of Examinations shall be, as prescribed by the Statutes.
- (3) When the office of the Controller of Examinations falls vacant or the Controller of Examinations is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice Chancellor shall appoint Deputy Controller of Examinations to officiate as the Controller of Examinations until the new Controller of Examinations assumes duty or the incumbent Controller of Examinations resumes duty, as the case may be. It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the post of Controller of Examinations be filled on a permanent basis:

Provided that, in case an officer in the rank of Deputy Controller of Examinations is not available, the Vice Chancellor may appoint an Assistant Controller of Examinations to officiate the duties of the Controller of Examinations.

- (4) The Controller of Examinations shall, —
 - (a) be the officer-in-charge of the conduct of University examinations, tests and evaluation, and declaration of their results in a timely manner;
 - (b) be the Member Secretary of the Board of Examinations and Evaluation and of the committees appointed by the Board except the committees constituted for appointments of paper-setters, examiners and moderators;
 - (c) be responsible for making all arrangements necessary for holding examinations, tests and evaluation, and for timely declaration of results; and

- (d) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.
- (5) The process of appointment or re-appointment of the Controller of Examinations shall invariably begin at least three months before the probable date of occurrence of such vacancy and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Vice Chancellor to initiate the process of appointment or re-appointment of the Controller of Examinations.
- (6) The Controller of Examinations shall be assisted by the Deputy Controller of Examinations and Assistant Controller of Examinations for discharging his duties.

17 Finance Officer

- (1) The Finance Officer shall be the finance and accounts officer of the University and work directly under the superintendence, direction and control of the Financial Advisor. He shall be appointed by the University on recommendation of the Commission for a period of 04 years or till the age of superannuation, whichever is earlier. Further, he shall be eligible for reappointment in the manner as prescribed by the Statutes.
- (2) When the office of the Finance Officer falls vacant or the Finance Officer is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice Chancellor shall appoint Deputy Finance Officer to officiate as the Finance Officer until the new Finance Officer assumes duty or the incumbent Finance Officer resumes duty, as the case may be. It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the post of Finance Officer be filled on permanent basis:
Provided that, in case an officer in the rank of Deputy Finance Officer is not available, the Vice Chancellor may appoint an Assistant Finance Officer to officiate the duties of the Finance Officer.
- (3) The Finance Officer shall, —
 - (a) exercise general supervision over the funds of the University and advise the Vice Chancellor on the finances of the University;
 - (b) ensure that the limits fixed by the University for recurring and non-recurring expenditure for the financial year are not exceeded, and that all allocations are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
 - (c) be responsible for preparation and maintenance of accounts by double entry accounting system on an accrual basis, presenting the annual financial estimates (budget), statement of accounts and audit reports, to the Finance and Accounts Committee;
 - (d) prepare financial reports as required by the various authorities or bodies of the University, the State Government and the Central Government; and
 - (e) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.
- (4) The process of appointment or re-appointment of the Finance Officer shall invariably begin at least three months before the probable date of occurrence of such vacancy and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Vice Chancellor to initiate the process of appointment or re-appointment of the Finance Officer.
- (5) The Finance Officer shall be assisted by the Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer for discharging his duties.

18 Dean (Academic Affairs)

- (1) The Dean (Academic Affairs) shall be an Officer of the University, appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers at the University, not below the rank of Professor:

Provided that, in case non-availability of a teacher in the rank of Professor, a teacher with 03 years of experience in the rank of Associate Professor may be appointed as the Dean (Academic Affairs).

- (2) He shall be appointed for a term of 03 years or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment in the same University.
- (3) He shall be responsible for all academic functions, internal and external to the University, and work under direct superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.
- (4) When the office of the Dean (Academic Affairs) is vacant or when the Dean (Academic Affairs) is by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.
- (5) The Dean (Academic Affairs) shall have the following powers and duties:-
- coordinating the development of and implementing the vision and mission Statement of the University;
 - leading, coordinating and implementing strategic planning and Curriculum Development of various academic programmes run by various faculties of the University in coordination with Deans of other faculty;
 - evolving the academic policy and programmes of the University in line with the education policy of the Government, UGC and other statutory and regulating bodies;
 - supervising, evaluating, and supporting Departments in a manner that promotes excellence in instruction, scholarly and creative productivity. and service at the University;
 - evaluating overall Departmental productivity in instruction, research, and service responsibilities in coordination with Deans of each faculty;
 - to build an Annual Academic Calendar containing all academic activities including decisions as regards Academic terms, Summer and Winter vacation, schedule of examinations, Declaration of results, Dates for commencement of Academic sessions and so on in coordination with all the Deans of different faculties in the University;
 - to ensure that procedures established and applied fundamentally to protect and enhance the University's academic integrity and quality, focusing the core functions on its essential, academic mission; and
 - to create and implement a faculty development plan in consultation with JSFDA to improve classroom teaching skills, especially with students of diversity.
- (6) The Dean (Academic Affairs) shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

19 Dean of Faculty

- (1) There shall be a Dean in each Faculty of the University appointed by the Vice Chancellor from amongst the competent teachers within the Faculty, concerned, not below the rank of Professor:

Provided that, in case no teacher of the rank of Professor is available, a teacher in the rank of Associate or Assistant Professor may be appointed as Dean of Faculty.

- (2) Each Dean of Faculty shall be appointed for a period of 03 years or till he attains the age of

superannuation, whichever is earlier.

- (3) The qualification and experience of a teacher for the purpose of selection of the Dean shall be the qualification and experience of the Professor or Principal having aggregate minimum teaching or research experience of not less than fifteen years, as applicable.
- (4) The Dean of Faculty shall,-
 - (a) be responsible for academic planning and academic audit of the programmes and implementation of academic policies approved by the Academic Council in respect of academic development, maintenance of quality of education including standards of teaching and research and training of teachers within his faculty. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor;
 - (b) be responsible for development and application of quality benchmarks or parameters for various academic and administrative activities of higher education;
 - (c) prepare the Annual Quality Assurance Report of programmes within his faculty, based on the quality parameters or assessment criteria, developed by the relevant quality assurance bodies, in the prescribed format;
 - (d) recommend to the Syndicate proposals for the institution of fellowship, travelling fellowship, scholarship, studentship, medals and prizes and making proposals for their award;
 - (e) render necessary assistance for redressal of grievances of the students in the faculty;
 - (f) prepare reports as required by the various authorities or bodies of the University, the State Government and the Central Government; and
 - (g) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

20 Head of Department

- (1) There shall be a Head of Department for each University Department within the faculty, who shall be a regular permanent teacher of the University and work directly under the superintendence, direction and control of the Dean of Concerned Faculty.
- (2) The Head of Department shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors of the Department for a period of 3 years each on rotation basis:

Provided that, in the Department which does not have any Professor, Associate Professor shall be eligible to be appointed as the Head of Department on rotation basis:

Provided that, in the Department which does not have any Professor or Associate Professor, Assistant Professor with PhD and at least 15 years of teaching experience shall be eligible to be appointed as the Head of Department on rotation basis.
- (3) Dean of concerned Faculty shall act as the Head of the Department/s for those Department/s, where appointment cannot be made as per sub-section (2) and also during short-term absence or leave of the appointed Head of the Department.
- (4) In case of long-term absence or leave i.e., for a consecutive period of more than 3 months, the Vice Chancellor shall appoint a new Head of Department as per sub-section (2).
- (5) The Head of the Department shall,-
 - (a) be responsible for academic planning and academic audit of the programmes and implementation of academic policies approved by the Academic Council in respect of academic development, maintenance of quality of education including standards of teaching and research and training of teachers within his Department;
 - (b) be responsible for development and application of quality benchmarks or

parameters for various academic and administrative activities of higher education;
and

- (c) facilitate the creation of a learner-centric environment conducive for quality education.
- (6) The Head of the Department shall exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

21 Proctor

- (1) The Proctor shall be the chief legal and compliance officer of the University, appointed by the Vice Chancellor, for a period 03 years, from amongst such teachers of the University who are not below the rank of Associate Professor.
- (2) In case, Professors and Associate Professors are less than six in number in the University concerned or if any of the Professor and Associate Professor is not willing to be appointed as Proctor, Assistant Professors having experience of more than fifteen years and having Ph.D. Degree may be considered for the appointment to the post of Proctor.
- (3) The Proctor shall be assisted by Deputy Proctor and Assistant Proctor in their mandated activities. The conditions of service of Deputy Proctor and Assistant Proctor shall be as prescribed by the Statutes.
- (4) The Proctor shall have the following roles and duties:-
- responsible for maintaining discipline amongst students on campus, ensuring a conducive environment for learning and personal development;
 - implement and enforce the University's rules related to student conduct, ensuring consistent and fair application;
 - investigate complaints and incidents of indiscipline, and recommend appropriate disciplinary actions in accordance with the University's policies; and
 - exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

22 Director, Study Centre of University

- (1) The Director, Study Centre shall be the chief academic and administrative officer of the Study Centres and work under the superintendence, direction and control of the Pro-Vice Chancellor.
- (2) The Director, Study Centre shall be a person engaged in teaching, research and development activities, with not less than fifteen years of teaching or research or administrative experience.
- (3) The appointment of the Director, Study Centre shall be made by the Vice Chancellor from the competent teachers not below the rank of Associate Professor, who have applied for the post.
- (4) The Director, Study Centre shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment in the manner as prescribed by the Statutes.
- (5) The Director, Study Centre shall,-
- oversee and monitor the administration of the academic programmes of the Study Centres;
 - oversee and monitor general administration of the Study Centres of the University and ensure efficiency and good order of the University departments or institutions on the Study Centres; and
 - exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

23 Director, Regional Centre of the University

- (1) The Director, Regional Centre shall work under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.
- (2) The Principal of the Constituent College designated by the University as a Regional Centre shall serve as the Director of the said Regional Centre.
- (3) The Director, Regional Centre shall have a term co-terminus with that of the Principal of Constituent Colleges.
- (4) The Director, Regional Centre shall,-
 - (a) be the officer responsible for implementing all academic and administrative functions assigned by the University;
 - (b) oversee the delivery of student centric services and manage the constituent and affiliated Colleges under the jurisdiction designated of the University;
 - (c) ensure that grievance related to any constituent or affiliated College under the jurisdiction designated of the University is appropriately handled and disposed off; and
 - (d) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

24 Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship

- (1) The Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall be an Officer of the University, responsible for creation and cultivation of an enabling environment to propagate the concept of innovation, for converting innovative ideas into working models through a process of incubation which shall finally lead to creation of an enterprise and to cultivate, establish, maintain and strengthen the link of the University with premier national and international universities and/or institutions, and work under superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.
- (2) The Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the competent teachers not below the rank of Associate Professor, who have applied for the post.
- (3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (4) The Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall,—
 - (a) be the principal officer who shall lead and provide vision to the Board for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship with his dynamism and enterprise;
 - (b) Collaborate with JSFDA for training programs, expert lecture series and mentorship related to research and innovation;
 - (c) spearhead the awareness and training programmes for imparting education on intellectual property rights and aspects associated therewith;
 - (d) overlook the activities of the Research and Innovation Cell established in the University;
 - (e) Seek funds and grants for research projects from Central Government or State Government or Autonomous Bodies or other agencies;
 - (f) organize training programmes for creating awareness on the importance of entrepreneurship in collaboration with JSFDA;
 - (g) organize and create support system for cultivation and incubation of good ideas

- into a scalable mode that would eventually culminate into the establishment of small, medium and large industry;
- (h) coordinate and liaison with national and international bodies and agencies involved in creating and developing entrepreneurial skills in students;
 - (i) take all steps to facilitate colleges to establish linkages with knowledge based and other types of industries;
 - (j) conduct training programmes to guide the young entrepreneurs in operational aspects, legal aspects, intellectual property rights, patent related issues, business model creation and financial aspects;
 - (k) implement the policies and strategies for promotion of international linkages with premier national and international universities and institutions, as envisaged by the Board of National and International Linkages and the University authorities;
 - (l) process applications for visits of teachers and students from University departments, institutions, constituent colleges, colleges and recognized institutions to national and international universities or institutions and assist them on logistic support for such visits;
 - (m) to ensure that the objectives of the Board for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship are accomplished; and
 - (n) exercise such other powers and perform such other duties, as prescribed by Statutes.

25 Director, Information Technology and Digital Learning

- (1) The Director, Information Technology and Digital Learning shall be an Officer of the University responsible for planning, implementing, and managing technology infrastructure and digital initiatives across all departments, campuses, constituent and affiliated colleges.
- (2) The Director, Information Technology and Digital Learning shall be appointed by the Vice Chancellor from among the teachers of the University not below the rank of Associate Professor and having demonstrable experience in the field of Information and Communication Technology (ICT).
- (3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (4) The Director, Information Technology and Digital Learning shall, —
 - (a) assist in planning and managing the creation of a robust and scalable Information Technology infrastructure within the University;
 - (b) oversee the implementation and maintenance of Enterprise Resource Planning (ERP) systems, learning management systems (LMS), and other digital tools mandated by the State Government;
 - (c) devise policies for campus-wide networking, data security, and digital governance;
 - (d) supervise the development of virtual classrooms and digital laboratories to enhance remote and hybrid learning capabilities;
 - (e) establish and manage the University's Data Repository Cell including issuance and upkeep of Unique Identification Numbers for students, faculty, and staff;
 - (f) ensure timely implementation of digital initiatives recommended by the Board of Information Technology and Digital Learning;
 - (g) collaborate with academic, administrative, and financial units to align technology with institutional goals;
 - (h) evaluate emerging technologies and recommend their adoption in consultation with

the Board of Information Technology and Digital Learning; and

- (i) perform any other duties as may be prescribed by the Statutes or as directed by the Vice Chancellor.

26 Director, Knowledge Resource Centre

- (1) The Director, Knowledge Resource Centre shall be an Officer of the University, appointed by the University on recommendation of the Commission, in-charge of the Knowledge Resource Centre in the University. He shall work under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.
- (2) The qualifications, experience, emoluments, other conditions of service of the Director, Knowledge Resource Center shall be as recommended by the University Grants Commission for University Librarian and as prescribed by the Statutes.
- (3) The Director, Knowledge Resource Centre shall,—
 - (a) be the Member Secretary of the Library-cum-Knowledge Resource Committee and shall ensure proper implementation of the decisions taken by the Library-cum-Knowledge Resource Committee;
 - (b) be the custodian of all books, periodicals, manuscripts, journals in print, audio and digital format, and equipment in the Knowledge Resource Centre;
 - (c) evolve and implement such processes and procedures to ensure that the books, periodical, manuscripts, journals and equipment in the Knowledge Resource Centre are not lost or damaged, and no irregularities take place in the Knowledge Resource Centre;
 - (d) cause periodical verification of stock, prepare appropriate report that includes losses, and place it before the Library-cum-Knowledge Resource Committee;
 - (e) conduct training programmes and workshops to update the skills and knowledge of librarians of affiliated colleges and recognized institutions of the University as applicable;
 - (f) create awareness among the students of various departments of the University regarding the availability of resources, information, search techniques and databases through the information literacy programme;
 - (g) undertake any other task assigned to him by the University authorities to ensure that the objectives of Knowledge Resource Centre are accomplished; and
 - (h) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.
- (4) The Director, Knowledge Resource Centre shall be assisted by Deputy Director(s) and Assistant Director(s) of the rank of University Deputy Librarian and University Assistant Librarian for discharging his duties. The qualifications, experience, emoluments, other conditions of service of the Deputy Director and Assistant Director of the University shall be as prescribed by the Statutes.
- (5) The Constituent Colleges under the Universities mentioned in Schedule – II shall have College Librarian to carry out the activities of the Knowledge Resource Centre in the Colleges.

27 Director, Lifelong Learning and Education

- (1) The Director, Lifelong Learning and Education, shall be an officer of the University not below the rank of Associate Professor, who shall be responsible to carry out the activities of the Board of Lifelong Learning and Education and work under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.
- (2) The Director, Lifelong Learning and Education shall be appointed by the Vice Chancellor

- from amongst the competent teachers, with at least 12 years of teaching experience.
- (3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
 - (4) The Director, Lifelong Learning and Education shall be the ex-officio head of the Board of Lifelong Learning and Education.
 - (5) The Director, Lifelong Learning and Education shall,—
 - (a) be responsible for implementation of policies and recommendations of the Board of Lifelong Learning and Extension;
 - (b) promote research in the field of lifelong learning, value education, life skills for adults and senior citizens, and for longevity;
 - (c) organize the teaching programmes which include certificate and diploma programmes for graduate students and advanced diploma programmes at post-graduate level in value education and longevity;
 - (d) coordinate with JSFDA for expert lecture, short term courses and training programs in the field of Lifelong Learning and Education;
 - (e) organize post-graduate teaching programmes exclusively in the domain of value education and life skills for adults and senior citizens;
 - (f) organize and co-ordinate awareness activities for students to train adults and senior citizens on life skills for coping with old age, information on social organization and Government Schemes for elderly persons and briefing on home for the aged; and
 - (g) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

28 Director, Student Affairs and Director, NSS

- (1) The Director, Student Affairs shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the teachers having teaching experience of at least 12 years and desired exposure in the field of extracurricular and extension activities and shall work under the directions and control of the Vice Chancellor.
- (2) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (3) The Director, Student Affairs shall,—
 - (a) work towards promotion of cultural, recreational and welfare activities of students in colleges, institutions and University Departments;
 - (b) conduct leadership training programmes for students;
 - (c) ensure that there are mentors and counselling cells for the young students in colleges, institutions and University Departments;
 - (d) organize anti-ragging committees and squads and ensure that all necessary measures are taken to prevent ragging in the University, colleges and the institutions;
 - (e) look into the grievances and general welfare of the students;
 - (f) help in building-up the all-round personality of students and to groom them to be future leaders and confident adults;
 - (g) coordinate to conduct elections of the University Students' Council and College Student Union;
 - (h) to prepare the report of the Board of Student Affairs to be submitted before the Senate;
 - (i) oversee and monitor administration of Foreign Students Assistance Cell which

- gives facility of a Single Window Operation to the foreign students;
- (j) process the applications received from foreign students for their visits to other parts of India; and
- (k) supervise the working of the Migrant Indian Students' Cell established for providing Single Window Operation for students coming from other parts of the country.
- (4) **The Director, NSS (National Service Scheme)** shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the teachers having teaching experience of at least ten years including at least three years of experience as NSS Programme Officer and desired exposure in the field of National Service Scheme activities.
- (5) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (6) The Director, NSS shall, —
- organize University, State, National and International level workshops seminars, camps, competitions for National Service Scheme volunteers;
 - train the students for State, National and International competition;
 - undertake any other task assigned by the Vice Chancellor and/or State National Service Scheme coordinator to carry out the objectives of National Service Scheme;
 - engage with local communities, educational organizations, and advocacy groups to enhance inclusivity in education;
 - organize outreach programs and events to raise awareness and promote inclusive practices; and
 - work towards promotion, co-ordination and conduct of different activities under National Service Scheme in colleges, institutions and University departments.
- (7) The Director of Student Affairs and Director, NSS shall perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

29 Director, Sports and Physical Education

- (1) The Director, Sports and Physical Education shall be an officer of the University, responsible for promoting the culture of sports and supervising sports related activities in the University, University Departments and colleges, and work under the direction and control of the Vice Chancellor.
- (2) The Director, Sports and Physical Education shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the teachers of the University with at least 10 years of teaching experience and at least three years of experience as Physical Education or Sports officer and has desired exposure in the field of physical education and sports.
- (3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (4) The Director, Sports and Physical Education shall,—
- cultivate excellence in various domains of sports and promote a spirit of healthy competition;
 - promote sports, culture and organize activities in the field of sports in colleges, institutions and University departments as applicable;
 - co-ordinate and organize activities related to various sports jointly with regional and national bodies;
 - organize University level competitions, sports skill development camps in various sports on the University campus;

- (e) train students for regional, national and international competitions in various sports;
- (f) prepare the report of the Board of Sports and Physical education to be submitted before the Syndicate;
- (g) undertake any other task that may be assigned to him by the University authorities, so as to carry out objectives of the Board of Sports and Physical education; and
- (h) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

30 Director, Internal Quality Assurance Cell

- (1) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall be responsible for promoting measures for institutional functioning towards quality enhancement through internalization of quality culture and institutionalization of best practices and shall be the head of the University Internal Quality Assurance Cell.
- (2) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the teachers at the University not below the rank of Associate Professor or having equivalent research and teaching experience.
- (3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (4) The Vice Chancellor shall ensure that the office of Director, Internal Quality Assurance Cell is never vacant. When the Director, Internal Quality Assurance Cell is by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.
- (5) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
 - (a) Development and application of quality benchmarks/parameters for various academic and administrative activities of the University;
 - (b) Facilitating the creation of a learner-centric environment conducive for quality education and faculty maturation to adopt the required knowledge and technology for participatory teaching and learning process;
 - (c) Acting as a nodal agency of the University for coordinating quality-related activities, including adoption and dissemination of good practices;
 - (d) Development and maintenance of Institutional database through MIS for the purpose of maintaining /enhancing the institutional quality;
 - (e) Preparation of the Annual Quality Assurance Report (AQAR) of the University based on the quality parameters/assessment criteria developed by the relevant quality assurance body in the prescribed format and submission of the same to the accreditation bodies and its follow up reports to the University Grants Commission;
 - (f) Interaction with State Level Quality Assurance Cell (SLQAC) in the pre and post accreditation quality assessment, sustenance, and enhancement endeavours;
 - (g) Ensure participation of the University and its constituent colleges in rankings and accreditations by National Institutional Ranking Framework, National Accreditation and Assessment Council and State Institutional Ranking Framework as mandated by the University Grants Commission or the State Government; and
 - (h) to timely and accurate updation of data with all relevant documents on the All-India Survey for Higher Education or similar other surveys mandated by the University Grants Commission or Government of India or the State Government, by whatever name, as the case may be.

- (6) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

31 Director, Inclusive Education

- (1) The Director, Inclusive Education shall be responsible to ensure that the University shall be inclusive and non-discriminatory in nature and does not discriminate among its students, teachers, non-teaching staff or any other employee of the University.
- (2) The Director, Inclusive Education shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers of the University, not below the rank of Associate Professor.
- (3) The Director, Inclusive Education shall discharge functions under the direction and guidance of the Board of Inclusive Education and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Inclusive Education.
- (4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (5) The Director, Inclusive Education shall report directly to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
 - (a) to develop and implement a strategic plan for inclusive education within the University;
 - (b) to formulate goals and objectives for increasing accessibility and inclusivity across all University programs and services;
 - (c) to ensure compliance of University policies and practices with the rules and regulation of Government of India or State Government related to disability and inclusion;
 - (d) to identify any emerging needs or challenges for the inclusive education and develop or revise policies to support inclusive practices;
 - (e) to create and manage programs aimed at supporting students with diverse needs, including those with disabilities, minority backgrounds, or PVTG;
 - (f) to oversee the development of resources, training materials, and support services for students; and
 - (g) to ensure training of faculty, staff, and administrators on inclusive teaching practices, accommodations, and diversity through JSFDA or any other national or international organisation of repute.
- (6) The Director, Inclusive Education shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

32 Director, Human Resource Management

- (1) The Director, Human Resource Management shall be responsible for managing the appointment, promotion, training and capacity building of teaching, non-teaching and other employees of the University.
- (2) The Director, Human Resource Management shall be selected by State Government, from amongst a list of 03 teachers of the University, in the rank of Professor or having teaching experience of at least 15 years, shortlisted by the Vice Chancellor.
- (3) The Director, Human Resource Management shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Human Resource Management and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Human Resource Management.
- (4) The post of Director, Human Resource Management shall have a term of 03 years, with one extension of 01 year, in case of necessary circumstances as recommended by Vice Chancellor and approved by State Government. No teacher shall be allowed for reappointment to the

post of Director, Human Resource Management in the same University.

- (5) The Director, Human Resource Management shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
- (a) to maintain the database of the employees of the University in the ERP suite as prescribe by the State Government;
 - (b) to prepare the roster of vacancies available for teaching or non-teaching staff;
 - (c) to collect the vacancies that may be arising out of different faculty and prepare a consolidated list of the same;
 - (d) to propose amendments to the Statutes for promotion of various teaching and non-teaching posts as per revisions by the University Grants Commission and /or State Government;
 - (e) to convene the meeting of screening committee, selection committee, Board of Human Resource Management or any other body/ committee dealing with promotion or training of teachers and non-teaching staff;
 - (f) to entertain concerns, grievance, conflicts related to promotion of teachers;
 - (g) to maintain a positive working environment and ensure that policies and procedures are followed;
 - (h) to develop a transparent online mechanism for managing the end-to-end process of promotion of all University employees;
 - (i) to ensure that the screening of application for promotion of teachers and non-teaching staff is done in utmost secrecy without involvement of any personnel other than those mandated by the Board of Human Resource Management;
 - (j) to coordinate with JSFDA or UGC's Human Resource Development Centres to organise professional development programs, workshops, and training sessions for teachers and non-teaching staff;
 - (k) to develop and implement digital performance appraisal systems in line with academic performance indicators as a mock assessment tool for employees of the University;
 - (l) to coordinate with University Departments, constituent colleges and/or recognized institutions as applicable for identifying the prospective vacancies;
 - (m) to handle administrative tasks related to employment records, service book, payroll processing, etc. that benefits administration; and
 - (n) to oversee workplace safety programs and initiatives related to health and wellness of the institution's human resource.
- (6) The Director, Human Resource Management shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

33 Director, Internship, Apprenticeship and Placement

- (1) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall be an officer of the University responsible for managing the internship, apprenticeship and placement of the students of the University including their skill enhancement, capacity building and training.
- (2) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the competent teachers having at least 12 years of experience.
- (3) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Internship, Apprenticeship and Placement and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Internship, Apprenticeship and Placement.
- (4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever

is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

- (5) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
- (a) to develop and oversee internship, apprenticeship, and placement programs that align with academic curricula and industry needs;
 - (b) to collaborate with academic departments and integrate these programs into the curriculum effectively;
 - (c) to build and maintain strong relationships with businesses, non-profits, government agencies, and other organizations to create and expand internship and placement opportunities;
 - (d) to engage with alumni, faculty, Board of Apprenticeship Training (BOAT), Board of Apprenticeship Training (BOPT), and industry professionals and leverage new opportunities;
 - (e) to identify and engage potential employers for internship, apprenticeship and placement of students;
 - (f) to ensure that all internship, apprenticeship, and placement programs comply with University policies and industry regulations;
 - (g) to maintain accurate records of student placements, internships, and apprenticeships;
 - (h) to plan and execute career fairs, networking events, workshops and to connect students with potential employers for enhanced career readiness;
 - (i) to analyse program effectiveness and generate reports for University administration;
 - (j) to invite industry professionals to provide insights into career opportunities and industry trends;
 - (k) to gather feedback from students and employers to assess the effectiveness of programs and identify areas for improvement;
 - (l) to continuously evaluate and refine programs based on feedback, industry trends, and changing student needs;
 - (m) to monitor the establishment of placement cells in all constituent or affiliated colleges and the execution of their mandated activities; and
 - (n) to provide information and other reports to the Board of Internship, Apprenticeship and Placement as required from time to time.
- (6) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

34 Director, Estate and Facility Management

- (1) The Director, Estate and Facility Management shall be an officer of the University responsible for handling all the activities related to infrastructure development, maintenance and up keeping of the University and its utilities.
- (2) The Director, Estate and Facility Management shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers at the University, not be below the rank of Associate Professor or having teaching experience of at least 12 years.
- (3) The Director, Estate and Facility Management shall discharge his functions under the direction and guidance of the Vice Chancellor and implement the policies and directives given by the Building and Works Committee.
- (4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (5) The Director, Estate and Facility Management shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

- (a) to ensure maintenance of the infrastructure facilities of the University and its units such as classroom, laboratories, hostels, student resource centres, health centres for employees and students, multipurpose hall, playground, libraries, etc.;
 - (b) to ensure that all infrastructure facilities of the University and its units adhere to the Building Code mandated by the Central Public Works Department or Department of Building Construction, Government of Jharkhand, as applicable;
 - (c) to ensure timely and regular safety audits of the Buildings in the University and its units by the concerned authorities;
 - (d) to oversee security systems and protocols, ensuring the safety and security of campus buildings and occupants;
 - (e) to manage and upkeep all utilities being used by the University and ensuring its timely payment; and
 - (f) to ensure availability of doctors and medical personnel as required, and first-aid are placed at prominent places of the University, University Departments, Constituent Colleges, Hostels, Student Resource Centre, etc.
- (6) The Director, Estate and Facility Management shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

35 Director, Public Relations and Community Outreach

- (1) The Director, Public Relations and Community Outreach shall be an officer of the University responsible for handling all external and internal communications of the University.
- (2) He shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the teachers of the University having teaching experience of at least 12 years.
- (3) He shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Public Relations and Community Outreach and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Public Relations and Community Outreach.
- (4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (5) The Director, Public Relations and Community Outreach shall report directly to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
 - (a) to draft key messages and narratives for effective communication of the University's vision, mission, values, achievements, and news;
 - (b) to handle media inquiries and manage interviews, ensuring accurate and positive representation of the University;
 - (c) to develop and maintain relationships with community leaders, organizations, and local industries for fostering collaboration and support;
 - (d) to monitor public perception and manage the University's reputation, bringing any issues or crisis that arise, to the attention of Board of Public Relations and Community Outreach;
 - (e) to oversee the creation and maintenance of content for the University's website and other digital platforms;
 - (f) to produce and distribute internal newsletters or bulletins to share University news and updates with employees; and
 - (g) to oversee the production of University publications, such as annual reports, brochures, and promotional materials.
- (6) The Director, Public Relations and Community Outreach shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

36 Director, Student Art and Culture

- (1) The Director, Student Art and Culture shall be from amongst senior teachers of the University not below the rank of Associate Professor having prior experience in the field of arts and culture and shall be responsible for handling all art and culture centric activities of the University.
- (2) The Director, Student Art and Culture shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Student Art and Culture and shall be responsible for implementing of the policies and directives of the Board of Student Art and Culture.
- (3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (4) The Director, Student Art and Culture shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities: -
 - (a) Formulating and implementing policies for the promotion of cultural activities in line with the educational and cultural heritage of Jharkhand;
 - (b) Encouraging student participation in traditional, folk, and contemporary arts to preserve the state's cultural identity;
 - (c) Organizing inter-University cultural festivals, art exhibitions, musical performances, and theatrical activities;
 - (d) Establishing cultural clubs, societies, and committees in various art forms and facilitating student participation in state, national, and international cultural events;
 - (e) Liaison with the Department of Tourism, Art and Culture, Youth Affairs and Sports, Government of Jharkhand, to align University programs with state-level cultural policies;
 - (f) Constitute committees to manage and execute cultural events at the University and constituent colleges;
 - (g) organize cultural and recreational activities jointly with regional, national and international bodies;
 - (h) promote the interest of the youth and develop their skills for appreciation of the fine and performing arts, pure arts and literary skills;
 - (i) organize University, state, national and international level competitions, skills development workshops and interactive programmes in various fields for the students; and
 - (j) train the students for state, national and international level competitions in various cultural activities.
- (5) The Director, Student Art and Culture shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

37 Director, Constituent Colleges

- (1) The Director, Constituent Colleges shall be an officer of the University and shall be responsible for overseeing the administration and coordination of the University's constituent colleges. He shall also ensure that Constituent Colleges are aligned with the University's overall mission and strategic goals.
- (2) The Director, Constituent Colleges shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers of the University not below the rank of Associate Professor.
- (3) The Director, Constituent Colleges shall discharge his functions under the superintendence, direction and guidance of the Board of Constituent Colleges and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Constituent Colleges.
- (4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever

is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

- (5) The Director, Constituent Colleges shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
 - (a) to co-ordinate between the University administration and constituent colleges ensuring streamlined operations and consistent practices;
 - (b) to monitor and support the academic quality and performance of the constituent colleges, including program evaluations and accreditation processes;
 - (c) to implement and enforce University policies and procedures within the constituent colleges, including those related to academic standards, student affairs, and faculty governance;
 - (d) to establish and monitor performance metrics to assess the progress and impact of the Constituent Colleges initiatives;
 - (e) to oversee the deployment of teachers and non-teaching staff in Constituent Colleges in coordination with Director, Human Resource Management;
 - (f) to oversee the infrastructure requirement of Constituent Colleges and the implementation progress of various Schemes;
 - (g) to oversee the implementation of student centric services and support systems within the constituent colleges, including counselling, career services, and extracurricular activities;
 - (h) to facilitate partnerships and collaborations between constituent colleges and external organizations or institutions; and
 - (i) to provide regular reports to the University administration on the performance, challenges, and achievements of the constituent colleges.
- (6) The Director, Constituent Colleges shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

38 Director, Affiliated Colleges

- (1) The Director, Affiliated Colleges shall be an officer of the University, responsible for overseeing the administration and coordination of the Affiliated Colleges. He shall ensure that operations of Affiliated Colleges are aligned with the University's overall mission and strategic goals.
- (2) The Director, Affiliated Colleges shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers at the University, not be below the rank of Associate Professor.
- (3) The Director, Affiliated Colleges shall discharge functions under the direction and guidance of the Board of Affiliated Colleges and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Affiliated Colleges.
- (4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.
- (5) The Director, Affiliated Colleges shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-
 - (a) to ensure conditionalities related to affiliation are implemented appropriately;
 - (b) to track the progress of affiliated colleges against the key performance indicator set by the Board of Affiliated Colleges;
 - (c) to conduct regular inspections, visits and quality checks as may be prescribed by the Statutes;
 - (d) to encourage affiliated colleges for attaining autonomous and empowered autonomous status as prescribed by the Statutes;
 - (e) to track the performance of affiliated colleges and suggest modifications in the rules

or Statutes for affiliation; and

(f) to ensure participation of affiliated colleges in NAAC, NIRF, NBA and JSIRF as applicable.

(6) The Director, Affiliated Colleges shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

39 Employees of the University to be public servants

Employees of the University shall be deemed to be public servants within the meaning of section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

CHAPTER IV: AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

40 Authorities of the University

(1) The following shall be the authorities of the University, namely: -

- (a) Senate;
- (b) Syndicate;
- (c) Academic Council;
- (d) Faculty;
- (e) Board of Studies;
- (f) Board of Examinations and Evaluation;
- (g) Board of Lifelong Learning and Education;
- (h) Board of Information Technology and Digital Learning;
- (i) Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;
- (j) Board of Student Affairs;
- (k) Board of Sports and Physical Education;
- (l) Board of Human Resource Management;
- (m) Board of Internship, Apprenticeship and Placement;
- (n) Board of Inclusive Education;
- (o) Board of Estate and Facility Management;
- (p) Board of Study Centres;
- (q) Board of National and International Linkages;
- (r) Board of Student Art and Culture;

For the Universities enumerated in the Schedule-II, the following additional officers, namely:-

- (s) Board of Constituent Colleges;
- (t) Board of Affiliated Colleges;
- (u) Board of Regional Centres; and

such other bodies of the University as may be prescribed by the Statutes, to be the authorities of the University.

41 Senate

- (1) The Senate shall be the principal executive, final decision making and policy making authority of the University and shall be responsible for administering all the affairs of the University and carrying out such duties, which are not specifically assigned to any other authority, board or committee.
- (2) The Senate shall meet as and when required but not less than two times in a year (one at even semester and one at odd semester).
- (3) The procedure for conduct of business of the Senate shall be such as may be prescribed by the Statutes.

- (4) The Chancellor shall be the Chairperson of the Senate and preside over the meetings of the Senate, when present:

Provided that in absence of the Chancellor, he may authorize the Pro-Chancellor to preside over the meetings of the Senate.

- (5) The Senate of the University shall consist of following members, namely: —

Members

- (a) Chancellor – Chairperson;
- (b) Vice Chancellor – Vice - Chairperson;
- (c) Pro-Vice Chancellor;
- (d) Representative from Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand not below the rank of Secretary to the State Government;
- (e) Financial Advisor;
- (f) Proctor;
- (g) Director, Directorate of Higher Education, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (h) Director, Directorate of Technical Education, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
- (i) Dean, Academic Affairs;
- (j) Director, Student Affairs;
- (k) half of the remaining Directors of the University nominated by the Vice Chancellor on rotational basis;
- (l) one eminent educationist nominated by the Chancellor;
- (m) ten academicians/educationists/industrialists/researchers from the field of education, industry, agriculture, commerce, banking, finance, social, cultural and other such allied fields to be nominated by State Government through Department of Higher and Technical Education;
- (n) three to six Head of the University Department, to be nominated by the Vice Chancellor on seniority basis, by rotation;
- (o) two eminent experts from the institute or organisation of National Importance established by an Act of the Parliament, having national level reputation to be nominated by State Government;
- (p) five teachers of the University appointed against sanctioned posts who are not principals or college teachers or directors having at least twelve years of teaching experience to be nominated by the Vice Chancellor from amongst the University teachers, on the basis of seniority, out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class categories, by rotation;
- (q) five registered graduates of the University selected by the Vice Chancellor on basis of their performance in academics, sports and fine arts, out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Backward Class categories, by rotation;
- (r) Members of Parliament in the area of establishment of the University;
- (s) Members of the Jharkhand Legislative Assembly of Constituencies falling under the jurisdictional districts of the University;
- (t) five members from amongst the non-teaching staff of the University nominated by the Vice Chancellor;

- (u) President of the University Student Council;
 - (v) two members selected by the Academic Council from amongst its members, on seniority basis; and
 - (w) the Registrar of University shall be the Member Secretary of the Senate.
- For Universities enlisted in Schedule – II of this Act the following additional members shall form a part of the Senate;
- (x) five Principals or teachers with equivalent experience, of the Constituent Colleges of the University to be nominated by the Vice Chancellor; out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class categories, by rotation; and
 - (y) five Principals or teachers with equivalent experience, of the Affiliated Colleges of the University to be nominated by the Vice Chancellor, out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class categories, by rotation.
- (6) All the decisions of the Senate shall be taken by simple majority of the members present with the Chairperson having the deciding vote in case of a tie:
- Provided that, in case the meeting of the Senate is being organized under the Chairpersonship of the Vice Chairperson, it shall have the deciding vote in case of a tie.
- (7) All decisions taken in the meeting of the Senate headed by the Vice Chairperson shall be approved by the Chairperson.
- (8) The tenure for nominated members of Senate shall be of three years.
- (9) The quorum for bi-annual meeting (one at even semester and one at odd semester) of the Senate shall be set at one-third of the total members.
- (10) The Senate shall have the following powers and duties, as supreme authority of the University, namely: —
- (a) to review and deliberate on short- and long-term reforms in academic, research and development activities, finances, management and governance that are taking place at the national and global level with a view to allowing them to percolate into the University;
 - (b) to study and decide upon the operative mechanism for the reforms in all the domains of the University;
 - (c) to make such provisions, as may enable colleges and institutions to undertake specialised studies and courses, and where necessary or desirable, organize and make provisions for common laboratories, libraries, museums and equipments for teaching and research among various organisations and universities;
 - (d) to establish departments, colleges, centres, institutions of higher learning, research and specialised studies as applicable, on the recommendation of the Academic Council;
 - (e) to recommend to the State Government, the draft of Statutes or amendment or repeal any or part of Statutes for approval;
 - (f) to make, amend or repeal any or part of University Ordinances;
 - (g) to control and arrange for administration of assets and properties of the University;
 - (h) to discuss and approve with modifications, if any, the annual financial estimates or budget, that is to say the fund which may be received from State Government, University funds and other funding agencies separately;
 - (i) to consider proposals to enter into, amend, carry out and cancel contracts on

- behalf of the University;
- (j) to determine the form of common seal for the University and provide for its use;
- (k) to accept, on behalf of the University the transfer of any trusts, bequests, donations and transfer of any movable, immovable and intellectual property to the University with the prior permission of the State Government;
- (l) to transfer by sale or otherwise, any movable or intellectual property rights on behalf of the University;
- (m) to transfer by sale or lease or contract any immovable property to other organisation with the prior permission of the State Government:
- Provided that, any immovable property may be permitted to be used for the specific period, for the purpose of providing essential physical facilities for accomplishment of objects of the University, such as bank, canteen, post office, mobile towers, etc, without prior approval of the State Government;
- (n) to create immovable assets in the form of land, building and other infrastructure out of reserve funds, for its campus, study center and regional centre, as applicable;
- (o) to borrow, lend or invest funds on behalf of the University;
- (p) to lay down policy for administering funds at the disposal of the University for specific purposes;
- (q) to provide buildings, premises, furniture, equipment and other resources needed for the conduct of the work of the University;
- (r) to recommend the conferment of honorary degrees and academic distinctions;
- (s) to institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as recommended by the Academic Council and arrange for convocation for conferment of the same, as provided by the University Ordinances;
- (t) to institute fellowship, travelling fellowship, scholarship, studentship, exhibitions, awards, medals and prizes and prescribe rules for their award;
- (u) to make rules for collaborations with other universities, institutions and organisations for mutually beneficial academic programme;
- (v) to approve appointments for the posts of teaching and non-teaching staffs against the posts sanctioned by the State Government;
- (w) to create posts of officers, non-teaching skilled, administrative staff and other posts from the funds of the University and from the funds received from other funding agencies, as and when required, and prescribe their qualifications, experience, timespan and pay-scales;
- (x) to prescribe honorarium, remunerations, fees and travelling and other allowances for paper-setters and other examination staff, visiting faculty and fees or charges for any other services rendered to the University;
- (y) to instruct the Academic Council for submission of the comprehensive perspective plan and annual plan for the location of colleges and institutions of higher learning;
- (z) to consider and approve proposals for change or transfer of management and shifting of locations of colleges and institutions, as prescribed by the Statutes;
- (ab) to consider report of the development activities of the University received from the Registrar every six months;
- (ac) to confer autonomous status on constituent colleges and affiliated colleges on the

- recommendation of the Academic Council, as per the Statutes and the University Grants Commission (UGC);
- (ad) to assess and approve proposals for academic programme received from the Academic Council;
- (ae) to consider and adopt the annual report, annual accounts and audit report in respect of State Government funds, University funds and funds received from other agencies separately;
- (af) to cause an inquiry to be made in respect of any matter concerning the proper conduct, working and finances of colleges, institutions or departments of the University;
- (ag) to delegate, any of its powers, except the power to make, amend or repeal Statutes and University Ordinances, to the Vice Chancellor or such officer or authority of the University or a committee appointed by it, as it deems fit;
- (ah) to define the functions, duties, powers and responsibilities of non-teaching employees in the University, in respect of the posts created from the funds of the University and from the funds received from other funding agencies;
- (ai) to accept donations, gifts and other forms of financial support from alumni, philanthropists, industries and other stakeholders and prescribe the procedure to be followed by the University for accepting such donations, gifts, etc;
- (aj) to impose penalties upon the erring colleges/ institutions as applicable as per the process laid down by the Statutes;
- (ak) to recommend to the State Government through the Vice Chancellor to appoint an Administrative Board for the affiliated college to run the management of such college in case of disputes regarding the management of such colleges, till the dispute is statutorily resolved. The constitution of this board and the process of its appointment shall be as prescribed by the Statutes. The decision of the State Government in this regard shall be final and binding; to develop and adopt students' charter; and
- (al) may issue directions, instructions and change the decisions of Syndicate and Academic Council, mentioning the reasons for such decisions.

42 Syndicate

- (1) The Syndicate of the University shall be the functional authority and subordinate to the Senate of the University and shall consist of the following members, namely: -
- (a) Vice Chancellor – Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor - Vice Chairperson;
 - (c) representative of Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand not below the rank of Joint Secretary;
 - (d) Financial Advisor;
 - (e) Proctor;
 - (f) Dean, Academic Affairs;
 - (g) Director, Student Affairs;
 - (h) one-third of the remaining Directors of the University nominated by the Vice Chancellor on rotational basis;
 - (i) Controller of Examinations;
 - (j) Finance Officer;
 - (k) two Dean of Faculty to be nominated by Vice Chancellor on rotation basis;
 - (l) three to six Head of University Department, to be nominated by the Vice

- Chancellor on rotation basis;
- (m) four teachers of the University, other than Head of the Department, to be nominated by the Vice Chancellor on rotation basis;
 - (n) one eminent educationist nominated by the Chancellor;
 - (o) ten eminent persons from amongst the educationists, social workers, public administrators, representatives of backward communities, women and such other classes of high repute persons, who have distinct contribution in their respective field to be nominated by the State Government through Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand; and
 - (p) Registrar – Member Secretary.

For Universities enlisted in Schedule – II of this Act the following additional members shall form a part of the Syndicate:

- (q) four Principals of Constituent Colleges of the University, to be nominated by the Vice Chancellor on rotational basis; and
 - (r) four Principals of Affiliated Colleges of the University, to be nominated by the Vice Chancellor on rotational basis.
- (2) At least one-third of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be women:

Provided that in case of a University established for studies of specialised nature or promoting any specific gender or promoting any underprivileged section of the Society, three-fourth of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be experts of the specialised nature or from specific gender or particular underprivileged section of the society respectively.

- (3) All the decisions of the Syndicate shall be taken by the simple majority of the members present and the Chairperson shall have the deciding vote in case of a tie.
- (4) The tenure for nominated members of Syndicate shall be three years. The Syndicate shall meet at least once in every two months and as and when required by the Vice Chancellor.
- (5) The quorum of the meeting of the Syndicate shall be set at one-third of the total members.
- (6) Subject to such conditions as may be prescribed by or under this Act, the Syndicate shall perform the following duties under the guidance and direction of the Senate, namely: -
 - (a) to hold, control and administer the property and funds of the University;
 - (b) to enter into, vary, carry out and cancel contract on behalf of the University in the exercise or performance of the powers and duties assigned to it by this Act and the Statutes, with it;
 - (c) to determine the form and provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;
 - (d) to administer funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
 - (e) to prepare the annual financial estimates of the University and to submit them to the Senate;
 - (f) to sanction the transfer of any amount within the budget grant from one minor head to another or from subordinate head under the minor head to a subordinate head under another minor head;
 - (g) to sanction the transfer of any amount within a minor head from one subordinate head to another or from one primary unit to another;
 - (h) to make provisions for buildings, premises, furniture, apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
 - (i) to accept on behalf of the University, bequests, donations and transfer of any

- movable or immovable property to the University;
- (j) to propose the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (k) to manage and regulate finances, accounts and investments of the University;
- (l) to institute and manage –
 (i) University Boards; and
 (ii) Councils, Committees and Cells
- (m) to make provisions for Physical Education, National Social Service, National Cadet Corps;
- (n) to manage colleges, University Departments as applicable or specialised studies, laboratories, libraries and hostels maintained by the University;
- (o) to arrange for, and direct, the inspection of University Departments, affiliated or constituent colleges as applicable, and hostels and to issue instructions for maintaining their efficiency and/or ensuring proper conditions of employment for members of their staff, and in case of disregard of such instructions, to modify the conditions of their affiliation or recognition or take such other steps as it deems proper;
- (p) to call for reports, returns and other information from colleges or hostels;
- (q) to supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University Departments, Constituent Colleges and Affiliated Colleges as applicable and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (r) to recommend to the Senate, for conferment of honorary degrees and academic distinction in the manner prescribed by the Statutes;
- (s) to recommend award fellowships, travelling fellowships, studentships, exhibitions, medals and prizes, to the Senate;
- (t) to make recommendations for appointments of teachers and employees of the University, to fix their emoluments and define their duties and terms and conditions of their services including disciplinary matters, to the State Government, after consultation with the Senate;
- (u) to fix remuneration of examiners and to arrange for conduct and for publishing the result of the University examinations and other tests;
- (v) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Rules;
- (w) to make, amend and cancel the University Ordinances; and
- (x) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred by the Board or imposed upon by or under this Act.
- (7) The Syndicate shall make a report to the Senate about all acceptances of property and matters referred in sub-sections (6)(i) and 6(j).
- (8) The Syndicate shall not transfer any immovable property without the previous sanction of the Senate and the State Government.
- (9) The exercise of the powers by the Syndicate under clause (t) of sub-section (6), in so far as they relate to the laying down and regulating salary scales and allowances of officers (other than the Vice Chancellor) and members of the teaching, other academic and non-teaching staff of the University and constituent colleges shall be subject to the approval of the State Government.
- (10) The Syndicate by University Ordinances may appoint committee or committees to carry out

its administrative work and define its constitution, functions and tenure.

- (11) The Syndicate shall exercise functions as defined by the Senate.

43 Academic Council

- (1) The Academic Council shall be the principal academic authority of the University, responsible for regulating and maintaining the standards of teaching, research and evaluation in the University. It shall also be responsible for laying down the academic policies for maintenance and improvement of standards of teaching, research, extension, collaborative programme in academic matters and evaluation of the workload of the teachers, under policy guidance of Senate and Syndicate.
- (2) The Academic Council shall meet as and when required, but not less than four times in a year.
- (3) The tenure for nominated members of Academic Council shall be three years.
- (4) The Academic Council shall consist of the following members, namely: -

Members

- (a) Vice Chancellor – Chairperson;
- (b) Pro-Vice Chancellor;
- (c) Financial Advisor;
- (d) Dean (Academic Affairs);
- (e) Dean of each faculty;
- (f) Controller of Examinations;
- (g) Finance Officer;
- (h) the Vice Chancellor shall nominate the following members, on seniority basis and also on the basis of additional criteria as may be prescribed by the Statutes:
- (i) three Principals of constituent colleges which are accredited by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or National Board of Accreditation (NBA), as the case may be, out of whom one shall be woman and one shall be a person belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG:

Provided that for the Universities as mentioned in Schedule-III of this Act, three Head of Departments shall be nominated on rotation basis, and

- (ii) two University professors, out of whom one shall be a person belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG by rotation;
- (i) two teachers, representing each faculty, with not less than fifteen years of teaching experience to be nominated by the Vice Chancellor, out of whom one shall be a person belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class:

Provided that, out of the teachers representing each faculty, under this clause, one shall be a woman;

- (j) one nominated representative of the Syndicate;
- (k) representative of Director, Higher Education not below the rank of Deputy Director;
- (l) representative of Director, Technical Education not below the rank of Deputy Director;
- (m) eight eminent experts from the institutes or organisations of national or state repute, such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science Education and Research, Indian Institute of Management, Indian Space

Research Organisation, Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Indian Council for Social Research, Industrial Associations, Indian Olympic Association and allied fields and as much as possible representing all the faculties, nominated by Vice Chancellor;

- (n) Director, Human Resource Management;
- (o) Director, Student Affairs;
- (p) Director, Inclusive Education;
- (q) an eminent person from Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries in the field of business and industry can be a member, as nominated by the Vice Chancellor.
- (r) one member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;
- (s) one member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;
- (t) one member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and
- (u) Registrar – Member Secretary:

At least one-third of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be women, provided that, for Universities designated as Women Universities, three-fourth of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be women.

(5) The Academic Council shall have the following powers and duties, namely:—

- (a) to ensure that the University becomes a vibrant hub for teaching, learning, research and development, interactions and linkages with industries, cultivation of intellectual property rights and entrepreneurship and incubation of knowledge linked industries;
- (b) to ensure in-demand market relevant courses are introduced in collaboration with industry having practical or hand-on training;
- (c) to consider and approve with modifications, if any, the matters referred to it by the Board of Studies through the faculty;
- (d) to frame curriculum as per latest norms of UGC;
- (e) to seek opinion and recommendation from the JSFDA for regular updation of course structure, curriculum, pedagogy and delivery mechanism;
- (f) to ensure that the spirit of research and entrepreneurship percolates to all colleges and recognized institutions of the University;
- (g) to approve fees, other fees and charges as recommended by the fee fixation committee;
- (h) to recommend to the institution of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (i) to propose draft of University Ordinances relating to the academic matter to the Syndicate;
- (j) to allocate Departments to the faculties;
- (k) to prescribe qualifications and norms for appointment of paper-setters, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations and evaluation;
- (l) to consider and make recommendations to the Syndicate for creation of posts of teaching and non-teaching staff, for self-financed courses only, as per the qualifications prescribed by UGC or concerned regulatory body, in concurrence with the Finance and Accounts Committee;

- (m) to accord recognition to various certificate, diploma, advanced diploma and degrees programmes run by constituent or affiliated colleges, in consonance with the norms of the University Grants Commission and the State Government;
 - (n) to recommend to the Syndicate the comprehensive perspective plan of academics;
 - (o) to recommend to the conferment of autonomous status on affiliated or constituent colleges in accordance with the provisions of the Statutes;
 - (p) to approve new courses, inter-disciplinary courses and short-term training programmes referred to it by the concerned Board of Studies;
 - (q) to approve the course syllabi, paper-setters, examiners and moderators, and evaluation schemes of various courses recommended by the faculty concerned;
 - (r) to advise the Vice Chancellor on all academic matters and submit financial feasibility report to the Syndicate on academic programmes;
 - (s) to work out the procedures, policies and practices to introduce more flexible approach to education and of 'adaptive pace of learning' with minimum and maximum duration for completion of a degree and other academic programmes;
 - (t) to ensure that the research projects are an integral part of curriculum for undergraduate and post-graduate programmes;
 - (u) to prepare academic calendar of the University for the subsequent academic year as per the guidelines of the University Grants Commission and the State Government, three months before the completion of the current academic year;
 - (v) to recommend to the Syndicate establishment of departments, colleges, centres, institutions of higher learning, research and specialized studies; and
 - (w) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act, the Statutes, University Ordinances and Rules.
- (6) The Academic Council shall refer all matters or decisions involving financial implications to the Syndicate for approval with due concurrence of Finance and Accounts Committee.

44 Faculty

- (1) The faculty shall be the primary academic co-ordinating authority of the University in respect of studies and research in relation to the subjects included in the respective faculty and also in respect of studies and research in multi-faculties.
- (2) The University shall have the following faculties, namely:—
 - (a) Faculty of Science and Technology;
 - (b) Faculty of Commerce and Management;
 - (c) Faculty of Social Science;
 - (d) Faculty of Humanities;
 - (e) Faculty of Inter-disciplinary Studies-cum-Vocational Studies.
 - (f) Faculty of Legal Studies; and
 - (g) Faculty of Education, Sports and Performing Arts.

The University may constitute other faculty as per the requirement and as may be prescribed by the Statutes.
- (3) Each faculty shall comprise of such Departments as prescribed by the Statutes.
- (4) A faculty shall consist of the following members, namely :—
 - (a) Dean of Faculty, concerned – Chairperson;
 - (b) Head of Department of each Department comprised in the faculty;
 - (c) One teacher, nominated by each Board of Studies within the faculty; and
 - (d) five special invitees, who are eminent scholars with proven academic achievements and industrial or professional exposure in the subjects within the faculty, to be

nominated by the Pro-Vice Chancellor in consultation with the Dean of Faculty, concerned.

Senior most Head of the Department as mentioned in sub-section (4)(b), shall act as Member Secretary.

- (5) The faculty shall have the following powers and duties, namely:—
- (a) to consider the report on any matter referred to it by the Dean of concerned Faculty or Academic Council;
 - (b) to create time bound operative mechanism for implementation of the academic policy decisions;
 - (c) to consider and recommend with modifications, if any, to the Academic Council, the matters referred to it by the Departments;
 - (d) to recommend to the Academic Council the course syllabi, course structures and evaluation schemes of various courses;
 - (e) to study and certify the curricula made by the autonomous colleges, empowered autonomous colleges or cluster of institutions as applicable;
 - (f) to recommend to the Academic Council the requirements regarding the conduct of post-graduate or under-graduate teaching, research, training and instruction, in University departments or institutions, empowered autonomous and autonomous colleges, including the manpower requirement;
 - (g) to consider and recommend to the Academic Council, new courses, interdisciplinary courses and short-term training programmes referred to it by the Boards of Studies;
 - (h) to ensure that guidelines framed by the Academic Council in relation to teaching, research, training and instruction are implemented;
 - (i) to plan and organize inter-departmental and inter-faculty programmes in consultation with the Boards of Studies;
 - (j) to recommend to the Board of Human Resource Management and the Academic Council, conduct of refresher and orientation programmes for employees of the University, especially for the revised or newly introduced or inter-disciplinary courses of study, training and advance training, field exposure and deputation in collaboration with JSFDA;
 - (k) to prepare and submit the annual report of the functioning of the faculty to the Vice Chancellor; and
 - (l) to undertake any other task in respect of studies and research in relation to the subjects included in the faculty and also in multi-faculties, as may be assigned to it by the University authorities.

45 Board of Studies

- (1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects prescribed by the Statutes. The Board of Studies shall be the primary academic body of the University.
- (2) The Board of Studies shall consist of the following members, namely:—
 - (a) Dean of concerned Faculty - Chairperson;
 - (b) Head of the University department or institution in the relevant subject;
 - (c) six teachers having minimum ten years teaching experience, nominated by the Vice Chancellor in consultation with the Dean of the respective faculty, from the following categories, namely :—
 - (i) one teacher from amongst the full-time teachers of the University departments in the relevant subject,

- (ii) two teachers from amongst the constituent colleges or institutions as applicable in the concerned subject, and
- (iii) three teachers from amongst affiliated colleges or institutions as applicable;
- (d) one member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;
- (e) one member nominated by Jharkhand State Higher Education Council; and
- (f) one member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation.

Senior most Head of the Department as mentioned in sub-section (2)(b), shall act as Member Secretary.

- (3) The Board of Studies shall have the following powers and duties namely:-
- (a) to recommend through the faculty or faculties concerned and the Academic Council, the introduction of new certificate, diplomas and degrees as per industry requirements;
 - (b) to recommend to the through the faculty or faculties concerned and the Academic Council, the discontinuation of certificates, diplomas and degrees which have become irrelevant;
 - (c) to recommend to the faculty concerned, the course syllabi, course structures and evaluation schemes of various courses;
 - (d) to undertake skill gap analysis, market research, best practices study, etc. for introduction of in demand courses in line with the University vision to attain self-sustenance;
 - (e) to suggest extension programmes with respect to the courses introduced;
 - (f) to understand the requirements of industry or corporate or society at large and to incorporate them into the syllabi to make the teaching-learning process relevant to the needs of the time;
 - (g) to encourage learning by collaboration and participation by using information and communication technology tools;
 - (h) to design curricula, add vocational content to every discipline and to prescribe the minimum period to pursue skill development programme and the level of proficiency expected;
 - (i) to ratify curricula, all processes and practices developed by the autonomous colleges, University departments or institutions, autonomous recognized institutions, empowered autonomous colleges or cluster of institutions as applicable, and recommendations in respect of recognition of teachers or experts.
 - (j) to seek recommendations or consultations from the JSFDA in the matters of course and curriculum design;
 - (k) to evaluate the feasibility of the self-financed course/s to be introduced by the concerned University Department or Constituent Colleges (as applicable);
 - (l) coordinate with Academic Council and Finance and Accounts Committee for academic and financial concurrence before seeking approval of the syndicate for the concerned self-financed course; and
 - (m) to monitor the operations of self-financed course/s and propose any modification, extension or closure of such course as required.
- (4) The Board of Studies shall constitute a Research and Recognition Committee for each University Department,-
- (a) The Research and Recognition Committee shall consist of the following members, namely :-

- (i) Head of the Concerned University Department- Chairperson,
 - (ii) All teacher of the concerned University Department, and
 - (iii) two experts in the subject, to be nominated by the Vice Chancellor, not below the rank of Professor, who have successfully guided at least three Doctorate of Philosophy (Ph.D.) students and have published research work in recognized or reputed national or international journals, anthologies, etc., one of whom shall be from outside the University;
- (b) the Research and Recognition Committee shall have the following power and duties, namely:—
- (i) to approve the topic of thesis or dissertation in the subject,
 - (ii) to recommend the Vice Chancellor a panel of referees for thesis or dissertations for awarding post-graduate, doctorate and higher degrees, based on the criteria as approved by the Academic Council,
 - (iii) to recommend to the faculty, by following appropriate process, names of post-graduate teachers, research scientists in the recognized research and other institutions, active research and development experts having of not less than ten years' experience in research and development laboratories or centres in variety of industries, for recognition as approved research guides, and
 - (iv) to undertake any other task in academic and research matters, as may be prescribed by the Statutes or assigned to it by the Academic Council;
- (5) The University shall follow the procedure for the award of PhD as prescribed by the Statutes.

46 Board of Examinations and Evaluation

- (1) The Board of Examinations and Evaluation shall be the authority to deal with all matters relating to examinations and evaluation. The Board of Examinations and Evaluation shall also oversee the conduct of examinations in the autonomous colleges, institutions, University Departments, as applicable.
- (2) The Board of Examinations and Evaluation shall meet at least twice in an academic year.
- (3) The Board of Examinations and Evaluation shall consist of the following members, namely:—
 - (a) the Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) the Pro-Vice Chancellor;
 - (c) the Dean (Academic Affairs);
 - (d) Dean of concerned Faculty;
 - (e) Director, Student Affairs;
 - (f) two Principals of the Constituent Colleges, nominated by the Syndicate;
 - (g) one professor of the University Department, to be nominated by the Syndicate;
 - (h) one teacher from autonomous or constituent or affiliated Colleges other than heads of Departments or Principals with the minimum teaching experience of fifteen years to be nominated by Syndicate for Universities mentioned in Schedule-II of the Act;
 - (i) one expert in the field of evaluation in computerized environment, nominated by the Vice Chancellor;
 - (j) two experts, not below the rank of Deputy Registrar, one each from a State and Private University, who has experience related to examination work in computerized environment as an invitee to be nominated by Vice Chancellor; and
 - (k) Controller of Examinations - Member Secretary.
- (4) The Board of Examinations and Evaluation shall have the following powers and duties,

namely:—

- (a) to devise policy, mechanism and operational strategies to do the tasks relating to assessment of performance of students efficiently and in a time bound manner;
 - (b) to ensure proper organization of examinations and tests of the University, including moderation, tabulation, evaluation and timely declaration of results:

Provided that, the Board of Examinations and Evaluation shall, for the purposes of this clause, give effect to the recommendations of the Board of Student Affairs and the Board of Sports and Physical Education, regarding alternative arrangements;
 - (c) to prepare the financial estimates relating to examinations and evaluation for incorporation in the annual financial estimates (budget) of the University and shall submit the same to the Finance and Accounts Committee;
 - (d) to arrange for strict vigilance during the conduct of examinations so as to avoid use of unfair means by the students, teachers, invigilators, supervisors, etc.;
 - (e) to establish procedures and devise operative mechanism for credit assessment in the modular structure by the teachers and use computer technology for the entire process of assessment and evaluation including creating and effectively using a repository of question banks;
 - (f) to ensure that the assessment of answer books for award of degrees, diplomas or certificates shall be done centrally through central assessment system by following system of masking and de-masking of answer books or any other alternative system for ensuring the objective of secrecy;
 - (g) to undertake examination and evaluation reforms in order to make examination and evaluation system more efficient;
 - (h) to appoint paper-setters, examiners and moderators from amongst the persons included in the panels prepared by the respective Boards of Studies and, where necessary, having regard to the recommendations made by the committee under sub-section (8)(b), remove them or debar them;
 - (i) to approve detailed programme of examinations and evaluation as prepared by the Controller of Examinations;
 - (j) to consider the reports of review of results of University examinations forwarded by the Controller of Examinations;
 - (k) to hear and decide the complaints relating to conduct of examinations and evaluation; and
 - (l) to exercise such other powers in relation to examinations and evaluation as may be assigned to it by or under this Act.
- (5) In case of any emergency requiring immediate action to be taken, the Chairperson of the Board of Examinations and Evaluation or any other officer or person authorized by him in that behalf, shall take such action as deems fit and necessary, and report the action taken by him in the next meeting of the Board.
- (6) (a) In order to appoint paper-setters, examiners and moderators, the Board of Examinations and Evaluation shall constitute committees for every subject consisting of, -
- (i) Pro-Vice Chancellor- Chairperson;
 - (ii) the Dean of the concerned Faculty;
 - (iii) two members of the Board of Studies, nominated by it from amongst its members of whom at least one shall be a post-graduate teacher; and

- (iv) Controller of Examinations-Member Secretary.
- (b) The Head of concerned Departments shall prepare lists of persons for various examinations and tests and submit them to the Dean (Academic Affairs), who shall submit the same with his recommendations, if any, to the Board of Examinations and Evaluation, which shall then appoint paper-setters, examiners and moderators, and where necessary referees; and
- (c) No member of the Board of Examinations and Evaluation shall be appointed as a paper-setter, examiner, moderator or referee:
 Provided that, the Pro-Vice Chancellor shall have power to appoint a member of the Board of Examinations and Evaluation, as a paper-setter, examiner, moderator or referee where no teacher relating to such subject who is not a member of the Board of Examinations and Evaluation, or the committee is available;
- (7) (a) It shall be obligatory on every teacher and non-teaching employee of the University, affiliated, or constituent colleges, as applicable, to render necessary assistance and service in respect of examinations of the University and evaluation of students as prescribed by Statute;
- (b) If any teacher or non-teaching employee fails to comply with the order of the University or college or institution, in this respect, it shall be treated as misconduct and the employee shall be liable for disciplinary action; and
- (c) In case of failure on the part of the teacher or non-teaching employee of any affiliated college or constituent college as applicable, to comply with the order of the University in this respect, the Vice Chancellor shall have power to take an appropriate action against concerned employee, which may include imposing penalties including suspension of the employee, as may be prescribed by the Statutes.
- (8) (a) In order to investigate and take disciplinary action for failure to comply with the order of the University for rendering assistance or service in respect of examinations by or on behalf of the University or evaluation of students or formal practices and lapses on the part of candidates, paper-setters, examiners, moderators, referees, teachers or any other persons connected with the conduct of examinations including the pre-examination stage and the post-examination stage or at any stage whatsoever, the Board of Examinations and Evaluation shall constitute a committee of not more than five persons of whom one shall be the Chairperson; and
- (b) Such committee shall submit its report and recommendations to the Vice Chancellor, who may direct the Controller of Examinations, the disciplinary action to be taken against the person or persons involved in the malpractices, directly or indirectly, and the Controller of Examinations shall proceed to implement the decision of the Vice Chancellor.

47 Board of Lifelong Learning and Education

- (1) There shall be a Board for Lifelong Learning and Education to create skilled and learned human power through its various degree level programmes and skills development programmes.
- (2) The Board for Lifelong Learning and Education shall meet at least three times in a year.
- (3) The Board for Lifelong Learning and Education shall consist of the following members, namely:—
- (a) the Vice Chancellor - Chairperson;
- (b) the Pro-Vice Chancellor;
- (c) the Dean (Academic Affairs);

- (d) Dean of all Faculty;
 - (e) three eminent experts, nominated by the Vice Chancellor, working in the domain of lifelong learning skills, value education and in field of longevity;
 - (f) two teachers from University departments, nominated by the Vice Chancellor, who are actively engaged in innovation, research and development;
 - (g) two teachers from the colleges, nominated by the Vice Chancellor, who are actively engaged in innovation, research and development and extension for Universities mentioned in Schedule-II of the Act; and
 - (h) Director, Lifelong Learning and Education - Member Secretary.
- (4) The Board of Lifelong Learning and Education shall have the following powers and duties, namely:-
- (a) to create synergy at policy and operative level mechanism for co-existence and co-operation between various teaching, research and development institutions and various regional and national bodies and governmental agencies in the domain of lifelong learning, value education and life skills for senior citizens;
 - (b) to supervise and monitor the activities of an independent Lifelong Learning and Education Cell that shall be set up by the University to carry out the objectives of the Board;
 - (c) to look into budgets and financial needs of the Lifelong Learning and Education Cell ;
 - (d) to prepare an annual programme of activities of the Lifelong Learning and Education Cell and to review the same periodically;
 - (e) to submit an annual report to the Syndicate; and
 - (f) to undertake any other task that may be prescribed by the Statutes.

48 Board of Information Technology and Digital Learning

- (1) There shall be a Board of Information Technology and Digital Learning to create an umbrella structure to professionally manage the selection, deployment and use of application software and technology in Academics, Finances and Administration, address the issues relating to use of the right kind of technology, software, hardware and connectivity to deploy technology in all domains of activities and associated tasks of the University and to project the funds required for that purpose.
- (2) The Board of Information Technology and Digital Learning shall meet at least three times in a year.
- (3) The Board of Information Technology and Digital Learning shall consist of the following members, namely:—
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Dean (Academic Affairs);
 - (d) Dean of all Faculty;
 - (e) Controller of Examinations;
 - (f) Finance Officer;
 - (g) one professor from University departments having knowledge and expertise in the domain of software and hardware, nominated by the Vice Chancellor;
 - (h) two external experts in the field of information and communication technology, nominated by the Vice Chancellor, one of whom shall be an expert in software and the other in the field of hardware;

- (i) the Registrar; and
 - (j) the Director, Information Technology and Digital Learning -Member Secretary.
- (4) The Board of Information Technology and Digital Learning shall have the following powers and duties, namely:-
- (a) to plan information technology services through creation of information technology infrastructure;
 - (b) to propose the annual budget of the University for creating technology related infrastructure;
 - (c) to devise strategy for creation of virtual classrooms and laboratory infrastructure;
 - (d) to lay down the policy for networking in the various campuses of the University;
 - (e) to work out appropriate policy and procedure for creation of a Data Repository Cell for creation, up-gradation and maintenance of data on students, teachers as well as other staff members in the institutions and give a Unique Identification Number;
 - (f) to implement Enterprise Resources Planning and other similar Information Technology tools mandated by the State Government or University Grant Commission or other regulatory organisations; and
 - (g) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

49 Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship

- (1) There shall be a Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship for creation and cultivation of an enabling environment to propagate the concept of research, innovation and to convert the innovative ideas into working models through a process of incubation which shall finally lead to the creation of enterprise.
- (2) The University shall establish an independent Centre for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship to carry out the objectives of the Board for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship. The Centre shall exercise the powers and perform the duties as may be assigned by the Board, from time to time.
- (3) The Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Dean (Academic Affairs);
 - (d) Dean of all Faculty;
 - (e) five prominent industrialists, from manufacturing, information and communication technology, biosciences, agro-industries and service industries, nominated by Vice Chancellor;
 - (f) two teachers from University Departments, who are active in innovation, research and development nominated by the Vice Chancellor;
 - (g) two teachers, nominated by the Vice Chancellor, one from Constituent and other from Affiliated colleges who are active in innovation, research and development for Universities mentioned in Schedule-II;
 - (h) eight eminent persons from different areas of Science, Commerce, Agriculture, Banking, Finance, Industry, Intellectual Property Rights, etc., who are conversant with the global trends as well as regional issues to be nominated by Chancellor;
 - (i) a member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;
 - (j) a member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;

- (k) a member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and
 - (l) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship - Member Secretary.
- (4) The Board shall hold a minimum of three meetings in a year.
- (5) The Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall have the following powers and duties, namely:-
- (a) to create synergy at policy and operative level mechanism for co-existence and co-operation between various research and development activities in University departments, colleges and various industries in the State and in other States;
 - (b) to create support system for incubation of ideas such as product, process, service and innovation, into a scalable mode so as to establish small, medium and large industries;
 - (c) to collaborate with industries and other organisations for undertaking research and consultancy project with the objective of generating resources to make the University self-sustenance;
 - (d) to establish a system to support protection of intellectual property rights at national and global level;
 - (e) to establish a system so as to guide and help young entrepreneurs in operational, legal, business model creation and financial support;
 - (f) to project and plan the activities to be carried out by the Centre for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;
 - (g) to prepare annual programmes of activities, annual budget, monitor and periodically review the activities, and submit an annual report to the Syndicate regarding the Centre for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship; and
 - (h) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

50 Board of Student Affairs

- (1) There shall be a Board of Student Affairs to plan and oversee the various cultural and welfare activities of the students in colleges, institutions and University departments. The activities of the Board of Student Affairs shall be carried out by the Director of Student Affairs.
- (2) The Board of Student Affairs shall consist of the following members,-
- (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) one professional, nominated by the Vice Chancellor, in the field of Performing Arts;
 - (d) one professional, nominated by the Vice Chancellor in the field of Fine Arts;
 - (e) two teachers, nominated by the Vice Chancellor involved in cultural or welfare activities out of whom one shall be woman;
 - (f) office bearers of University Students Council;
 - (g) two NSS Coordinators, one each from University Department, Autonomous College, Constituent College and Affiliated Colleges for Universities as applicable;
 - (h) Director, National Service Scheme (NSS); and
 - (i) Director, Student Affairs - Member Secretary.

- (3) The Board of Students Affairs shall have the following powers and duties, namely:-
- (a) to take necessary steps for promotion of culture and students' development activities in colleges and University departments;
 - (b) to establish links with regional and national bodies in the various cultural activities and to promote various activities jointly with them;
 - (c) to take up activities in colleges and University departments to promote interest and skills for appreciation in the field of performing arts, pure art and painting skills;
 - (d) to hold University level competitions, skills development workshops, interactive activities in order to bring the society closer to the colleges, institutions and University;
 - (e) to establish rapport with groups (excluding political parties), societies and other professional bodies so as to involve them in the activities of Board of Students Affairs;
 - (f) to devise, develop and implement innovative schemes of students' development including Earn and Learn Scheme, Education Loan, Vice Chancellors Aid Fund, Endowment Schemes, Student Exchange Schemes, etc.;
 - (g) to devise a mechanism of grievance redressal of student and prevention of sexual harassment and ragging of students and to prepare and submit the Annual Report of the Board to Senate for approval;
 - (h) to devise, develop and implement schemes of career counselling, psychological counselling and rehabilitation and upliftment of differently abled students;
 - (i) to co-ordinate activities of National Service Scheme (NSS) and National Cadet Corps (NCC) in University, Constituent Colleges and Affiliated Colleges; and
 - (j) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

51 Board of Sports and Physical Education

- (1) There shall be a Board of Sports and Physical Education in the University to promote the culture of sports and look after sports related activities. The activities of the Board shall be carried out by the Director of Sports and Physical Education.
- (2) The Board of Sports and Physical Education shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Director, Student Affairs;
 - (d) three professionals, nominated by the Vice Chancellor with established credibility in different fields of sports;
 - (e) District Sports Officer of the district where the University Headquarter is located;
 - (f) one teacher from the University Department of Physical Education, nominated by the Syndicate;
 - (g) two sports teachers, from affiliated colleges, constituent colleges or autonomous colleges, as applicable, nominated by the Syndicate;
 - (h) the President of the University Student Council; and
 - (i) the Director, Sports and Physical Education - Member Secretary.
- (3) The Board of Sports and Physical Education shall have the following powers and duties, namely:-
 - (a) to take necessary steps for promotion of sports culture and activities in the field of sports in colleges and University departments;

- (b) to establish links with regional and national bodies in the various sports and to promote various activities jointly with them;
- (c) to establish rapport with groups, societies and other professional bodies so as to involve them in the activities of Board of Sports and Physical Education;
- (d) to take up activities in colleges, recognized institutions and University departments to promote interest and also skills in various sports as per the policy of the University and also national policies in the field of sports (only in case of Universities mentioned in Schedule-III);
- (e) to hold University level competitions, sports skills development camps, interactive activities and also training workshops in various sports in order to bring the society closer to the colleges, institutions and University;
- (f) to encourage participation in regional, national and international level activities and competitions through well trained teams in various sports;
- (g) to recommend to competent authority to make alternative arrangements regarding examinations of students participating in the inter-University or national or international sports tournaments or events during the relevant schedules of examinations as prescribed by University Ordinances; and
- (h) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

52 Board of Human Resource Management

- (1) The Board of Human Resource Management shall be the primary body responsible for timely appointment, promotion, and training of officers, teachers and non-teaching employees of the University.
- (2) The Board of Human Resource Management shall consist of the following members:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Proctor;
 - (d) Dean (Academic Affairs);
 - (e) Director, Information Technology and Digital Learning;
 - (f) Director, Student Affairs;
 - (g) member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy; and
 - (h) the Director, Human Resource Management - Member Secretary.
- (3) The Board of Human Resource Management shall have the following power and duties, namely:-
 - (a) to prepare the roster of vacancies available for teaching or non-teaching staff;
 - (b) to enlist the vacancies of officers, teaching and non-teaching employees that may arise in the University Department/s, faculties and Colleges and prepare a consolidated list of the same;
 - (c) to propose amendments to the Statutes for promotion of various teaching and non-teaching posts as per revisions by the University Grants Commission and/or State Government;
 - (d) to entertain concerns, grievance, conflicts related to the administrative functions of teachers and non-teaching staff, and work to maintain a positive working environment and ensure that policies and procedures are followed;
 - (e) to monitor and ensure timely conduction of professional development programs, trainings, workshops, etc. by Jharkhand State Faculty Development Academy, HRDC's or Malaviya Mission Teacher Training Centre similar specialised agencies for teachers and non-teaching staff;

- (f) to oversees workplace safety programs and initiatives related to employee health and wellness are being followed properly;
- (g) to prepare the record of pay-fixation of teachers, non-teaching staffs and officers of the University;
- (h) to monitor that the record/ database of seniority of all categories of teaching and non-teaching staffs is being maintained accurately and in timely manner.
- (i) to monitor and oversee the updation of service records and/or books of the University employees; and
- (j) to perform any other task or activity as may be prescribed by the Statutes.

53 Board of Internship, Apprenticeship and Placement

- (1) There shall be a Board of Internship, Apprenticeship and Placement for creation and cultivation of an enabling environment for industry linkages so as to ensure internship, apprenticeship and placement of the students.
- (2) The Board for Internship, Apprenticeship and Placement shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Dean (Academic Affairs);
 - (d) Dean of all Faculty;
 - (e) five prominent industrialists, nominated by the Vice Chancellor from manufacturing, information and communication technology, biosciences, agro-industries and service industries;
 - (f) two teachers from University Departments, who are active in industry-academia linkage nominated by the Vice Chancellor;
 - (g) two teachers, nominated by the Vice Chancellor, from Constituent and Affiliated colleges who are active in industry-academia linkage for Universities as applicable;
 - (h) a member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;
 - (i) a member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;
 - (j) a member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and
 - (k) the Director, Internship, Apprenticeship and Placement - Member Secretary.
- (3) There shall be a minimum of three meetings of the Board in the year.
- (4) The power and duties of the Board of Internship, Apprenticeship and Placement shall be, namely:-
 - (a) to create and maintain partnerships with businesses, industries, and educational institutions to facilitate opportunities for students or participants;
 - (b) to oversee the progress and effectiveness of internship and apprenticeship programs, including evaluating participant performance and program outcomes;
 - (c) to provide support and guidance to participants, including career counseling and advice on professional development;
 - (d) to maintain records and reports related to program activities, participant placements, and outcomes; and
 - (e) to perform any other duties as prescribed by the Statutes.

54 Board of Inclusive Education

- (1) The Board of Inclusive Education shall be the primary body responsible to ensure that there is no discrimination of any form with teacher, non-teaching staff and students. It shall also

be responsible to ensure that rights of teacher, non-teaching staff and students belonging to any section of the society for whom special provisions have been mandated by the Government of India or the State Government through any law at the time in-force shall be strictly adhered to in the University

- (2) The Board of Inclusive Education shall consist of the following members:-
- (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Proctor;
 - (d) Dean (Academic Affairs);
 - (e) Director, Information Technology and Digital Learning;
 - (f) Director, Estate and Facility Management;
 - (g) Director, Student Affairs;
 - (h) Director, Constituent Colleges; and
 - (i) Director, Inclusive Education - Member Secretary.
- (3) The Board of Inclusive Education shall have the following power and duties, namely:-
- (a) to develop and propose policies and strategies related to inclusive education, ensuring they align with the University's mission and legal requirements;
 - (b) to monitor and evaluate the effectiveness of inclusive education initiatives and recommend policy initiatives improvements;
 - (c) to advise the Syndicate and/or Senate on the allocation of resources and budget for inclusive education initiatives, ensuring that adequate support is provided;
 - (d) to recommend and advocate for funding and grants to support inclusive education projects;
 - (e) to ensure compliance with provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and advocate for the needs of students with disabilities and diverse needs within the University;
 - (f) to advocate for the needs of students with disabilities and diverse needs within the University and broader community;
 - (g) to develop and support awareness campaigns and educational initiatives to foster a culture of inclusivity and respect within the University community; and
 - (h) to perform any other duties as prescribed by the Statutes.

55 Board of Estate and Facility Management

- (1) The Board of Estate and Facility Management shall be the primary body responsible to ensure the formulation, adoption, implementation and monitoring of all initiatives or measures related to the campus infra development, safety and security of students, specifically, Women in the University Campus.
- (2) The Board of Estate and Facility Management shall consist of the following members:-
- (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Proctor;
 - (d) Registrar;
 - (e) Director, Inclusive Education;
 - (f) Director, Information Technology and Digital Learning;
 - (g) Director, Estate and Facility Management;
 - (h) Director, Student Affairs;
 - (i) Director, Constituent Colleges; and
 - (j) Director, Estate and Facility Management - Member Secretary.

- (3) The Board of Estate and Facility Management shall have the following power and duties, namely:-
- (a) to ensure adherence with Rules and guidelines issued by University Grants Commission or any other statutory or regulatory body;
 - (b) to assess future space and facility needs for academic, administrative, and recreational purposes;
 - (c) to recommend strategies for sustainable campus development and environmental stewardship;
 - (d) to oversee the maintenance and operation of existing buildings, facilities, and infrastructure;
 - (e) to ensure compliance with regulatory standards, codes, and University policies in construction and development projects;
 - (f) to monitor the allocation and expenditure of funds related to campus infrastructure and maintenance;
 - (g) to develop safety protocols including work place safety norms, fire safety and disaster management plans for campus facilities;
 - (h) to monitor and ensure that the healthcare facilities are properly maintained in the University and Constituent Colleges;
 - (i) to empanel the healthcare practitioners in the manner as prescribed by the Statutes;
 - (j) to carry out best practices study regarding campus security and safety of employees and students, inculcating the best practices or learnings from them;
 - (k) to release Annual reports of Universities including the data about the number of complaints of sexual harassment received, successfully disposed of and pending, without revealing the identities of complainants; and
 - (l) to perform other such activities as prescribed by the Statutes.

56 Board of Constituent Colleges

- (1) The Board of Constituent Colleges shall be the primary body responsible for regulation, coordination and monitoring of Constituent Colleges.
- (2) The Board of Constituent Colleges shall consist of the following members,-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Proctor;
 - (d) Dean (Academic Affairs);
 - (e) Director, Human Resource Management;
 - (f) Director, Information Technology and Digital Learning;
 - (g) Director, Estate and Facility Management;
 - (h) Director, Inclusive Education;
 - (i) Director, Student Affairs; and
 - (j) Director, Constituent Colleges – Member Secretary.
- (3) The Board of Constituent Colleges shall have the following power and duties, namely:-
 - (a) to ensure that the academic programs and curricula of the constituent colleges align with the University's standards and strategic objectives;
 - (b) to monitor and support the academic quality and performance of the constituent colleges, including program evaluations and accreditation processes;
 - (c) to ensure that the constituent colleges comply with regulations, accreditation requirements, and other relevant standards as prescribed by the Statutes;
 - (d) to develop and support strategic plans for the growth and development of the

- (e) constituent colleges, aligning them with the University's overall goals and vision;
- (e) to establish and monitor performance metrics to assess the progress and impact of the constituent colleges' initiatives;
- (f) to support faculty and staff development programs, including training and career advancement opportunities;
- (g) to ensure that directives mandated by the University or the State Government related to healthcare facilities, safety and security of employees and students are implemented properly; and
- (h) to perform such other duties as prescribed by the Statutes.

57 Board of Affiliated Colleges

- (1) The Board of Affiliated Colleges shall be the primary body responsible for regulation, coordination and monitoring of Affiliated Colleges.
- (2) The Board of Affiliated Colleges shall consist of the following members:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Proctor;
 - (d) Dean (Academic Affairs);
 - (e) Director, Human Resource Management;
 - (f) Director, Information Technology and Digital Learning;
 - (g) Director, Estate and Facility Management;
 - (h) Director, Inclusive Education;
 - (i) Director, Student Affairs; and
 - (j) Director, Affiliated Colleges – Member Secretary.
- (3) The Board of Affiliated Colleges shall have the following power and duties, namely:-
 - (a) to formulate policies regarding granting or renewal or rescind of affiliation;
 - (b) to establish and periodically review the criteria and guidelines for granting and renewing affiliation, including academic standards, infrastructure, and governance;
 - (c) to ensure that affiliated colleges adhere to the University's standards for academic quality, teaching, and research;
 - (d) to regulate financial support or grants provided to affiliated colleges, if applicable, and ensure that funds are used appropriately;
 - (e) to recommend norms for granting temporary and permanent affiliation, autonomous and empowered autonomous status;
 - (f) to conduct regular evaluations and inspections of affiliated colleges to assess their performance, compliance with University standards, and overall effectiveness;
 - (g) to ensure that directives mandated by the University or the State Government related to healthcare facilities, safety and security of employees and students are implemented properly; and
 - (h) to perform such other duties as prescribed by the Statutes.

58 Board of Study Centres

- (1) There shall be a Board of Study Centres of the University to organize the task and activities of the Study Centres. It shall consist of the following members, namely:—
 - (a) Pro-Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Dean (Academic Affairs);
 - (c) Dean of concerned Faculty;
 - (d) Finance Officer;
 - (e) Directors of all Study Centres;

- (f) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;
 - (g) two members from University Departments or constituent college as applicable, to be nominated by the Vice Chancellor, one of whom shall be a Principal/ Head of the Department and the other shall be a teacher with experience of at least 12 years;
 - (h) Controller of Examinations;
 - (i) Director, Student Affairs;
 - (j) Director, Sports and Physical Education;
 - (k) one Principal, one Teacher, one management representative from the Affiliated College as applicable within the jurisdiction of each Study Centre to be nominated by the Vice Chancellor;
 - (l) member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;
 - (m) member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;
 - (n) member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and
 - (o) Registrar - Member Secretary.
- (2) The Board of Study Centres of the University shall meet at least three times in a year.
- (3) The Board of Study Centres of the University shall have the following powers and duties, namely:—
- (a) to co-ordinate the under-graduate and post-graduate educational activities in the jurisdiction determined by the University;
 - (b) to ensure implementation of various academic, administrative and governance mechanisms of the parent University;
 - (c) to co-ordinate the intra-institutional and inter-institutional information and communication technology linkages among the institutions of higher education in the jurisdiction determined by the University;
 - (d) to carry out in association with colleges/University Departments for workshops and training programmes for the benefit of teachers and non-teaching employees;
 - (e) to co-ordinate the examination and evaluation related activities in the jurisdiction determined by the University;
 - (f) to co-ordinate creation of research plans, development plans and other fund-raising activities for the colleges and institutions in the district and establish links with the central office of the parent University (as applicable);
 - (g) to co-ordinate teaching and learning activities at post-graduate level amongst the colleges and institutions, as applicable, and render necessary assistance in this regard;
 - (h) to work as a district level gateway of the University for all academic tasks of students, research students, teachers, supporting staff and other members of the society;
 - (i) to prepare financial needs and annual financial estimates (budget) for the financial year and submit it to the central office of the parent University; and
 - (j) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

59 Board of Regional Centres

- (1) There shall be a Board of Regional Centres of the University for monitoring the activities of Regional Centres. It shall consist of the following members, namely:—
- (a) Pro-Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Dean (Academic Affairs);
 - (c) Finance Officer;

- (d) Directors of all Regional Centres;
 - (e) two Principals, one each from Constituent College and Affiliated College, to be nominated by the Vice Chancellor;
 - (f) Controller of Examinations;
 - (g) Director, Student Affairs; and
 - (h) Registrar - Member Secretary.
- (2) The Board of Regional Centres of the University shall meet at least three times in a year.
- (3) The Board of Regional Centres of the University shall have the following powers and duties, namely:—
- (a) to co-ordinate the administrative activities in the jurisdiction determined by the University;
 - (b) to ensure implementation of various academic and governance policies of the parent University;
 - (c) to co-ordinate the intra-institutional and inter-institutional information and communication technology linkages among the institutions of higher education in the jurisdiction determined by the University ;
 - (d) to act as a single point of contact for all the student centric services such as issuance of mark sheet, transcript and degree in the jurisdiction determined by the University;
 - (e) to work as a district level gateway of the University for all administrative tasks of students, research students, teachers, supporting staff and other members of the society;
 - (f) to monitor the quality of Constituent and Affiliated Colleges in the jurisdiction determined by the University; and
 - (g) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

60 Board of National and International Linkages

- (1) There shall be a Board of National and International Linkages to cultivate, establish, maintain and strengthen the link of the University with premier national and international universities and institutions.
- (2) The Board shall meet at least three times in a year.
- (3) The Board of National and International Linkages shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Dean of all Faculty;
 - (d) one senior professor of the University, nominated by the Vice Chancellor;
 - (e) two principals, of whom one shall be from Constituent College and one shall be from affiliated colleges to be nominated by the Vice Chancellor;
 - (f) one expert from industries having proven expertise about National and International linkages to be nominated by Vice Chancellor; and
 - (g) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship -Member Secretary.
- (4) The Board of National and International Linkages shall have the following powers and duties, namely:—
 - (a) to work on long term policy and strategy for promotion of inter-linkages with premier national and international universities and institutions;
 - (b) to evolve a process to collaborate with national and international agencies, universities, colleges and institutions for sharing of academic resources, running joint research and development and teaching programmes, running joint degree

- (c) programmes with national and international universities, colleges and institutions; to evolve mechanism for visit of teachers or research and development scientists or experts from industry and other entities, to the University departments, colleges and institutions and vice-versa, and also to work out the details on logistic support for such visitors;
- (d) to evolve mechanism for visits of teachers and students from University departments, colleges and institutions to national and international universities, colleges or institutions and vice-versa, and also to work out details on budgetary provisions and logistic support for such visits;
- (e) to evolve a mechanism to assist foreign students and migrant Indian students in their admissions and other statutory formalities;
- (f) to organize cultural and other activities such as visits of foreign students and migrant Indian students to other parts of India;
- (g) to make arrangements for other logistic infrastructure, if any, created by the University for foreign students and migrant Indian students;
- (h) to work out budgetary provision for activities of the Board and for providing various services to foreign students and migrant Indian students; and
- (i) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

61 Board of Student Art and Culture

- (1) There shall be a Board of Student Art and Culture to fostering a vibrant art and cultural environment in the University.
- (2) The Board of Student Art and Culture shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Dean (Academic Affairs);
 - (d) Registrar;
 - (e) Finance Officer;
 - (f) Director, Estate and Facilities Management;
 - (g) Director, Student Affairs;
 - (h) Director, Public Relations and Community Outreach; and
 - (i) Director, Student Art and Culture – Member Secretary.
- (3) The Board of Student Art and Culture of the University shall meet at least three times in a year.
- (4) The Board of Student Art and Culture shall have the following powers and duties namely:-
 - (a) to recommend budgets for cultural activities, recommend faculty and student participation in cultural programs, and enter collaborations with external cultural organizations;
 - (b) promote inclusivity by ensuring participation from diverse communities, including marginalized and tribal students;
 - (c) archive and document cultural events, performances, and student artworks;
 - (d) Collaborate with academic departments and Board of Studies to integrate arts and culture into the curriculum;
 - (e) Coordinate with State Government and non-governmental organizations for funding and sponsorship of cultural activities;
 - (f) Develop and maintain University-level cultural centres, auditoriums, and art galleries;
 - (g) Submit an annual report on cultural activities and initiatives of the University to the Academic Council and Syndicate;
 - (h) to devise a mechanism to implement recommendations of the Vice Chancellor as

regards students' development and culture;

- (i) to take necessary measures to ensure participation of well-trained teams in various regional, national and international level competitions, and cultural, recreational and other activities;
- (j) to recommend to competent authority to make alternative arrangements regarding examinations for students participating in the inter-University or national or international sports, cultural competitions or NCC, NSS events during the relevant schedules of examinations as prescribed by Statutes/University Ordinances; and
- (k) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

62 Term of Office of Members of Authorities

- (1) The term of nominated members in any authority constituted under this Act shall be of three years from the said date of nomination.
- (2) The process for nomination of member shall commence at least three months before expiry of the term of such member and shall be completed before the expiry of the term of such nominated member:

Provided that, the process of nomination of members for the reconstituted authorities of the Universities shall be completed within six months of commencement of this Act.

63 Cessation of membership

Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes made thereunder, where a person nominated or appointed as the case may be, as an officer of University or a member of any of the authority or bodies of the University by virtue of his being eligible to be so nominated or appointed as such an officer or a member under any of the categories of officers or members specified by or under the relevant provisions of this Act in relation to such office, authority or body, he shall cease to be such an officer of the University or a member of such an authority or a body as soon as he ceases to belong to such category and shall be deemed to have vacated his office as such officer or member.

64 Disqualification for membership of authority

- (1) A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities of University, if he-
 - (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (b) is an undischarged insolvent; or
 - (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
 - (d) has been punished for indulging in or promoting unfair practices in the conduct of any examination and evaluation, in any form, anywhere; or
 - (e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act, Statutes or University Ordinances, or has acted in any manner detrimental to the interests of the University; or
 - (f) has been punished in any form, by the competent authority for committing a misconduct; or
 - (g) discloses or causes to disclose to the public, in any manner whatsoever, any confidential matter, in relation to the examination and evaluation, the knowledge of which he has come to be in possession, due to his official position.

65 Ineligibility for second consecutive term

No person shall be a nominated member of the Senate or Syndicate, for a second consecutive term:

Provided that, any person who was the nominated member of the Senate or

Syndicate, for the first time on the date of commencement of this Act, shall not be deemed to have enjoyed the consecutive term if such person is nominated for the first time after the commencement of this Act.

66 Conclusiveness of decision of authority

Save as otherwise provided by or under the provisions of this Act, each authority of the University while acting and exercising its powers and discharging functions or duties assigned to it by or under the provisions of this Act, shall have the exclusive jurisdiction to deal with and decide the matters assigned to it and discharging functions or duties assigned to it by or under the provisions of this Act.

67 Resignation of membership

- (1) A nominee of Chancellor, State Government and Vice Chancellor may resign by addressing to the Chancellor, State Government and Vice Chancellor respectively. The person shall cease to be a member upon his resignation being accepted by the Chancellor, State Government or the Vice Chancellor, as the case may be, or upon expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.
- (2) If a person nominated or appointed to any authority or body remains absent without prior permission of the authority or body for three consecutive meetings, the person shall be deemed to have vacated his membership and shall cease to be a member from the date of the third such meeting in which such person remained absent.

68 Meeting of the Authorities

- (1) Save as otherwise provided by this Act, all matters with regard to the conduct of meetings of the authorities, bodies or committees, if any, constituted by the University, shall be as mentioned in this Act or as may be prescribed by the Statutes.
- (2) A meeting of an authority or body shall be convened on the date determined by the Chairperson by a notice issued by its Member Secretary.
- (3) Except as otherwise provided, the quorum for a meeting shall ordinarily be one-third of the number of sitting members. If there is no quorum, the meeting shall be adjourned by the Chairperson to a specific time on the same day, or on a later date and quorum shall be necessary for such adjourned meeting. Quorum shall be necessary on the following day of the continued meeting.
- (4) Where no provision is made by or under the Statutes for the Chairperson to preside over a meeting of any authority or body of the University or when the Chairperson so provided for is absent and no provision is made for any other person to preside, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside at the meeting.
- (5) Save as otherwise provided, all items, questions, matters or proposals on the agenda shall be decided by consensus of the members present.

69 Casual vacancy and Standing Committee to fill vacancies

- (1) In case, any vacancy occurs in the office of a member, other than an *ex-officio* member of the University, it shall be filled within 3 months, by nomination of the person, to the concerned authority.
- (2) When such vacancy as mentioned in sub-section (1) is not filled within 3 months, the vacancy shall be filled by nomination of a person by the Standing Committee constituted under sub-section (3) who is otherwise eligible to be elected on the said authority or body from the same category.
- (3) The constitution of the Standing Committee for filling in such casual vacancies shall be as follows, namely: -

- (a) Pro-Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Dean (Academic Affairs);
 - (c) one Dean of Faculty, nominated by Senate;
 - (d) one Principal of the Constituent College (as applicable) nominated by Vice Chancellor;
 - (e) one teacher of the University nominated by Syndicate;
 - (f) one graduate or postgraduate student nominated by Senate from amongst its members; and
 - (g) Registrar - Member Secretary.
- (4) The term of the nominated member of the Standing Committee shall be three years.
- (5) The quorum for the meetings of the Standing Committee shall be set at one-half of the total member.

70 Proceedings of University authorities and bodies not invalidated to vacancies

No act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalid merely because of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

CHAPTER V: COUNCIL, COMMITTEES AND CELLS

71 Council, Committees and Cells

- (1) The following shall be the Council, Committees and Cells constituted under this Act, namely:-
- (a) Advisory Committee;
 - (b) Finance and Accounts Committee;
 - (c) Internal Quality Assurance Cell;
 - (d) Library-Cum-Knowledge Resource Committee;
 - (e) Purchase Committee;
 - (f) Students' Union and Student Council;
 - (g) Buildings and Works Committee;
 - (h) Fee Fixation Committee;
 - (i) Public Relations Committee; and
 - (j) Internal Complaints Committee;

72 Advisory Committee

- (1) The Advisory Committee shall consist of following members -
- (a) to be nominated by State Government,-
 - (i) An eminent industrialist who has proven wide experience in the changing scenario of opportunities for youth and global trends in academy-industry interaction-Chairperson;
 - (ii) An eminent scientist of repute with experience of working with national and global entities that deal with policy and approaches in research and development - Vice Chairperson;
 - (iii) An eminent social leader who has experience of working with the masses and understands the linkages between education and social transformations-Member;
 - (iv) An eminent educationist who is conversant with new trends in the world of higher education -Member; and
 - (v) An Information Communication Technology (ICT) expert who has wide experience at the national and international level in the higher and professional education -Member;
 - (b) *ex-officio* :

- (i) Pro-Vice Chancellor - Member; and
 - (ii) Registrar-Member Secretary.
- (2) The duties of the Committee shall be as follows:-
- (a) to advise the Vice Chancellor through generation of reports and action plans in academic, research and development, administration, generation of financial resources and governance so as to make the University academically vibrant, administratively efficient and financially sustainable;
 - (b) to devise a mechanism and approach for monitoring of the working of the University system as a whole and to keep track of the activities and provide information and critical analysis and comments on the progress and impact of the activities on the working of Universities and its identity in the Society;
 - (c) to advise the Senate of the University regarding strategic perspective planning;
 - (d) to take up any other task that the Chairperson of the Committee shall find of importance for the growth of the University;
 - (e) to periodically report on the development, progress and working of the University to the State Government;
 - (f) to keep track of various reforms and policies thereon as devised by the UGC and respective statutory bodies; and
 - (g) to perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The Advisory Committee shall meet at least two times a year.
- (4) The quorum for the meetings of the Advisory Committee shall be set at half of the total members.

73 Finance and Accounts Committee

- (1) There shall be a Finance and Accounts Committee for planning, coordinating and overseeing the financial operations of the University. It shall examine the accounts, the progress of expenditure and all new proposals involving fresh expenditure in the light of the provisions available.
- (2) The Finance and Accounts Committee shall consist of the following members, namely:-
- (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Financial Advisor;
 - (c) one person from the Academic Council, nominated by the Vice Chancellor;
 - (d) two experts nominated by the Senate, one of whom shall be a Chartered Accountant who is an expert in the field of accounting and auditing and the other shall be an expert in the area of finance;
 - (e) Registrar; and
 - (f) Finance Officer - Member Secretary.
- (3) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.
- (4) All nominated members of the committee shall hold office for a term of three years and shall not be eligible for a second consecutive term.
- (5) The committee shall meet at least four times in a year and as required by the Vice Chancellor.
- (6) The Finance and Accounts Committee shall,-
- (a) examine and consider Annual Statement of Accounts, Audited final statement of accounts and Audit Report and its compliance report, and the annual financial estimates to be presented by the Finance Officer and recommend the same to the Executive and thereafter to the Senate for approval;
 - (b) examine the progress of expenditure and all new proposals involving fresh

- expenditure in the light of the provisions available;
- (c) recommend to the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University, including the proceeds of loans for productive work;
 - (d) recommend to the productive investment and management of University assets and resources;
 - (e) explore the possibilities of augmenting further resources for the development of the University;
 - (f) assess the financial viability of the proposals for Self-Financed Courses submitted by Board of Studies;
 - (g) take necessary steps to have the University accounts audited by the auditors appointed by the University and Accountant General respectively ;
 - (h) advise on matters related to the administration of the property and the funds of the University;
 - (i) ensure proper implementation of the orders issued by the State Government from time to time, in respect of funds, assets, and other resources received from the State Government;
 - (j) advise on financial matters referred to it by the Syndicate, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University;
 - (k) report to the Vice Chancellor on any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice so that he may take suitable prompt actions after assessing the seriousness of the matter or refer it to the State Government;
 - (l) ensure that the annual accounts of the University, colleges and institutions are open for audit by the auditors appointed by the Accountant General;
 - (m) study various financial reforms recommended by UGC or Central/ State Government for management of financial resources, maintenance of accounts and use of modern technologies to enhance the efficiency in accounts maintenance and audit procedures; and
 - (n) carry out any other functions and tasks as may be prescribed by the Statutes.

74 Internal Quality Assurance Cell

- (1) There shall be an Internal Quality Assurance Cell in the University to plan, guide and monitor quality assurance and quality enhancement in all the academic activities of the University.
- (2) The Internal Quality Assurance Cell in the University shall be constituted and function as per the guidelines of the University Grants Commission.
- (3) The Annual Quality Assurance Report shall be approved by the Senate of the University for the follow up action for the necessary quality enhancement measures. The University shall regularly submit the Annual Quality Assurance Report to the National Assessment and Accreditation Council or other accreditation bodies.
- (4) The Internal Quality Assurance Cell shall be responsible to ensure preparedness and participation in accreditations and rankings under National Institutional Ranking Framework, State Institutional Ranking Framework, National Accreditation and Assessment Council or any other similar organisation as mandated by the University Grants Commission, Central Government and State Government.
- (5) There shall be an Internal Quality Assurance Cell in each college and recognized institution that shall be constituted and function as per the guidelines of the University Grants Commission, Central Government and State Government, issued from time to

time.

- (6) The colleges and recognized institutions shall regularly submit their Annual Quality Assurance Reports to the University, State level quality assurance bodies and national accreditation bodies as applicable.
- (7) The University shall monitor the functioning of Internal Quality Assurance Cells in the colleges and recognized institutions within its jurisdiction.
- (8) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall be the head of Internal Quality Assurance Cell of the University.
- (9) The University, may, as it deems fit, devise performance linked honorarium for members of the Internal Quality Assurance Cell at the level of University and Colleges.
- (10) The Internal Quality Assurance Cell shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

75 Library-cum-Knowledge Resources Committee

- (1) There shall be a Library-cum-Knowledge Resource Committee for administering, organizing and maintaining the Library and Knowledge Resource Centre, print and electronic material and related services of the University.
- (2) The Library-cum-Knowledge Resource Committee shall consist of the following members, namely :-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) one Dean of Faculty, nominated by the Vice Chancellor, on rotation basis;
 - (c) one head of the University department or University institution nominated by the Vice Chancellor, on rotation basis;
 - (d) two members nominated by the Vice Chancellor, of whom one shall be from industry and the other shall be librarian from a national level organization;
 - (e) Registrar;
 - (f) Finance Officer; and
 - (g) Director, Knowledge Resource Center - Member Secretary.
- (3) All nominated members of the Library-cum-Knowledge Resource Committee, shall hold office for a period of three years.
- (4) The Library-cum-Knowledge Resource Committee shall meet at least three times in a year and as desired by the Chairperson.
- (5) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members;
- (6) The Library-cum-Knowledge Resource Committee shall,-
 - (a) provide for proper organization and support for the functioning of the Library and Knowledge Resource Centre, documentation services and maintenance of records in analogue and digital form;
 - (b) provide the approach and operational plan for modernization and improvement of Library and Knowledge Resource Centre and documentation services in both analogue and digital format;
 - (c) recommend to the Academic Council fees and other charges for the services and use of the Knowledge Resource Centre by students and others;
 - (d) prepare the annual budget and proposal for development of the Library and Knowledge Resource Centre;
 - (e) submit the annual report on the functioning of the Library and Knowledge Resource Centre to the Vice Chancellor;
 - (f) establish a network with regional, national and international libraries and information centers; and

- (g) undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

76 Purchase Committee

- (1) There shall be a Purchase Committee for dealing with all matters pertaining to all purchases of the University, as per the latest Rules of State/Central Procurement.
- (2) The committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Finance Advisor;
 - (d) two heads of University departments nominated by the Vice Chancellor;
 - (e) one member of the Syndicate nominated by the Syndicate;
 - (f) one external expert, nominated by the Vice Chancellor;
 - (g) Registrar; and
 - (h) Finance Officer-Member Secretary.
- (3) During the absence of the Finance Officer, the Registrar shall act as the Member Secretary of the Committee.
- (4) The Purchase Committee shall invite the head of the University department or University institution, for which the purchases are to be made.
- (5) All nominated members of the committee shall hold office for a term of three years and shall not be eligible for a second consecutive term.
- (6) All matters pertaining to all purchases of the University shall be carried out as per the latest Rules of State/ Central Government or as prescribed by the Statutes.
- (7) The powers and duties of the Purchase Committee shall be as prescribed by the Statutes.
- (8) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.
- (9) The Purchase Committee shall meet at least three times in a year and as required by the Vice Chancellor.

77 Students Union and Student Council

- (1) There shall be a University Students Union at University level and a College Students Union at each constituent and affiliated college, to look after the welfare of the students and to promote and co-ordinate the extra-curricular activities of different student's associations for better corporate life. The University Student Union and College Student Union shall not engage in political activities having affiliation with regional, State or Central political parties.
- (2) The University Students Union shall consist of the following members, namely :-
 - (a) President, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;
 - (b) Secretary, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;
 - (c) one female representative, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;
 - (d) one representative belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Classes, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;
 - (e) one student from each department, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that department;
 - (f) one student each from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities, nominated by the Vice Chancellor from the students who are

engaged in National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities, respectively, on the basis of prescribed criteria; and

- (g) Director, Student Affairs shall be an *ex-officio* member.
- (3) The College Students Union for each institution, constituent college or affiliated college as applicable shall consist of the following members, namely :-
- (a) President, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that college;
 - (b) Secretary, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that college;
 - (c) one female representative, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that college;
 - (d) one representative belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Classes, by rotation, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that college:
- Provided that the University shall decide the category of reservation for each college for the purpose of this clause by drawing lots;
- (e) one student from each class, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that class;
 - (f) one student each from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports, and Cultural activities, nominated by the Principal from the students who are engaged in National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports, and Cultural activities, respectively, on the basis of prescribed criteria; and
 - (g) one senior teacher as coordinator of the Students Council appointed by the principal of the college and Director, Sports and Physical Education, NSS Programme Officer and NCC Officer as permanent invitees.
- (4) The University Students Council shall consist of the following members, namely :-
- (a) Vice Chancellor- Patron;
 - (b) President of the University Students Union and/or each College Students Union , as applicable;
 - (c) Secretary(ies) of the University Students Union and/or each College Students Union, as applicable;
 - (d) one female Representative, of the University Students Union;
 - (e) one Representative belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or, by rotation, nominated by the President of University Students Union from amongst themselves;
 - (f) one student each from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports, and Cultural activities nominated by the President of the University Students' Union in consultation with the Director, Students Affairs from amongst the students of the University Departments and affiliated colleges who are engaged in National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities respectively on the basis of prescribed criteria; and
 - (g) Director, Board of Student Affairs, Director, Sports and Physical Education, Director Board of Lifelong Learning and extension shall be permanent invitees to the Students Council.
- (5) The first meeting of the University Students Council shall be presided over by the Vice Chancellor and shall be attended by such other officers as recommended by Vice Chancellor.

- (6) A student shall be eligible to be, or continue to be, a member of any of the Students Union, only if he is enrolled as a full-time student.
- (7) During the period of election, no person, other than a student on the rolls of college or institutions or University, shall be permitted to take part in the election process in any capacity. Also, no student of the college or institutions shall be associated with anybody affiliated to any regional, State or National political party. Any student or a candidate violating this condition shall be liable for disciplinary action against him in addition to the revocation of his candidature.
- (8) The budget and frequency for meetings of the University Student Union, College Students Union for each institution, constituent college or affiliated college and University Students Council shall be as may be prescribed by the Statutes.
- (9) The election of the student members of the University Students Union and College Student Union shall be made every year, as soon as possible after the commencement of the academic year, on a date as may be prescribed. The term of office of the elected student members shall begin with effect from the date of election and shall extend up to the last day of the academic year, unless they have, in the meantime, incurred any of the disqualifications specified by or under the Act, and as prescribed by the Statutes.
- (10) One third of the members of the University Students Union and College Student Union shall constitute the quorum. The procedure for conduct of business of the meetings and such other matters shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- (11) The procedure for election, the powers and duties, authority for the conduct of election, mechanism for conduct of such elections, code of conduct for the candidates and election administrators in respect of such election shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- (12) Any instance of acute lawlessness or the commission of a criminal offence shall be reported to the police by the University / college authorities as soon as possible, but not later than 12 hours after the alleged commission of the offence.

78 Building and Works Committee

- (1) There shall be a Buildings and Works Committee to carry out minor and major infrastructure development activities of the University efficiently and in a time bound manner.
- (2) The Buildings and Works Committee shall consist of the following members namely :-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Financial Advisor;
 - (d) Engineer of the Building Construction Department in charge of the District in which the University Headquarter is situated, or his nominee not below the rank of Assistant Engineer from that District;
 - (e) one eminent engineer, nominated by the Vice Chancellor;
 - (f) one eminent Architect, nominated by the Vice Chancellor;
 - (g) Registrar;
 - (h) Finance Officer; and
 - (i) Director, Estate and Facility Management - Member Secretary.
- (3) All nominated members of the committee shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for a second consecutive term.
- (4) If any vacancy occurs in the office of a member, the same shall be filled within one month by the Vice Chancellor and the member so appointed shall hold office for the residual

term for which the earlier member shall have held the office if the vacancy had not occurred.

- (5) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.
- (6) The Buildings and Works committee shall,-
 - (a) under direction and overall supervision of the Vice Chancellor may execute all types of works to be executed through the agency of the Building Construction Department or through the agency recommended by the State Government;
 - (b) accord administrative approval and financial sanction to the maintenance work, subject to availability of funds in the budget;
 - (c) recommend and obtain administrative approval and expenditure sanction of the Syndicate in respect of all minor and major works; and
 - (d) recommend to the Syndicate through the Finance and Accounts Committee, a 'Programme of Works' to be executed in the ensuing year, specifying maintenance works, major works and minor works, separately;
- (7) The Buildings and Works Committee shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

79 Fee Fixation Committee

- (1) There shall be a Fee Fixation Committee to work out the real cost of delivery of each and every under-graduate and post-graduate courses or programmes run by the University, Constituent colleges, other than autonomous colleges and autonomous cluster institutions.
- (2) The Fee Fixation Committee shall decide the tuition fees, other fees and charges for all courses or programmes (regular and self-financed courses) as recommended by the board of studies and approved by the academic Council.
- (3) The Fee Fixation Committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Vice Chancellor-Chairperson;
 - (b) the Dean of the concerned faculty;
 - (c) representative of Secretary, Department of Higher and Technical Education, not below the rank of Joint Secretary to the Government;
 - (d) one finance expert nominated by the Vice Chancellor, preferably a Chartered Accountant, not connected with the University or college or institutions under its jurisdiction;
 - (e) one legal expert nominated by the Vice Chancellor, not connected with the University or college or institution under its jurisdiction; and
 - (f) Registrar or his nominee not below the rank of Deputy Registrar - Member Secretary.
- (4) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.
- (5) All members of the committee, other than *ex-officio* members shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for a second consecutive term.
- (6) Notwithstanding anything contained above, the State Government may evolve the Statutory Mechanism of fixation and regulation of fees which shall be binding on different types of colleges and recognized institutions as specified by the State Government in this regard.
- (7) The tuition fees, other fees, and charges for various courses or programmes as recommended by fee fixation committee and finally approved by the Academic Council shall be applicable in general.
- (8) The committee shall meet at least twice a year to examine and consider the fee fixation proposals based on the norms as prescribed by the Statutes/ Rules/ University Ordinance

and shall hold as many meetings as needed. The committee shall decide tuition fees, other fees and charges for various courses or programmes, at least six months before the commencement of next academic year.

80 Public Relations Committee

- (1) There shall be a Public Relations Committee to manage the University's image, fostering positive relationships with various stakeholders, and ensuring effective communication both internally and externally.
- (2) The Public Relations Committee shall consist of the following members:-
 - (a) Vice Chancellor - Chairperson;
 - (b) Pro-Vice Chancellor;
 - (c) Dean (Academic Affairs);
 - (d) Director, Student Affairs;
 - (e) Director, Constituent Colleges;
 - (f) Director, Affiliated Colleges; and
 - (g) Director, Public Relations and Community Outreach – Member Secretary.
- (3) The quorum for all the meetings of the committee shall be set at half of total members with mandatory presence of the Chairperson.
- (4) No statement or press release or any material on behalf of the University shall be released to any media organisation or platform without the explicit permission of the cell.
- (5) The Committee shall convene its meeting quarterly or as and when required by the Chairperson.

81 Internal Complaints Committee

- (1) There shall be an Internal Complaints Committee (ICC) as the primary body to ensure prevention, prohibition and handling of occurrences relating to Sexual harassment or misconduct against any member of the teaching or non-teaching staff and students of the University or its Constituent Colleges, as applicable.
- (2) The ICC shall have thirteen members, of which at least seven members shall be women. The composition of these members is as follows:-
 - (a) woman teacher of the University not below the rank of Professor nominated by the Vice Chancellor - Presiding Member;
 - (b) Proctor;
 - (c) two teachers of the University nominated by the Dean (Academic Affairs) such that at least one of them is women;
 - (d) two students nominated by the University Student Council such that at least one of them is women;
 - (e) two Head of the University Departments nominated on rotational basis by the Vice Chancellor such that at least one of them is women;
 - (f) two non-teaching staff of the University, nominated by the Vice Chancellor;
 - (g) two eminent woman academician from outside the University as an external members; and
 - (h) one woman advocate nominated by the Vice Chancellor.

In case of an occurrence or incident in any Constituent College the following additional members shall be the part of the committee as mentioned in sub-section(2) of this section:-

- (i) two faculty members nominated by the Principal of the Concerned College such that at least one of them is women; and
- (j) two students nominated by the concerned College Students Union such that at least one of them is women.

- (3) The term of all the nominated members for the purpose of membership in this Committee shall be One (01) Year.
- (4) The quorum for all the meetings of the Committee shall be set at half of the total members.
- (5) The Vice Chancellor may provide for allowances or sitting fees of external members as may be prescribed by the Statutes or Rules.
- (6) The responsibilities of the ICC are as follows:-
 - (a) to provide necessary assistance if an employee or student chooses to file a complaint with the police;
 - (b) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identify and providing the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint or also provide for the transfer of the offender;
 - (c) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment;
 - (d) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in a protected activity;
 - (e) provide mechanism for dispute redressal and dialogue to anticipate and address incidents through just and fair reconciliation without undermining complainants' right and minimize the need for punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
 - (f) Sensitize the students and employees about the incidents or occurrences which may be considered as sexual harassment;
 - (g) Identify vulnerable groups within the University or College prone to harassment and provide them with suitable corrective measures;
 - (h) Formulate and implement the anti-sexual harassment policy and conduct regular reviews to ascertain its efficacy;
 - (i) Develop and roll-out of orientation courses for administrators with a compulsory module on gender sensitization;
 - (j) Institutionalising Counselling Services at the University or College Campus with well-trained Counsellors;
 - (k) Ensure that reliable and adequate public transport, hostels, laboratories and main buildings is available for Women employees in the University or College Campus;
 - (l) Ensure that adequate health facilities are available for women employees and students, campus safety policies are put in place and Women Development Cells and Gender Sensitization Programmes are carried out in the University;
 - (m) Formulate Rules and University Ordinances in line with relevant guidelines or policies of University Grants Commission and other Statutory Bodies;
 - (n) Provide for the mechanism of lodgement, hearing and disposal of complaints for the ICC;
 - (o) Develop mechanism for interim and final redressal of any incident or occurrence as may be prescribed by the Statutes or University Ordinances; and
 - (p) Lay down punitive actions or punishments against harassers and frivolous complainants.

In addition to the committees constituted under this Act, the University may constitute other committee(s) with suitable terms and reference for any specific task.

CHAPTER VI: SELECTION, APPOINTMENT AND PROMOTION OF OFFICERS, TEACHING AND NON-TEACHING EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

82 Appointment of Registrar, Financial Advisor, Controller of Examinations and Finance Officers of the University

- (1) The Finance Advisor shall be a full-time officer of the University and shall be appointed or taken on deputation by the Chancellor from amongst the officers of the Indian Audit and Accounts Service or any other Accounts Service of the Government of India or the Jharkhand Finance Service or any other State Finance Service, or from amongst Chartered Accountants who are partners of a firm empanelled with the Comptroller and Auditor General of India.

Provided that, until such an officer is appointed the present incumbent may continue to work as the Financial Advisor.

- (2) The terms, and conditions of service of the Financial Advisor shall be determined by the State Government and he shall ordinarily hold the post for five (05) years and shall not be eligible for consecutive terms in the same University.
- (3) The Registrar, Controller of Examinations, and Finance Officer shall be a whole-time officer of the University appointed by the State Government, either on deputation or by re-employment through the Commission as per the eligibility criteria and process prescribed by the Statutes. The term of shall be for a term of four (04) years or till he attains the age of superannuation as per the University Grants Commission norms whichever is earlier:

Provided that, in case of a new University established under Section 140 of the Act, the Department of Higher and Technical Education shall provide a panel of 03 names to the State Government for the appointment of 1st Registrar, 1st Controller of Examination, and 1st Finance Officer of the University.

- (4) The Deputy Registrar, Assistant Registrar; and Deputy Controller of Examinations, Assistant Controller of Examinations; Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer; shall be appointed, for a fixed term, by the University through the Commission as may be prescribed by the Statutes in this regard.
- (5) The Finance Officer, Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer shall be a person who possess the required eligibility criteria as prescribed by the Statutes.
- (6) In case the person possessing the qualifications and experience as specified in sub-section (5) cannot be appointed, the Finance Officer, Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer may be appointed on interim basis from amongst the teachers of the University with approval from the State Government for a period not exceeding one year.
- (7) Where an appointment has been made to a post referred to in sub-section (3), sub-section (4), sub-section (5), or sub-section (6) of this section, if the State Government, either upon a petition lodged by any person directly affected or on its own motion (*suo motu*), after conducting or causing to be conducted such inquiries, and obtaining or causing to be obtained such explanations, including explanations from the person whose appointment is likely to be affected, as it deems necessary, determines that such appointment, when made by any authority or officer of the University, was not in accordance with the law then in force, the State Government may, by order, and notwithstanding anything to the contrary contained in the contract relating to the conditions of service of such person, direct the Vice Chancellor to terminate the appointment of that person. The Vice Chancellor shall forthwith comply with such direction. Such termination shall be effected by giving one month's notice to the person concerned, or by paying one month's salary in lieu of such notice. Upon such termination, the Vice Chancellor shall initiate steps for a fresh selection to be made for the post. A person whose appointment has been terminated under this sub-section shall be eligible to apply again for the same post, provided that such person fulfills the prescribed eligibility criteria at the time of making the fresh application

- (8) Any order made by the State Government, under the sub-section (7) shall be final and a copy of the order shall be served on the person concerned by the Vice Chancellor within three days from its receipt.
- (9) It shall be the duty of the Vice Chancellor, to ensure that no payment whatsoever is made to any person, by way of salary or allowance, from the funds of the University, for any period after the termination of his services, and any authority or officer authorizing or making any such payment shall be liable to reimburse the amount so paid to the University.
- (10) The process of appointment for all the above-mentioned posts shall begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and shall be completed at least one month prior to the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to complete the process of appointment.

83 Appointment of all Deans, Directors, Head of Departments and Proctor of the University

- (1) All the Deans, Directors, Head of Departments and Proctor of the University shall be appointed by the Vice Chancellor as per procedure prescribed by the Statutes:
 Provided that, the Director, Human Resource Management and Director, Knowledge Resource Centre shall be appointed in the manner mentioned in Section 32 and Section 26 of this Act respectively.
- (2) The University shall maintain a seniority list of all the Teachers of the University with categorization of their positions such as Professor, Associate Professor or Assistant Professor.
- (3) The Office of the Director, Human Resource Management shall call for applications for each position of Dean, Director, Head of Department and Proctor with the eligibility criteria and norms as prescribed by the Statutes. It shall also carry out a preliminary screening of the documents to ensure that the application is complete in all respects.
- (4) The Office of the Director, Human Resource Management shall then create a list of applicants as per their seniority for each post.
- (5) The Vice Chancellor shall select the competent person among the applicants and extend the offer of appointment for the concerned posts.
- (6) The process of selection for all the above-mentioned posts shall begin at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and shall be completed at least one month prior to the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to initiate the process for selection of the above mentioned posts.
- (7) The University, may from its own sources provide additional emoluments or allowances to any person holding the posts of Proctor and/or Directors.

84 Appointment and Promotion of Teachers

- (1) All appointments and promotions of the teachers in the University shall be done by the University on recommendation of the Commission, in the manner as may be prescribed by the Statutes.
- (2) All teachers of the University shall be initially appointed on probation for a period of two (02) years including mandatory training of 12 months by the Jharkhand State Faculty Development Academy as prescribed by the Statutes. On completion of the probation period the Director, Human Resource Management shall prepare the performance report of the concerned teacher and place it before the Board of Human Resource Management for its recommendation to the Syndicate and confirmation of service.

- (3) The process for selection of Teachers shall begin from January of every year and shall be completed by 30th June of every year. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to coordinate with the Commission for selection and appointment of the teachers of the University in timely manner.
- (4) The total number of vacancies of teachers against the sanctioned posts arising out of the University each year by 31st December shall be considered for preparation of roster for the upcoming year. The roster so prepared must be approved by the State Government to initiate the recruitment process as prescribed by the Statutes.
- (5) The Selection / Screening Committee constituted by the Board of Human Resource Management, shall make recommendations for promotion of University teachers to the Commission, in the manner as prescribed by the Statutes. The composition of Selection Committee and Screening Committee shall be as prescribed by the Statutes.
- (6) The date of the meeting of every selection committee shall be so fixed as to allow a notice of at least thirty days of such meeting, be given to each member.
- (7) The process of promotion needs to be conducted in fair and transparent manner complying with the provisions of this Act and the prescribed Statutes/ University Ordinances/ Rules.
- (8) Where an appointment has been made to a post referred to in sub-section (2) of this section, if the State Government, either upon a petition lodged by any person directly affected or *suo moto*, after conducting or causing to be conducted such inquiries, and obtaining or causing to be obtained such explanations, including explanations from the person whose appointment is likely to be affected, as it deems necessary, determines that such appointment, when made by any authority or officer of the University, was not in accordance with the law then in force, the State Government may, by order, and notwithstanding anything to the contrary contained in the contract relating to the conditions of service of such person, direct the Vice Chancellor to terminate the appointment of that person. The Vice Chancellor shall forthwith comply with such direction. Such termination shall be effected by giving one month's notice to the person concerned, or by paying one month's salary in lieu of such notice. Upon such termination, the Vice Chancellor shall initiate steps for a fresh selection to be made for the post. A person whose appointment has been terminated under this sub-section shall be eligible to apply again for the same post, provided that such person fulfills the prescribed eligibility criteria at the time of making the fresh application.
- (9) Any order made by the State Government, under sub-section (8) shall be final and a copy of the order shall be served on the teacher concerned by the Vice Chancellor within three days from its receipt.
- (10) It shall be the duty of the Vice Chancellor, to ensure that no payment whatsoever is made to any person, by way of salary or allowance, from the funds of the University, for any period after the termination of his services, and any authority or officer authorizing or making any such payment shall be liable to reimburse the amount so paid to the University.

85 Appointment for Principals of Constituent Colleges of the University

- (1) The Principals of Constituent Colleges shall be appointed from amongst teachers of the University on recommendation of the Commission, in the manner as may be prescribed by the Statutes.
- (2) The process for appointment of Principals in Constituent Colleges shall begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and shall be completed at least one month prior to the probable date of occurrence of the vacancy.

86 Appointment and Promotion of non-teaching staff of the University

- (1) All the appointments and promotions of non-teaching staff of the University shall be done by the University on recommendation of the Commission, in the manner as may be prescribed by the Statutes.
- (2) All the non-teaching employees of the University shall be initially appointed on probation for a period of two (02) years including mandatory training of 12 months by Jharkhand State Faculty Development Academy (JSFDA) as prescribed by the Statutes. On completion of the probation period the Director, Human Resource Management shall prepare the performance report of the concerned employee and place it before the Board of Human Resource Management for its recommendation to the Syndicate for confirmation.
- (3) The total number of vacancies of non-teaching staff against the sanctioned posts arising out of the University each year by 30th June shall be considered for preparation of roster for the upcoming year. The roster so prepared must be approved by the State Government to initiate the recruitment process as prescribed by the Statutes.
- (4) The process for selection of non-teaching staff of the University shall begin from 1st of July of every year and shall be completed by 31st December of every year. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to coordinate with the Commission for selection and appointment of the non-teaching staff of the University.
- (5) Non-teaching employee who has been appointed on contractual basis cannot claim the benefits that are being availed by the regular full-time employee.
- (6) The Board of Human Resource Management, shall prepare the list of non-teaching staff eligible for promotion and send the same to the Commission with prior approval of the Syndicate.

87 Temporary Vacancies, Contractual appointments and Professor of Practice

- (1) Where an appointment is to be made for a temporary vacant post of teaching or non-teaching employee of the University arising due to resignation, leave or vacancy or any other reason, the appointment shall be made by the competent authority of the University as per the process prescribed by the Statutes or by an order of the State Government.
- (2) The University may engage adjunct teacher including Professor of Practice against the total sanctioned posts of teachers as per the provisions in the Statutes.
- (3) Any contractual employee of the University or Professor of Practice shall not claim for regularization of service in any case.

88 Creation of Posts

- (1) After the commencement of this Act, the State Government shall create the posts of teaching and non-teaching staffs, only for the University, University Departments and Constituent Colleges.
- (2) The affiliated Colleges shall have the autonomy to create posts in the manner as prescribed by the Statutes and there shall be no financial liability on the State Government for such posts.

89 Posting, Transfer and Deputation

- (1) All existing or newly appointed officers, teachers and non-teaching staff of the University may be transferred or deputed to any University and Constituent College within the State of Jharkhand:

Provided that any teacher on probation shall not be considered and allowed for inter or intra University transfer or deputation.

- (2) They may also be deputed to Department of Higher and Technical Education, Government

of Jharkhand or any organisation/body of the State Government associated with Department of Higher and Technical Education.

- (3) Further, the officers, teachers and non-teaching staff of the University may be allowed for deputation in any public University/ organisation/ autonomous body of the Government of India/ any State Government with prior approval from the competent authority in the manner as prescribed by the Statutes.
- (4) The first posting of the teaching and non-teaching staff of the University shall be done in the rural and remote areas under the jurisdiction of the University.
- (5) While approving transfers and posting, the Competent Authority of the University shall ensure that:-
 - (a) Constituent Colleges located in rural and remote areas are adequately staffed;
 - (b) the mechanisms or provisions for transfer and posting, as mentioned in Statutes or University Ordinances as followed; and
 - (c) academic activity from the place of transfer, shall remain unaffected or minimally affected such transfer.
- (6) The transfers and postings of the teachers, non-teaching staff and employees of the University shall be done as prescribed by the Statutes.
- (7) The State Government shall have the exclusive authority to consider, approve or reject the applications for inter-University transfer of employees.

90 Conditions of Service

- (1) Every salaried Officer of University and every teacher employed in a University Department other than officers and teachers who are members of the Public Services in India and whose services have been lend to the University, shall be appointed on a written contract which shall be lodged with the Registrar of the University and copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned. Every teacher of the University shall in the absence, of any agreement to the contrary, be governed by the conditions and restrictions, as specified in the Statutes.
- (2) It shall be lawful for the University to allow deputation of officers, teachers and non-teaching staffs as mentioned in section 89(2) and section 89(3) in the manner as prescribed by the Statutes.
- (3) Every employee of the University must adhere to the service conditions as prescribed by the Statutes.

91 Retirement from Service

- (1) Notwithstanding anything, contained contrary to the Act, the age of retirement of employee of the University shall be as prescribed by the Statutes.
- (2) The University may require any employee who, reckoned from the date of his appointment, has completed the total service of 25 years, to retire from the University service after giving at least three months prior notice, if considers that his conduct or efficiency is such, as it does not justify his continuation in the service.
- (3) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, any employee may, after giving at least three months prior notice in writing to the concerned appointing authority, voluntarily retire from such date, on which such an employee has completed 32 years of service or attains 52 years of age, in the manner as prescribed by the Statutes:

Provided that no employee of the University under order of suspension shall voluntarily retire except without a specific approval of the concerned appointing authority.

92 Termination from Service

- (1) All employees of the University shall conduct themselves as per the service conditions

mandated in the Statutes and prescribed by the Rules. Further, no employee of the University shall:-

- (a) engage in any unlawful activity/ies or mischief or criminal trespassing or show of criminal force or compel any person to do what he is not legally bound to do; or use abusive language inside the institution campus;
- (b) perform dissatisfactory while discharging of his academic or administrative or financial duties assigned; or
- (c) undertake actions or activities in any form harming the interest of the University or State Government or the Government of India ; or
- (d) receive conviction under any law of the State or Central Government; or
- (e) involved in financial misappropriation; or
- (f) be a member of, or be associated with, any organisation which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity without obtaining prior approval of the University;

Explanation: For the purposes of this sub-clause, whether any party is a political party, or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this sub-clause, the decision of the State Government there on shall be final;

- (g) conduct, own, partake or participate in owning of, or participating in, any organisation or institution or legal entity engaged in providing commercial education services such as tuitions, coaching, or counselling activities; and
 - (h) violate any provisions of service conditions as mentioned in the Statutes.
- (2) In case, any employee is found to be carrying out the above mentioned activities, he shall be liable for termination, subject to principles of natural justice in front of the appropriate authority by following the procedure as mandated in the Statutes and prescribed by the rules:

Provided that, no employee must be terminated without giving an opportunity to put forth its explanation and no action shall violate the principles of natural justice.

- (3) Such employee shall also be subjected to appropriate legal or penal action under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, as applicable.

93 Action against Unlawful Activities

- (1) All employees of the University or its Constituent Colleges when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act, or rules made or directions issued thereafter shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 28 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
- (2) Any person whoever with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, or affects it injuriously, commits mischief or prevents any official from performing his duty shall be subjected to strict legal action under Section 324 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

CHAPTER VII: ADMISSION, EXAMINATION, EVALUATION AND OTHER MATTERS RELATING TO STUDENTS

94 Admission

- (1) Subject to the reservation policy of the State Government, admission to all courses in the University Departments, Constituent Colleges and Affiliated Colleges shall be made on

the basis of merit in accordance with the rules, if any, made by the State Government and published in the *Official Gazette*, or University Ordinances made by the University:

Provided that, where model rules have been framed by the State Government in the interest of students throughout the State, the University shall adopt the same and such rules shall be published by the University before the commencement of the academic session.

- (2) Further with regard to the maintenance of discipline, the authority concerned shall have the power to refuse admission to a student, except at the entry point of any academic programme.

95 Disputes relating to admission

All the disputes relating to admissions to University Departments, Constituent Colleges and Affiliated Colleges shall be adjudicated by the Students Grievance Redressal Committee as per section 100.

96 Examination and evaluation

Before the start of each academic year, the University shall prepare the schedule of examinations for the next academic year for each and every course wherever applicable, conducted by itself within its jurisdiction and shall publish it at the commencement of each academic year and shall strictly adhere to the schedule. Failing which the concerned authority or officer of the University shall have to make a reasoned report to State Government within thirty days and the directions or decisions of the State Government in this regard shall be final and binding:

Provided that, in case the University is unable to follow the said schedule due to reasons and circumstances beyond its control it shall at the earliest, submit a report to the State Government incorporating the detailed reasons for making a deviation from the published schedule.

97 Declaration of results

The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for that particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days thereof:

Provided that, if for any reasons whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination and evaluation within the aforesaid period of forty-five days, Controller of Examinations shall prepare a detailed report incorporating the reasons for such delay submit the same through Vice Chancellor to the State Government, and the direction of the State Government in this regard shall be final and binding.

98 Examination and evaluation not invalid for non-compliance with Schedule

No examination or evaluation or the results of an examination or evaluation shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the schedule as stipulated in sections 96 and 97, as the case may be.

99 Sports and extra- curricular activities

The University shall frame appropriate University Ordinance and Rules to ensure that the students selected to represent their Department, Colleges or the University, as the case may be, for sports, culture and all other extra-curricular activities are selected entirely on the basis of merit, through open merit competition alone and on no other basis.

CHAPTER VIII: GRIEVANCES OF STUDENTS AND EMPLOYEE**100 Student Grievance Redressal Committee**

- (1) There shall be Student Grievance Redressal Committee (SGRC) at the University and College Level to resolve the Grievances of Students and to suggest different ways and means to minimize and prevent such grievances. The functional mechanism of working of Student Grievance Redressal Committee shall be as prescribed by Statutes, prepared in accordance with the provisions of the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, or any other regulations for the time being in force.
- (2) The Student Grievance Redressal Committee shall also be mandated with the redressal of election-related grievances, including, but not limited to breaches of the code of conduct of elections and complaints relating to election related expenditure. The composition of the Student Grievance Redressal Committee at University shall be as follows:-
 - (a) Director, Student Affairs – Chairperson;
 - (b) Registrar – Member;
 - (c) Five Professors of the University nominated by the Vice Chancellor as Members;
 - (d) Two final year students of the University – one boy and one girl nominated by the Pro-Vice Chancellor;
 - (e) Proctor– Member Secretary; and
 - (f) Any Special Invitee as nominated by the Chairperson.
- (3) The composition of Student Grievance Redressal Committee at College level shall be as prescribed by Statutes, prepared in accordance with the provisions of the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, or any other regulations for the time being in force.
- (4) The term of the special invitee shall be one year.
- (5) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be fixed at six members.
- (6) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.
- (7) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days from the receipt of the complaint.
- (8) In pursuit of its duties, the SGRC may prosecute violators of any aspect of the code of conduct or the rulings of the committee. The SGRC shall serve as the court of original jurisdiction.
- (9) The Vice Chancellor shall have appellate jurisdiction over issues of law and fact in all cases or controversies arising out of the conduct of the elections in which the SGRC has issued a final decision. Upon review, the Vice Chancellor may revoke or modify the sanctions imposed by the SGRC.
- (10) Each University shall appoint Ombudsperson for grievance redressal of students of the University and colleges under its jurisdiction as per University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 as amended from time to time.
- (11) The duties and the procedure for handling of grievances shall be as prescribed by the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 as amended from time to time.

101 Employees Grievance Redressal Committee

- (1) There shall be an Employees Grievance Redressal Committee in each University or group of Universities to deal with all types of grievances of employees of University and Colleges

under its jurisdiction as may be determined by the State Government:

Provided that, in case a group of Universities have a common Employees Grievance Redressal Committee, the oldest University by virtue of its establishment as mentioned in Schedule – II or Schedule – III shall be the headquarters of the Committee.

- (2) Each University shall establish an Employees Grievances Redressal Cell headed by the officer of the University not below the rank of the Assistant Registrar for providing administrative assistance to the Employees Grievance Redressal Committee:

Provided that, in case a group of Universities have a common Employees Grievance Redressal Committee, the oldest University by virtue of its establishment as mentioned in Schedule – II or Schedule – III shall provide administrative assistance to the Employees Grievance Redressal Committee.

- (3) The Employees Grievance Redressal Committee shall consist of the following members, namely :-

- (a) retired Judge not below the rank of the District Judge or an advocate recognised by the State Bar Council, with at least 10 years of experience in Court of Law – Chairperson;
- (b) an advocate recognised by the State Bar Council with prior experience in handling of legal matter pertaining to State Universities - Member;
- (c) retired Officer of Jharkhand Financial Services not below the rank of Deputy Secretary to the Government appointed by the State Government - Member;
- (d) retired Officer of the State Government not below the rank of Deputy Secretary, having significant experience in administrative and personnel related matters - Member;
- (e) an Assistant Professor with minimum 07 years of teaching experience from any University shall be deputed as the Member Secretary of the Committee; and
- (f) Any invitee decided by the Chairperson;

- (4) The appointment of members of the Committee as mentioned in sub-section (3)(a) to (3)(d) and deputation of member mentioned in sub-section (3)(e) of this section shall be done by the State Government for a period of three years, in the manner as prescribed by the Statutes.
- (5) The appointment and deputed members of the Committee shall be entitled for such pay and allowances as may be determined by the State Government in the Statutes.
- (6) The Employees Grievance Redressal Committee shall convene its meetings at least once a month and the quorum for meetings of the Committee shall be set at two members with the compulsory attendance of the Chairperson and excluding invitee members.
- (7) The Employees Grievance Redressal Committee shall hear, settle and decide grievances as per the law, as far as may be practicable, within three months, from the date of filing of the complaint.
- (8) It shall be lawful for the Employees Grievance Redressal Committee to entertain and decide grievances or complaints relating to service of the employees, after giving reasonable opportunity of being heard to both the parties.
- (9) Any appointed member may, by writing under his signature resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the State Government or from the date of expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.
- (10) The State Government shall fill the vacant post of the Committee within a period of 30 (thirty) days of occurrence of such vacancy. The quorum and sittings of the Committee shall not be affected for want of vacancy.

- (1) There shall be Employee Grievance Redressal Tribunal at the State Level governed by this Act as the appellate authority for review and disposal of any matter adjudicated by the Employee Grievance Redressal Committee.
- (2) The Tribunal shall consist of following members:
 - (a) Retired Judge of High Court or a person having qualification to become a High Court Judge - Chairperson;
 - (b) an advocate recognised by the State Bar Council with at least 10 years of prior experience in handling of legal matter pertaining to State Universities - Member ;
 - (c) retired Officer of Jharkhand Financial Services not below the rank of Joint Secretary to the Government- Member;
 - (d) retired Officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary, having significant experience in administrative and personnel related matters - Member;
 - (e) a Professor or Associate Professor from any University shall be deputed as the Member Secretary of the Committee; and
 - (f) Any invitee as decided by the Chairperson.
- (3) The appointment of members of the Tribunal as mentioned in sub-section (2)(a) to (2)(d) and deputation of member mentioned in sub-section (2)(e) of this section shall be done by the State Government for a period of three years, in the manner as prescribed by the Statutes.
- (4) The quorum of meeting of the Tribunal shall be set at two members with the compulsory attendance of the Chairperson, excluding the invitee members.
- (5) The appointment and deputed members of the Tribunal shall be entitled for such pay and allowances as may be determined by the State Government in the Statutes.
- (6) The State Government shall make available to the Tribunal such staff as may be necessary for the discharge of its functions under this Act.
- (7) Any appointed member may, by writing under his signature resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the State Government or from the date of expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.
- (8) The State Government shall fill the vacant posts of the Tribunal within a period of 30 (thirty) days of the occurrence of such vacancy. The quorum and sittings of the Tribunal shall not be affected for want of vacancy.

103 Employees Right of appeal

- (1) Notwithstanding anything contained in any law or contract for the time being in force, any employee of the University governed by this Act or Colleges under its jurisdiction, who is dismissed or removed or whose services are otherwise terminated or who is compulsorily retired or who is reduced in rank by the University or College and who is aggrieved shall have a right of appeal and any appeal against any such order or decision shall lie to the Tribunal:

Provided that, no such appeal shall lie to the Tribunal in any case where the matter has already been decided or pending before a Court or Tribunal on the date of commencement of this Act or where the order of dismissal, removal, otherwise termination of service, compulsory retirement or reduction in rank, was passed at any time before the date on which this Act comes into force.

- (2) An appeal shall be made by the employee to the Tribunal, within thirty days from the date of receipt by him, the order of dismissal, removal, otherwise termination of services, compulsory retirement or reduction in rank, or of decision of the Employees Grievance Redressal Committee, as the case may be.

104 General Powers and Procedure of Employees Grievance Redressal Tribunal and Committee

- (1) The Employees Grievance Redressal Committee shall for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect to the following matters namely:-
 - (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him / her on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning of public records;
 - (e) issuing commission for the examination of witnesses;
 - (f) reviewing its decisions, directions and orders; and
 - (g) any other matters as may be prescribed.
- (2) The Employees Grievance Redressal Tribunal for the purposes of hearing and disposal of appeals shall have the same powers as vested in an appellate court under the Code of Civil Procedure, 1908 and shall have the power to stay the operation of any order against which an appeal has been made, on such conditions as it may think fit to impose and such other powers as are conferred on it by or under this Act.
- (3) Notwithstanding anything contained in this section, the Tribunal may entertain an appeal made to it after the completion of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.
- (4) Every appeal shall be accompanied by a fee as prescribed by the Statutes.

105 Powers of Tribunal to give appropriate relief and directions

- (1) On receipt of an appeal, where the Tribunal after giving reasonable opportunity of being heard to both parties, is satisfied that the appeal does not pertain to any of the matters specified in sub-section (1) of section 101 or is not maintainable, or there is no sufficient ground for interfering with the order of the University or management or decision of the Employees Grievance Redressal Committee, it may dismiss the appeal.
- (2) Where the Tribunal, after giving reasonable opportunity to both the parties of being heard, decides in any appeal that the order of dismissal, removal, otherwise termination of service, compulsory retirement or reduction in rank, or the decision of the Employees Grievance Redressal Committee, was in contravention of any law, contract or conditions of service for the time being in force or was otherwise illegal or improper, the Tribunal may set aside the order of the University or the College, or decision of the Employees Grievance Redressal Committee, as the case may be, partially or wholly, and direct the University or the College,-
 - (a) to reinstate the employee on the same post or on a lower post as it may specify;
 - (b) to restore the employee to the rank which he held before reduction or to any lower rank as it may specify;
 - (c) to give arrears of emoluments, dues and other monetary benefits including pay fixation to the employee for such period as it may specify;
 - (d) to award such lesser punishment as it may specify in lieu of dismissal, removal, otherwise termination of service, compulsory retirement or reduction in rank, as the case may be;
 - (e) where it is decided not to reinstate the employee or in any other appropriate case, to give such sum to the employee, not exceeding his emoluments for six months, by way of compensation, regard being had to loss of employment and possibility of getting or not getting suitable employment thereafter, as it may specify; and
 - (f) to give such other relief to the employee and to observe such other conditions as it

may specify, having regard to the circumstances of the case.

- (3) It shall be lawful for the Tribunal to recommend to the University that any dues directed by it to be paid to the employee.
- (4) Any direction issued by the Tribunal under sub-section (2) shall be communicated to both parties in writing and shall be complied with by the University or College within the period specified in the direction, which shall not be less than two months from the date of its receipt by the University or College.

106 Decision of Tribunal to be final and binding

Notwithstanding anything contained in any law or contract for the time being in force, the decision of the Tribunal on an appeal entertained and disposed of by it shall be final and binding on the employee and the University or College, as the case may be, and no suit, appeal or other legal proceeding shall lie in any court or before any other Tribunal or authority, in respect of the matters decided by the Tribunal.

107 Penalty to University for failure to comply with directions of Tribunal

- (1) If the University or College, as the case may be, fails, without any reasonable cause, to comply with any direction issued by the Tribunal under section 106 within the period specified in the direction, or within such further period as may be allowed by the Tribunal, the University or College, as the case may be, shall on conviction, be punished-

- (a) for the first contravention, with fine which may extend up to one lakh rupees:

Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Tribunal, the fine shall not be less than ten thousand rupees; and

- (b) for the second and subsequent contraventions, with fine which may extend up to five lakh rupees for each such contravention:

Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Tribunal, the fine shall not be less than fifty thousand rupees:

Provided further that, when the direction issued by the Tribunal is not complied with, within the period stipulated in the direction or within such further period as allowed by the Tribunal, and when the contravention is a continuing one, the convicted person shall be punished with a further fine of rupees two thousand per day during which such contravention continues after conviction.

- (2) (a) Where the University or, as the case may be, College committing the contravention under this section is a society, every person who at the time such contravention has been committed, was in charge of and was responsible to the society, for the conduct of the affairs of the society, as well as the society, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any person liable to the punishment, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all the diligence to prevent commission of such contravention; and

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-section (2)(a) of this section, where the contravention has been committed by a society and it is proved that the contravention has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of the University or any president, chairperson, secretary, member, principal or manager or other officer or servant of the society, such president, chairperson, secretary, member, principal or manager or other officer

or servant concerned, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER IX: PERMISSION FOR AFFILIATION AND RECOGNITION

108 Conditions for affiliation and recognition

- (1) The management applying for affiliation or recognition, and the management whose college or institution has been granted affiliation or recognition, shall give the following undertaking and shall comply with the following conditions, namely:-
- (a) that the provisions of the Act, Statutes and University Ordinances made there under and the standing orders and directions of the University and the State Government shall be complied with;
 - (b) that the number of students admitted for courses of study shall not exceed the limits prescribed by the University, University Grants Commission (UGC) and the State Government, from time to time;
 - (c) that there shall be suitable and adequate physical facilities such as land, buildings, laboratories, libraries, books, equipment required for teaching and research, healthcare centers, hostels, gymnasium, CCTV security system, etc. as may be prescribed by the Statutes;
 - (d) that the financial resources of the college or institution shall be such as to make due provision for its continued maintenance and working;
 - (e) that the strength and qualifications of teachers and non-teaching employees of the affiliated colleges and the emoluments and the terms and conditions of service of the staff of affiliated colleges shall be such as may be specified by the University and the State Government and which shall be sufficient to make due provision for courses of study, teaching or training or research, efficiently;
 - (f) that the services of all teachers and non-teaching employees and the facilities of the college to be affiliated or constituted shall be made available for conducting examinations and evaluation and for promoting other activities of the University;
 - (g) that the directions and orders issued by the Vice Chancellor and other officers of the University in exercise of the powers conferred on them under the provisions of this Act, Statutes and University Ordinances shall be mandatorily complied with;
 - (h) that there shall be no change or transfer of the management or shifting of location of college or institution, without prior permission of the University and the State Government-
 - (i) that the college or institution shall not be closed without prior permission of the University and the State Government;
 - (ii) that in the event of disaffiliation or de-recognition or closure of the college or institution, the management shall abide by and execute the decision of Academic Council and Senate regarding the damages or compensation to be recovered from management;
 - (i) no college or institution of higher learning which is part of another University jurisdiction area shall be considered for affiliation or recognition, as the case may be, unless a no objection certificate is given by the parent University:

Provisions regarding procedure for permission for opening new college or new course, subject, faculty division; procedure for affiliation; procedure of recognition of institutions; procedure for recognition of private education

provider; continuation and extension of affiliation or recognition; permanent affiliation and recognition; shifting college location; inspection of colleges and report; transfer of management; withdrawal of affiliation or recognition; closure of affiliated college shall be followed as prescribed by the Statutes in this regard;

- (j) prepare a comprehensive perspective plan for every five years. Such plan shall be prepared for the location of colleges and institutions of higher learning in a manner ensuring comprehensive equitable distribution of facilities for higher education having due regard, in particular, to the needs of unserved and under-developed areas within the jurisdiction of the University; and
- (k) carry out other roles and responsibilities as may be prescribed by the Statutes.

109 Autonomous Colleges

- (1) An affiliated or constituent college may apply to the University Grant Commission for grant of autonomous status through its designated online or offline mechanism. The University Grant Commission may grant autonomous status to the college or institution as per its regulations in this regard.
- (2) The autonomous affiliated or constituent college, shall function with the objectives of promoting academic freedom which is essential to the fostering and development of an intellectual climate conducive to the pursuit of scholarship and excellence as provided by University Grant Commission.
- (3) The autonomous affiliated or constituent college, may constitute its authorities or bodies and exercise the powers and perform the functions and carry out the administrative, academic and other activities of the University, as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The autonomous, affiliated or constituent college, may prescribe its own courses of study, evolve its own teaching methods and hold examinations and tests for students receiving instruction in it, and recommend the University for award of degrees, diplomas or certificates, after following the procedure as prescribed by the Statutes. The autonomous affiliated or constituent college shall have full academic and administrative autonomy subject to the provisions of this Act and Statutes and the regulations issued by the University Grant Commission, from time to time.

110 Empowered Autonomous Colleges

- (1) The constituent or affiliated autonomous colleges that are identified by the University Grants Commission (UGC) as college with potential for Excellence or College of Excellence which have a high level grade to be prescribed by the State Government through *Official Gazette* may apply to the University for grant of empowered autonomous status. The Senate or Syndicate on the recommendation of the Academic Council may after the approval of the State Government confer the empowered autonomous status upon such college.
- (2) The norms and procedure for grant of the empowered autonomous status and continuation thereof, shall be as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The empowered autonomous college may constitute its authorities or bodies and exercise the powers and perform the functions and carry out the administrative, academic, financial and other activities of the University, as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The empowered autonomous college shall enjoy all such privileges in addition to the privileges enjoyed by autonomous college as may be prescribed by the Statutes and orders or notifications of the State Government and the University Grants Commission.
- (5) The empowered autonomous college shall strive to be recognised as Deemed to be

University under applicable regulations of University Grant Commission.

111 Empowered Autonomous Cluster Institutions

- (1) A group of affiliated autonomous colleges of the same management or educational society, constituent autonomous colleges, which includes the colleges or institutions, identified by the University Grants Commission (UGC) as Potential for Excellence or College of Excellence or which have a high level grade to be prescribed by the State Government through *Official Gazette* may apply to the University for grant of status of empowered autonomous cluster institutions.
- (2) The Senate on recommendation of the Syndicate, and after approval of the State Government may confer the status of empowered autonomous cluster institutions upon such group of colleges or institutions.
- (3) The norms and procedure for grant of status of empowered autonomous cluster institutions and continuation thereof, shall be as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The empowered autonomous cluster institutions may constitute its authorities or bodies and exercise the powers and perform the functions and carry out the administrative, academic, financial and other activities of the University, as may be prescribed by the Statutes and orders of the State Government and University Grants Commission (UGC).

The provision enumerated in Section 108, 109, 110, and 111 shall not be applicable for Research Intensive Unitary Universities.

CHAPTER X: ENROLMENT, DEGREES AND CONVOCATIONS

112 Post graduate teaching and research

All postgraduate instruction, teaching, training, research, research collaborations, and partnerships shall typically be conducted by the University or through autonomous and empowered autonomous, affiliated or constituent colleges, as prescribed by the Statutes.

113 Self-financed Courses

- (1) Any University Department or Constituent College, as applicable, may introduce or wind-off Self-financed Courses by submitting a detailed proposal to the Board of Studies of the concerned University in the manner as prescribed by the Statutes.
- (2) Every proposal for introduction of Self-financed Course must contain the details of the curriculum, domain, necessity, employment opportunities, pedagogy, and duration of such course/s or any other matter as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The Board of Studies, after due consideration, shall present the proposal to the Academic Council, Fee Fixation Committee, Finance and Accounts Committee for its concurrence, and, on receipt of such concurrence, the proposal may be placed before the Senate / Syndicate for necessary approvals.
- (4) All Self-financed Courses must be delivered in strict compliance with the provisions of UGC or other regulatory bodies as applicable and the Board of Studies shall be responsible for monitoring of all Self-financed Courses in the Departments under its jurisdiction.
- (5) All appointments to teaching or non-teaching posts under self-financed courses shall be made by the University or an autonomous body of the University in the manner as prescribed by the Statutes.

114 Enrolment of Students

A person to be enrolled as the student of the University shall possess such qualifications and fulfill such conditions as may be prescribed.

115 Disciplinary powers and discipline

- (1) All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the students of the University departments and institutions and colleges maintained by the University, shall

vest in the Vice Chancellor.

- (2) The Vice Chancellor may, by an order, delegate all or any of his powers under sub-section (1), as he deems fit, to such other officer as he may nominate in that behalf.
- (3) The Vice Chancellor may, in the exercise of his powers, by an order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in constituent college, institution or department of the University for a specified period, or be punished with fine, as prescribed by the University, or be debarred from taking an examination or evaluation constituent by the department, constituent college or institution maintained by the University for a specified period not exceeding five years or that the result of the student or students concerned in the examination or evaluation in which he or they have appeared, be cancelled :

Provided that, the Vice Chancellor shall give reasonable opportunity of being heard to the student concerned, if expulsion is for a period exceeding one year.

- (4) Without prejudice to the powers of the Vice Chancellor, the principals of constituent colleges, heads of University institutions and the heads of departments of the University shall have authority to exercise all such powers over the students may be necessary for the maintenance of proper discipline.
- (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the provisions relating to discipline, code of conduct and misconduct of students, and the procedure for taking disciplinary action against them, shall be such as may be prescribed by the Statutes. Such provisions shall be applicable to all students of the University Departments, Constituent Colleges, and Affiliated colleges.
- (6) The Statutes relating to discipline and proper conduct for students, and the action to be taken against them for breach of discipline or misconduct, shall also be published in the prospectus of the University, affiliated/constituent college and every student shall be supplied with a copy of the same. The principals of the colleges and heads of the institutions, maintained by the University and affiliated/constituent colleges, may prescribe additional norms of discipline and proper conduct, not inconsistent with the Statutes, as they think necessary, and every student shall be supplied with a copy of such norms.
- (7) At the time of admission, every student shall sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice Chancellor and the other officers and authorities or bodies of the University and the authorities or bodies of the constituent colleges, affiliated/constituent colleges and shall observe and abide by the Statutes made in that behalf and in so far as they may apply, the additional norms made by the principals of constituent colleges and heads of University institutions and affiliated/constituent colleges.
- (8) All powers relating to disciplinary action against students of an affiliated/constituent college not maintained by the University, shall vest in the principal of the affiliated/constituent college and the provisions of sub-sections (5) and (6) including the Statutes made there under, shall *mutatis-mutandis* apply to such colleges, institutions and students therein.

116 Degrees, diplomas and certificates

- (1) The Senate may institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as may be recommended by the Academic Council in accordance with the norms laid down by the University Grants Commission (UGC).
- (2) The Senate may institute and confer post-doctoral degrees such as DSc and DLitt - by Research, as may be recommended by the Academic Council.

- (3) The Vice-Chancellor may, on the recommendation of the Senate and the Academic Council, supported by a majority of not less than two-third members of each such authority, present at its meeting, such majority comprising not less than one-half of the members of each such authority, withdraw the degree or diploma or certificate or any other academic distinction permanently or for such period as the Vice-Chancellor thinks fit, if such a person is convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or has been found to have sought admission to any degree or diploma or certificate course by fraudulent means or has been found to have obtained such degree or diploma or certificate or any other academic distinction by fraudulent means. No such action under this section shall be taken unless the person concerned is given an opportunity to defend himself.
- (4) It shall be the duty of the University to upload the degrees and academic qualifications of all students on the Academic Bank of Credits and National Academic Depository as mandated by University Grants Commission from time to time.

117 Honorary Degrees

- (1) The Senate may consider and recommend to the State Government the conferment of an honorary degree or other academic distinction on any person, without requiring him to undergo any test or examination or evaluation, on the ground solely that he, by reason of his eminent position, attainments and public service, is a fit and proper person to receive such degree or other academic distinction, and such recommendation shall be deemed to have been duly passed if supported by a majority of not less than two-thirds of the members present at the meeting, being not less than one-half of its total membership.
- (2) The Senate may take a decision on the proposal of the Academic Council, provided that, the Academic Council shall not entertain or consider any proposal in that behalf without the Vice Chancellor having obtained prior approval of the State Government.

118 Convocation

The convocation of the University shall be held at least once during an academic year in the manner prescribed by the Statutes for conferring degrees, post-graduate diplomas or for any other purpose.

119 Registered Graduates

- (1) Subject to the provisions prescribed by the Statutes, the following persons shall be entitled to have their names entered in the register of registered graduates or deemed to be registered graduates, maintained by the University, namely: -
 - (a) who are graduates of the University, and
 - (b) who are graduates of the parent University from which corresponding new University is established:

Provided that, the graduates registered in the parent University as registered graduates but residing in the jurisdiction of the new University shall have to apply for registration, as registered graduates, to the new University and once registered with the new University, they will automatically cease to be the registered graduates of the parent University.

- (2) Every person who intends to be a registered graduate shall make an application to the Registrar in such form and make payment of such fees as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The Vice Chancellor shall, after making such inquiry as he thinks fit, decide whether the person is entitled to be a registered graduate. If any question arises whether a person is entitled to have his name entered in the register of graduates or be a registered graduate or is not qualified to be a registered graduate, it shall be decided by the Vice Chancellor after making such inquiry as he thinks fit and his decision shall be final.

120 Removal of name from register of graduates

- (1) A person who –
 - (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - (b) is an un-discharged insolvent; or
 - (c) is convicted for an offence involving moral turpitude, criminal procedure code; or
 - (d) has obtained a degree by fraudulent means; or
 - (e) is a registered graduate of any other University established by law in the State, shall not be qualified to have his name entered in the register of graduates, or be a registered graduate.
- (2) The Vice Chancellor may, on the recommendation of the Academic Council, supported by a majority of not less than two-third of its members present at its meeting, such majority comprising not less than one-half of its members, remove the name of any person from the register of graduates for such period as the Vice Chancellor thinks fit, for any of the reasons mentioned in sub-section (1) of this section.
- (3) No action under this section shall be taken unless the person concerned is, as prescribed by the Statutes, given an opportunity of being heard in his defense.

CHAPTER XI : STATUTES, UNIVERSITY ORDINANCES AND UNIVERSITY RULES**121 Statutes**

- (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely;
 - (a) the institution of Fellowship, Scholarships, exhibitions, medals and prizes;
 - (b) the designations and powers of the officers of the University;
 - (c) the constitution, powers, functions and duties of the authorities of the University;
 - (d) the admission of educational institutions as colleges and the withdrawal of privileges from Colleges so admitted;
 - (e) the institution of Colleges and hostels and their maintenance and management;
 - (f) the classification of teachers of the University, the manner of their appointment and their recognition;
 - (g) the constitution of pension, insurance or provident fund for benefit of the officers, teachers and other employees of the University, and Principal of Constituent College;
 - (h) the maintenance of the register of registered graduates ;
 - (i) the number, qualification, grade, pay, reservation of posts as per State Reservation Policy and conditions of service of officers and other employees of the University;
 - (j) the maintenance of accounts of the income and expenditure of the University including the income and expenditure of Colleges and the forms and registers in which such accounts shall be kept;
 - (k) the maintenance of Service Books of the employees of the University;
 - (l) the conferment of honorary degrees and distinctions; and
 - (m) any matter which is to be prescribed by Statutes, or which is necessary to give effect to the provisions of this Act.
- (2) The State Government shall make Statutes to be followed by all Universities, unless otherwise prescribed.
- (3) In case of any need for Statutes or amendment thereunder, the University shall get the proposal of Statutes or amendment thereunder ratified by the Senate or Syndicate and send the same for approval of the State Government.

- (4) The State Government may approve or withhold approval thereto, of any proposed Statutes or amendment thereunder.
- (5) Notwithstanding anything contained in the previous sub-sections, the State Government shall have the power to prescribe Statutes or amendment thereunder on the subjects, as it may deem fit and such Statutes or amendment thereunder shall be binding upon the University.

122 University Ordinance

- (1) On all subjects for which the Statutes can be made, the University shall have the power to promulgate University Ordinance, in case of urgency or exigency for a period of not more than 06 (six) months, within which timeframe the University shall obtain approval of the State Government.
- (2) The State Government may approve or withhold approval thereto.
- (3) Upon such approval being granted by the State Government the University Ordinance shall become the Statute.
- (4) In case the approval of the State Government is not granted, such University Ordinance shall deem to have lapsed post 06 (six) months of its promulgation.
- (5) Any action taken or right performed as per the provisions of the University Ordinance, after it has been lapsed, shall be null and void.
- (6) The University shall have the power to make, amend or repeal University Ordinance in the following manner, namely:-
 - (a) The Syndicate shall prepare and propose draft University Ordinance concerning the matters referred to in sub-section (1):
Provided that University Ordinance concerning academic matters shall be proposed by the Syndicate in consultation with the Academic Council;
 - (b) The Senate shall approve the University Ordinance proposed by the Syndicate; and
 - (c) All University Ordinances promulgated shall be submitted to the State Government for information.

123 University Rules

- (1) Subject to the provisions of this Act, the University may make rules for all matters mentioned in the Statutes, to provide clarity, explanation or procedure for carrying out the provisions of the Statutes.
- (2) The Senate shall approve the University Rules proposed by the Syndicate and may send to the State Government for information:
Provided that University Rules concerning academic matters shall be proposed by the Syndicate in consultation with the Academic Council for approval from the Senate.

CHAPTER XII: UNIVERSITY FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

124 Annual Financial Statements

- (1) The annual financial estimates (budget) of the University for ensuing financial year shall be prepared by the Finance and Accounts Committee, at least four months before the commencement of the financial year in the manner as prescribed by the Statutes.
- (2) The Registrar on behalf of the University shall thereafter forward copies of annual financial estimates (budget) as approved by the Senate or Syndicate to the State Government.
- (3) The financial year of the University shall be the same as that of the State Government.

125 University Fund

- (1) The University shall establish funds, namely: -

- (a) General fund includes affiliation fee, funds received from affiliated or Constituent Colleges, etc.;
 - (b) Government Fund;
 - (c) Donation Fund;
 - (d) Corpus; and
 - (e) any other fund which, in the opinion of the University, is deemed necessary to establish.
- (2) The following shall form part of, or be paid into, the Government fund, namely:-
- (a) non-salary contribution or grant, received from the State Government or the Central Government or the University Grants Commission (UGC) or such other authority or Government Department;
 - (b) any sums borrowed from the banks or any other agency, with the permission of the State Government; and
 - (c) sum received from any other source or agency.
- (3) All income or moneys from trusts, bequests, donations, endowments, subventions and similar grants shall form part of the Donation fund.
- (4)
- (a) The General Fund of the University shall consist all income of the University from any source whatsoever, including income from fees, other fees and charges;
 - (b) Amount from this fund may be re-appropriated to any other fund of the University or expended for any other purpose; and
 - (c) The Donation Fund shall be utilised in the manner consistent with the object of the programme and as per the guidelines of the funding agency on expenditure and audit, to be granted and approved by the Senate in consultation with the Finance and Accounts Committee.
- (5) The University shall have and maintain a Corpus fund under a separate head of the University accounts which shall be used only for the purpose of meeting any unforeseen expenditure.
- (6) Surplus money at the credit of Corpus funds, including accruals thereto, which cannot immediately or at any early date be applied for the purposes aforesaid shall, from time to time, be deposited in the State Financial Securities or invested, in any other Equity or securities issued by the Corporations having financial participation of the State Government.

126 Financial Sustainability

- (1) The University shall strive to be self-reliant and financially sustainable by adopting the best practices of Central Universities/ State Universities/ Deemed to be Universities/ Private Universities/ Institute of National Importance.
- (2) The State Government may issue directives for promotion of financial sustainability of the Universities.
- (3) The University shall:-
 - (a) maintain fiscal discipline and ensure that any deficit financing (deficit financing means the State Government shall provide the grants to the University only for the differential amount between the estimated expenses and estimated revenue) aligns with the financial policies of the State Government;
 - (b) develop long-term financial strategies to reduce recurring deficits;
 - (c) prepare the financial sustainability plan and conduct the Sustainability Audit by an independent agency expertise in conducting such audit;
 - (d) submit the compliance report of the financial sustainability plan along with the

- Sustainability Audit Report as approved by the Syndicate;
- (e) collaborate with private entities for infrastructure development and revenue generation;
 - (f) strive for income from sponsored research projects, patents, and consultancy services;
 - (g) seek Corporate Social Responsibility (CSR) Funds from Industries, Corporate Houses, MSME's and other similar organisations;
 - (h) maintain transparency in financial reporting through periodic audits and public disclosures;
 - (i) ensure that deficit financing does not exceed a predefined percentage of the University's annual budget, as prescribed by the Statutes;
 - (j) adopt cost-cutting measures and revenue-enhancing initiatives as proposed by the Finance and Accounts Committee and/or Financial Advisor; and
 - (k) adopt such other procedure as prescribed by the Statutes.

127 Annual Accounts and Audit

- (1) The accounts of the University shall be maintained on the basis and principles of double entry accounting system, and the method of accounting to be followed shall be the mercantile system as prescribed by the State Government.
- (2) The accounts of the University shall be audited at least once every year and in any case within four months of the closure of the financial year by the auditors appointed by the University from amongst the Comptroller and Auditor General (CAG) of India empanelled Chartered Accountant firms whose partners have no interest in any of the authorities or affairs of the University.
- (3) The Finance and Accounts Committee shall comply with the remarks and discrepancies as shown in the audit report in any case within one month of the receipt of such audit report and submit the same for approval of the Syndicate in any case within six months from the close of the financial year.
- (4) Audited accounts shall be published by the University and a copy thereof, together with the copy of the auditor's report shall be submitted to the State Government within six months of the closure of the financial year.
- (5) The State Government shall provide for conduct of the test audit or full audit of the accounts of the University at regular intervals by the auditors appointed by the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand and auditors appointed by the Audit Directorate, Finance Department of Jharkhand or as prescribed by the Statutes.
- (6) The University shall engage retired audit officer from the Office of the Principal Accountant General (Audit) Jharkhand, or Audit Directorate, Jharkhand for the purpose of Pre Audit in the University, who shall ensure internal review of financial transactions and records that takes place before a formal audit on a regular basis in accordance with government rules and audit regulations.

128 Annual Reports

- (1) The Finance and Accounts Committee shall prepare the Annual Report containing the administrative, academic, research and development and other activities of the University, colleges and institutions under its jurisdiction, for each academic year and submit it to the Senate after approval of Syndicate for final consideration. The Senate shall discuss and approve the Annual Report as received from the Finance and Accounts Committee. Such report, as approved by the Senate, shall be submitted to the State Government for information, within one year from the conclusion of the academic year.

- (2) The Annual Report shall mandatorily contain the following sections:-
 - (a) Targeted Sources Revenue of the University and its implementation plan;
 - (b) Achievement of revenue against targets set in the previous financial year; and
 - (c) New initiatives taken by the University for achievement of the targets or causes and remedies for failure to achieve the targets of the last financial year.
- (3) While preparing the Annual Report, the University shall focus on :-
 - (a) Appropriateness of the fees being charged from students for academic programs and the revisions required with a view of achieving financial self-sustenance;
 - (b) Steps taken and income generated from research and consultancy activities by the teachers and students at the University;
 - (c) Capital Investments made by the University for improvement of research facilities in the University and its expected outcome;
 - (d) Actions taken for collaboration with industrial houses, companies within and outside Jharkhand and plans for future collaboration;
 - (e) Courses and academic programs initiated by the University after demand analysis with the industry;
 - (f) Initiation of self-financed courses and the estimated revenue for the University; and
 - (g) Any other matter having implication on the financial revenue of the University.

CHAPTER XIII: MISCELLANEOUS

129 Authorities and Employees responsible for damages

- (1) It shall be the duty of every authority, employee and officer of the University to ensure that the interests of the University are duly safeguarded.
- (2) If it is found that a damage or loss has been caused to the University by any action on the part of any authority or employee or officer of the University, not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, University Ordinances or Rules, or any failure so as to act in conformity thereof, by willful neglect or default on its or his part, such damage or loss shall be liable to be recovered from the authority or employee or the Officer thereof, jointly or severally, or from the officer or employee concerned, as the case may be, in accordance with the procedure prescribed by the Statutes.

130 Membership of State Legislature and Parliament

- (1) If a teacher or non-teaching employee of the University seeks to contest elections or file nominations for membership of the State Legislature or the Parliament of India, he must seek the approval of the University, in the manner as prescribed by the Statutes, before initiating the process of contesting elections or filing nominations. The University before providing any approval shall ensure that teaching, learning, administrative or research activities of the University remain unaffected by such employee contesting elections or filing nominations.
- (2) A teacher or a non-teaching employee shall not be disqualified for continuing as such teacher or a non-teaching employee on the ground that he has been selected or nominated as a member of the Legislative Assembly of the State or of the Parliament.
- (3) A teacher or a non-teaching employee selected or nominated as a member of the Legislative Assembly of the State, or of the Parliament for the period of his membership of the Legislative Assembly or of the Parliament shall be entitled to treat such period as on leave without salary and allowances.
- (4) A teacher or a non-teaching employee referred to in sub-section (3) shall also be entitled to count the period of his membership of the Legislative Assembly or of the Parliament for

the purposes of pension, seniority and increments.

131 Pensions, Gratuity, Insurance and Provident Fund

- (1) The University shall, subject to such manner and conditions as may be prescribed by the Statutes, constitute any pension, gratuity, insurance or provident fund, as it may deem fit for the benefit of its officers, teachers and non-teaching employees.
- (2) Where any such pension, gratuity, insurance or provident fund is constituted in this manner, the State Government may declare that the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) shall apply to the said Fund, as if that fund State Provident Fund.

132 Interpretation, disputes etc.

If any question arises regarding the interpretation of any provision of this Act, or of any Statutes, University Ordinance or University Rules, by any person the matter may, be referred, *suo-motu* by the Vice Chancellor to the State Government, who shall clarify on such interpretation, and the decision of the State Government shall be final and binding:

Provided that, such reference shall be made by the Vice Chancellor upon a requisition signed by not less than one fourth members of the Senate or Syndicate.

133 Protection of Acts and Orders

No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against the University or any of its officers, authorities, or any person duly authorised by it, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the Statutes, University Ordinances, or Rules made thereunder. All acts done and orders passed in good faith by the University or any of its officers, authorities, or authorised persons shall, subject to the provisions of this Act, be final and binding.

134 Delegation of Powers

Subject to the provisions of this Act and the Statutes, any officer of the University may, by order, delegate his or its powers, except the power to make University Ordinances and Rules and recommend amendment to the Statutes, to an immediate subordinate officer of the University, and subject to the condition that the ultimate responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer delegating them.

135 Acts and proceedings not invalid

- (1) No act or proceeding of any authority or body or committee of the University, shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that –
 - (a) any of the members of any such authority, body or committee are not appointed, nominated or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or to attend any meeting thereof or any person is a member in more than one capacity or there is any other defect in the constitution thereof or there are one or more vacancies in the offices of members thereof; and
 - (b) there is any irregularity in the procedure of any such authority, body or committee not affecting the merits of the matter under consideration, and the validity of such act or proceeding shall not be questioned in any court or before any authority or officer merely on any such ground.

CHAPTER XIV: ESTABLISHMENT OF NEW UNIVERSITIES

136 Conditions for establishment of New University

For the purpose of establishing a new University under this Act, the following may be considered as the indicative requirements relating to land, and infrastructure, namely: -

- (1) possess land as may be prescribed by the State Government;

- (2) construct on land referred to in the section 136 (1), of built up area for administrative and academic purpose including library, lecture theatre, auditorium, student resource centres, sports facilities and laboratories as may be prescribed by UGC or other Statutory Bodies. Adequate residential accommodations for teachers, guest houses, hostels, should be constructed, which shall gradually be increased to accommodate at least 25% of student strength in each course within 3 years of existence. The University should be built on the principles of a Green Campus which should be using energy efficient appliances and set up water harvesting facilities. In case University is conducting professionals' program of study, prevailing norms and standards of UGC and respective regulatory body shall be applicable.
- (3) install equipment, computers, furniture, assets, infrastructural facilities other than building mentioned in the Section 136(2) and other consumables and non-consumables as the norms prescribed by UGC and the respective regulatory body; and
- (4) purchase of books, journals, periodicals and online resources as per the norms of UGC and the respective regulating bodies and provisions computers, library networking, and other facilities to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research.

137 Project Report

The Department of Higher and Technical Education shall prepare a detailed project report with the particulars, namely:-

- (1) justification regarding the necessity of establishment of the proposed University;
- (2) the name, location and headquarters of the proposed University;
- (3) the objectives of the University;
- (4) requirement of academic facilities including teaching and non-teaching staffs;
- (5) availability of academic facilities including teaching and non-teaching staffs if any;
- (6) the details of plans for campus development such as, construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment for starting the University;
- (7) the phased outlays of capital expenditure;
- (8) the nature and type of programmes and courses of study, research and innovation proposed to be undertaken by the University;
- (9) the nature of facilities proposed to be started;
- (10) the nature of specialized teaching, training or research activities to be undertaken by the University including those related to the local needs, so as to fulfil its objects;
- (11) the details of playgrounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extracurricular activities like National Cadet Corps and National Service Scheme;
- (12) proposed approach and initial plans for academic and research excellence, including accreditations to be sought and academic auditing; and
- (13) such other details as the Department of Higher and Technical Education may like to give.

138 High Power Committee

- (1) The State Government shall constitute a High Power Committee, which will be a permanent body, to monitor the various stages and progress of work for setting up a new University which has received its approval from State Government. The High Power Committee shall be the responsible for the overall coordination, monitoring and establishment of the University. The State Government may revisit the constitution, and responsibilities of the High Power Committee from time to time and make changes, as it deems fit.

- (2) The composition of the High Power Committee shall be as follows: -
- (a) Director, Higher Education- Chairperson;
 - (b) Director, Technical Education- Vice-Chairperson;
 - (c) Vice Chancellor or his representative not below the rank of Registrar, Mentoring University-Member;
 - (d) Representative of Department of Finance, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (e) Representative of Department of Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (f) Representative of Department of Revenue, Registration and Land Reforms, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (g) Representative of Department of Road Construction, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (h) Representative of Department of Building Construction, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (i) Representative of Department of Energy, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (j) Representative of Department of Forest, Environment and Climate Change, not below the rank of Joint Secretary-Member;
 - (k) Under Secretary, Department of Higher and Technical Education-Member Secretary; and
 - (l) Special Invitees- as authorised by the Chairperson.
- (3) In case of any circumstances resulting in delay or any exigency conditions, the Chairperson of the High Power Committee shall convey the same with the reasons for such delay or exigency to his superior official for timely resolution.

139 Compliance to approval of State Government

- (1) On consideration of the proposal submitted by the Department of Higher and Technical Education, the State Government may accept or reject or seek modification or additional information in the proposal.
- (2) On acceptance of the proposal by the State Government, the Department of Higher and Technical Education shall,
 - (a) acquire the land as specified in Section 136(1) within a period of one year from the approval by the State Government;
 - (b) complete the construction of building and procurement of required furniture, fixtures and equipment as per the approved proposal within a period of 3 years from the approval by the State Government; and
 - (c) prepare the roster and the get the same approved by the competent authority of the State Government.

140 Enactment of New University

The Department of Higher and Technical Education on fulfilling the provisions as mentioned in Section 136 and Section 139, shall make recommendation to the State Government for establishment of new University as per Section 3 and addition of its name in Schedule-II or Schedule – III of the Act, as applicable by the State Legislature. The name of the new University to be established shall be finalized on the approval from State Government.

141 Issue of order providing for matters when new University is constituted

- (1) When any new University is constituted by a notification in the *Official Gazette* under sub-

section (2) of section 3, the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act, by one or more orders published in the *Official Gazette*, provide for all or any of the following matters, namely: -

- (a) the appointment of the first Vice Chancellor and other officers of the University and the term for which they shall be appointed;
- (b) the mentor University for the newly established University;
- (c) the constitution of the first Senate and Academic Council in such manner as it thinks fit and the term for which it shall function;
- (d) the continuance or application of such Statutes and University Ordinances with such modifications as it may specify:
 Provided that, the Competent Authority of the new University shall adopt such Statutes, University Ordinances, either in to or with such modifications as deemed fit, within a period of two years from its establishment;
- (e) the exercise of option by the registered graduates of any of the then existing universities to continue to remain registered graduates of the same universities or to get registered with the new University;
- (f) the continuance or discontinuance of membership of the Senate, the Academic Council and other authorities, bodies and committees of the existing universities constituted under this Act;
- (g) the filling in the vacancies caused by discontinuance of the members of authorities or bodies or committees of the existing University;
- (h) recruitment of teaching and non-teaching staffs as per the approved roster;
- (i) the continuance of affiliation of the colleges or the recognition of the institutions by the new University to which the area is added and discontinuance of the same by the existing University from which the area is carved out;
- (j) the transfer of any of the employees of the existing University to the new University and the terms and conditions of service applicable to such employees or termination of the service of the employees of the existing University by giving such terminal benefits as the State Government deems fit:
 Provided that, the terms and conditions of service of any employee so transferred shall not be varied to his disadvantage;
- (k) transfer of assets, that is to say, the property, movable or immovable, right, interest of whatsoever kind acquired, and the liabilities and obligations incurred, before the issue of any such order; and
- (l) such other supplemental, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

CHAPTER XV: JHARKHAND STATE UNIVERSITY SERVICE COMMISSION

142 Establishment of Commission

- (1) The State Government shall establish the Jharkhand State University Service Commission.
- (2) The Commission shall be a body corporate, having its head office in Ranchi, which will have perpetual heritance and its common seal and may sue or may be sued in the said name.
- (3) The Department of Higher and Technical Education shall be the nodal administrative Department and shall provide the necessary Secretarial assistance to the Commission.

143 Composition of the Commission

- (1) The Commission shall consist of Chairperson, Member (Administration) and three Members, who shall be whole time officers and shall be appointed by the State Government.

- (2) A person shall be eligible for appointment to the post of Chairperson, if, he or she:-
 - (a) is a retired Officer not below the pay grade of Principal Secretary in the State Government or Additional Secretary in the Government of India or equivalent pay grade from All India Services or any Group A Service; or
 - (b) has served for a minimum period of 03 years as the Vice Chancellor of a Public University or Director of an Institute established through an Act of Government of India.
- (3) A person shall be eligible for appointment to the post of Member (Administration), if he is:-
 - (a) a retired Officer not below the pay grade of Secretary in the State Government or Joint Secretary in the Government of India or equivalent pay grade from All India Services or any Group A Service; or
 - (b) a retired Professor with at least 10 years of experience in the rank of Professor in any Public University or Institute established through an Act of Government of India.
- (4) Of the three members, :-
 - (a) one member shall be a retired Officer not below the pay grade of Joint Secretary in the State Government or Deputy Secretary in the Government of India or equivalent pay grade from All India Services or any Group A Service or any Jharkhand State Public Service;
 - (b) one member shall be a retired Professor from any Public University or Institute established through an Act of Government of India; and
 - (c) one member shall be a retired Judicial Officer not below the rank of District Judge or an advocate recognised by State Bar Council with at least 10 years of experience in Court of Law.
- (5) The Commission shall have a Secretary who shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government.
- (6) Every appointment under this Section shall take effect from the date of its notification by the State Government.

144 Selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members

- (1) The Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission shall be selected and appointed by the State Government by a notification in the *Official Gazette* in the manner as may be prescribed by the Rules.
- (2) The process of selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission, shall invariably begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy of the post. It shall be the responsibility of the Department of Higher and Technical Education to initiate the process for selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission:

Provided that the 1st Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission shall be selected and appointed within 06 months of the enactment of this Act.

145 Term of Office and Conditions of Service of Chairperson, Member (Administration) and other Members

- (1) The Chairperson of the Commission shall hold the office for a term of five years from the date of appointment or till he / she attains the age of Seventy years, whichever is earlier.

- (2) The Member (Administration) of the Commission shall hold the office for a term of four years from the date of appointment or till he / she attains the age of Seventy years, whichever is earlier.
- (3) All Other Members of the Commission shall hold the office for a term of three years from the date of appointment or till he / she attains the age of Seventy years, whichever is earlier.
- (4) No person shall be appointed to the post of Chairperson or Member (Administration) or a Member for more than one term in the same post.
- (5) In case of absence of the Chairperson, the Member (Administration) shall act as the Chairperson of the Commission with the same powers and responsibilities, not exceeding a continuous period of twelve months.
- (6) The pay, allowances, and any other service conditions of the Chairperson, Member (Administration) and other Members shall be as prescribed by the Rules.

146 Resignation and Removal of Chairperson, Member (Administration) and other Members

- (1) The Chairperson or Member (Administration) or any Member of the Commission may, by request letter in writing and addressed to State Government, resign from the office, which shall come in force on being accepted by the State Government:

Provided that, if the acceptance or rejection of resignation is not communicated within fifteen days from the date of its receipt by the State Government, the resignation shall be deemed to have been accepted.

- (2) The State Government may, by order, remove from Office the Chairperson or Member (Administration) or any Member, if he or she:-
 - (a) has been adjudged as an insolvent by a Court of Law; or
 - (b) engages in any paid employment during his or her term of office; or
 - (c) is in the opinion of the State Government, unfit to continue to the office due to mental or physical incapacity or on indulging in any act of omission or commission detrimental to the interest of the State Government; or
 - (d) is in the opinion of the State Government not functioning in the best interest of State Government or not performing the duties as assigned under the provisions of the Act or the Rules made thereunder; or
 - (e) is unable to perform administrative duties to the satisfaction of the State Government; or
 - (f) is liable for removal on grounds of misconduct or is in violation of any provisions of this Act or the Rules made thereunder.
- (3) The Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission shall be removed from Office on the grounds mentioned in the sub-section (2) only after an opportunity has been given to make representation, by the procedure as may be prescribed by Rules.

147 Power to Associate

The Commission may associate with itself, in such manner and for such purpose, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of the Act.

148 Officers and Employees of the Commission

- (1) Secretary, Deputy Secretary, Controller of Examinations, and Finance Officer shall be considered as Officers of the Commission.
- (2) All Officers of the Commission shall be appointed by the State Government with service conditions as may be prescribed by the Rules.

- (3) The Officers of the Commission shall be eligible for all such allowances as may be prescribed by the Rules.
- (4) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this regard, the Commission may appoint such other employees as it may deem necessary for discharge of its duties under this Act and on such terms and conditions as may be prescribed by the Rules.
- (5) Officers and employees of the Commission shall be appointed and vest such powers and duties as may be prescribed by the Rules.
- (6) The State Government shall provide Secretarial assistance to the Commission by way providing the necessary Officers to assist the Commission in discharging its duties.

149 Powers and duties of the Commission

- (1) The Commission shall have the following powers and duties, namely:-
 - (a) to prepare guidelines on matters relating to the method of direct recruitment of Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;
 - (b) to conduct examinations, where necessary, hold interviews and select candidates for appointment as Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;
 - (c) to adopt its own procedure or select any agency for conduction of examination, recruitment process, etc.;
 - (d) to carry out the entire recruitment process including appointment of the question setters/examiners, obtaining question papers, keeping them in safe custody, ensuring the identity of the candidates, timely supply of question papers to the different centers, proper invigilation, safe custody of answer books, tabulation of marks obtained by candidates in such examinations and publishing the results;
 - (e) to recommend candidates for appointment of Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;
 - (f) to provide its concurrence for promotion of Officers, Teachers and non-teaching staff as prescribed by the Statutes of the of the University;
 - (g) to conduct the Jharkhand Eligibility Test in the manner and for the subjects as prescribed by the State Government;
 - (h) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes of clause (b);
 - (i) to procure technological and manpower services from agencies for carrying out its mandated activities;
 - (j) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates;
 - (k) to obtain periodical returns or other information from University regarding the strength and vacancies of the teachers or officers or non-teaching staff or Principals of Constituent Colleges;
 - (l) to fix the emoluments, travelling allowance and other allowances of the experts within the limits prescribed by the Rules;
 - (m) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to discharge of its functions under this Act or the Rules made thereunder;
 - (n) to empanel and approve the allowance to be paid for lawyers representing the Commission in any tribunal or Court of Law including but not limited to the High Court of Jharkhand and Supreme Court of India;

- (o) to incur expenditure out of the funds of the Commission for achieving any objectives or mandated responsibilities except for the earmarked funds;
- (p) to follow the State Reservation Policy and other procedures made by the Department of Administrative Reforms, Personnel and Rajbhasha, Jharkhand, from time to time, regarding selection of Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;
- (q) to provide feedback or suggestion or consultancy to State Government on the recruitment or promotion policy for Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges; and
- (r) any other powers as may be provided by the Rules.

150 Selection of Officers, Principals, Teachers and non-Teaching Staff of the University

- (1) The University shall send the requisition to the Commission for selection of Officers, Teachers and non-Teaching staff and Principals of Constituent Colleges against the vacant post as per the roster approved by the State Government on or before 15th January of every year.
- (2) The Commission shall accordingly advertise the vacancies received and carry out the selection process for the post of Officers, Principals of Constituent Colleges, Teachers and non-teaching staff as per the eligibility criteria prescribed by the Statutes.
- (3) The Commission shall conduct, wherever necessary, examination and / or interviews and prepare a panel of suitable candidates for each advertised post by following the process as may be prescribed by the Statutes:
Provided that, the selection process shall, wherever applicable, adhere, to the provision of the Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means) Act, 2023.
- (4) There shall be a Screening Committee for preliminary scrutiny of the applications. The composition of the Screening Committee shall be as follows:-
 - (a) Secretary of the Commission – Chairperson;
 - (b) Deputy Secretary – Member; and
 - (c) Controller of Examinations – Member.
- (5) The Screening Committee shall send the list of eligible candidates to the Selection Committee.
- (6) There shall be a Selection Committee for recommendation of candidates to the post of Officer, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of the Constituent College/s. The composition of the Selection Committee shall be as follows:-
 - (a) Chairperson of the Commission – Chairperson;
 - (b) Member (Administration) – Member;
 - (c) All the three Members of the Commission – Member(s);
 - (d) three experts in the subject concerned nominated by the Chairperson – Member(s);
 - (e) an academician representing SC / ST/ OBC / Minority / Women / Differently abled categories to be nominated by the Chairperson – Member; and
 - (f) Secretary of the Commission-Member Secretary.
- (7) The Selection Committee may constitute different panels, each headed by a Member of the Commission to conduct the interviews of the shortlisted candidates for each advertised post.
- (8) On completion of the selection process, the Commission shall send the post wise list of recommended candidates against the requisition provided by the University.
- (9) Every appointment of Officer, Teacher, or non-teaching staff and Principals of Constituent

Colleges shall be made by the University only on the recommendation of the Commission, and any appointment made in contravention of such recommendation shall be null and void.

- (10) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to any examination shall be final.

151 Promotion of Officers, teachers and non-teaching staff of the University

- (1) The University shall carry out the process of promotion as prescribed by its Statutes and submit the list of the candidates to the Commission for its concurrence on or before 15th July of every year.
- (2) The Commission shall duly vet the proposals for promotion submitted by the University and provide its concurrence within a period not exceeding 30 days from the date of submission of the proposal by following the process as may be prescribed by the Rules:
Provided that, in case the Commission detects any anomaly, it may send back the proposal to the concerned University within a period not exceeding 30 days.
- (3) The University concerned, may resubmit the proposal after removing the defects determined by the Commission within a period of 30 days from the date of receipt of communication regarding the defects.
- (4) The Commission on resubmission on the proposal for promotion may concur or reject the proposal within a period of 30 days.
- (5) The decision taken by the Commission regarding the promotion of Officers, Teachers and Non-Teaching Staff of University and Principal/s of Constituent College/s shall be final and binding on all parties.

152 Power to call for records

The Commission may call for any records, reports or other information from the University, if in its opinion, such records, reports or other information necessary for efficient discharge of its functions, and University shall furnish such records, reports or other information to the Commission.

153 Duty and Responsibility to conduct Jharkhand Eligibility Test

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any law in force, it shall be the duty and the responsibility of the Commission to conduct the Jharkhand Eligibility Test in the State of Jharkhand for subjects as may be decided by the State Government from time to time.
- (2) The detailed procedure and mechanism for conduction of Jharkhand Eligibility Test shall be as prescribed by the Rules or notification issued by the State Government.
- (3) The Jharkhand Eligibility Test shall be a State Level Eligibility Test equivalent to that of National Eligibility Test conducted by the University Grants Commission and it shall be considered valid for all such admissions or appointments where the National Eligibility Test is considered valid.
- (4) The Jharkhand Eligibility Test shall be considered valid only in the State of Jharkhand.
- (5) While conducting the Jharkhand Eligibility Test the Commission, shall ensure strict adherence to the provisions regarding conduct of examination as prescribed by the Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023.

154 Funds and Accounts of the Commission

- (1) The financial management of the Commission shall be done in accordance with the rules or procedure laid down by the State Government from time to time:

Provided that, the Commission may, with the prior approval of the State Government frame special Rules or procedure in respect of matters as it considers

necessary.

- (2) The Commission shall maintain a Personal Deposit (PD) Account in the Government Treasury to hold grants from State Government. Further, there shall be a Bank Account of the Commission in any Scheduled Commercial Bank permitted by the State Government to hold fund in which all its income from fees, fines and income from any other sources that the State Government may approve from time to time shall be credited.
- (3) The expenditure of the Commission shall be incurred from the PD Account and the Bank Account maintained by it, in accordance to the rules or procedure mentioned in sub-section (1) and orders of the State Government, if any.
- (4) The Commission may carry out any expenditure from the funds placed in its Bank Account for fulfilling its mandated activities and designated responsibilities.
- (5) Any Officer or employee of the Commission who incurs an expenditure in violation of the rules or procedure prescribed by sub-section (1) or orders of the State Government, if any, shall be personally liable for such violation.
- (6) The budget of the Commission showing the income and expenditure of the Commission on various heads of account for a financial year shall be prepared by the Finance Officer under the supervision and direction of the Secretary and submitted to the State Government for approval at least two months before from the beginning of every financial year in such form as may be prescribed.
- (7) The State Government shall, within fifteen days of commencement of every financial year, communicate the approval or otherwise of the budget to the Commission.
- (8) The Chairperson shall be the Controlling Officer with regards to himself, Member (Administration), the Members, Secretary, Deputy Secretary, Controller of Examinations and Finance Officer, including all other such employees of the Commission and shall exercise all such financial powers as are ordinarily vested in the Head of the Department, in addition to all other financial powers delegated to the Chairperson of the Commission.
- (9) The Secretary shall be the drawing and disbursing officer, but may, if he or she considers it necessary, by an order in writing, delegate all or any such powers to any officer of the Commission.
- (10) The Secretary shall exercise all such powers as may be vested in the Head of an Office, in addition to any power delegated by the Commission, as it feels necessary.

155 Audit and Report of Commission

- (1) The Commission shall maintain proper records of accounts which shall be duly audited internally by a qualified State Government empanelled Chartered Accountant as defined under clause (b) of section 2 of the Chartered Accountant Act, 1949, in the manner prescribed by the State Government and shall submit such accounts before the State Government.
- (2) The Commission as soon as possible after closing of its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form and forward it to the Accountant General by such date as the State Government may notify for audit under Section 14 of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service Act), 1971.
- (3) The State Government shall provide for the conduct of the test audit or full audit of accounts of the Jharkhand State University Service Commission at regular intervals by the auditor appointed by the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand and auditors appointed by the Audit Directorate, Finance Department of Jharkhand or as may be prescribed by the rules.
- (4) It shall be the duty of the Commission to present annually to the State Government, within

31st August of every year a report on the work done by the Commission and on receipt of such report the State Government shall cause a copy thereof to be laid down before the State Legislature.

156 Punishment for non-compliance

Any entity, failing to comply with the recommendations of the Commission shall be liable for legal and penal action as may be prescribed by the Rules.

157 Protection for action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of the Act.

158 Prohibition of Prosecution

No prosecution for any offence under this Act shall be instituted without the sanction of an Officer or Authority as may be determined by the State Government, by an order, issued in this regard.

159 Validation of Proceedings of Commission

- (1) No act or proceeding of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of,-
 - (a) any vacancy or defect, in the Constitution of the Commission; or
 - (b) any defect or irregularity in the appointment of any person acting as a member thereof; or
 - (c) any defect or irregularity in such act or proceeding not having any material effect.

160 Authentication of Decisions of the Commission

All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under Section 148 of this Act or any other Officer authorised by the Commission.

161 Delegation of Powers of the Commission

- (1) All the administrative or financial powers of the Commission if not vested in any Officer under this Act or the Rules made thereunder shall vest with the Chairperson.
- (2) The Chairperson shall have the power to nominate expert(s) in particular discipline or trade for each selection wherever necessary, from among the State Government Officers, Professors of University or Academicians or Officers of Government of India or of other State or of Public Sector Undertakings whether in service or retired and from among other eminent persons having specialised knowledge in the particular discipline/trade.
- (3) The Commission may by Rules made under Section 163 confer on its Chairperson or Member (Administration) or Member or Officer, the power to delegate the general superintendence of and directions in connection with the work done by or in the Commission, including the expenditure incurred for maintenance of office and internal administration of the Commission.

162 Transfer of Pending Selection and Promotion

All pending selection of Officers or Teachers or non-teaching staff of University or Principal(s) of Constituent College(s), whether advertised or not, and said promotion which has not been recommended or concurred upon by the Jharkhand Public Service Commission or Jharkhand Staff Selection Commission shall be transferred to the Jharkhand State University Service Commission, by a notification in the *Official Gazette*.

163 Power to make Rules for the Commission

- (1) The State Government, by notification in *Official Gazette*, may make rules for appointment

or service conditions of the Chairman or Member (Administration) or Members or Officers or Employees of the Commission and for carrying out objects and purposes of this act, including for any other matter which has to be or may be prescribed.

- (2) The Commission may make or amend rules prescribing fees of holding of examinations, for conducting interviews and for laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under the Act without the prior approval of the State Government.
- (3) All rules made under this Act except rules made under sub-section (2), as soon as it is made shall be laid before the State Legislature and shall take effect from the date of their publication in the *Official Gazette*.

CHAPTER XVI: CIGARETTE AND TOBACCO FREE CAMPUS

164 Cigarette and Tobacco Free Campus

- (1) Every University established, or College constituent, or affiliated under this Act shall take all necessary measures to ensure that the campus remains free from the use, sale, and promotion of cigarettes and other tobacco products. The institutions shall mandatorily implement the "Guidelines for Tobacco Free Educational Institutions" as notified by the Government of India or the respective State Government, as the case may be.
- (2) It shall be the duty and responsibility of the Vice Chancellor, Director, Student Affairs, and Proctor in the case of Universities, and of the Principal in the case of Constituent or Affiliated Colleges, to ensure the strict implementation and continuous enforcement of the guidelines referred to in sub-section (1), and to maintain the campus as a Cigarette and Tobacco Free Zone.
- (3) A radius of one hundred (100) yards from the outer boundary of every University or College shall be deemed to be a notified area for the purposes of Section 6(b) of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act 34 of 2003), and accordingly, no trade, commerce, production, supply, or distribution of cigarettes or other tobacco products shall be permitted within such area.
- (4) The Vice Chancellor, Director, Student Affairs, and Proctor of every University, and the Principal of every Constituent or Affiliated College, shall be responsible for the effective implementation of all applicable provisions of the rules, regulations, and notifications issued under the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act 34 of 2003), within their respective campuses.

CHAPTER XVII: TRANSITORY PROVISIONS

165 Continuation of existing officers and employees

Save as otherwise provided by or under this Act, every person holding office either as an officer or the employee, whether teaching or non-teaching employee, of any University on the date immediately before the commencement of this Act shall continue to hold office on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before such date, and shall exercise such powers and perform such duties as conferred on them by or under this Act.

166 Provisions relating to continuance

- (1) Every person holding office as a member of any authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, continue to hold the said office and the authority with such members shall exercise the powers and perform the duties conferred on it by or under this Act, until the date on which the authority is deemed to

be re-constituted or a period of six months from the date of commencement of this Act, whichever is later.

- (2) On the date on which any authority is deemed to be re-constituted or on which a period of six month expires, whichever is later, every member of an authority of an existing University who is continued in office under this section shall be deemed to have vacated his office.
- (3) If on the date of commencement of this Act, any authority or body cannot be constituted in accordance with the provisions of this Act, the Vice Chancellor may, after approval of the State Government, take such measures for interim constitution of such authority.
- (4) The term of such authority constituted under sub-section (3) shall be for a period of one year from its constitution or till such authority or body is duly constituted under this Act, whichever is earlier.
- (5) For the removal of doubt, it is hereby declared that on expiry of a period of one year of the interim constitution of such authority, such authority shall cease to function, and the newly constituted authority or body will be enforced from the date of expiry of such interim authority or body.

167 Repeal and Savings

- (1) On and from the date of commencement of this Act, following Acts shall stand repealed: -
 - (a) Jharkhand State University Act, 2000 (Adapted) including all its Amendments;
 - (b) The Jharkhand University of Technology Act, 2011;
 - (c) Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016; and
 - (d) Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022.
- (2) Notwithstanding the repeal of the said Acts as mentioned in sub-section (1) of this section,-
 - (a) all actions taken prior to the commencement of the this Act, by the respective Universities or any action taken by the State Government shall continue to hold until or unless repealed or amended after passing of this Act;
 - (b) any person holding office immediately before the commencement of this Act as Vice Chancellor of the University shall, on such commencement, continue to hold the said office till his term of office as Vice Chancellor of that University would have expired had he continued to be as such unless he ceases to be the Vice Chancellor by reason of death, resignation or otherwise before the expiry of his term of office as aforesaid and shall exercise all the powers and perform all the duties conferred and imposed on the Vice Chancellor of the respective University by or under this Act;
 - (c) all colleges which stood affiliated to the University immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to be affiliated to that University under this Act till their affiliation is withdrawn by that University under this Act and is notified in the *Official Gazette* with affiliation to a new University along with the jurisdiction of the said University;
 - (d) all other educational institutions which were entitled to any privileges of the University shall be entitled to similar privileges of that University;
 - (e) all property, movable or immovable, and all rights, interest of whatsoever kind, powers and privileges of the University shall stand transferred to and shall, without further assurance, vest in, that University and be applied to the objects and purposes for which that University is constituted;
 - (f) all notifications, orders, directions, Statutes, ordinances and rules made or issued by any authority or by the State Government under the repealed Act as mentioned

in Schedule I shall, so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been made or issued under this Act by that authority or by the State Government until they are superseded or modified under this Act;

- (g) notwithstanding such repeal, anything done or any action taken on the recommendation of Jharkhand Public Service Commission or Jharkhand Staff Selection Commission under the Acts of the University shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was enforced on the day on which such thing was done, or such action was taken; and
- (h) this Act shall supersede all orders, rules, regulations notified either by the State Government or State Universities or Jharkhand Public Service Commission or Jharkhand Staff Selection Commission which are contrary to the provisions of this Act.

168 Removal of difficulties

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by Order published in the *Official Gazette*, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.
- (2) Every Order made under sub-section (1) shall be laid after it is made, before the State Legislature.

169 Language of Authoritative Text

Notwithstanding anything contained in this Act, if there is any inconsistency or discrepancy between Hindi version and the English version of the Act, the English version of the Act shall prevail.

Schedule- I

Sr. No.	Name of the Act	Name of University	Jurisdiction
I	II	III	IV
1.	Jharkhand State Universities Act, 2000 with all its amendments	Ranchi University	South Chota Nagpur Division
2.		Vinoba Bhave University	North Chota Nagpur Division except districts of Bokaro, Dhanbad, Giridih and Koderma
3.		Sido Kanhu Murmu University	Dumka Division
4.		Binod Bihari Mahto Koylanchal University	Districts of Bokaro and Dhanbad
5.		Kolhan University	Kolhan Division
6.		Nilamber Pitamber University	Palamau Division
7.		Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi	State of Jharkhand
8.		Jamshedpur Women's University	State of Jharkhand
9.		Baba Baidyanath Sanskrit University	State of Jharkhand
10.		Sir J.C. Bose University	Districts of Giridih and Koderma
11.	The Jharkhand University of Technology Act, 2011	Jharkhand University of Technology	State of Jharkhand
12.	Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016	Jharkhand Raksha Shakti University	State of Jharkhand
13.	Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022	Pandit Raghunath Murmu Tribal University	State of Jharkhand

Schedule-II
LIST OF TEACHING INTENSIVE AFFILIATING UNIVERSITIES

Sl. No.	Name of University	Year of Establishment	Location	Jurisdiction
I	II	III	IV	V
1.	Ranchi University	1960	Ranchi	South Chota Nagpur Division
2.	Vinoba Bhave University	1992	Hazaribagh	North Chota Nagpur Division except districts of Bokaro, Dhanbad, Giridih and Koderma
3.	Binod Bihari Mahto Koylanchal University	2017	Dhanbad	Districts of Bokaro and Dhanbad
4.	Kolhan University	2007	Chaibasa	Kolhan Division
5.	Sido Kanhu Murmu University	1992	Dumka	Santhal Pargana Division
6.	Nilamber Pitamber University	2007	Medininagar	Palamau Division
7.	Baba Baidyanath Sanskrit University	2019	Deoghar	State of Jharkhand
8.	Jharkhand University of Technology	2011	Ranchi	State of Jharkhand
9.	Sir J.C. Bose University	2024	Giridih	Districts of Giridih and Koderma

Schedule-III
LIST OF RESEARCH-INTENSIVE UNITARY UNIVERSITIES

Sl. No.	Name of University	Year of Establishment	Location	Jurisdiction
I	II	III	IV	V
1.	Dr. Shyama Prasad Mukherjee University	2017	Ranchi	State of Jharkhand
2.	Jamshedpur Women's University	2019	Jamshedpur	State of Jharkhand
3.	Pandit Raghunath Murmu Tribal University	2022	Jamshedpur	State of Jharkhand
4.	Jharkhand Raksha Shakti University	2016	Ranchi	State of Jharkhand

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।